VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

अर्थव्यवस्था

Classroom Study Material 2018

(September 2017 to June 2018)

www.visionias.in
+91 8468022022

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW

विषय सूची

1. रोजगार एवं कौशल विकास 5

1.1 रोजगार ,बेरोजगारी एवं वेतन अनुमान 5

1.1.1 मुख्य बिंदु 5

1.1.2. भारत में रोजगार डाटा की अस्पष्टता और निम्न विश्वसनीयता के कारण 7

1.1.3. रोजगार डाटा में सुधार करना 7

1.1.4. भारतीय अर्थव्यवथा का औपचारीकरण 8

1.1.5. रोजगार सृजन 9

1.2 श्रम कानून में सुधार 9

1.2.1. मजदूरी संहिता अधिनियम, 2017 10

1.2.2. औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता विधेयक, 2015 11

1.2.3. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर श्रम संहिता, 2017 11

1.2.4. पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कामकाजी माहौल पर श्रम संहिता, 2018 का प्रारूप 12

1.3 कौशल विकास 13

1.3.1 महत्वपूर्ण बिंदु 13

1.3.2 कौशल विकास हेतु सरकार द्वारा की गई पहलें और आधारभूत संरचना 14

1.3.3 मौजूदा कौशल विकास सम्बन्धी अवसंरचना और दृष्टिकोण के साथ समस्याएं 15

1.3.4 कौशल विकास संकेतकों की आवश्यकता 16

1.3.5 चिंताएं 16

1.3.6 आगे की राह 17

1.4. हाल ही में सरकार द्वारा की गई पहलें 17

1.4.1 संकल्प और स्ट्राइव योजनाएँ: स्किल इंडिया मिशन 17

1.4.2. स्टार्ट-अप संगम पहल 17

1.4.3. भारत BPO संवर्द्धन योजना एवं पूर्वोत्तर BPO संवर्द्धन योजना 18

2. समावेशी विकास 20

2.1 निर्धनता का मापन 21

2.2. संसाधन दक्षता रणनीति 22

2.3.पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 23

2.4. आकांक्षी जिलों का बदलाव 24

2.5. द्वीप विकास एजेंसी 25

3. वित्त एवं बैंकिंग 28

3.1 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 33

3.2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 36

VISION IAS

3.3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना....40

3.4. अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक तथा चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018....41

3.4.1. अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2018....41

3.4.2. चिट फंड (संशोधन) अधिनियम, 2018....42

3.5. पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री....43

4. कराधान....46

4.1. वस्तु एवं सेवा कर....47

4.2. नए प्रत्यक्ष कर कानून मसौदा हेतु टास्क फोर्स....50

4.2.1. जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स....53

5. कॉर्पोरेट गवर्नेंस....55

5.1 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी द्वारा गठित समिति....55

5.2. शेल कंपनियां....57

5.3. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR)....58

6. भूमि से संबंधित नीतियां....62

6.1. औद्योगिक आवंटन के लिए भूमि बैंक....66

7. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र....68

7.1.न्यूनतम समर्थन मूल्य....74

7.2 कृषि विपणन....76

7.2.1. किसान उत्पादक कंपनियाँ....78

7.2.2. अनुबंध कृषि....80

7.2.3. कृषि निर्यात नीति का मसौदा....82

7.3. कृषि आगत....84

7.3.1. जल प्रबंधन....84

7.3.2 सूक्ष्म सिंचाई कोष....86

7.3.3. उर्वरक क्षेत्र (Fertilizer Sector)....87

7.3.4. बीज उद्योग....89

7.3.5. कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2017 का मसौदा....91

7.4. कृषि में प्रौद्योगिकी की भूमिका....93

7.5. संबद्ध क्षेत्र (Allied Sector)....95

7.5.1. डेरी क्षेत्रक....97

7.5.2 रेशम उद्योग....98

7.5.3. भारत में मत्स्यन क्षेत्र....100

VISION IAS

7.5.4. राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 102
7.5.5. ऑपरेशन ग्रीन्स 103
7.6. कृषि से संबंधित अन्य मुद्दे........ 104
7.6.1. जैविक खाद्य पदार्थ 104
7.6.2. गन्ना मूल्य निर्धारण........ 106
7.6.3. कृषि शिक्षा 108
7.6.4. खाद्य तेल आयात........ 109
8. औद्योगिक नीति और सम्बंधित मुद्दे........ 112
8.1 भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण........ 115
8.2. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रक........ 118
8.3 विशेष आर्थिक क्षेत्र 119
9. सेवा क्षेत्र........ 123
9.1 पर्यटन क्षेत्र 123
9.2. IT-BPM क्षेत्र 125
9.3. सेवाओं में चैंपियन क्षेत्र 127
10. अवसंरचना........ 130
10.1 भारत में अवसंरचना वित्तपोषण........ 130
10.2. लॉजिस्टिक क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा........ 132
11. परिवहन क्षेत्र 134
11.1. सड़क मार्ग........ 134
11.1.1. सड़क कनेक्टिविटी और गतिशीलता........ 134
11.1.2. सड़क सुरक्षा........ 135
11.1.3. राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्द्धन प्रकोष्ठ........ 137
11.2. रेलवे (Railways)........ 138
11.2.1. फ्रेट सेगमेंट........ 138
11.2.2. सेवा वितरण एवं दक्षता........ 138
11.2.3. रेलवे सुरक्षा 139
11.3. जलमार्ग, नौ-परिवहन और बंदरगाह 139
11.3.1 नौ-परिवहन और बंदरगाह........ 139
11.3.2. जलमार्ग........ 140
11.4. अन्य संबंधित पहलें........ 140
11.4.1. तटीय आर्थिक क्षेत्र 140

VISION IAS

11.4.2. पत्तन विकास के लिए मॉडल रियायत समझौता 142
11.4.3. शुष्क पत्तन 143

11.5. उड्डयन क्षेत्र 144
11.5.1 अन्य संबंधित विकास- उड़ान 2 144

12. ऊर्जा क्षेत्र 146

12.1. ऊर्जा तक पहुंच और उसका उपभोग 148
12.1.1. अन्य संबंधित मुद्दे और विकास 150
12.1.1.1. विद्युत क्षेत्र में खुली पहुंच 150

12.2. कोयला क्षेत्र 151
12.2.1. कोयले का व्यावसायिक खनन 152

12.3 भारत में तेल और गैस 154
12.3.1. तेल और गैस अन्वेषण 155
12.3.2. रणनीतिक तेल भंडार 156
12.3.3. कोल बेड मीथेन का अन्वेषण 156
12.3.4. LPG आयात 157

12.4 नवीकरणीय ऊर्जा 158
12.4.1. सौर उर्जा 159
12.4.1.1. सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ़ इंडिया (सृस्टि - SRISTI) 159
12.4.1.2. कुसुम 159
12.4.2. पवन उर्जा 160
12.4.2.1. पवन ऊर्जा की खरीद हेतु दिशा-निर्देश 160
12.4.2.2. अपतटीय पवन ऊर्जा 162
12.4.2.3 राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति 163
12.4.3. अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत 164
12.4.3.1. मेथेनॉल इकॉनमी 164
12.4.3.2. गोबर-धन योजना 165

13. दूरसंचार 167

13.1. दूरसंचार क्षेत्र को शासित करने वाली नीतियाँ 168

13.2. दूरसंचार क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ 169

13.3. चुनौतियों का समाधान 169

VISION IAS

1. रोजगार एवं कौशल विकास

(Employment and Skill Development)

1.1 रोजगार ,बेरोजगारी एवं वेतन अनुमान

(Employment, Unemployment and Wage Estimates)

1.1.1 मुख्य बिंदु

(Highlights)

'औपचारिक' श्रम की परिभाषा :

भारत में, 'औपचारिक श्रम ' की विभिन्न परिभाषाएं मौजूद हैं, जैसे कि:

- कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत उद्यमों में नियोजित लोग (यह सेवा क्षेत्र में संलग्न लोगों को शामिल नहीं करता हैं)।
- ऐसे सभी लोग जो 10 या 10 से अधिक श्रमिकों वाले उद्यम/प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं और सभी सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी।
- किसी उद्यम/प्रतिष्ठान में अनुबंध के तहत कार्यरत लोग, भले ही उद्यम का आकार कुछ भी हो (अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी रिपोर्ट के अनुसार)।

एक औपचारिक श्रम या कार्य वह है, जिसे सामान्यतः सरकारी प्रतिष्ठानों या निजी उद्यमों में नियमित रूप से वेतनभोगी नौकरी के रूप में समझा जाता है और जिसमें निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा लाभों में से एक या एक से अधिक प्राप्त होते हैं जैसे : भविष्य निधि, पेंशन, ग्रैच्युइटी, हेल्थकेयर और मातृत्व से सम्बंधित सुविधाएं इत्यादि।

संगठित बनाम असंगठित:

भारत में, "संगठित उद्यम" शब्द का प्रयोग मूल रूप से कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत उद्यमों के संदर्भ में किया जाता था। 20 या उससे अधिक श्रमिकों के साथ औद्योगिक इकाईयां, जिसमें विद्युत् का उपयोग नहीं किया जाता, साथ ही विद्युत् का उपयोग करते हुए 10 या अधिक श्रमिकों वाले उद्यम को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत कराना अनिवार्य होता है। लेकिन कुछ संदर्भों में, उद्योग एवं सेवाओं दोनों में ही 10 या अधिक श्रमिकों वाली सभी इकाइयों को शामिल करने के लिए इसके दायरे (संगठित) को और बढ़ा दिया गया है। तात्पर्य यह है कि 10 से कम श्रमिकों वाले उद्यम, असंगठित उद्यम की श्रेणी में आते हैं।

- 2011-12 के (नवीनतम उपलब्ध) रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (NSSO द्वारा) के अनुसार, नियोजित कुल कार्यबल 47.36 करोड़ है; जिनमें कृषि में 23.16 करोड़ और उद्योग एवं सेवाओं में 24.2 करोड़ लोग संलग्न है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में औपचारिक श्रम बल का निम्न अनुमान लगाया है:

परिप्रेक्ष्य	संख्या	गैर कृषि कार्यबल में %
सामाजिक सुरक्षा कवर	~ 7.5 करोड़	31%
कराधान फाइलिंग	~ 12.7 करोड़	53%

- अप्रैल और दिसंबर 2015 के बीच आयोजित पांचवें **वार्षिक रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण (EUS)** के अनुसार, भारत में 83% श्रमिक स्व-नियोजित (self employed), अनौपचारिक (casual) या अनुबंध (contract) कर्मचारी थे।
- **आर्थिक जनगणना, 2013-14** (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार, सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित कुल कार्यबल 13.1 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, स्व उद्यम प्रतिष्ठान, जो किसी भी प्रकार के नियमित श्रमिकों को नियोजित नहीं करते हैं तथा वे उद्यम जो 10 श्रमिकों से कम संख्या के साथ कार्यशील हैं, भारत के कुल श्रम बल के लगभग 79% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा अर्थव्यवस्था में औपचारिक रोजगार (formal employment) का वार्षिक अनुमान लगाने के लिए 2017-18 की शुरुआत में **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** आरंभ किया गया है। यह भारत को वृहद-आर्थिक संकेतकों पर त्रैमासिक डेटा जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के विशेष डेटा के प्रसार मानकों (SDDS) को पूरा करने में भी सहायता करेगा।

VISION IAS

- अप्रैल 2018 में, पहली बार, भारत ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और (NPS) PFRDAs के भुगतान आंकड़ों और सब्सक्रिप्शन पर आधारित नए एवं निरंतर रोजगार के विश्लेषण की सुविधा के लिए औपचारिक क्षेत्र के लिए मासिक भुगतान आंकड़ों पर रिपोर्ट जारी की।
- सितंबर, 2017 और फरवरी, 2018 के बीच की अवधि को कवर किया गया था और जिसमें सभी आयु वर्गों (18-25 आयु वर्ग के लोगों, जिन्हें नई नौकरियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है; संख्या 18.5 लाख) में 31.10 लाख नए रोजगारों की सूचना दी गई थी। इन तीन संगठनों का पेरोल डेटा अब प्रत्येक माह जारी किया जाएगा (बॉक्स देखें)
- रोजगार आंकड़ों में सुधार के लिए **NITI आयोग के टास्क फोर्स की रिपोर्ट 2017** में जारी की गई थी (बाद में चर्चा की गई है)
- भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् डॉ. टी.सी.ए अनंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। यह समिति प्रतिष्ठान पहलुओं द्वारा रोजगार के आकलन के प्रयासों में अनावश्यक दोहराव को कम करने या समाप्त करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ विभिन्न पहलुओं का परीक्षण कर रही है। इस समिति द्वारा EPFO, ESIC और PRFDA द्वारा जारी मासिक पेरोल डेटा के श्रम ब्यूरो द्वारा रोज़गार सृजन पर त्रैमासिक उद्यम-आधारित सर्वेक्षण द्वारा प्रतिस्थापन की संभावना की जांच की जाएगी।

EPFO, ESIC और NPS से प्राप्त पेरोल डेटा (कर्मचारियों एवं उनको किए जाने वाले भुगतान संबंधी आंकड़े) की सीमाएं :

- यह पेरोल (सूची) पर कर्मचारियों की संख्या में होने वाली वृद्धि को मापता है, ना कि वास्तविक सृजित नौकरियों को; इस प्रकार यह सीमित डेटा बिंदुओं का ही उपयोग करता है।
- यह हो सकता है कि औपचारिक नौकरियों में वृद्धि के कारण अनौपचारिक नौकरियों में कमी हुई हो (जिसे मापना जटिल होता है); इसलिए वास्तव में बहुत कम नए रोज़गार के सृजन के साथ केवल रोज़गार की प्रकृति में परिवर्तन होता है।
- इसमें मौसमी समायोजन की आवश्यकता है और रोज़गार बाजार में संरचनात्मक और घर्षण परिवर्तनों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
- डुप्लीकेट के साथ-साथ निष्क्रिय खातों के अस्तित्व को आधार-लिंकिंग और अन्य उपकरणों द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए।
- EPFO-नामांकित कर्मचारियों में अस्थायी या अनौपचारिक कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनकी औपचारिक कर्मचारियों के रूप में गणना नहीं की जा सकती है।

भारत में रोजगार और उसके संयोजन का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण एवं अध्ययन का वर्गीकरण

प्रकार और नाम	विवरण	सीमाएं

घरेलू सर्वेक्षण:

- (+) सम्पूर्ण श्रम शक्ति को व्यापक रूप से कवर करने की पद्धति
- (-) प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित किए जाते हैं,
- (-) डेटा संग्रह और परिणामों की उपलब्धता के मध्य समय अंतराल
- उदाहरण- रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (NSSO द्वारा), वार्षिक श्रम बल सर्वेक्षण (श्रम ब्यूरो द्वारा)

उद्यम सर्वेक्षण:

- (+) उद्योग सर्वेक्षण, मजदूरी और अन्य रोजगार विशेषताओं तक पहुंच के संबंध में घरेलू सर्वेक्षणों की तुलना में अधिक सटीक होते हैं।
- (-) उपलब्ध नमूना आधारित ढांचे छोटे, असंगठित उद्यमों को कवर नहीं करते हैं।
- (-) स्व-नियोजित और कृषि श्रमिकों को शामिल नहीं किया गया है -
- उदाहरण- आर्थिक जनगणना (MOSPI द्वारा), वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (MoSPI द्वारा), उद्योग और सेवाओं के असंगठित क्षेत्र सर्वेक्षण, त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (QES) (श्रम ब्यूरो द्वारा)

VISION IAS

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:

- (+) नवीन सृजित नौकरियों का व्यापक कवरेज
- (-) अत्यधिक आंशिक कवरेज और नौकरियों की संभावित दोहरी गणना
- (-) सरकारी योजनाओं में पर्याप्त अतिव्यापन
- उदा. - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)

अन्य स्रोत:

- **प्रशासनिक डेटा:** इसमें टैक्स रिटर्न और फाइलिंग, पेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस प्रोग्राम इत्यादि शामिल हैं।
    - (+) औपचारिक रोजगार का बेहतर मापन
    - (-) आंशिक कवरेज
    - (-) नौकरियों में वृद्धि का अनुमान लगाना कठिन
- **सरकारी योजनाओं से डेटा:** इसमें MGNRGA, MUDRA, ICDS, PMKVY, DDUGKY आदि जैसे कार्यक्रमों के तहत सृजित नौकरियों के अनुमान शामिल हैं।
- **नवीन उभरते स्रोत:** GSTN, बिग डेटा एनालिटिक्स

1.1.2. भारत में रोजगार डाटा की अस्पष्टता और निम्न विश्वसनीयता के कारण

(Reasons for Non-Clarity and Lower Credibility of Employment Data in India)

- उपलब्ध अनुमान या तो पुराने हो चुके हैं अथवा ऐसे सर्वेक्षणों पर आधारित हैं जिनमें डिज़ाइन संबंधी त्रुटियाँ विद्यमान हैं।
- श्रम बल का एक बड़ा भाग अनौपचारिक क्षेत्र से सम्बंधित है। इसके कारण मासिक आधार पर जानकारी एकत्रित करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण के फलस्वरूप श्रम बल में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है।
- पिछले 15 वर्षों में श्रम बल से महिलाओं के बहिर्गमन के कारण नमूना सर्वेक्षण डेटा से तुलना करना कठिन हो गया है।
- युवा वर्ग नौकरी की तलाश के बजाय कॉलेज में रहना अधिक पसंद करता है, जिसके कारण रोजगार में संलग्न व्यक्तियों की संख्या का आकलन करना कठिन हो जाता है।

1.1.3. रोजगार डाटा में सुधार करना

(Improving Employment Data)

NITI आयोग की टास्क फ़ोर्स की रिपोर्ट (2017 में जारी) में अनुशंसा की गयी है कि भारत में एक 21वीं सदी की सांख्यिकीय प्रणाली का निर्माण किया जाए जिसमें नियमित रूप से व्यापक स्तर पर रोजगार, बेरोजगारी और मजदूरी के आकलन सम्मिलित किये जाएं। इस संदर्भ में निम्नलिखित की अनुशंसाएं की गई हैं:

- वार्षिक आधार पर घरेलू सर्वेक्षण का संचालन करना।
- टाइम-यूज सर्वेक्षण को प्रारंभ करना, जिसे प्रत्येक तीन वर्षों में आयोजित किया जा सकता है (ऐसे सर्वेक्षण भी अवैतनिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी का आकलन करने में सहायता करते हैं)।
- तीव्र और बेहतर डाटा संग्रहण, प्रसंस्करण एवं आकलन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- सैम्पल फ्रेम के रूप में GSTN के साथ पंजीकृत उद्यमों का उपयोग करके वार्षिक उद्यम सर्वेक्षण को आरम्भ करना।
- GSTN डाटाबेस के बाहर के उद्यमों का पृथक वार्षिक सर्वेक्षण करना (अर्थात स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के उद्यम तथा अन्य क्षेत्रों के ऐसे उद्यम जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम है)।
- 'औपचारिक श्रमिकों' की समग्र और व्यापक परिभाषा को अंगीकृत करना।
- सभी विधानों, मंत्रालयों और विभागों में GSTN को यूनिवर्सल एस्टीमेट नंबर के रूप में स्वीकृत करना।

VISION IAS

1.1.4. भारतीय अर्थव्यवथा का औपचारीकरण

(Formalization of Indian Economy)

- औपचारीकरण से तात्पर्य औपचारिक नौकरियों के सृजन एवं विस्तार से है। वस्तुतः यह सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति, वित्तीय समावेशन और श्रमबल के कानूनी सशक्तिकरण के साथ-साथ होता है।

सुभेद्य रोजगार (Vulnerable Employment)

- यह श्रमिकों की कार्य दशाओं में सुधार हेतु अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा अपने "डीसेंट वर्क एजेंडे" के आधार पर निर्धारित की गयी श्रेणियों में से एक है।
- इस समूह के अंतर्गत आने वाले श्रमिक अनौपचारिक कार्य व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं। इसके साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र में 'अपर्याप्त कमाई, निम्न उत्पादकता और कार्य की ऐसी कठिन परिस्थितियां विद्यमान होती हैं जिनमें श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है।
- भारत में सुभेद्य रोजगार का स्तर विश्व या दक्षिण एशिया क्षेत्र की तुलना में अधिक है।
- भारत में सृजित अधिकांश नौकरियां निम्न गुणवत्ता वाली हैं और भारत में लगभग 77% श्रमिकों के समक्ष 2019 तक रोजगार की निम्नस्तरीय दशाएं उपस्थित होंगी।
- **दुष्परिणाम:** गरीबी, समयपूर्व विऔद्योगीकरण, सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का अभाव, आय असमानता और लिंग असमानता में वृद्धि आदि।

गिग इकॉनमी

- यह एक ऐसे परिवेश को संदर्भित करती है जिसमें सामान्यतः अस्थायी रिक्तियाँ उपलब्ध होती हैं और संगठन अल्पकाल के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं।

- **औपचारीकरण के लाभ**
  - कराधान कानूनों के अंतर्गत बेहतर रिपोर्टिंग के कारण सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होती है।
  - लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत शामिल किया जाता है, जिससे कठिन समय के दौरान वित्तीय संकट से बचाव होता है।
  - श्रमिकों के कल्याण और अच्छी नौकरियों के अवसरों में वृद्धि होती है।
  - औपचारिक और अनौपचारिक उद्यमों के मध्य कर या विनियामकीय मध्यस्थता के कारण उत्पन्न अनुचित प्रतिस्पर्धा में कमी आती है।
- **औपचारीकरण के नकारात्मक पहलू**
  - अविचारित त्वरित कदम उठाये जाने पर लोगों का अपवर्जित रह जाना, जैसे कि विमौद्रीकरण।
  - गरीबी और अभावग्रस्तता क्योंकि तीव्र औपचारीकरण, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त लागत आरोपित करता है।
- **इस संबंध में हमें क्या करना चाहिए?**
  - उच्च उत्पादकता एवं अधिक भुगतान वाली नौकरियों के सृजन पर बल। (अधिक जानकारी नौकरियों के सृजन नामक टॉपिक में दी गयी है।)
  - अंतर-मंत्रालयी समन्वय के द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य सहभागिता स्थापित करना।

  - कौशल-अपर्याप्तता, औपचारिक कौशल प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण जैसे मुद्दों का समाधान कर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति सुनिश्चित करना।
  - लिंग समानता पर SDG-5 के अनुरूप अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी में सुधार करना।
  - औपचारीकरण की प्रक्रिया के नकारात्मक पहलू से बचने के लिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का औपचारिक अर्थव्यवस्था में धीमी गति से स्थानांतरण।

एक **राष्ट्रीय रोजगार नीति** का निर्माण भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण को सुसंगत बनाने और उसके अभिसरण के लिए दीर्घकालिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा।

VISION IAS

1.1.5. रोजगार सृजन

(Job Creation)

- NITI आयोग के कार्य एजेंडे के अनुसार भारत बेरोजगारी की तुलना में अल्प रोजगार (अर्थात निम्न उत्पादकता व निम्न मजदूरी वाली नौकरियों) की समस्या से अधिक प्रभावित है। उदाहरण के लिए:
  - 2011-12 में, कुल श्रम बल का लगभग 50% कृषि कार्य में संलग्न था, किन्तु इनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 15% था।
  - 2010-11 में विनिर्माण क्षेत्र में 72% कामगार छोटे उद्यमों (20 से कम कामगारों वाले) में नियोजित थे, परन्तु इनका उत्पादन केवल 12% था।
  - 2006-07 में, सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) ने 98% श्रम बल को रोजगार दिया लेकिन इनमें सेवाओं का उत्पादन 62% था।
- निम्नलिखित के माध्यम से उचित भुगतान और उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों के सृजन के अवसर उत्पन्न किये जा सकते हैं:
  - उचित भुगतान एवं उच्च उत्पादकता वाली नौकरियां सृजित करने के लिए संगठित क्षेत्र का विस्तार
  - श्रम-गहन वस्तुओं और सेवाओं की ओर स्थानांतरण ,उदाहरण के लिए परिधान, जूते, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन आदि।
  - **तटीय रोजगार क्षेत्रों का** विकास कर, बेहतर तकनीकों का उपयोग करके, और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए गुणवत्ता में सुधार करके निर्यात बाजार का विस्तार
  - निर्यात बाजार क्षमता द्वारा प्रस्तावित इकोनॉमी ऑफ़ स्केल का लाभ उठाना
  - चीन में वृद्ध होते श्रम बल तथा कामगारों की मजदूरी में वृद्धि के कारण उत्पन्न अंतराल का लाभ लेना
  - श्रम कानूनों का पुनर्गठन (अगले खंड में उल्लिखित)

तटीय रोजगार क्षेत्र

निम्नलिखित विशेषताओं को सम्मिलित करने पर यह उच्च उत्पादकता एवं अधिक भुगतान वाली नौकरियों के सृजन हेतु एक समाधान हो सकता है:

- लोचदार भूमि उपयोग रूपांतरण नियमों के साथ इनका क्षेत्र वृहद होना चाहिए।
- इन्हें उदार आर्थिक परिवेश और कर प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।
- गहरे बंदरगाहों से इनकी निकटता बड़े जहाजों की डॉकिंग में सहायता करेगी।
- व्यापार सुविधा और उदारीकरण के लिए आसा न प्रशासनिक और प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए।

- इसके साथ ही अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश और सरकारी योजनाओं पर व्यय के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में भी महत्वपूर्ण रोजगार सृजन होता है। ऐसी नौकरियां अधिक संख्या में लोगों को जोड़ती हैं किन्तु अधिक हस्तचालित होने या ज्ञान पर आधारित न होने के कारण चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अनिवार्य समझी जाने वाली संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं।

1.2 श्रम कानून में सुधार

(Labour Law Reforms)

श्रम समवर्ती सूची का विषय है अतः इस पर केंद्र और राज्य स्तर पर कानूनों की बहुलता है। इसके साथ ही श्रम सुधारों का ध्यान दो पहलुओं पर होना चाहिए: औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहन देना और यह ध्यान रखना कि श्रमिकों की अत्यधिक सुरक्षा के द्वारा नियोक्ताओं का उत्पीड़न न हो।

संगठित क्षेत्र में उद्यमी श्रम-गहन उद्योगों से दूर रहना चुनते हैं और वे जिन उद्योगों में प्रवेश करते हैं उनमें अत्यधिक पूंजी- गहन या कुशल श्रम गहन तकनीकों का चयन करते हैं। नियमित वैतनिक नौकरियों के सृजन में तेजी लाने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम कानूनों में अधिक लचीलापन आवश्यक है।

श्रम सुधार के लिए एजेंडा

- विभिन्न राज्य और केंद्रीय श्रम कानूनों का एकीकरण और सरलीकरण।
- अनुबंध श्रम नियोजन (सामाजिक रूप से असुरक्षित) की प्रवृत्ति को रोकने हेतु निश्चित अवधि के रोजगारों (fixed term employment) की शुरुआत करना।
- अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए स्टार्ट-अप की परिभाषा तय करना।

VISION IAS

निर्माणाधीन चार श्रम संहिताएं

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने केंद्रीय श्रम कानूनों के सरलीकरण, एकीकरण और युक्तिकरण की अनुशंसा की थी। इसके आधार पर निम्नलिखित 4 श्रम संहिताएं निर्मित की जा रही हैं:

- मजदूरी संबंधी श्रम संहिता, 2017
- औद्योगिक संबंधों के लिए श्रम संहिता, 2015
- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर श्रम संहिता, 2017 तथा
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की परिस्थितियों पर श्रम संहिता, 2018

1.2.1. मजदूरी संहिता अधिनियम, 2017

(Code On Wages Bill 2017)

ऐसी संहिता की आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों के लिए सांविधिक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की अनुपस्थिति में उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 2010 की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि देश की आर्थिक संभाव्यता एकीकृत मजदूरी कानून की अनुपस्थिति में लक्षित परिणाम नहीं देगी। ऐसे में, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को प्रोत्साहित करने, श्रम कानूनों में स्पष्टता लाने तथा श्रमिकों के कल्याण और लाभ की आधारभूत अवधारणाओं पर समझौता किए बिना कानूनों की बहुलता को कम करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्री के द्वारा लोकसभा में मजदूरी संहिता अधिनियम, 2017 प्रस्तुत किया गया। इसमें निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित थे:

- यह निम्नलिखित अधिनियमों को विस्थापित करके मजदूरी से संबंधित कानूनों के समेकन का प्रयास करता है:
    - मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
    - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948
    - बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
    - समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- यह संहिता सरकारी प्रतिष्ठानों सहित किसी भी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, विनिर्माण या पेशे पर लागू होगी।
- मजदूरी के अंतर्गत वेतन, भत्ते या मौद्रिक शर्तों में वर्णित कोई अन्य घटक शामिल होगा। इसमें कर्मचारियों या किसी भी यात्रा भत्ते के लिए देय बोनस शामिल नहीं होगा।
- यह रेलवे, खानों और तेल क्षेत्रों जैसे प्रतिष्ठानों के लिए मजदूरी से संबंधित निर्णय करने में केंद्र और राज्य के क्षेत्राधिकार को पृथक करता है।
- विधेयक किसी नियोक्ता द्वारा किये जाने वाले अपराधों के लिए अर्थदंड निर्दिष्ट करता है। इन अपराधों में देय मजदूरी से कम भुगतान करना या संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना आदि सम्मिलित हैं।
- इसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए **सांविधिक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी** की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। विधेयक यह भी सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से कम न्यूनतम मजदूरी तय न करे।
- यह चेक या डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करने का प्रावधान करता है।
- दावा प्राधिकरण और न्यायिक मंच के मध्य एक अपीलीय प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है।

ध्यातव्य है कि **मजदूरी का भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017** (संसद में पारित) कम नकदी वाली (लेस-कैश) अर्थव्यवस्था और मजदूरी के डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए एक पृथक कानून है।

न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage)

यह वह मजदूरी है जिसका भुगतान नियोक्ता/उद्योग द्वारा अपने कर्मचरियों को उनकी क्षमता को निरपेक्ष रखते हुए किया जाता है। यह मज़दूरी इतनी होनी चाहिए कि न केवल आजीविका प्रदान करे बल्कि श्रमिकों की दक्षता को संरक्षण भी प्रदान करे।

आजीविका मजदूरी (Living Wage)

यह अर्जक और उसके परिवार को न केवल भोजन, वस्त्रों और आश्रय हेतु आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए अपितु इसे उसके बच्चों के लिए शिक्षा, बीमारियों के प्रति सुरक्षा, मूलभूत सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और वृद्धावस्था सहित कठिन समय के लिए बीमा उपाय उपलब्ध करवाने वाली भी होना चाहिए।

उचित मजदूरी (Fair Wage)

यह भुगतान हेतु उद्योग की क्षमता से सम्बद्ध है। श्रम उत्पादकता, प्रचलित मजदूरी दर, राष्ट्रीय आय का स्तर और इसका वितरण इत्यादि कारक उचित मजदूरी निर्धारित करते हैं। यह न्यूनतम मजदूरी से अधिक लेकिन आजीविका मजदूरी से कम होती है।

VISION IAS

1.2.2. औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता विधेयक, 2015

(Labour Code On Industrial Relations Bill 2015)

प्रस्तावित औद्योगिक संबंधों पर यह श्रम संहिता तीन कानूनों- ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926; औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को प्रतिस्थापित करेगी। इसका उद्देश्य श्रम बाजार की लोचशीलता में वृद्धि तथा श्रम को अनुशासित करना है, ताकि ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार हो सके तथा उद्यमियों को श्रम-केंद्रित क्षेत्रों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस विधेयक के मसौदे में निम्नलिखित मुख्य प्रावधान शामिल हैं:

- इसमें कर्मचारियों की संख्या की उस सीमा को 100 से 300 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे अधिक कर्मचारी होने की स्थिति में छँटनी/कार्यमुक्त करने/कंपनी बंद करने से पहले सरकारी अनुमति आवश्यक है। **श्रम समूहों और ट्रेड यूनियनों द्वारा इस प्रावधान की तीव्र आलोचना की गई है।**
- यह प्रावधान करता है कि ट्रेड यूनियन के पंजीकरण हेतु 10% कर्मचारियों द्वारा आवेदन किया जाना चाहिए। विभिन्न श्रमिक समूहों तथा ट्रेड यूनियनों ने इसका भी विरोध किया है।
- यह किसी व्यक्ति को 10 से अधिक ट्रेड यूनियनों में पद धारण करने से प्रतिबंधित करता है।
- यदि कोई ट्रेड यूनियन द्वि-वार्षिक चुनाव के आयोजन और वार्षिक रिटर्न जमा करने में विफल रहता है तो उस ट्रेड यूनियन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
- 50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए छँटनी से पूर्व न्यूनतम 1 महीने का नोटिस देने और छंटनी के मुआवजे की अनिवार्यता को हटाये जाने का प्रावधान करता है।
- यह सेवा के प्रत्येक एक वर्ष की समाप्ति पर श्रमिकों के लिए छँटनी/बंदी के मुआवजे को 15 दिनों की मजदूरी से 45 दिन की मजदूरी के लिए बढ़ाने का प्रावधान करता है।

ट्रेड यूनियनों के विरोध के कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन के लिए केंद्र की योजनाएं अधिक समय ले रही हैं और राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर व्यवसाय को आकर्षित करने के लिए छंटनी मानदंडों को कम करने हेतु अपने स्वयं के श्रम कानूनों में परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रही हैं। अब तक असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड, ने केंद्र से अनुमति लिए बिना ही बड़ी कंपनियों को श्रमिकों की छंटनी के संबंध में अनुमति प्रदान कर दी है और अपने औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन कर लिए हैं।

1.2.3. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर श्रम संहिता, 2017

(Labour Code On Social Security & Welfare, 2017)

इस संहिता की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि मौजूदा श्रमिकों में से लगभग 90% किसी भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में नहीं आते हैं। इसके साथ ही किसी श्रम कानून के लागू होने के लिए मजदूरी और नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम संख्या की सीमा, वर्तमान नियोक्ताओं को तंत्र में शामिल न होने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके परिणामस्वरूप श्रम बाजार में अपवर्जन और विकृतियां देखने को मिलती हैं। श्रम संहिता, सामाजिक सुरक्षा के सन्दर्भ में आधारभूत '**ILO कन्वेंशन ऑन सोशल सिक्यूरिटी (C102)**' से प्रेरणा प्राप्त करती है। इसके मुख्य प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कर्मचारियों की परिभाषा** और **श्रमिकों के वर्गीकरण** में सभी प्रकार के नियोजन यथा अंशकालिक श्रमिक, आकस्मिक श्रमिक, स्थायी श्रमिक, पीस रेट / कमीशन रेटेड श्रमिक, अनौपचारिक कर्मचारी, गृह-आधारित कर्मचारी, घरेलू श्रमिक और मौसमी श्रमिक शामिल होते हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्त पोषण** हेतु निम्नलिखित को संयोजित किया जाएगा:
    - नियोक्ता / कर्मचारी द्वारा वित्त पोषण और
    - करदाता द्वारा वित्त पोषण (निर्धन सामाजिक-आर्थिक वर्ग से संबंधित श्रमिकों के लिए)

इस संहिता के अंतर्गत योगदान के लिए सामाजिक-आर्थिक श्रेणी एवं न्यूनतम अधिसूचित मजदूरी के आधार पर एक उचित प्रतिशत आधारित संरचना का निर्माण किया गया है।

- यह पारदर्शी और निष्पक्ष वित्तीय तंत्र सुनिश्चित करने हेतु नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जैसे कि:
    - वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर समयबद्ध तरीके से खातों का निर्माण;
    - प्रत्येक पांच वर्ष के बाद राज्य बोर्डों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सोशल ऑडिट का प्रावधान
    - मध्यवर्ती एजेंसियों के खातों को सामाजिक सुरक्षा संगठनों के समान CAG ऑडिट के अधीन होना चाहिए।

VISION IAS

- सभी श्रमिकों (जो वर्तमान में सक्रिय हैं) के लिए सार्वभौमिक प्रयोज्यता और पंजीकरण की पोर्टेबिलिटी के लिए संहिता में प्रस्तावित सार्वभौमिक पंजीकरण प्रणाली (आधार आधारित) के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।
- यह उद्यमों के मध्य अंतर स्थापित करने के लिए **इकाई (Entity), प्रतिष्ठान (Establishment), उद्यम (Enterprise) और व्यापार (Business)** को अलग-अलग परिभाषित करती है। इससे उद्यमों द्वारा आर्थिक गतिविधियों के लिए श्रमिकों के नियोजन तथा परिवारों द्वारा घरेलू आवश्यकताओं के लिए श्रमिकों की नियुक्ति के मध्य अंतर किया जा सकेगा।
- यह संहिता सामाजिक सुरक्षा को प्रत्येक श्रमिक का अधिकार बनाने के लिए एक विस्तृत **शिकायत निवारण तंत्र** का प्रावधान करती है।
- **मजदूरी एवं आय की सीमा (वेज सीलिंग एंड इनकम थ्रेसहोल्ड)**: 'वेज सीलिंग' पद का प्रयोग, देय योगदान पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से किया जाता है; जबकि 'इनकम थ्रेसहोल्ड' का प्रयोग सरकार द्वारा दो अलग-अलग वर्गों के लिए दो अलग-अलग प्रकार की योजनाओं (एक ही उद्देश्य के लिए) के निर्धारण के सन्दर्भ में किया जाता है।
- यह व्यवस्था पश्चिमी देशों के अनुसार **सामुदायिक सेवा आदेश** का प्रावधान करती है। इसका अर्थ सामाजिक सुरक्षा कानून से सम्बंधित अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा अवैतनिक कार्य करने के लिए निर्देशित किये जाने से है।
- **कंट्रीब्यूशन ऑग्मेन्टेशन फण्ड** स्थापित किया जाएगा जिसके माध्यम से सरकार उन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा में योगदान दे सकती है जो योगदान करने में असमर्थ हैं।
- **नेशनल स्टेबलाइजेशन फंड** का उपयोग देश भर में योजना निधि को सुसंगत बनाने के लिए किया जाएगा और इसे केंद्रीय बोर्डों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- यह किसी भी सामाजिक सुरक्षा संगठन (SSO) के डेटा के तक अनधिकृत पहुंच, उसके डाउनलोड, उसकी चोरी, उससे छेड़छाड़ या उसे नष्ट करने पर रोक लगाता है और **व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता की रक्षा करने का** प्रयास करता है।

प्रभावी होने के बाद यह श्रम संहिता लगभग 15 सामाजिक सुरक्षा कानूनों को प्रतिस्थापित करेगी।

ILO कन्वेंशन ऑन सोशल सिक्योरिटी (C102) के तहत निम्नलिखित प्रकार के सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान किए गए हैं-

- पेंशन
- अस्वस्थता लाभ
- मातृत्व लाभ
- अक्षमता लाभ
- अशक्तता लाभ
- आश्रितों के लिए लाभ
- चिकित्सा लाभ
- समूह बीमा लाभ
- भविष्य निधि
- बेरोजगारी लाभ, और
- अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के पेंशन लाभ

1.2.4. पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कामकाजी माहौल पर श्रम संहिता, 2018 का प्रारूप

(Draft Labour Code On Occupational Safety, Health And Working Conditions, 2018)

प्रस्तावित संहिता श्रमिकों के कार्य की परिस्थितियों, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए मानक प्रदान करने वाला प्रथम एकल क़ानून है, तथा यह कम से कम 10 श्रमिकों वाले कारखानों पर लागू होगा।

पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कामकाजी माहौल पर श्रम संहिता, 2018 के प्रारूप में कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (रोज़गार तथा सेवा दशा का विनियमन) अधिनियम, 1966, अनुबंध श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 इत्यादि समेत 13 श्रम कानूनों का एकीकरण होगा।

पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कामकाजी माहौल पर श्रम संहिता, 2018 के मुख्य प्रावधान:

- पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पर मानक प्रदान करने हेतु केंद्र को अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- कारखानों में **वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण** को अनिवार्य बनाया जाना है तथा इसकी लागतें नियोक्ताओं द्वारा वहन की जाएँगी।
- सभी कर्मचारियों (इसमें ऐसे कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे जिन्हें इस संहिता के निर्माण से पूर्व नियुक्त किया गया था) के लिए **नियुक्ति पत्र**, जिसमें उनके सांविधिक अधिकार उल्लिखित होंगे।

- नियोक्ताओं पर आरोपित **अर्थ-दंड** का कम से कम 50%, उन श्रमिकों एवं उनके परिवार वालों को राहत देने के लिए प्रयुक्त किया जायेगा जो काम के दौरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है।
- निर्माण, संविदा, वृक्षारोपण इत्यादि के लिए श्रम कानूनों के अंतर्गत पृथक-पृथक पंजीकरण के स्थान पर नियोक्ताओं को **केवल एक क़ानून के अंतर्गत पंजीकरण** कराना होगा।
- इन मुद्दों पर मानकों की अनुशंसा के लिए एक **राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य परामर्श परिषद्** का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर राज्य व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य परामर्शी परिषद् के साथ-साथ सुरक्षा समिति तथा कुछ कारखानों व प्रतिष्ठानों में सुरक्षा अधिकारी का भी प्रस्ताव किया गया है।
- इस संहिता के अंतर्गत निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन, जांच या पूछताछ के अधिकार क्षेत्र सहित एक समन्वयक की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है।
- प्रत्येक ठेकेदार के लिए जो अनुबंध पर श्रमिक उपलब्ध कराता है या कराने का इच्छुक है, **लाइसेंस की व्यवस्था अनिवार्य की गयी है**। औद्योगिक परिसर के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी।
- अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के लिए **यात्रा भत्ता तथा विस्थापन भत्ते** का प्रस्ताव किया गया है।
- खतरनाक प्रक्रियाओं से युक्त किसी कारखाने की स्थापना हेतु दिए गए आवेदन की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा एक **स्थल समीक्षा समिति (Site Appraisal Committee)** की स्थापना प्रस्तावित है। यह राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा देगी। खतरनाक प्रक्रियाओं में संलग्न किसी कारखाने के लिए केंद्र एक जाँच समिति की नियुक्ति कर सकता है।
- इस संहिता में धुलाई की सुविधा, काम के घंटों, अतिरिक्त समय तक काम करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी, शिफ्टों की ओवरलैपिंग का निषेध आदि कल्याणकारी प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं।

1.3 कौशल विकास

(Skill Development)

भारत द्वारा ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की पूर्ण क्षमता के उपयोग के साथ-साथ श्रम बल की नवाचारी क्षमता (इनोवेशन कोशेंट) में वृद्धि हेतु अत्यधिक कुशल मानव पूंजी का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

1.3.1 महत्वपूर्ण बिंदु

(Highlights)

- NSSO द्वारा 2011 (68वे राउंड) में जारी कार्यशील जनसंख्या के लिए औपचारिक स्किलिंग डेटा के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि भारत में कुल श्रमिकों में से केवल 4.69% द्वारा औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। जबकि यह आंकड़ा UK में 68%, जर्मनी में 75%, संयुक्त राज्य अमेरिका में 52%, जापान में 80% और दक्षिण कोरिया में 96% है।
- वर्तमान में भारत को अत्यधिक कुशल श्रमिकों की कमी और परंपरागत रूप से शिक्षित युवाओं (जो मुख्यतः अल्प कुशल या अकुशल हैं) के एक बड़े वर्ग की बेरोजगारी की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

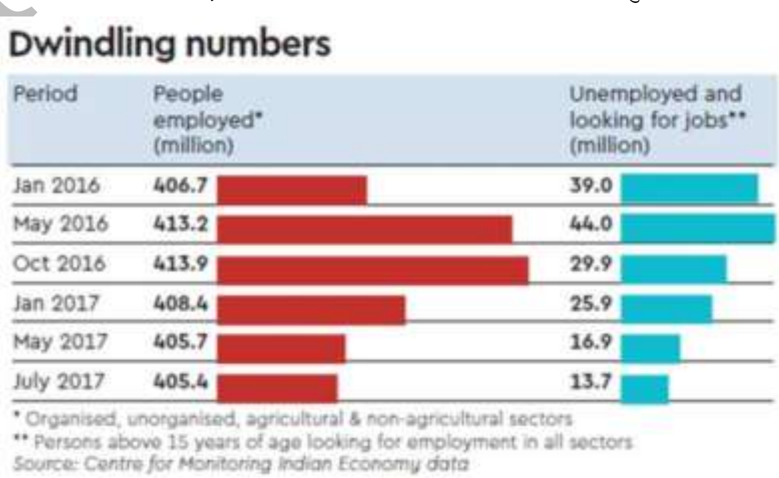

- NSSO (2011-12) के 68वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 68% स्नातक, 52% स्नातकोत्तर डिग्री धारक और 51% स्नातक या स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक बेरोजगार थे।
- **2017 के विश्व बैंक की 'स्किलिंग इंडिया' रिपोर्ट** के अनुसार, आगामी दो दशकों में प्रत्येक वर्ष, 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के 12 मिलियन से अधिक युवाओं का भारत के श्रम बल में शामिल होने का अनुमान है।
- **विश्व आर्थिक मंच 2018 की रिपोर्ट** के तहत कौशल विकसित करने के संदर्भ में भारत को 103वां (130 देशों में से) स्थान प्रदान किया है।

VISION IAS

- 2026 तक आबादी के 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में 64% और 60 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग में 13% जनसंख्या के शामिल होने का अनुमान है।
- **OECD द्वारा जारी भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार,** भारत में 15-29 वर्ष के आयु वर्ग वाले 30% से अधिक युवा NEETs (शिक्षण, रोजगार या प्रशिक्षण में संलग्न नहीं: not in education, employment or training) की श्रेणी में आते हैं।
- **सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी** (CMIE) के डेटा (नीचे दिए गए आंकड़ों) के अनुसार, नौकरियों की तलाश करने वाले बेरोजगार युवाओं की संख्या में कमी हुई है। इसके कारण स्वैच्छिक बेरोजगारी की प्रवृति (**'Dwindling numbers' चित्र देखें**) में वृद्धि हुई है।

1.3.2 कौशल विकास हेतु सरकार द्वारा की गई पहलें और आधारभूत संरचना

(Government Initiatives and Infrastructure for Skill Development)

- **कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा 2015:**
  - इसका लक्ष्य 2022 तक 300 मिलियन लोगों को कुशल बनाना है (कौशल विकास)।
  - इसमें महिलाओं के लिए कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रमों की न्यायसंगतता पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs), औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (ITCs) और पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं।

स्किल इंडिया मिशन ऑपरेशन (SIMO)

- **NPSDE 2015 के विज़न सहित राष्ट्रीय स्तर की परियोजना को विश्व बैंक** द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।
- इसका लक्ष्य 2017 और 2022 के मध्य 400 मिलियन भारतीय लोगों को प्रशिक्षण देना है। इसमें मुख्य रूप से महिलाओं, गरीबों एवं अन्य वंचित समुदायों पर विशेष बल दिया गया है।
- दो मौलिक अवयव:
  - एक कार्यक्रम सहायता अवयव (इसके लिए आवंटित वित्तीय राशि वर्तमान में लगभग 950 मिलियन डॉलर है)
  - क्षमता निर्माण (या तकनीकी सहायता) अवयव (इसके लिए आवंटित वित्तीय राशि फिलहाल 50 मिलियन डॉलर है)
- इसमें चार प्रमुख परिणाम क्षेत्र सम्मिलित हैं, अर्थात्:

परिणाम क्षेत्र 1 (a) : राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण- योजना निर्माण, वितरण और बाज़ार-मांग के अनुरूप उच्च गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण की निगरानी करना।

परिणाम क्षेत्र 1 (b): राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण।

परिणाम क्षेत्र 2: प्रशिक्षण प्रदाता स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता में सुधार करना।

परिणाम क्षेत्र 3: महिलाओं और वंचित समूहों तक पहुंच में वृद्धि करना।

परिणाम क्षेत्र 4: सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का विस्तार करना।

क्षेत्र कौशल परिषद (SSCs) पर शारदा प्रसाद समिति की रिपोर्ट

- SSCs को समाप्त करना, क्योंकि विभिन्न SSCs में कार्य एवं भूमिका के अतिव्यापन के साथ-साथ इनके सदस्यों के हितों में भी टकराव विद्यमान है।
- NSDC पर पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना।
- विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार केवल 21 परिषदों की स्थापना
- समझौतावादी प्रवृतियों पर रोक लगाने हेतु NSDC के अध्यक्ष को राष्ट्रीय कौशल विकास निधि से हटाना।

- स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) (इसे एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया है), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) (यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत एक सार्वजनिक निजी भागीदारी कंपनी है) और प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) शामिल हैं।
    - **NSDC और कौशल क्षेत्र परिषदें (SSCs)** उद्योगों के साथ साझेदारी में कार्य करती हैं।
    - NSDC को कौशल विकास हेतु मापदंडों के निर्धारण का कार्य सौंपा गया है।
    - SSCs द्वारा उद्योगों की सहभागिता के साथ राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NOSs) और योग्यता पैक (QPs) निर्धारित किए गए हैं।
- सभी राज्यों द्वारा कौशल विकास मिशन प्रारंभ करना।
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) को अपनाना।
- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): इसका उद्देश्य एक वर्ष के अन्दर विभिन्न व्यापारों में संलग्न 2.4 मिलियन लोगों को उचित कौशल प्रदान करना है।
- अन्य योजनाएं: संकल्प, उड़ान, स्टार (मानक प्रशिक्षण आकलन एवं पुरस्कार)।

NOSs- राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक ये कार्यस्थल पर किसी विशेष गतिविधि से सम्बंधित प्रदर्शन, ज्ञान और समझ के मानकों को निर्दिष्ट करते हैं। प्रत्येक NOSs पेशे (job role) संबंधी किसी एक महत्वपूर्ण भूमिका के प्रारूप को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए: एक सेल्स एसोसिएट के लिए एक NOS 'ग्राहकों को सही उत्पादों का चयन करने में सहायता करना' होगा। **क्वालिफिकेशन पैक्स (Qualification Packs : QPs)** - यह NOSs का एक सेट है, जिसे क्वालिफिकेशन पैक्स कहा जाता है। ये औद्योगिक क्षेत्र में सभी पेशों सम्बन्धी भूमिकाओं के लिए विद्यमान हैं। इसके द्वारा कार्यक्रम का निर्माण और आकलन, दोनों किया जाता है। ये पेशे से सम्बंधित भूमिकाएं विभिन्न स्तरों पर होती हैं तथा NSQF से संबद्ध होती हैं। उदाहरण के तौर पर एक सेल्स एसोसिएट के लिए क्वालिफिकेशन पैक।	**राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (NSQF) से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु** • व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और रोजगार बाज़ार के भीतर एवं इनके मध्य कई बार "प्रवेश और निकास" के लिए अवसर। • अगले पांच वर्षों में कम से कम 25% स्कूलों में कक्षा 9 के बाद से व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्षाओं को प्रारंभ करके व्यावसायिक प्रशिक्षण का औपचारिक शिक्षा के साथ एकीकरण। • SSCs द्वारा निर्धारित क्वालिफिकेशन पैक से संबंधित पाठ्यक्रमों का चार वर्षों के लिए कक्षा IX से कक्षा XII तक संचालन। • SSCs द्वारा मूल्यांकन किया जाना और राज्य शिक्षा बोर्ड के साथ ही इसके द्वारा भी NSQF के अनुरूप प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना। • इसका संचालन दस राज्यों और 1000 से अधिक विद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऑटो, हेल्थकेयर, खुदरा, सुरक्षा, IT-ITeS, सौंदर्य, स्वास्थ्य एवं खेल, रत्न एवं आभूषण, और पर्यटन आदि में किया जा रहा है। **पूर्व अधिगम की मान्यता (Recognition of Prior Learning : RPL):** RPL फ्रेमवर्क NSQF से संबद्ध एक परिणाम-आधारित योग्यता फ्रेमवर्क है, जो औपचारिक/अनौपचारिक प्रणाली के माध्यम से पूर्व अधिगम को आंकलित और प्रमाणित करेगा। RPL प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के वर्तमान कौशल के प्रमाणीकरण के लिए पूर्व-आकलन, कौशल अंतराल प्रशिक्षण और अंतिम मूल्यांकन शामिल होंगे।

1.3.3 मौजूदा कौशल विकास सम्बन्धी अवसंरचना और दृष्टिकोण के साथ समस्याएं

(Issues With The Existing Skill Development Infrastructure And Outlook)

- यह लगभग 20 मंत्रालयों में विस्तृत है, इसलिए इसमें समेकन एवं समग्र दृष्टिकोण का अभाव है; यही राज्य स्तरीय कौशल विकास मिशनों पर भी लागू होता है जहां सुदृढ़ समन्वय और निगरानी तंत्र के बिना अभिसरण (कन्वर्जेन्स) सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
- मानदंडों, प्रक्रियाओं, पाठ्यक्रम, प्रमाणन आदि की बहुलता।
- प्रासंगिक डेटा और अध्ययन के अभाव के कारण मांग के साथ संरेखण का अभाव।
- अच्छे प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता।

VISION IAS

- कुशल श्रमिकों को अकुशल श्रमिकों की अपेक्षा अधिक वेतन प्रदान करने में उद्योग की अनिच्छा, जिससे कुशल श्रमबल का कम समावेश होता है।
- समाज किसी व्यक्ति की अर्जन क्षमता की तुलना में उसकी "डिग्री" को अधिक महत्त्व देता है
- आकांक्षी मूल्यों का कम होना
- औपचारिक शिक्षा के साथ एकीकरण की कमी
- परिणामों पर ध्यान न देना
- श्रमबल में महिलाओं की निम्न भागीदारी
- शैक्षिक, व्यावसायिक और पेशेवर अकादमिक निकायों से संबंधित मुद्दे।

1.3.4 कौशल विकास संकेतकों की आवश्यकता

(Need For Skill Development Indicators)

- **विरोधाभासी परिस्थिति** का समाधान करने के लिए, क्योंकि जहां एक ओर उद्योग को कुशल श्रमबल की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर कुशल युवा नौकरियों की तलाश में हैं।
- भारत में वृद्ध होते लोगों की चुनौतियों के साथ-साथ युवाओं की बढ़ती संख्या की क्षमता का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न नीति अपनानी होगी। वर्तमान में जनसंख्या के आयु की माध्यिका अधिक होने और महिलाओं की प्रजनन क्षमता में कमी की अवस्था शीघ्र प्राप्त होने के कारण दक्षिण भारतीय राज्य वृद्ध होंगे, जबकि यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों को आयु की माध्यिका कम होने के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त होगा। अतः, दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नीति की आवश्यकता है।
- विभिन्न हस्तक्षेपों के परिणामों को मापने और परिणामों में सुधार को संस्थागत बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए।
- विदेशों में अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए जनसंख्या को कौशल प्रदान करने हेतु।
- वैश्विक स्तर पर परिदृश्य: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर OECD ने रोजगार हेतु कौशल के वैश्विक संकेतकों (world indicators of skills for employment: WISE) की स्थापना की है। इसमें किसी देश के लिए प्रासंगिक कारकों, जैसे- GDP, जनसंख्या, असंगठित क्षेत्र में रोजगार; कौशल प्राप्ति को प्रभावित करने वाले कारकों, जैसे- शैक्षणिक योग्यता, साक्षरता दर, नामांकन अनुपात, व्यावसायिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण/ प्रशिक्षुता में भागीदारी तथा कौशल आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारकों, जैसे- शिक्षा के स्तर के आधार पर रोजगारों में भागीदारी, व्यवसाय, स्व-रोजगार के मामले, कौशल का उपयोग और GDP में वृद्धि के अनुसार परिणाम, श्रम उत्पादकता, रोजगार दर, आय इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- संकेतकों को पहुंच, समता, गुणवत्ता, प्रासंगिकता और वित्त के व्यापक मानदण्डों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

1.3.5 चिंताएं

(Concerns)

- कुशल युवाओं (अधिक शिक्षित) के लिए उपयुक्त नौकरियों की अनुपलब्धता।
- स्वैच्छिक बेरोजगारी को कम भुगतान वाली नौकरियों पर प्राथमिकता दी जाती है (विशेषकर जब किसी ने उच्च शिक्षा शुल्क का भुगतान करके शिक्षा प्राप्त की हो), अर्थात् उचित जॉब प्रोफ़ाइल और पारिश्रमिक के लिए 'वेट एंड वाच' की नीति को अपनाना।
- रोजगार की डाउनग्रेडिंग अर्थात् प्राथमिक पदों के लिए उच्च परंतु पद के लिए निरर्थक योग्यता वाले उम्मीदवारों की भर्ती (उदाहरण के लिए चपरासी की रिक्तियों के लिए PhD धारकों के आवेदन सम्बन्धी समाचार)।
- कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों और उद्योग की आवश्यकताओं/अपेक्षाओं के मध्य असमानता।
- उद्योग की विविध और गतिशील आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षण स्टाफ की अक्षमता।
- शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन और नौकरी के दौरान प्रशिक्षण के मध्य विभेद करने की आवश्यकता।
- कौशल-विकास केंद्रित शिक्षा को कमतर आंकना- व्यावसायिक शिक्षा को अप्रतिष्ठित और ब्लू कॉलर जॉब्स के समान समझा जाता है।
- भाषा कौशल और संचार कौशल सहित जीवन कौशल पर अधिक जोर, लेकिन कार्य सम्बन्धी नैतिकता (work ethics) पर ध्यान न देना।

VISION IAS

1.3.6 आगे की राह

(Way forward)

- नीति आयोग का कार्यक्रम 'मानव पूंजी में परिवर्तन लाने के लिए सतत कार्रवाई' (Sustainable Action for Transforming Human capital: SATH) जनसांख्यिकीय लाभांश के उपयोग हेतु अत्यंत आवश्यक कदम है।
- राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना से व्यावसायिक शिक्षा के प्रति समाज की भ्रामक धारणा का समाधान करने एवं कौशल के उच्च मानकों को स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
- प्रशिक्षकों एवं अध्यापकों के एक समूह (पूल) के निर्माण हेतु उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ सहभागिता की आवश्यकता है।
- कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों और संस्थानों की पहुंच में वृद्धि करने हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- परामर्श, कौशल विकास और विशेषज्ञता के लिए अप्रवासी भारतीयों (NRIs) के प्रतिभा पूल का उपयोग करने की क्रियाविधि पर कार्य किया जा रहा है, उदाहरण के लिए, वज्र (VAJRA)। नवाचार और उद्यमिता पर तरुण खन्ना की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने इसकी अनुशंसा की थी।

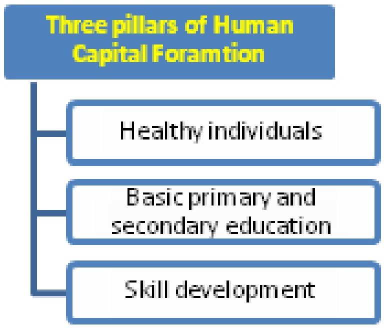

1.4. हाल ही में सरकार द्वारा की गई पहलें

(Recent Government Initiatives)

1.4.1 संकल्प और स्ट्राइव योजनाएँ: स्किल इंडिया मिशन

(Sankalp & Strive Schemes: Skill India Mission)

संकल्प (SANKALP) का अर्थ आजीविका संवर्द्धन हेतु 'दक्षता अर्जन और ज्ञान बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम से है तथा **स्ट्राइव (STRIVE)** का अर्थ औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन हेतु दक्षता सुदृढ़ीकरण से है। ये दोनों योजनाएं विश्व बैंक द्वारा समर्थित हैं।

योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ

- ये **आउटकम (परिणाम) पर केन्द्रित योजनाएँ** हैं जो व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण में सरकार की कार्यान्वियन रणनीति में हुए बदलाव को दर्शाती हैं। पहले ये रणनीति इनपुट पर केन्द्रित थीं।
- **संकल्प**, एक केन्द्र प्रायोजित योजना है (केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित और राज्यों या उनकी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित)। इसके अंतर्गत **मान्यता और प्रमाणीकरण की आवश्यकता को राष्ट्रीय निकायों** की स्थापना द्वारा पूरा किया जाएगा। ये संस्थाएँ दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों ही प्रकार के व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण की मान्यता और प्रमाणन का कार्य करेंगी।
- **स्ट्राइव** भी एक केन्द्र प्रयोजित योजना है (केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और कार्यान्वित)। इस योजना का उद्देश्य परिणाम एवं सुधार आधारित वित्तपोषण के माध्यम से 500 से अधिक ITIs का आधुनिकीकरण करना है।
- इन योजनाओं के चलते अब विभिन्न केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र के संस्थानों के **प्रयासों को एकीकृत** करने में मदद मिलेगी, जिससे व्यावसायिक प्रशिक्षण में गतिविधियों के दोहराव में कमी आएगी तथा एकरूपता को भी बढ़ावा मिलेगा।
- इन योजनाओं का उद्देश्य **राज्य कौशल विकास मिशनों (SSDMs), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), क्षेत्रीय कौशल परिषदों (SSCs), ITIs और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA)** जैसी संस्थाओं को मजबूत करना है तथा कौशल नियोजन में बेहतर विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना है।
- ये योजनाएँ केंद्र एवं राज्य सरकारों की कौशल विकास योजनाओं को कवर करते हुए राष्ट्रीय दक्षता अर्हता फ्रेमवर्क (National Skills Qualification Framework: NQAF) एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता एश्योरेंस फ्रेमवर्क (National Quality Assurance Framework: NSQF) के सार्वभौमिकरण में सहायता प्रदान करेंगी।

1.4.2. स्टार्ट-अप संगम पहल

(Start-Up Sangam Initiative)

- इसे भारी तेल (heavy oil) और गैस उद्योग में नवाचार लाने और नई प्रौद्योगिकियों के समावेश को बढ़ावा देने के लिए आरम्भ किया गया था।

- इस पहल के अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आदि जैसे विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के योगदान से 320 करोड़ रुपये का एक कोष बनाया गया है।
- इस कोष का उपयोग आगामी तीन वर्षों में 30 से अधिक स्टार्ट-अप्स में किया जाएगा।
- चयनित स्टार्ट-अप विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों जैसे कि अपशिष्ट प्लास्टिक को पेट्रोलियम ईंधन में परिवर्तित करने, सौर स्टोव, कृषि, बायोमास अपशिष्ट से बहुउद्देशीय ईंधन और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) सिलेंडर के लिए लीक डिटेक्टर आदि बनाने के क्षेत्र में कार्य करेंगे।
- इसके द्वारा वैकल्पिक ईंधन में नवाचारों के माध्यम से ईंधन आयात पर निर्भरता को कम किया जा सकता है।

भारत में स्टार्ट-अप्स

- भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है ,जिसमें से 20 प्रतिशत स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में उभर रहे हैं।
- भारत के अधिकांश स्टार्टअप्स (लगभग 45%) तकनीक आधारित हैं तथा लगभग 72% को 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं द्वारा स्थापित किया गया है।

एक समृद्ध 'स्टार्ट अप इकोसिस्टम' के विकास के चालक निम्नलिखित हैं-

सरकार द्वारा नीति सम्बन्धी स्टार्ट अप पर ध्यान केन्द्रित करना, जनांकिकीय लाभांश, त्वरित नगरीकरण, इंटरनेट प्रयोक्ताओं की बढ़ी संख्या तथा भारत का एक बाज़ार के रूप में उभरना।

1.4.3. भारत BPO संवर्द्धन योजना एवं पूर्वोत्तर BPO संवर्द्धन योजना

(India BPO Promotion Scheme And North East BPO Promotion Scheme)

भारत BPO संवर्द्धन योजना (India BPO Promotion Scheme: IBPS)- इस योजना को देश में BPO/IT-ITES ऑपरेशंस क्षेत्रक को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमति दी गई है। IBPS का शुभारम्भ 2014 में 493 करोड़ के परिव्यय के साथ 31 मार्च 2019 तक के लिए किया गया था।

- **सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI),** इस योजना की कार्यान्वियन एजेंसी है।
- इस योजना का उद्देश्य **BPO कंपनियों की स्थापना को प्रोत्साहित करना** और **टियर-2 एवं टियर-3** शहरों में उनका विस्तार करना है। साथ ही यह लगभग **1.45** लाख रोजगारों का सृजन करेगी, जो विभिन्न राज्यों के बीच राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में वितरित होंगे। इसके अंतर्गत **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण** (वायबिलिटी गैप फंडिंग) के माध्यम से **वित्तीय सहायता** प्रदान की जानी है।
- **योजना की विशेषताएं**
  - इस योजना में पूंजीगत व्यय और/या परिचालन व्यय के 50% तक की वित्तीय सहायता अथवा व्यावहारिकता अंतर निधीयन (वायबिलीटी गैप फंडिंग) के रूप में प्रति सीट एक लाख रुपये तक का विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
  - महिलाओं और दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु विशेष प्रोत्साहन, लक्ष्य से अधिक रोजगार सृजन करना एवं राज्य के मध्य व्यापक विस्तार।
  - स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन।
  - पहाड़ी क्षेत्रों और **ग्रामीण क्षेत्रों** पर विशेष ध्यान।
- **महत्व**
  - यह BPO/ITES ऑपरेशंस की स्थापना के माध्यम से IT-ITES सेवाओं को प्रोत्साहन देकर **रोजगार के अवसरों का सृजन** करेगी।
  - यह IT उद्योग के आधार को विस्तारित करने एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए IT-ITES क्षेत्रक में निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
  - **टियर-2 एवं टियर-3** शहरों में BPO कम्पनियों की पहुंच का विस्तार करने से कंपनियों को अपने लागत अंतराल (कास्ट आर्बिट्राज) को बनाए रखने में सहायता प्राप्त होगी ,क्योंकि टीयर 1 शहरों में व्यय बहुत अधिक बढ़ रहे हैं।
  - यह योजना महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान देकर उनके लिये भी नए अवसरों का सृजन करेगी।

हाल ही में यह देखा गया कि BPO संवर्द्धन योजना के अंतर्गत 11,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है जिसमें से 40% महिलाएं हैं।

VISION IAS

भारत में BPO क्षेत्रक

- कुशल श्रमशक्ति, उच्च गुणवत्ता एवं न्यून लागत प्रौद्योगिकी जैसे लाभों के कारण वैश्विक BPO उद्योग में भारत की कुल भागीदारी 38% है।
- किन्तु NASSCOM के अनुमान के अनुसार भारतीय BPO क्षेत्रक की वृद्धि की संभाव्यता में कमी आ रही है, तथा यह 2014-15 के 12% से कम होकर 2016-17 में 10% हो गई है।
- अनुमानित दर में कमी आने के कुछ संभावित कारण प्रौद्योगिकी में तेजी से आने वाले परिवर्तन, ब्रेक्ज़िट, वीजा और आव्रजन मानदंडों में परिवर्तन, अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियां तथा ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में वृद्धि आदि हैं।
- भारत का BPO क्षेत्रक मुख्य रूप से कुछ टीयर-1 शहरों में केंद्रित है तथा यह क्षेत्रक रियल एस्टेट की बढ़ती लागत एवं कुशल श्रमबल को वेतन प्रदान करने संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है। इससे इसकी संचालन लागत बढ़ रही है और अन्य देशों की तुलना में इसे प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में कमी आ रही है।

2. समावेशी विकास

(Inclusive Growth)

- समावेशी विकास, सतत विकास एवं गरीबी उन्मूलन घनिष्ठ रूप से सम्बंधित हैं।
- भारत की सभी योजनाओं में समावेशी विकास पर फोकस रहा है तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक भी "तीव्र, अधिक समावेशी तथा सतत विकास" है।
- समावेशी विकास से अनेक कार्यक्रम जुड़े हुए हैं, जिनमें मनरेगा, इंदिरा आवास योजना (IAY), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), सर्व शिक्षा अभियान (SSA), जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना (JNNURM), जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC), डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया आदि शामिल हैं।
- इसके पश्चात् भी, विगत दो दशकों से भारत में उच्च वृद्धि दर समाज में सम्यता लाने वाली नहीं रही है।
- जनवरी 2018 में जारी विश्व आर्थिक मंच के समावेशी विकास सूचकांक (Inclusive Development Index: IDI) में भारत को 62वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- **'रिवॉर्ड वर्क, नॉट वेल्थ' (Reward Work, Not Wealth)** शीर्षक वाली ऑक्सफैम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों का विगत वर्ष देश में सृजित संपत्ति के 73% भाग पर अधिकार है। इसके अतिरिक्त, अत्यंत निर्धन लोगों सहित 67 करोड़ भारतीयों की संपत्ति में मात्र 1% की वृद्धि हुई है।

DIMENSIONS OF INCLUSIVE GROWTH (**समावेशी विकास के आयाम**)

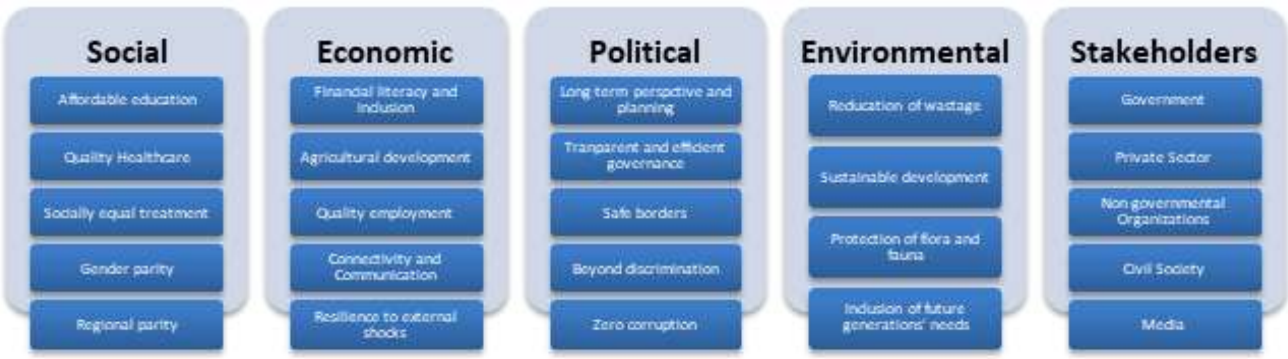

समावेश- परिवर्तनकारी नीतिगत सुधार के लिए उत्कृष्टता को बढ़ावा देना (SAMAVESH- Promoting Excellence For Transformative Policy Reform)

क्या है: यह नए भारत के निर्माण के लिए वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुसरण में नीति आयोग द्वारा आरंभ किया गया कार्यक्रम है। यह समावेशी विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ने हेतु बड़ी संख्या में विभिन्न डोमेन विषयों से संबंधित संस्थानों को एक साथ लाने के लिए आरम्भ की गयी प्रथम पहल है।

क्यों: SDG के साथ-साथ नीति आयोग द्वारा विकसित 15 वर्षीय विज़न, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय एक्शन प्लान के अनुरूप सतत एवं अधिक समावेशी विकास प्राप्त करना।

कैसे: यह विकास प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने, संस्थागत क्षमताओं को बेहतर करने एवं नीतियों को विस्तारित करने तथा तथ्यों पर आधारित नीति अनुसंधान कार्य एवं परिवेश को उन्नत बनाने हेतु विभिन्न प्रमुख ज्ञान केंद्रों और शोध संस्थाओं को एक साथ जोड़ेगा। नीति आयोग चयनित भागीदार संस्थानों के साथ MOUs पर भी हस्ताक्षर करेगा। समावेश पहल के एक भाग के रूप में, नीति आयोग की वेबसाइट पर एक नया लिंक भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से अंततः ज्ञान-आधारित रिपोर्टों एवं विभिन्न क्षेत्रों में केस स्टडीज की एक रिपॉजिटरी निर्मित होगी।

समावेशी विकास सूचकांक-WEF

- यह सूचकांक 103 देशों के आर्थिक प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन है, जिसके द्वारा किसी देश की GDP के अतिरिक्त, आर्थिक प्रगति के 11 अन्य आयामों पर भी प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।
- इसके 3 आधार स्तंभ हैं- संवृद्धि एवं विकास; समावेशन और; अंतर पीढ़ीगत समता।
- इसके निर्धारण में जीवन स्तर, पर्यावरणीय संधारणीयता तथा भावी पीढ़ियों के ऋणग्रस्तता से बचाव को शामिल किया जाता है।
- इस सूचकांक में कम समग्र स्कोर के बाद भी भारत 'उन्नतिशील' प्रवृत्ति के साथ विश्व की उभरती हुई 10 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

2.1 निर्धनता का मापन

(Measurement of Poverty)

निर्धनता को मुख्य रूप से कल्याण की अवांछनीय वंचना के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो बहुआयामी स्वरूप की होती है। अतः, निर्धनता के वस्तुपरक मूल्यांकन द्वारा अनिवार्य रूप से इसके बहुआयामी स्वरूप को स्वीकृत किया जाना चाहिए।।

- **निरपेक्ष निर्धनता:** इसके अंतर्गत उन न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने की असमर्थता को व्यक्त किया जाता है जो न्यूनतम अनिवार्य जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। उदाहरण स्वरूप आहार एवं पोषण का न्यूनतम अनिवार्य स्तर।
- **सापेक्ष निर्धनता:** इसे किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा अर्थव्यवस्था में औसत आय तथा उपभोग के वितरण के संदर्भ में किसी परिवार/व्यक्ति की स्थिति के आधार पर परिभाषित किया जाता है।
- निर्धनता को परिभाषित करने एवं गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भारत में हुए अध्ययन:
    - **गरीबी रेखा के लिए कार्यकारी समूह (1962):** इसने पांच सदस्यों के परिवार को एक इकाई माना; इसके द्वारा गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति 20 रूपये की आय (1960-61 मूल्यों पर) पर निर्धारित की गयी थी।
    - **डॉ वाई. के. अलघ की अध्यक्षता में गरीबी रेखा के लिए टास्क फोर्स (1979)**: इस टास्क फोर्स ने **प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय** के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के औसत प्रति व्यक्ति उपभोग को गरीबी रेखा के रूप में निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त वस्त्र, आश्रय, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे गैर-खाद्य पदार्थों को भी इसमें सम्मिलित किया गया था।
    - **प्रो. डी. टी. लकड़वाला की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह (1993) ने** टास्क फोर्स (1979) द्वारा परिभाषित राष्ट्रीय स्तर की ग्रामीण एवं शहरी गरीबी रेखाओं को राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाओं में विभाजित किया।
    - **प्रो. सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाला विशेषज्ञ समूह (2009):** इसने भविष्य की गरीबी रेखाओं के निर्धारण हेतु उपभोग व्यय के आकलन हेतु पूर्ववर्ती समान संदर्भ अवधि (URP) के स्थान पर मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP) पर आधारित आकलन का समर्थन किया।
    - **डॉ सी. रंगराजन के नेतृत्व में विशेषज्ञ समूह (2012):** इसने गरीबी स्तर के अनुमान हेतु एक वैकल्पिक विधि प्रदान की एवं इसके द्वारा इस बात की भी जांच की गई कि क्या केवल उपभोग बास्केट तथा क्रय शक्ति समता (purchasing power parity) के ही आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाना चाहिए।

नीति आयोग टास्क फोर्स: नीति आयोग ने भी अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करके गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु चार विकल्पों का प्रस्ताव दिया है। नीति आयोग की अनुशंसाओं के अन्य प्रमुख बिंदु:

- समय के साथ सबसे नीचे की 30% आबादी की प्रगति पर नजर।
- गरीबी, आवास, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत तथा कनेक्टिविटी जैसे गरीबी के मुख्य घटकों की प्रगति पर नजर।
- **नीति आयोग ने तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा का समर्थन किया है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी अनुपात 21.9% है, जबकि रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी अनुपात 29.5% है।**
- ऐसी आलोचना को दूर करने के लिए कि यदि तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा को स्वीकार किया जाता है तो बहुत से गरीब इस रेखा से बाहर हो जाएँगे, नीति आयोग ने रेखांकित किया है कि इस रेखा का प्रयोग केवल गरीबी को समाप्त करने में हुई प्रगति की जाँच के लिए किया जाएगा न कि पात्रता निर्धारण के लिए गरीबों की पहचान करने हेतु।
- सक्सेना एवं हाशिम समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पात्रता निर्धारण के लिए SECC के आँकड़ों का प्रयोग किया जाएगा।

आगे की राह:

- गरीबी का उन्मूलन संवृद्धि, रोज़गार तथा कृषि संवृद्धि की केन्द्रीय भूमिका के विस्तार द्वारा ही किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013; मिड डे मील स्कीम (MDMS); महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसे सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावकारिता को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- गांवों के पांच निर्धनतम परिवारों की पहचान की जानी चाहिए एवं उन्हें गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। जन धन योजना, आधार, मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सुभेद्य वर्गों तक पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है।

गरीबी के संदर्भ में भिन्न-भिन्न समितियों द्वारा किए गए अनुमानों की आलोचना:

- उपभोग के स्तर के लिए अनुचित समायोजन प्रक्रिया।
- गरीबी रेखा में कीमत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक डिफ्लेटर के रूप में WPI का उपयोग और सभी जगह

VISION IAS

इसका एकसमान अनुप्रयोग
- लम्बे समय तक स्थायी उपभोग बास्केट का प्रयोग करना
- संदर्भ अवधियों पर विवाद।

2.2. संसाधन दक्षता रणनीति

(Strategy on Resource Efficiency)

सुर्खियों में क्यों?

नीति आयोग ने 'भारत में यूरोपियन यूनियन के शिष्टमंडल' के सहयोग से संसाधन दक्षता (RE) पर रणनीति जारी की है।

वर्तमान में विभिन्न देशों द्वारा संसाधन दक्षता हेतु प्रासंगिक कदम उठाए गए हैं साथ ही इस सन्दर्भ में अग्रणी भूमिका निभाई गयी है जिससे भारत द्वारा भी ऐसे कदम उठाये जाने की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ जर्मन रिसोर्सेज एफिशिएंसी प्रोग्राम (PeogRess) तथा यूरोपियन यूनियन का रोडमैप टू ए रिसोर्स इफिशन्ट यूरोप।

- भारतीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) तथा इंडियन रिसोर्स पैनल (InRP) द्वारा अप्रैल 2017 में **इंडियन रिसोर्स इफिशन्सी प्रोग्राम (IREP) को** प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य संसाधन उपयोग को आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय बनाना है।
- IREP द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उद्योग में संसाधन-उपयोग दक्षता के संवर्द्धन हेतु **संसाधन दक्षता रणनीति को विकसित** करने की अनुशंसा की गयी है।
- चूँकि एक एकल एवं सार्वभौमिक रूप से प्रयोज्य संकेतक विद्यमान नहीं है,इसलिए इस रणनीति में अनुशंसा की गयी है कि भारत को प्रारम्भिक चरण में RE के मापन हेतु GDP प्रति घरेलू सामग्री खपत का प्रयोग करना चाहिए।
- दक्षता रणनीति दो रणनीतिक क्षेत्रों के अजैविक भौतिक संसाधनों (जीवाश्म ईंधनों को छोड़कर) पर केन्द्रित है। ये क्षेत्र हैं: निर्माण एवं गतिशीलता (इन क्षेत्रों में उच्च वृद्धि दर देखी गई है, ये सामग्रियों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, ये GDP में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तथा देश में व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन करते हैं।)
- 2010 में, **भारत में पदार्थों की माँग (India's material demand) वैश्विक स्तर पर** चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर थी। भारत द्वारा उस वर्ष विश्व के कुल निष्कर्षित कच्चे मालों के लगभग 7.2% का उपभोग किया गया।
- भारत में उपभोग पद्धति अत्यधिक विभेदित रही है। इसके कारण उच्च एवं मध्यम वर्ग को संसाधनों एवं पदार्थों की अति-आपूर्ति एवं निम्न वर्ग को इनकी निम्न आपूर्ति तथा आधारभूत न्यूनतम संसाधनों तक पहुँच के अभाव के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।
- अतः **वृहद् आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय परिणाम यथा** संसाधनों का क्षरण, कीमतों में उतार-चढ़ाव एवं प्राकृतिक संसाधनों के भंडारों में त्वरित कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। ये संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की तात्कालिक आवश्यकता पर बल देती हैं।
- **SDG-12 (उत्तरदायित्व के साथ उपभोग और उत्पादन)** भी मानव जाति की समग्र सुरक्षा के संवर्द्धन हेतु, विकास एवं पर्यावरणीय संधारणीयता के मध्य अल्पकालिक दुविधा के समाधान के लिए संसाधन दक्षता की क्षमता को मान्यता प्रदान करता है।

संसाधन दक्षता
- **यह प्रदत्त लाभ या परिणाम तथा इसके लिए प्रयुक्त आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का अनुपात है।** यह पृथ्वी के सीमित संसाधनों का संधारणीय उपयोग करने के साथ-साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने का समर्थन करती है।
- यह **चक्रीय अर्थव्यवस्था** की अवधारणा से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। चक्रीय अर्थव्यवस्था से आशय संभावित संसाधनों को व्यर्थ करने के स्थान पर अपशिष्ट को नए उत्पादों एवं उपयोगों के लिए प्रयुक्त करने से है।
- हालाँकि, संसाधन दक्षता में उत्पादों के संपूर्ण जीवन-चक्र के माध्यम से रणनीतियों की व्यापक श्रृंखला को सम्मिलित किया जाता है। ये हैं- **उत्खनन/निष्कर्षण → डिजाइन → विनिर्माण/उत्पादन → उपयोग/उपभोग → निपटान/ पुन:प्राप्ति।**

संसाधन दक्षता के लाभ

आर्थिक:

- संसाधन उपलब्धता में सुधार करना, जिससे आपूर्ति अवरोधों के कारण कीमतों में होने वाली वृद्धि नियंत्रित होगी।
- औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता में सुधार करना, क्योंकि पदार्थों पर लागत विनिर्माण क्षेत्रों के लिए सामान्यतः सबसे बड़ी लागत होती है।
- पुन: चक्रण क्षेत्र के साथ ही नवोन्मेषी डिजाइन एवं विनिर्माण में संलग्न नए उद्योगों का सृजन।
- आयात पर निर्भरता कम कर देश के व्यापार संतुलन में सुधार करना तथा आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना।

सामाजिक:

- संसाधन दक्षता, निष्कर्षण/खनन संबंधी दबावों को कम करेगी। इससे खनन क्षेत्रों में संघर्ष और विस्थापन में कमी लाने तथा स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने में सहायता मिलेगी; क्योंकि भारत के खनिज समृद्ध क्षेत्र सघन वनों में विद्यमान हैं और यहाँ पर स्थानिक समुदाय निवास करते हैं।
- यह गरीबी उन्मूलन और मानव विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगी।
- इससे न केवल *रीसाइक्लिंग सेक्टर* में रोजगार का सृजन होता है बल्कि डिजाइन एवं विनिर्माण क्षेत्रों में भी उच्च कौशल रोजगार का सृजन होगा।
- भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण की दिशा में सहायता प्राप्त होगी।

पर्यावरणीय:

- संसाधन दक्षता खनन से होने वाले पारिस्थितिक निम्नीकरण एवं प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी।
- यह स्थल-दृश्य के जीर्णोद्धार (landscape restoration) एवं निम्नीकृत खनन क्षेत्रों के पुनर्नवीनीकरण के अवसर प्रदान करेगी।
- इससे अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन में कमी आएगी। यह कमी न केवल निपटान के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करेगी अपितु संबंधित लागतों की भी बचत करेगी।
- चूँकि संसाधन का उत्खनन एवं उपयोग अत्यधिक ऊर्जा गहन गतिविधि है, अतः संसाधन दक्षता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाएगी।

संसाधन दक्षता (RE) रणनीति के घटक

- संसाधन दक्षता मानकों के प्रभावों का आकलन (विविध अवधारणाओं एवं संकेतकों के माध्यम से) करना।
- चयनित क्षेत्रों में पदार्थ उपयोग का **आकलन** करना।
- चयनित क्षेत्रों में पदार्थ दक्षता में वृद्धि करना।

संसाधन दक्षता रणनीति हेतु अनुशंसाएँ

- इको लेबलिंग, मानक, प्रौद्योगिकी विकास, हरित सार्वजनिक खरीद नीति, औद्योगिक संकुल, जागरूकता इत्यादि के माध्यम से **प्रोत्साहन (Promotion)**।
- भौतिक उपभोग से आर्थिक विकास को पृथक करने हेतु व्यवहार्य तरीकों की सुविधा प्रदान करने के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (viability gap funding), जीवन चक्र अवस्था के दौरान नीतिगत सुधार इत्यादि आर्थिक उपकरणों के उपयोग द्वारा **विनियमन (Regulation)**।
- क्षमता विकास, संस्थागत स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, डाटाबेस एवं संकेतक, आर्थिक सर्वेक्षण के भाग के रूप में संसाधन सूचकांक जैसे **संस्थागत विकास (Institutional development)**।

भारत में मौजूदा नीतिगत संदर्भ

वर्तमान में विद्यमान अनेक नीतियाँ संसाधन-उपयोग को उनके जीवन चक्र में विभिन्न चरणों पर प्रभावित करती हैं। जैसे:

- **उत्खनन चरण-** राष्ट्रीय खनिज नीति, राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में शून्य-अपशिष्ट खनन को सम्मिलित करती है। साथ ही यह खनन प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की आवश्यकता पर बल देती है।
- **डिज़ाइन चरण-** राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), 2015 जैसी नीतियाँ, भवन अवयवों, सामग्रियों और निर्माण विधियों के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी डिज़ाइन मानकों का विकास करने पर बल देती हैं।
- **विनिर्माण चरण** - "मेक इन इंडिया", प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास निधि (TADF) के माध्यम से ऊर्जा दक्षता, जल दक्षता तथा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रौद्योगिकियों को विशेष सहायता प्रदान करती है।
- **उपयोग चरण/जीवन चक्र का अंतिम चरण-** खतरनाक अपशिष्ट, शहरी ठोस अपशिष्ट (MSW), निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-वेस्ट के निपटान हेतु नीतियाँ।

हालांकि, संसाधन दक्षता (RE) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में उनके डिजाइन, प्रभाव, एकीकरण या कार्यान्वयन प्रायः पूर्णतः उपयोगी नहीं होते हैं।

2.3.पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(Hill Area Development Programme)

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (HADP) को प्रायोगिक आधार पर मणिपुर के पहाड़ी जिलों में आरंभ किया गया है तथा बाद में इसका विस्तार पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में किया जाएगा।

VISION IAS

- इस कार्यक्रम हेतु जिलों का चयन संयुक्त जिला आधारभूत ढांचा सूचकांक के आधार पर हुआ है - इससे ऐसे जिलों की जानकारी प्राप्त की गयी है जो विकास क्रम मे बहुत पीछे रह गए हैं।
- पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट भू-भौतिक प्रकृति के कारण ही ऐसा एक समर्पित कार्यक्रम बनाया गया है ताकि समर्पित अनुसंधान और विचार-विमर्श पर आधारित विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
- अतः इस सम्बन्ध में सरकार ने दोहरा दृष्टिकोण अपनाया है।
- पहला, प्रत्येक क्षेत्र, समाज के प्रत्येक वर्ग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहने वाली प्रत्येक जनजाति का समतापूर्ण विकास सुनिश्चित करना; तथा
- दूसरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों को शेष भारत के एनी अधिक विकसित राज्यों के समकक्ष स्तर पर लाना।

संयुक्त जिला आधारभूत ढांचा सूचकांक (कंपोजिट डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स)

- इसका निर्माण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व में अन्तःक्षेत्रीय विषमता को कम करने के लिए योजनाओं तथा परियोजनाओं का बेहतर लक्ष्यीकरण करना है।
- यह 7 मुख्य संकेतकों पर आधारित है:
  - परिवहन सुविधाएं
  - ऊर्जा
  - जलापूर्ति
  - शिक्षा
  - स्वास्थ्य सुविधा
  - संचार अवसंरचना
  - बैंकिंग सुविधाएं
- यह सूचकांक भारत सरकार द्वारा विभिन्न विकास नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में एक उपयोगी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान , पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही योजना निर्माण का हिस्सा बन गया था जब पहली बार HADP तथा पश्चिमी विकास कार्यक्रम का आरम्भ किया गया था। तत्पश्चात ऐसे कई कार्यक्रम विभिन्न प्रारूपों एवं आयामों में क्रियान्वित किए गए हैं।

2.4. आकांक्षी जिलों का बदलाव

(Transformation of Aspirational Districts)

आकांक्षी जिलों में बदलाव कार्यक्रम का लक्ष्य 28 राज्यों (गोवा को छोड़कर) में से कम से कम एक ज़िले का चयन करते हुए चयनित 115 जिलों का त्वरित और प्रभावी कायाकल्प करना है।
इस कार्यक्रम के प्रमुख वाहक राज्य होंगे तथा नीति आयोग उन्हें समर्थन प्रदान करेगा।

- कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखाएँ निम्नलिखित हैं:
  - केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का **अभिसरण;**
  - केंद्र और राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारियों और जिलाधिकारियों का **सहयोग**; तथा
  - जिलों के मध्य **प्रतिस्पर्धा-** रियल टाइम डेटा पर आधारित और एक जन सामूहिक भागीदारी द्वारा संचालित।
- यह प्रत्येक जिले की क्षमता, तात्कालिक सुधार के लिए शीघ्र प्राप्त होने वाले परिणामों की पहचान, प्रगति के मापन तथा जिलों की रैंकिंग पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

आकांक्षी जिलों का बदलाव कार्यक्रम (TAD) पूर्ववर्ती कार्यक्रमों से किस प्रकार भिन्न है?

यह पूर्ववर्ती योजनाओं जैसे कि एकीकृत कार्य योजना, JNNURM इत्यादि से निम्नलिखित आयामों में भिन्न है:

पैमाना (Scale): विकास में असमानताओं को पहचानते हुए जिन 115 जिलों को चयनित किया गया है उनमें देश की लगभग 20% जनसंख्या निवास करती है।

कार्य क्षेत्र (Scope): नागरिक समाज के साथ सहभागिता, इस प्रकार यह विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से लाभ, तकनीकी कौशल तथा सामान्य लोगों के अनुभवों को प्राप्त करेगा।

कार्यप्रणाली (Methodology): नीति निर्माण के केंद्र में डाटा, आउटपुट्स की तुलना में आउटकम्स पर केन्द्रित तथा मुख्य निष्पादन संकेतकों (KPIs) पर आधारित प्रत्येक जिलों के लिए विकास का संयुक्त सूचकांक।

स्वामित्व (Ownership): जिला-विशिष्ट सामर्थ्य पर फोकस के साथ सरकार के सभी स्तरों को संलग्न करना।

VISION IAS

- रणनीति के मुख्य तत्वों में चयनित **प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs)** की पहचान करना, इन संकेतकों के आधार पर की गयी प्रगति की निगरानी करना और वृद्धि संबंधी प्रगति के आधार पर वार्षिक रैंकिंग प्रदान करना सम्मिलित है। चयनित KPIs जिला विशिष्ट हैं। **(चित्र देखें)**

- कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त/संयुक्त सचिव के स्तर पर "प्रभारी" और नोडल अधिकारी के रूप में केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये अधिकारी केंद्र, राज्य और जिले के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करेंगें
- एक जिला स्तरीय टीम विभिन्न संकेतकों की वर्तमान स्थिति तथा उपलब्ध संसाधनों पर आधारित एक आधारभूत रिपोर्ट तैयार करेगी। यह वर्षवार लक्ष्यों को भी तैयार करेगी।
- केंद्रीय प्रतिनिधि दो महीने में कम से कम एक बार जिले का दौरा करेंगे और नीति आयोग हेतु एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। नीति आयोग इसका विश्लेषण करने के बाद निष्कर्षों को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) देश में इन आकांक्षी जिलों में से 115 आकांक्षी जिलों में सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु एक योजना लागू करने के लिए जन सेवा केंद्रों (CSC) से संबद्ध हुआ है।

2.5. द्वीप विकास एजेंसी

(Island Development Agency)

IDA का गठन जून 2017 में द्वीपों के समग्र विकास के उद्देश्य से किया गया था। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सचिव शामिल होते हैं तथा इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है।

- IDA द्वारा विकास हेतु 10 द्वीपों की पहचान की गयी है। इसके अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पाँच द्वीप (स्मिथ, रॉस, लॉन्ग, एविस तथा लिटिल अंडमान) तथा लक्षद्वीप समूह के पाँच द्वीप (मिनिकॉय, बंगारम, थिन्नकारा, चेरयम तथा सुहेली) सम्मिलित हैं।
- इसके द्वारा परियोजना हेतु चयनित द्वीपों की विशिष्ट सामुद्रिक एवं क्षेत्रीय जैवविविधता का समुचित ध्यान रखते हुए इनके समग्र विकास पर कार्य किया जाएगा।
- इसके साथ ही परियोजना हेतु चयनित द्वीपों में आजीविका के विकल्पों को बढ़ाने एवं इन द्वीपों की समुद्री अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने हेतु संधारणीय दृष्टिकोण के निर्माण की परिकल्पना की गयी है। टूना मत्स्यन उद्योग तथा समुदाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा देकर इस दिशा में प्रयास किया जाएगा।

भारतीय द्वीपों के सम्बन्ध में प्रमुख तथ्य

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

- इसमें 572 द्वीप सम्मिलित हैं। इन्हें 'पूर्व के लिए भारत का प्रवेश द्वार (India's Gateway to the East) कहा जाता है क्योंकि ये इंडोनेशिया से मात्र 75 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित हैं।
- डंकन जलसन्धि 'साउथ अंडमान से लिटिल अंडमान' को पृथक करती है तथा दक्षिण में '10 डिग्री चैनल' ग्रेट अंडमान को निकोबार समूह से अलग करता है।

लक्षद्वीप समूह

- इसके अंतर्गत लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अरब सागर में अमिनदिवी आर्किपेलागो प्रवाल द्वीपसमूह सम्मिलित हैं।
- इस द्वीपसमूह में 12 एटॉल, 3 भित्तियाँ तथा 5 निमग्न तट सम्मिलित हैं। इसके 36 द्वीपों में से केवल 10 ही द्वीपों में लोग निवास करते हैं।

द्वीपों के विकास का भारत के लिए महत्त्व

- **सामरिक समुद्री भूमिका:** भारत, हिन्द महासागरीय क्षेत्र में सबसे बड़ी सामुद्रिक शक्ति है। इस प्रकार इसका यह दायित्व बनता है कि विश्व की व्यापार तथा ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु "सी लाइन्स ऑफ़ कम्युनिकेशन (SLOCs)" की सुरक्षा के लिए सहयोग प्रदान करे। '10 डिग्री चैनल' तथा मलक्का की खाड़ी, होरमुज़ की खाड़ी एवं बॉब अल मंदेब जलसंधि से होकर गुजरने वाली SLOCs की सुरक्षा के संदर्भ में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के महत्त्वपूर्ण तत्व हैं। इसके साथ ही ये अन्य देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास, मानवतावादी राहतकार्य तथा आपदा संबंधी विकास के माध्यम से रक्षा संबंधों के निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, मिलाप अभ्यास, मालाबार सैन्य अभ्यास, HADR इत्यादि।
- **आर्थिक महत्त्व:** भारतीय द्वीपों में उचित निवेश के माध्यम से रिफाइनरियों और पर्यटन के विकास की क्षमता है। इसके अलावा ये भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र को भी विस्तृत करते हैं तथा विभिन्न लाभदायक प्राकृतिक और समुद्री संसाधनों को उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं।
- **क्षेत्रीय संपर्क तथा व्यापार:** भारतीय द्वीपों में गहरे जल के बंदरगाहों का निर्माण तथा जहाजों के लंगर डालने के लिए बड़े स्थान उपलब्ध कराये जा सकते हैं। यह व्यापार में वृद्धि, आवास उपलब्धता, अवैध शिकार में कमी तथा गैर-राज्य कारकों द्वारा घुसपैठ में कमी लाने में सहायक हो सकते हैं।
- **ब्लू इकॉनमी:** द्वीपीय विकास भारत के ब्लू इकॉनमी विज़न में मुख्य भूमिका निभा सकता है। ब्लू इकॉनमी के अंतर्गत ग्रीन इकॉनमी (हरित अर्थव्यवस्था) अथवा पर्यावरणीय संधारणीयता तथा तटीय अर्थव्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है अर्थात यह तटीय राज्यों तथा द्वीपीय विकास के मध्य पूरकता प्रदान करती है जोकि 'महासागरों तथा सामुद्रिक संसाधनों के संधारणीय उपयोग" (SDG 14) की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

- **प्राकृतिक आपदाएँ:** ये द्वीपसमूह चक्रवातों (यथा लक्षद्वीप में ओखी), बाढ़ों, तूफ़ानों तथा सुनामी के लिए सुभेद्य हैं। इनके चलते यहाँ जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है तथा क्षेत्र के पर्यावरण को क्षति पहुँचती है।
- **जलवायवीय खतरे:** ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र के स्तर में वृद्धि, द्वीपों के डूबने तथा उनके भू-क्षेत्र में कमी का कारण बन रही है। इसके साथ ही समुद्र के अम्लीकरण के कारण हिन्द महासागरीय क्षेत्रों में कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।
- **पर्यावरणीय तथा जनजातीय विकास से सम्बंधित चुनौतियाँ:** अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ग्रेट अंडमानीज़, ओंगे, जारवा तथा सेन्टिनली जनजातीय समूहों के निवास स्थल हैं। ये जनजातियाँ मुख्यतः क्षेत्र के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील स्थलों में निवास करती हैं।
- स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स, जिबूती में सैन्य अड्डे के निर्माण तथा पनडुब्बी की नियमित तैनाती के माध्यम से चीन ने हिन्द महासागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाया है। **चीनी प्रभुत्त्व के बढ़ने से** भारत के लिए सुरक्षा सम्बन्धी बड़े खतरे उत्पन्न हुए हैं। चीन के प्रभाव का बढ़ना द्वीप समूहों के लिए अधिक संकटपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुभेद्य हैं।
- **आधारभूत सेवाएं:** द्वीपों की स्थिति में सुधार हेतु विद्युत तथा जल आपूर्ति सुलभ करवाने के लिए अभी भी व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है।
- **लॉजिस्टिकल मुद्दे:** सड़क निर्माण, हवाई पट्टी का निर्माण तथा जेटी के निर्माण भी धीमी गति से हो रहे हैं।
- **गैर-पारम्परिक खतरे:** खुले समुद्र में समुद्री डकैती, बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों से अवैध आप्रवासन, समुद्री एवं वन संसाधनों की तस्करी तथा निर्जन द्वीपों से हथियारों व मादक पदार्थों की तस्करी इत्यादि भी द्वीपीय क्षेत्रों के लिए खतरे उत्पन्न करते हैं।

भारत द्वारा उठाये गए कदम

- आतंकवाद एवं समुद्री डकैती के खतरों से निपटने के लिए भारत ने एक सुदूर पूर्वी नौसेना कमान और एक **त्रि-सेवा अंडमान एवं निकोबार सेना कमान** की स्थापना की है।
- सुनामी और चक्रवात हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गयी है।
- **सागरमाला पहल** के अंतर्गत न केवल तटों अपितु द्वीपों में भी बंदरगाह आधुनिकीकरण और दक्षता में सुधार की परिकल्पना की गई है।

VISION IAS

- ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से डिजिटल संपर्क तथा सड़कों, रेल और पुलों के माध्यम से भौतिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 2015 में 10000 करोड़ के **वित्तीय पैकेज** को मंजूरी दी गयी। इसके अलावा शिबपुर और कैंपबेल खाड़ी में नौसेनिक हवाई अड्डों की स्थापना तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में जहाज-निर्माण और जहाज-मरम्मत सुविधाओं की स्थापना की भी योजना निर्मित की गयी है।
- 2016 में भारत तथा जापान द्वारा "स्मार्ट द्वीपों के विकास" हेतु द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति व्यक्त की गयी है।
- नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक-निजी-भागीदारी परियोजनाओं के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने तथा इस प्रकार द्वीपीय विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने हेतु दिशा-निर्देशों का निर्माण किया जा रहा है।

VISION IAS

3. वित्त एवं बैंकिंग

(Finance and Banking)

परिचय

- बैंक अर्थव्यवस्था के आधार हैं तथा ये आर्थिक विकास को सक्रिय करने एवं सतत बनाए रखने में, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में, उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। 1970 के दशक से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से संसाधनों को जुटाने तथा साथ ही साथ देश के सुदूरवर्ती भागों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
- **बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कुछ कार्य निम्नलिखित हैं:**
    - अनेक व्यक्तियों की **बचतों को जुटाना एवं उनका एकत्रीकरण,** लेन-देन संबंधी लागतों को कम करना तथा उच्च प्रतिफल (रिटर्न) का सृजन करने वाली परियोजनाओं में निवेश करना, इस प्रकार ये **आर्थिक विकास को सक्षम बनाते हैं।**
    - एक पूँजी प्रदाता के रूप में वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएँ किसी फर्म की प्रभावी निगरानी कर सकती हैं तथा और अधिक **प्रभावपूर्ण ढ़ंग से पूँजी का उपयोग करने एवं उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने** हेतु उस पर दबाव डाल सकती हैं।
    - वित्तीय व्यवस्थाएं, नवाचारी परियोजनाओं के विविधीकृत पोर्टफोलियो में निवेश द्वारा व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों, देशों आदि से संबद्ध जोखिमों को कम करने में सहायता करती हैं।
    - एक वित्तीय प्रणाली भुगतान करने एवं भुगतान की प्राप्ति हेतु तंत्र उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था में लेन-देन को सुगम बनाती है।

हालांकि वर्तमान समय में हमारी बैंकिंग प्रणाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है। यदि इनका शीघ्रता से एवं पर्याप्तता से समाधान नहीं किया गया, तो इसका परिणाम आर्थिक संवृद्धि के तेज़ होने पर अवसरों की हानि के रूप में सामने आ सकता है।

बैंकिंग और निर्धनता में कमी

- वित्तीय समावेशन के माध्यम से निर्धन लोगों की वित्तीय सेवाओं (क्रेडिट, बचत प्रपत्र) तक पहुँच सुनिश्चित कर।
- **ट्रिकल-डाउन थ्योरी:** निम्नलिखित के रूप में आर्थिक विकास के लाभों का रूपांतरण:
    - आर्थिक संवृद्धि, निर्धनों हेतु रोजगार सृजन तथा कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के मध्य वेतन अन्तरालों को कम करने में सहायता करती है।
    - उच्च संवृद्धि, कर राजस्व में वृद्धि कर सकती है तथा सरकार को निर्धनों के लिए सामाजिक लाभों पर अधिक प्रभावशाली तरीके से व्यय करने हेतु सक्षम बनाती है।

समष्टि अर्थशास्त्रीय (मैक्रोइकोनॉमिक) परिदृश्य

- वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के आरम्भ से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा बैंकिंग प्रणाली भी इससे प्रभावित हुई है।
- तेल की कीमतों के संदर्भ में विद्यमान भू-राजनीतिक जोखिम तथा मुद्रा एवं वस्तुओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रभावों ने आर्थिक स्थिरता के समक्ष उल्लेखनीय संकट उत्पन्न किया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक उदार मौद्रिक नीति को अपनाए रखने के कारण भारत जैसे उभरते बाजारों में मौद्रिक नीति से संबंधित चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।

निम्न स्तरीय शासन

- ऋण प्रदायगी परिचालनों में पारदर्शिता का अभाव है। इसके अतिरिक्त सरकार और प्रभावशाली व्यापारियों के अनुचित प्रभाव एवं हस्तक्षेप, भाई-भतीजावाद बढ़ने तथा शीर्ष अधिकारियों के लघु कार्यकालों जैसे कारकों के कारण गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियों (NPAs) में वृद्धि हुई है तथा सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली की छवि को क्षति पहुंची है। उदाहरण के लिए, हालिया प्रकरण जहाँ उधारकर्ता ऋण का भुगतान किए बिना देश से पलायन कर गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से संबंधित मुद्दे

- उत्तरोत्तर सरकारों ने समय-समय पर विभिन्न साधनों द्वारा RBI की स्वतंत्रता को कम करने के प्रयास किए हैं। वर्ष 2014 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सेंट्रल बैंकिंग के अनुसार, 89 केन्द्रीय बैंकों के मध्य RBI न्यूनतम स्वतंत्रता प्राप्त बैंक के रूप में सूचीबद्ध था।
- **निम्न स्तरीय मौद्रिक संचरण:** बैंक अनुचित व्यवहार में लिप्त होते हैं, जिनमें RBI दिशा-निर्देशों का उल्लंघन, आधार दरों में अनुचित वृद्धि तथा बहीखातों का मनमाने ढ़ंग से समायोजन शामिल है।
- अल्पकालिक ब्याज दर (अर्थात् मौद्रिक नीति का कार्य) निर्धारित करने तथा सरकार हेतु बांड्स की बिक्री करने के **RBI के उत्तरदायित्व में हितों का संघर्ष है।**

VISION IAS

- केन्द्रीय बैंक के पास वित्तीय संकट या अनापेक्षित घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया हेतु सीमित क्षमता है।
- **मौद्रिक नीति बनाम राजकोषीय उद्देश्य:** मौद्रिक नीति का उद्देश्य "केंद्र सरकार के संवृद्धि के उद्देश्य के साथ संतुलन बनाए रखते हुए मूल्य स्थिरता प्राप्त करना है"।

निम्न स्तरीय परिसम्पत्ति गुणवत्ता

- भारतीय बैंकों का सबसे बड़ा जोखिम खराब ऋण (बैड लोन्स) में वृद्धि है। विगत कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण बैड लोन्स और गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों (NPAs) में वृद्धि हुई है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको की निवल गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों (GNPAs) में वृद्धि हुई है, GNPA सितम्बर 2017 के 10.4% की तुलना में मार्च 2018 में 11.6% हो गया है। सार्वजनिक बैंकों के संदर्भ में यह वृद्धि और भी अधिक है (13.7% से 15.6%)।

बैंकों की पूँजी पर्याप्तता

- विगत कुछ वर्षों में भारतीय बैंकों (विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों) के CRAR में गिरावट दर्ज की गई है। इससे अपने व्यवसाय के समर्थन के लिए अतिरिक्त पूंजी की उगाही की हमारी बैंकों की क्षमता के संबंध में चिंता उत्पन्न हुई है।
- यदि बैंक शीघ्र ही अपनी पूँजी में वृद्धि नहीं करते तो कुछ बैंक RBI द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूँजी आवश्यकता के मापदण्ड को पूर्ण करने में असफल हो सकते हैं।

असुरक्षित विदेशीमुद्रा ऋण-जोखिम

- विदेशी विनिमय बाजार उन भारतीय कंपनियों के बही खाते में पर्याप्त दबाव डालने में सक्षम हैं जिन्होंने विदेशों से अत्यधिक मात्रा में ऋण लिया है।
- इस दबाव के कारण भारतीय बैंकों को पुनर्भुगतान करने की कम्पनियों की क्षमता प्रभावित हो सकती है। अतः, RBI यह अपेक्षा करता है कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि जिन कंपनियों को वे ऋण प्रदान कर रहे हैं, वे अनावश्यक रूप से डॉलर में ऋण न लें।

प्रौद्योगिकी और इसके प्रभाव

- पहुँच, क्षमता तथा वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता हेतु प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रौद्योगिकीय उपकरणों के अभाव ने उन्हें वैश्विक समकक्षों की तुलना में अप्रभावी और कम प्रतिस्पर्धी बना दिया है। बैंकिंग प्रणाली को वर्तमान डिजिटल शताब्दी में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने हेतु विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- जोखिम प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन, ट्रेजरी, साख मूल्यांकन, धोखा-धड़ी के मामलों की पहचान, अत्यधिक आंकड़ों के प्रवाह की रियल टाइम निगरानी तथा डीप एनालिटिक्स (deep analytics) आदि में अत्यधिक गहन निपुणता की आवश्यकता है।
- नीति निर्माताओं को सतत निगरानी रखने तथा वित्तीय नवाचारों की गति के अनुरूप उचित विनियामक फ्रेमवर्क को अपनाने की आवश्यकता है।

डिजिटल बैंकिंग के समक्ष चुनौतियाँ

- **सुरक्षा संबंधी जोखिम:** बाह्य संकट जैसे कि हैकिंग (hacking), स्निफिंग (sniffing) तथा स्पूफिंग (spoofing) बैंकों के लिए सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न करते हैं। बैंकों के समक्ष आंतरिक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं विशेषतया कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या ग्राहकों के साथ मिलकर धोखाधड़ी आदि।
- **वित्तीय साक्षरता/ ग्राहक जागरुकता:** लोगों के मध्य ई-बैंकिंग सुविधाओं के प्रयोग के संबंध में जानकारी का अभाव भारत में प्रमुख बाधा है।
- **भय संबंधी कारक:** ऑनलाइन बैंकिंग के सन्दर्भ में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक पुरानी पीढ़ी द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों द्वारा पारम्परिक बैंकिंग पद्धति को प्राथमिकता दिया जाना है। ऑनलाइन लेन-देन में धन की क्षति का भय भी ई-बैंकिंग के प्रयोग में एक प्रमुख अवरोध है।
- **प्रशिक्षण:** बैंकों में नवीन और बदलती प्रौद्योगिकियों से समन्वय स्थापित करने में कर्मचारियों के लिए एक प्रमुख अवरोध पर्याप्त ज्ञान और कौशल की कमी है। सूचना प्रौद्योगिकी में बदलती प्रवृतियों के लिए बैंकिंग के सभी स्तरों पर प्रशिक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है।

भारत में बैंकिंग प्रणाली में सुधार हेतु उठाए गए कदम

- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन:** सरकार **नरसिम्हन समिति रिपोर्ट 1991** की अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए 3-4 वैश्विक आकार के बैंकों के सृजन के विचार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समेकन के विषय पर कार्य कर रही है।
    - यह दबावग्रस्त तुलन पत्र (balance sheet) तथा NPA की बढ़ती समस्या के संदर्भ में लागत कटौती तथा दक्षता प्राप्ति को प्रभावित करेगा।

VISION IAS

- यह समेकन, बढ़ती अर्थव्यवस्था की व्यापक क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, उतार-चढ़ाव को सहन कर सकता है, संसाधनों को जुटाने हेतु क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है, अल्प सेवित क्षेत्रों को बेहतर ढंग से लक्षित कर सकता है तथा उच्चतर क्रेडिट रेटिंग में योगदान देने वाली मजबूत समग्र लाभप्रदता प्रदान कर सकता है।
- **चुनौतियाँ:** नगरीय केन्द्रों में शाखाओं का वृहद् स्तर पर बंद होना, कार्मिक संख्या में कमी तथा उचित व्यवसायिक तालमेल एवं कार्य संस्कृति की खोज, अल्पसंख्यक शेयरधारकों तक पहुंच में कठिनाई आदि।

- **घरेलू-प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक (Domestic- Systematically Important Banks: D-SIBs):** हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने HDFC बैंक को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक (DSIB) के रूप में सूचीबद्ध किया है।
  - D-SIBs को उनके आकार, पार-क्षेत्राधिकार गतिविधियों, जटिलता तथा स्थानापन्न के अभाव एवं अंतर्संबद्धता (interconnection) के कारण **"टू बिग टू फॉल (Too Big To Fall: TBTF)** के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
  - D-SIBs को विशेष प्रावधानों के तहत अधिदिष्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन बैंकों की बेहतर कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने तथा इन्हें किसी संदेहास्पद विषय जैसे कि मनी लॉन्डरिंग आदि में लिप्त होने से रोकने के लिए केन्द्रीय बैंक द्वारा इनकी सूक्ष्मता से निगरानी की जाती है।
- **CBS को SWIFT से जोड़ना:** भारतीय रिज़र्व बैंक ने धोखाधड़ी की घटनाओं (जैसी कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में हुई) को रोकने हेतु **SWIFT** को बैंकों के **कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS)** के साथ जोड़ने हेतु सभी बैंकों को निर्देशित किया है।
- भारत सरकार ने सुधार एजेंडे **"रेस्पॉन्सिव एंड रेस्पॉन्सिबल PSBs"** हेतु एक अति महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क का विवरण प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों की पूँजी का तीव्र आर्थिक विकास के लिए प्रभावशाली रूप से उपयोग किया जाए।

कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS)

- यह एक बैक-एन्ड (back-end) व्यवस्था है जो दैनिक बैंकिंग लेनदेनों को प्रोसेस करती है तथा इससे संबंधित अपडेट्स को खातों और अन्य वित्तीय अभिलेखों में पोस्ट करती है।
- **ई-कुबेर** भारतीय रिज़र्व बैंक का CBS है। यह सम्पूर्ण देश में प्रत्येक बैंक के लिए एक एकल चालू खाते की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। सुरक्षित तरीके से पोर्टल आधारित सेवाओं का प्रयोग करते हुए, इस खाते तक कहीं से भी या किसी भी समय विकेंद्रीकृत पहुंच प्राप्त की जा सकती है।
- **सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंसियल टेलीकम्यूनिकेशन सिस्टम प्लेटफार्म (SWIFT)** का सीमा पार वित्तीय लेन-देनों से संबंधित सूचनाओं को प्रेषित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोक्ताओं के मध्य सुरक्षित, निर्बाध तथा स्वचालित वित्तीय संचार को सक्षम बनाता है।

बैंकिंग सुधार रोडमैप

EASE- एन्हैन्स्ड, एक्सेस तथा सर्विस एक्सीलेंस पर लक्षित सुधार एजेंडा 6 विषयों पर आधारित है। पूँजी का उपलब्ध कराया जाना इन सुधार विषयों पर सार्वजनिक बैंकों के कार्य निष्पादन पर निर्भर करता है।

विषय 1: ग्राहक अनुक्रियाशीलता (Customer Responsiveness)

- **ग्राहक सुविधा हेतु EASE:** डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहन के द्वारा भौतिक बैंक शाखाओं में अनावश्यक आवाजाही को उत्तरोत्तर कम करना, प्रपत्रों का सरलीकरण, बैंकिंग-प्लस सेवाओं (बीमा और निवेश) सहित ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं की वन-स्टॉप पहुंच उपलब्ध करवाना, शिष्ट कर्मचारियों के साथ सौम्य परिवेश तथा मुलभूत ग्राहक सुविधाएं।
- **शिकायत समाधान में EASE:** शिकायतकर्ता को रीयल-टाइम में शिकायत स्थिति की ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ उनसे फीडबैक प्राप्त करने के माध्यम से। शिकायतकर्ताओं द्वारा प्राप्त फीडबैक का उपयोग शिकायत समाधान की गुणवत्ता की जाँच और विश्लेषण करने तथा सामान्य शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए किया जाएगा जिससे गलती की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।
- **वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगों हेतु EASE:** बैंकिंग सुविधाओं को घर पर उपलब्ध कराना, समर्पित काउंटर या सेवा में प्राथमिकता, डिजिटलीकरण तथा अग्रसक्रिय सेवाएं जिससे बैंक आने की आवश्यकता को कम किया जा सके।
- **ग्राहक EASE पर वार्षिक EASE रैंकिंग सूचकांक:** सभी EASE मदों पर बैंकों की ग्राहक अनुक्रियाशीलता और निष्पादन के मापन हेतु।

VISION IAS

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का पुनर्पूंजीकरण

अक्टूबर 2017 में, सरकार ने PSBs में 2 लाख 11 हजार करोड़ रूपए तक की पूँजी उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने तीन प्रणालियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रूपए की पूँजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया:

- **सकल बजटीय समर्थन (GBS):** 8,139 करोड़ रूपए
- **पुनर्पूंजीकरण बांड्स (Recap Bonds):** 80,000 करोड़ रूपए
- **बाजार से उगाही (Market Raising):** 10,312 करोड़ रूपए

सरकार ने बैंकों को पूँजी प्रदान करने हेतु दो श्रेणियों में विभाजित किया है- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Promt Corrective Action: PCA) बैंक तथा गैर-त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Non-PCA) बैंक।

पुनर्पूंजीकरण बांड्स को जारी करने के निहितार्थ

- पुनर्पूंजीकरण बैंकों को न केवल बैड लोन्स से निपटने में सहायता प्रदान करेगा बल्कि इसका नए साख सृजन हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान में साख सृजन दीर्घावधि से स्थिर बना हुआ है।
- यह बैंकों के परिसंपत्ति-ऋण अनुपात (asset-debt ratio) में भी सुधार करेगा, जिससे शेयर बाजार में बैंक की इक्विटी रेटिंग में सुधार होगा। इससे सम्भवत: बैंकों के निजी शेयरधारक आकर्षित होंगे।
- पुनर्पूंजीकरण बांड्स के निर्गमन के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा विस्तारित होगा। हालाँकि, नकद तटस्थ लेन-देन (cash neutral transaction) होने के कारण राजकोषीय घाटा केवल बांड्स पर प्रदत्त ब्याज लागत (जिसका सरकार प्रत्येक वर्ष भुगतान करती है) द्वारा ही प्रभावित होगा।
- पुनर्पूंजीकरण बांड्स सरकार की ऋण देयता में GDP के 0.8% तक की वृद्धि करेंगे (वित्तीय वर्ष 2017 में सरकार की ऋण देयता GDP की 46.1% थी)। सरकार की अतिरिक्त उधारी के बिना पुनर्पूंजीकरण बांड्स का निर्गमन प्रकृति में अविश्वसनीय रूप से स्फीतिकारी होता है।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क:

- PCA फ्रेमवर्क एक पर्यवेक्षी उपकरण है जो एक पूर्व चेतावनी अभ्यास के रूप में बैंकों के कुछ निष्पादन संकेतकों की निगरानी को शामिल करता है।
- इसका उद्देश्य बैंकों को उनकी वित्तीय स्थिति के पुन:स्थापन के क्रम में एक समयबद्ध रीति में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उपायों सहित अन्य सुधारात्मक उपायों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना है।
- यह फ्रेमवर्क ऐसे बैंकों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु रिज़र्व बैंक को बैंक के प्रबंधन के साथ अधिक संलग्नता से काम करने का अवसर भी प्रदान करता है।

विषय 2: उत्तरदायी बैंकिंग

- **स्वच्छ ऋण और विवेकपूर्ण परिसंपत्ति प्रबंधन-** चिन्हित दबावग्रस्त परिसम्पत्तियों की पुन:प्राप्ति के लिए लक्षित प्रयासों हेतु स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल (Stressed Asset Management Vertical) का निर्माण; अनुमोदन पश्चात् स्पष्ट एवं प्रभावी निगरानी हेतु विशेषीकृत निगरानी एजेंसियों (ASMs) के साथ सम्पर्क; वृहद् संकाय ऋणों में प्रभावशाली समन्वय हेतु संस्थान दक्ष प्रक्रियाएं (institute efficient practices), प्री एंड पोस्ट सैंक्शन भूमिकाओं एवं दायित्वों का कठोर पृथक्करण, विभेदित बैंकिंग रणनीति आदि ।
- **वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ बनाना:** अग्रसक्रिय, गतिशील तथा प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन के माध्यम से अति महत्वाकांक्षी एवं अविवेकपूर्ण ऋण प्रदायगी की जांच, गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों की बिक्री करके मौद्रिक मूल्य की प्राप्ति और विदेशी परिचालनों को युक्तियुक्त बनाने **के माध्यम से** ।
- **परिणामों को सुनिश्चित करने हेतु शासन में सुधार-** इसके तहत एक बोर्ड-अनुमोदित रणनीतिक दृष्टिकोण और व्यवसाय केन्द्रित योजना का अनुसरण, बोर्ड के द्वारा बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन तथा बोर्डों का सुदृढ़ीकरण एवं सशक्तिकरण सम्मिलित है।

विषय 3: क्रेडिट ऑफ-टेक (धन का उपयोग एवं परिणाम)

- **उधारकर्ता और ऋण की अग्र-सक्रिय आपूर्ति हेतु EASE:** ऋणों हेतु ऑनलाइन आवेदन सुविधा, गैर-खुदरा क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण तथा उद्योग-आधारित बाजार संस्करणों हेतु विभेदित उत्पादों एवं सेवाओं के विकास के माध्यम से।

VISION IAS

विषय 4: उद्यमी मित्र के रूप में PSBs

- त्वरित बिल कटौती (discounting) हेतु TReDS मंच पर सभी बैंकों के पंजीकरण के द्वारा **MSMEs हेतु बिल प्राप्ति के लिए EASE (सुविधा)।**
- वस्तु एवं सेवा कर-पंजीकृत MSMEs हेतु वर्द्धित कार्यरत पूँजी के लिए बोर्ड-अनुमोदित नीति, संकुल आधारित वित्तीयन एवं फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) के द्वारा MSMEs के वित्तीयन को सक्षम बनाने तथा MSMEs के ऋण प्रस्तावों की समयबद्ध व स्वचालित प्रॉसेसिंग जैसे कदमों के माध्यम से **MSMEs के लिए वित्तीयन की EASE (सुविधा)।**
- प्रत्येक MSME-विशेषीकृत शाखा में शीर्ष-20 MSME खातों हेतु **एकल-बिंदु MSME संपर्क अधिकारी।**
- सभी SMA- 1/2 MSME खातों की पहचान के पश्चात् **दबावग्रस्त MSMEs हेतु रिवाइवल फ्रेमवर्क।**

विषय 5: वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और डिजिटलीकरण: सूक्ष्म-बीमा, डिजिटलीकरण

- प्रत्येक गाँव के पांच किमी. के दायरे में बैंक शाखाओं की स्थापना तथा प्रत्येक अल्पसेवित जिले में मोबाइल ATM और शाखा रहित बैंकिंग हेतु बैंक मित्रों के द्वारा सेवा उपलब्ध करवाने के माध्यम से **नियर-होम बैंकिंग द्वारा EASE सुविधा।**
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवरेज के व्यापक विस्तार के माध्यम से **सूक्ष्म बीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा।**
- सभी प्रधानमंत्री जन धन योजना खाताधारकों को रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड जारी करने, सभी क्रियाशील चालू एवं बचत खातों को आधार से जोड़ने तथा आधार-सक्षम भुगतान पॉइंट ऑफ़ सेल के विशाल पैमाने पर विस्तार द्वारा **डिजिटल भुगतानों के माध्यम से EASE सुविधा।**
- ग्राहक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में अनधिकृत डेबिट की सूचना दिए जाने के 10 कार्यदिवसों के भीतर रिफंड सुनिश्चित करने, ग्राहक सुरक्षा हेतु रियल टाइम अलर्ट, एप्स एवं इन्टरनेट आधारित उपयोगिताओं के संबंध में ग्राहकों के लिए नि:शुल्क सुरक्षा अपडेट्स जैसे कदमों के द्वारा **साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध ग्राहक सुरक्षा।**

विषय 6: परिणामों को सुनिश्चित करना: अभिशासन/मानव संसाधन

- एक निष्पादन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से पहचाने गए चयनित शीर्ष-निष्पादकों को पुरस्कृत करने, कार्य वर्गों (job families) के माध्यम से विशेषज्ञता प्राप्ति तथा सभी अधिकारियों के लिए वार्षिक भूमिका-आधारित ई-लर्निंग कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाने के द्वारा **'ब्रांड PSB' हेतु कर्मियों का विकास करना।**

प्रारंभ किए जाने योग्य अन्य पहलें-

- **निधीयन के वैकल्पिक स्रोतों की ओर स्थानान्तरण**
  - संकट के दौरान बैंकिंग प्रणाली की कार्यपद्धति के अव्यवस्थित होने पर, पूँजी बाजार बाह्य वित्त और बेहतर सूचना का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराकर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फर्मों हेतु एक सहायक की भूमिका का निर्वहन कर सकता है।
  - देश वित्त के स्रोतों के विविधिकरण तथा, जिस सीमा तक संभव हो, इक्विटी बाजारों सहित अधिक पूर्ण बाजारों के निर्माण के द्वारा, प्रसारित हो सकने वाले जोखिमों को कम कर सकते हैं। इसके साथ-साथ वित्तीयन के विभिन्न प्रकारों को संयुक्त रूप से विश्लेषित करना महत्वपूर्ण है।
- **अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग हेतु खुलापन**
  - वैश्विक वित्तीय लेनदेनों में विकासशील देशों की बढ़ती हुई भागीदारी ने इन अर्थव्यवस्थाओं को अपने निवेशों को विविधिकृत करने तथा अपने उपलब्ध निधीयन विकल्पों को विस्तृत करने का अवसर प्रदान किया है।
  - विदेशी बैंक का उचित रीति से प्रवेश, क्षमता और विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। हालाँकि, नीति निर्माताओं को इनकी अधिकता से बचने और साथ ही साथ प्रभावी रूप से अधिक वित्तीय समावेशन के लिए पर्याप्त विनियमों एवं नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है, तभी इनके द्वारा समग्र विकास को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
  - यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग हेतु खुलापन, वित्तीय स्थिरता की गारंटी प्रदान नहीं करता तथापि इसके संभावित लाभों में वित्तीय नवाचार और विदेशी वित्तीय फर्मों द्वारा परिष्कृत वित्तीय प्रपत्रों की शुरुआत, विदेशी अंतर्वाहों के कारण घरेलू वित्तीय बाजारों में अधिक मज़बूती और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से घरेलू बैंकिंग क्षेत्र में अधिक दक्षता आदि शामिल हैं।

VISION IAS

3.1 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

(Priority Sector Lending)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के कुछ लक्ष्यों एवं वर्गीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं।

परिचय

- **निर्देशित ऋण अथवा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL)** का प्रयोग विकसित एवं विकासशील देशों द्वारा अर्थव्यवस्था के उन रणनीतिक क्षेत्रों को अधिमान्य दरों पर संस्थागत ऋण प्रदान करने के उपकरण के रूप में काफी पहले से किया जा रहा है; जो संस्थागत ऋण से वंचित रह जाते हैं। भारत द्वारा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं लघु उद्योगों जैसे कुछ रणनीतिक क्षेत्रों में व्याप्त असंतुलन को दूर करने के लिए लगभग 40 वर्ष पूर्व प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नीति को प्रारंभ किया गया था।
- **PSL के उद्देश्य:**
    - समाज के सुभेद्य वर्गों तक ऋण की पहुँच सुनिश्चित करना,
    - अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों के लिए संसाधनों का प्रवाह सुनिश्चित करना जिन क्षेत्रों में रोजगार की उच्च संभावनाएं विद्यमान हैं; तथा
    - गरीबी उन्मूलन में सहयोग देना।

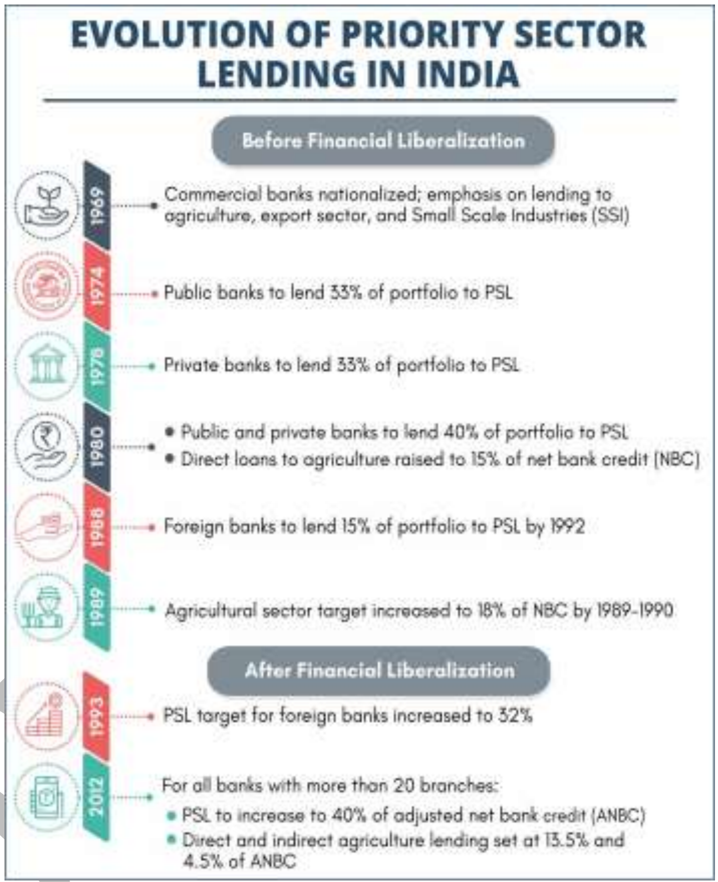

- भारत में, पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में ऋणों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में, वर्ष 2001-02 से 2011-12 तक 25% की कम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से वृद्धि हुई है, निर्यात क्षेत्र में 20% तथा MSEs में 23% की वृद्धि हुई है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों के लिए लक्ष्य एवं उप-लक्ष्य

श्रेणियाँ	घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं ऐसे विदेशी बैंक जिनकी 20 से अधिक शाखाएं हैं	20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक
कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	ANBC या CEOBE का 40% (जो भी अधिक हो) विदेशी बैंकों को 31 मार्च, 2018 तक कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य को प्राप्त करना है।	समान लक्ष्य किन्तु इनके द्वारा इस लक्ष्य को 2020 तक प्राप्त किया जाना है।
कृषि	ANBC या CEOBE का 18% (जो भी अधिक हो) इसके अंतर्गत ANBC का 8% छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए निर्धारित किया गया है।	लागू नहीं
MSME	ANBC या CEOBE का 7.5% (जो भी अधिक हो)	लागू नहीं
कमजोर वर्ग	ANBC या CEOBE का 10% (जो भी अधिक हो)	लागू नहीं

PSL का महत्व

- यह सामाजिक समता को बढ़ावा देता है एवं कम विकसित क्षेत्रों में तथा समाज के सुभेद्य वर्गों के लिए रोजगार एवं निवेश में वृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- इसके परिणामस्वरुप सामाजिक प्रतिफल प्राप्त होता है एवं बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो में भी विस्तार होता है। निर्देशित ऋण वाणिज्यिक बैंकों के लाभ के साथ-साथ उच्च सामाजिक प्रतिफल भी उत्पन्न करता है एवं निर्यात जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश की वृद्धि करके आर्थिक विकास में योगदान करता है।
- **ऋण का औपचारीकरण:** इसके द्वारा कृषि क्षेत्र में गैर-संस्थागत ऋणों (जैसे साहूकार द्वारा) की तुलना में संस्थागत ऋणों (वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों एवं सोसाइटी द्वारा) में वृद्धि की जाती है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निम्न श्रेणियां सम्मिलित हैं:

- कृषि (इसमें 3 उप श्रेणियाँ शामिल हैं- कृषि ऋण, कृषि अवसंरचना तथा सहायक गतिविधियां)
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम;
- निर्यात ऋण;
- शिक्षा;
- आवास (हाउसिंग);
- **सामाजिक अवसंरचना** (इसमें विद्यालय, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, पेयजल सुविधाएं एवं स्वच्छता से जुड़ी सुविधाएं सम्मिलित हैं);
- **नवीकरणीय ऊर्जा** {इसमें सोलर बेस्ड पावर जेनरेटर, बायोमास आधारित पावर जेनरेटर, पवन चक्की, सूक्ष्म (माइक्रो) जल विद्युत संयंत्र एवं गैर-परंपरागत विद्युत आधारित सार्वजनिक सुविधाएँ जैसे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम तथा दूरस्थ गांव का विद्युतीकरण आदि सम्मिलित हैं।); तथा
- अन्य।

सम्बंधित मुद्दे

- **क्षेत्र सम्बन्धी मुद्दे:** PSL ऋण अत्यधिक प्रभाव डालने में असफल रहा है, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र पर।
  - निर्यात क्षेत्र, MSME क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र में PSL में 100% की वृद्धि से निर्यात GDP में 76%, विनिर्माण GDP में 41% तथा कृषि GDP में 11% की वृद्धि होती है। यह कृषि क्षेत्र में ऋण आपूर्ति में वृद्धि के बावजूद लाभ प्राप्त करने की असमर्थता को दर्शाता है।
  - PSL में मुख्य ध्यान कृषि पर होने के बाद भी कृषि में पूंजीगत निवेश के मामले में भी कोई बड़ा लाभ नहीं प्राप्त नहीं हो सका है; क्योंकि बैंकों द्वारा RBI मानदंडों को पूर्ण करने के लिए अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है (आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15)। वहीं मानसून की अनियमितताओं के प्रति कृषि क्षेत्र की सुभेद्यता PSL के अंतर्गत बैंकों के ऋण जोखिमों को बढ़ाती है।
- **ऋण प्रदान करने की अनिच्छा:** अधिकांश बैंक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के प्रति अनिच्छुक होते हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वर्ष 2012 से ही प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के सन्दर्भ में 40% के कुल ऋण लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं।
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा MSME को प्रदान किये जाने वाला ऋण भी दिसंबर 2015 के 61.5% से कम होकर दिसंबर 2017 तक 55.4% हो गया है। यह ग्रामीण या MSME क्षेत्र को ऋण देने के व्यवहार्य विकल्प प्राप्त करने में कठिनाई की वजह से हो सकता है।
- **बढ़ते NPA की बढ़ती समस्या:** द्वितीय नरसिम्हम समिति (1998) ने स्पष्ट किया है कि निर्देशित ऋण से गैर-निष्पादित ऋण में बढ़ोत्तरी हुई है और इससे बैंकों की दक्षता एवं लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। सामान्यतः यह देखा गया है कि समस्त गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में से 47% इन्हीं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से सम्बंधित है।

VISION IAS

- **भारत में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण की लागत**
  - **अप्रत्यक्ष लागत:** यह बैंकों को उनके ऋण के पैमाने (स्केल ऑफ़ लेंडिंग) का विस्तार करने पर दंडित करता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है। इससे बैंकिंग उद्योग दुष्प्रभावित होता है तथा समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में ऋण का प्रवाह बाधित होता है। इसके साथ ही यह बैंक के सामान्य ऋण सामर्थ्य और जमा ब्याज दर पर भी प्रभाव डालता है, जो अंततः सामान्य जनता को ही प्रभावित करती है।
  - बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में अक्षम होने पर उन्हें नाबार्ड एवं अन्य निर्दिष्ट निधियों के साथ स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) में अपना योगदान प्रदान करना होता है।
  - **प्रत्यक्ष लागत:** बैंकों को वित्त पोषण लागत, लेन-देन लागत एवं ऋण लागतों का वहन करना होता है। इसके द्वारा पूरे बैंकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट पर प्रभाव पड़ता है।
- **मुद्दों को लक्षित करना:** बहुत से कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों को लक्षित करने में बाधाएं विद्यमान थीं जिससे संसाधनों का आवंटन गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को हो गया है।
- इन कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने वाले मतदाता वर्गों के दबाव के कारण सरकार ऐसे कार्यक्रमों के दुरुपयोग से बचने लिए इनकी मात्रा में कमी अथवा PSL की समाप्ति जैसे कदम उठाने के प्रति अनिच्छुक है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (PSLCs) वित्तीय क्षेत्र के सुधार पर निर्मित रघुराम राजन समिति (2009) ने देश में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए PSLCs के प्रारम्भ की अनुशंसा की थी। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (PSLCs) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत बैंकों द्वारा PSL लक्ष्यों एवं उप-लक्ष्यों की पूर्ति न होने पर इन प्रपत्रों की खरीद के माध्यम से अपने लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है।

- PSLCs तंत्र के अंतर्गत, विक्रेता प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के दायित्व का विक्रय करता है एवं खरीदार, बिना जोखिम या ऋण परिसंपत्तियों के स्थानांतरण के, इन दायित्वों का क्रय कर लेता है।

लाभ

- यह एक बाजार-संचालित ब्याज सब्सिडी योजना है, जोकि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण अधिदेश का अधिक कुशल क्रियान्वयन तथा एक समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करती है।
- यह सर्वाधिक दक्ष ऋणदाताओं द्वारा गरीबों को पहुंच प्रदान करना संभव बनाता है, साथ ही अन्य बैंकों को कम लागत पर अपने मानदंडों को पूर्ण करने का तरीका उपलब्ध कराता है।
- **लाभ प्राप्ति की क्षमता में सुधार:** इसके द्वारा अधिशेष वाले बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि यह योजना उनके लक्ष्य से अधिक निष्पत्ति करने पर प्रमाण पत्रों के विक्रय द्वारा उनकी गैर-ब्याज आय में योगदान करती है।

आगे की राह

बैंकिंग क्षेत्र पर PSL की लागत तथा कृषि जैसे कुछ प्राथमिक क्षेत्रों के विकास पर इसके प्रभाव का आकलन करने पर स्पष्ट होता है कि:

- विभिन्न प्रकार के बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं विदेशी बैंकों) के व्यापार मॉडल के आधार पर PSL लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए।
- निर्यात ऋण को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पुनर्स्थापित किया जाये एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाये।
- ग्रामीण अवसंरचना में सुधार, अनुबंध कृषि, कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि बीमा क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान कर कृषि के लिए एक जोखिम न्यूनीकरण योजना का निर्माण किया जाये एवं इसे निजी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाया जाये।
- बाजार आधारित नवाचारी उपायों यथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु व्यापार योग्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र का प्रयोग करना तथा वाणिज्यिक बैंकों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करना।

VISIONIAS

- अंतिम बिंदु तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सूक्ष्मवित्त संस्थानों को सुदृढ़ बनाना एवं लघु बैंकों के खोले जाने को प्रोत्साहित करना।
- एक सुदृढ़ ऋण अवसंरचना और एक स्वस्थ ऋण संस्कृति का विकास करने के लिए व्यापक ऋण सूचना प्रणाली जैसे सक्षमकारी साधनों को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- प्राथमिक क्षेत्रों में आपूर्ति लागत को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- बैंक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की विभिन्न श्रेणियों के लिए उप-लक्ष्यों में लचीलेपन की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी भारतीय रिजर्व बैंक को परामर्श दिया गया है कि वह अपनी PSL नीति की समीक्षा करे ताकि लक्ष्यों में अधिक लचीलापन लाया जा सके। इसके साथ ही इसके द्वारा अधिक उत्पादक गतिविधियों में धन के स्थानांतरण हेतु PSL में क्रमिक रूप से कमी की सलाह दी गयी है। नरसिम्हम समिति 1991, द्वारा भी PSL में धीरे-धीरे कमी लाते हुए इसकी समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।
- सरकार क्षेत्रकों से जुड़े ऋण लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए नाबार्ड जैसे विशेष संस्थानों पर अपनी निर्भरता में वृद्धि कर सकती है। साथ ही इसे ऋण प्रदान करने को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए इन क्षेत्रों के संरचनात्मक सुधारों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
- ऋण प्रायः एक उतनी बड़ी बाधा नहीं होता है जितना कि माना जाता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की संवृद्धि में अन्य संस्थागत तथा नीतिगत कारक एवं विशिष्ट क्षेत्रीय बाधाएं कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं।

3.2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता

(Insolvency and Bankruptcy Code)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के कार्यान्वयन से संबंधित एक वर्ष के आँकड़े जारी किये गए। इनमें दिसंबर 2016 से दिसंबर 2017 तक दर्ज, प्रक्रियाधीन तथा समाधान किए गए मामलों का सविस्तार विवरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति ने जून के पहले सप्ताह में IBC (संशोधन) अध्यादेश 2018 की घोषणा की।

IBC का फ्रेमवर्क	
(नियामक)	**(अधिनिर्णायक)**
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ↓ इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज (IPA); इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स (IRP); इनफार्मेशन यूटिलिटीज	**नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल:** कॉर्पोरेट इकाइयों, जैसे- कंपनियों, LLP आदि के लिए। **ऋण वसूली न्यायाधिकरण:** गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं, जैसे- व्यक्तियों, साझेदारी निधि आदि के लिए।

यह एक संहिता क्यों है?

IBC, गैर-वित्तीय संस्थाओं के दिवाला, शोधन अक्षमता और परिसमापन (विघटन) से संबंधित विभिन्न कानूनों, विनियमों और नियमों को समेकित करता है साथ ही व्यवस्थित ढंग से व व्यापक रूप से वर्गीकृत करता है। चूंकि 'संहिता (कोड)' का आशय कानूनों के संग्रह से है, अतः, IBC एक कानून के बजाय एक संहिता है।

दिवाला (Insolvency): बिलों के बकाया और देय होने पर उनके भुगतान करने में किसी संस्था की अक्षमता।

शोधन अक्षमता (Bankruptcy): ऐसी स्थिति जब किसी संस्था को उसके बकाया और देय बिलों का भुगतान करने में असमर्थ घोषित कर दिया जाता है।

परिसमापन (Liquidation): किसी निगम या निगमित इकाई की समापन प्रक्रिया।

VISION IAS

HOW IT CAME ABOUT

2014

10 JULY
Finance Minister Arun Jaitley, In his 2014-15 budget speech, says the government intends to develop an entrepreneur- friendly legal bankruptcy framework.

AUGUST
The government sets up the bankruptcy law reforms committee (BLRC) led by former Union law secretary T.K. Viswanathan.

2015

FEBRUARY
BLRC submits its interim report to the government.

4 NOVEMBER
BLRC submits final report. The first part of the report lists the rationale and recomendations, and the second is the comprehensive draft insolvency and Bankruptcy Bill.

2016

11 MAY
Parliament passes the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 putting in place and ecosystem with a bankruptcy regulator, insolvency professionals and agencies, an adjudicating authority and information utilities.

22 SEPTEMBER
The government sets up the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), appointing M.S. Sahoo as the chairperson of the regulator.

22 - 30 NOVEMBER
The IBBI notifies for insolvency professional agencies (IPA), insolvency professionals (IP), corporate insolvency resolution process, and rules for application to adjudicating authority under the bankruptcy code. It registers three IPAs and 18 IPs enrolled with the agencies.

1 DECEMBER
The IBBI becomes functional under the bankruptcy code.

15 DECEMBER
The National Company Law Tribunal (NCLT) and National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) take over corporate insolvency matters. The board also notifies regulations for liquidation process.

2017

17 JANUARY
The IBBI seeks public comments on the report and draft regulations on information utilities.

WHY IT CAME ABOUT

LONG TIME TAKEN TO RESOLVE BANKRUPTCY
in years

FINLAND	0.9
JAPAN	0.6
UNITED STATES	1.5
INDIA	4.3
CHINA	1.7
BRAZIL	4

HIGH COST OF THE PROCESS
% of estate

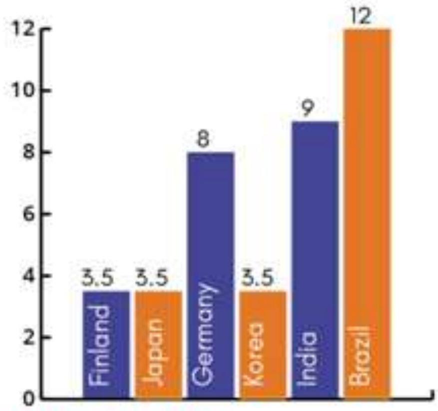

LENDERS GET LITTLE
Recovery rate, cents to a dollar

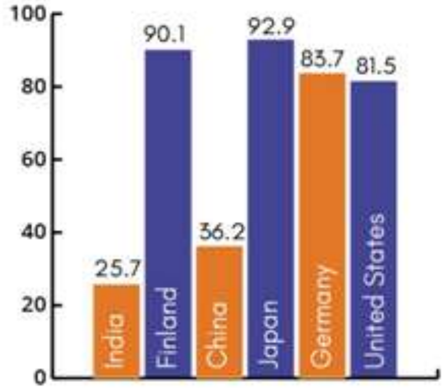

THE BIG GAINS

- India will improve its ease of doing business ranking
- Locked-up assets will be freed
- Banks and asset reconstruction companies immediate gainers
- Lift lender comfort
  - This will lead to greater investments
  - Corporate bond market will develop

IBC के तहत उठाए जाने वाले कदमों का अनुक्रम क्या है?

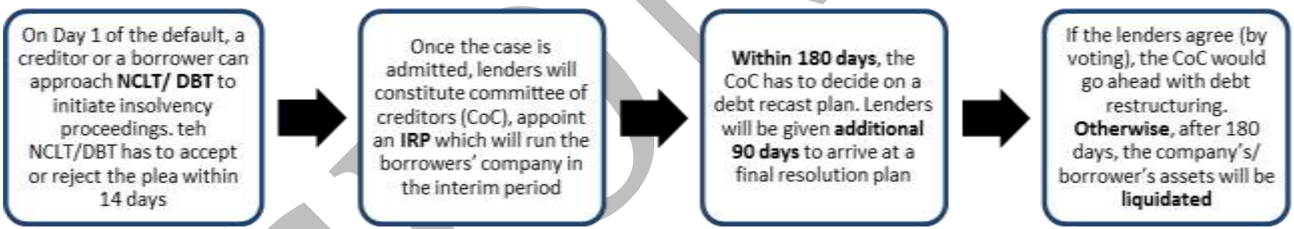

रिपोर्ट कार्ड का विवरण

- प्रस्तुत किए गए कुल 4738 आवेदनों में से 2750 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें से कुछ मामलों को संबंधित पक्षों द्वारा प्रक्रिया के बाहर सुलझा लिया गया तथा कुछ मामलों को स्वीकार किए जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं था।
- शेष 1988 मामलों में से, दिसंबर 2017 के अंत तक केवल 540 मामलों को **समाधान के लिए स्वीकार किया गया** और शेष मामले लंबित रहे। दिसंबर 2017 के अंत तक इनमें से केवल 1.9% मामलों का **समाधान किया गया** तथा 5.9% मामलों का परिसमापन हो गया।
- कॉर्पोरेट देनदारों ने 20% स्वीकृत मामलों में कार्यवाही आरंभ की।

IBC की सफलताएँ और असफलताएँ

- समाधान के लिए 270 दिनों की अधिकतम समय सीमा तय करने का एक मुख्य उद्देश्य देनदारों पर वसूली या समाधान के लिए दबाव डालने में बैंकों को सक्षम बनाना था। किन्तु यह पाया गया कि प्रस्तुत किए गए 540 मामलों में से, लगभग एक-तिहाई मामले वित्तीय लेनदारों (बैंकों और अन्य वित्त पोषण संस्थान) द्वारा दायर किए गए थे।
- परिचालन लेनदार (विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी आदि) IBC को अपना रहे हैं क्योंकि:
  - यह कॉर्पोरेट देनदारों को प्रामाणिक चेतावनी प्रदान करता है।
  - बड़े-बड़े उद्यमों के साथ लेन-देन करने वाले ज्यादातर छोटे या मध्यम आकार के ये लेनदार, ऋण चक्र पर कार्य करते हैं और भुगतान न होने पर उन्हें बुरी तरह क्षति पहुँचती है।
  - IBC के अंतर्गत, एक लाख रुपये की बकाया राशि वाले लेनदार दिवाला प्रक्रिया को आरंभ कर सकते हैं।

- NCLT को सौंपे गए 12 में से 11 मामलों में (जिनका RBI द्वारा त्वरित निपटान किया गया है), 270 दिनों की समय सीमा कार्रवाई के दौरान ही समाप्त हो गई।
- दिवाला प्रक्रिया का आकलन करने के लिए तीन मुख्य आधार हैं: निष्पक्षता, सामूहिक समाधान और समानता।
  - चूंकि समाधान उपायों के नियोजन में वित्तीय लेनदारों का अधिक प्रभाव रहता है, इसलिए समानता का सिद्धांत प्रभावित होता है।
  - कंपनी के **पुनरुद्धार की अपेक्षा** बकाया राशि की **वसूली** पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, इस प्रकार सामूहिक समाधान की प्रकिया को आघात पहुंचता है।

हालाँकि यह देखते हुए कि यह अभी एक नया कानून है, संशोधन के साथ क्रमिक विकास निश्चित रूप से IBC की असफलताओं को कम करेगा और सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करेगा।

IBC (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रावधान

- **घर खरीदने वालों** को वित्तीय लेनदारों के रूप में माना जाएगा और उन्हें लेनदारों की समिति (कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स: CoC) में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा।
- वर्तमान में समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत बोली लगाने से प्रतिबंधित करने के लिए, **'संबंधित पार्टी'** को व्यक्ति विशेष के संबंध में भी परिभाषित किया गया है। पहले इसे केवल कंपनी के संबंध में परिभाषित किया गया था।
- **वोट शेयर में परिवर्तन (Vote share changes):** दिवाला प्रक्रिया की अवधि को 180 दिनों से 270 दिनों तक बढ़ाने पर और दिवाला पेशेवरों की नियुक्ति पर अब CoC 66% वोट शेयर (जोकि पहले 75% था) होने पर निर्णय ले सकेगी। वहीं अन्य निर्णयों को 51% वोट (जोकि पहले 75% था) के माध्यम से लिया जा सकता है। इसी प्रकार 90% वोट शेयर द्वारा प्रक्रिया को पूर्णतः वापस लिया जा सकता है।
- **MSME के प्रवर्तक और गारंटीकर्ता** को बोली लगाने की अयोग्यता से मुक्त कर दिया गया है। यह केंद्र को MSME क्षेत्र के संबंध में और अधिक छूट प्रदान करने या संशोधनों को लाने के लिए अधिकार प्रदान करता है।
- कंपनी के गारंटीकर्ता के लिए समांतर कार्यवाहियों से **स्थगन (Moratorium)** उपलब्ध **नहीं** होगा।
- यदि कोई वित्तीय लेनदार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही कंपनी से संबंधित पक्ष है, तो उसे CoC की बैठक के दौरान किसी प्रकार की भागीदारी या मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- एक कंपनी दिवाला प्रकिया के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, बशर्ते वह शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त कर ले और कम से कम तीन-चौथाई शेयरधारकों ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की हो।

कॉर्पोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में IBC समीक्षा समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कई परिवर्तन किए गए थे। यह अध्यादेश संभवत: संसद के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है।

संबंधित समाचार

- आंतरिक सलाहकार समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, RBI ने IBC के तहत तत्काल समाधान के लिए 12 बड़े खातों की संस्तुति की तथा इस प्रकार संहिता को गति प्रदान की थी। RBI की दूसरी सूची में 28 NPA खाते सम्मिलित थे।
- RBI ने 2018 में SDR, S4A जैसी अपनी बैड लोन के समाधान संबंधी योजनाओं को वापस ले लिया तथा अब तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए सामंजस्यपूर्ण और सरलीकृत व्यापक फ्रेमवर्क को अपनाया गया है।
- दिसंबर 2016 से, IBBI ने कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी के लिए नियमों को अधिसूचित किया है और अभी भी वैयक्तिक शोधन अक्षमता से संबंधित नियमों को तैयार किया जा रहा है।
- 23 नवंबर, 2017 को प्रख्यापित **IBC (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के माध्यम से,** सरकार ने प्रमोटर्स और डिफॉल्टर्स को समाधान प्रकिया के अंतर्गत कंपनियों के लिए बोली लगाने से प्रतिबंधित करने हेतु और समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने से रोकने के लिए धारा 29 को प्रस्तुत किया।
- IFC, जोकि विश्व बैंक समूह का सदस्य है, IBC 2016 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने में IBBI का समर्थन करेगा।

सुझाव

- PSB अधिकारियों को साहसिक निर्णय लेने में सहायता करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के दिशा-निर्देशों को IBC से संबंधित मामलों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।
- IBC से पहले की व्यवस्था में, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को खरीददारों के लिए आकर्षक बनाने हेतु विभिन्न कर छूट और अन्य छूट उपलब्ध थीं - ऐसे प्रावधान IBC के अंतर्गत भी प्रदान किए जा सकते हैं।

VISION IAS

3.3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना

(The Ombudsman Scheme For NBFCs)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में RBI द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए लोकपाल योजना (ओम्बड्समैन स्कीम) का शुभारम्भ किया गया।

NBFC क्या है?

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी(NBFC) उस कंपनी को कहते हैं जो

- कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो,
- इसका मुख्य व्यवसाय उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों/स्टॉक/ बांड्स/ डिबेंचर/प्रतिभूतियों, पट्टा कारोबार, किराया-खरीद (हायर-पर्चेज), बीमा व्यवसाय, चिट संबंधी कारोबार में निवेश करना हो;
- किंतु, किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ऐसी कोई संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि, औद्योगिक, व्यापार संबंधी गतिविधियां अथवा अचल संपत्ति का विक्रय/क्रय/निर्माण करना है।

विनियमन: RBI अधिनियम 1934 के तहत रिज़र्व बैंक को NBFCs को पंजीकृत करने, उनसे सम्बंधित नीति निर्धारित करने, निर्देश जारी करने, उनके निरीक्षण, विनियमन, पर्यवेक्षण तथा उनकी निगरानी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

- वर्तमान में **केवल निजी स्वामित्व वाले NBFCs** के लिए, यदि टियर 1 पूँजी 10% है, तो न्यूनतम 15% **जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (CRAR)** को बनाए रखना अनिवार्य है जबकि सरकारी **NBFCs** को यह लक्ष्य **2022 तक** प्राप्त करना होगा।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दोनों प्रकार के NBFCs RBI द्वारा निर्धारित विशिष्ट नियमों का समान रूप से अनुपालन करेंगे तथा NPAs और दिवालियापन पर नियन्त्रण रखने में भी सहायता प्रदान करेंगे।

NBFCs का महत्वः

- 30 सितंबर, 2017 तक बैंक परिसंपत्तियों का 17% तथा बैंक जमाओं का 0.26% हिस्सा NBFC क्षेत्रक के पास था। NBFC अपनी बैलेंस बैलेंस शीट के वित्तपोषण के लिए काफी हद तक सार्वजनिक निधियों पर निर्भर होती हैं।
- ये वित्तीय समावेशन तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु में बैंकिंग क्षेत्र के पूरक के रूप में भूमिका निभाते हैं और असंगठित क्षेत्र एवं छोटे स्थानीय उधारकर्ताओं को ऋण की आपूर्ति करते हैं।
- NBFC वित्तीय क्षेत्र में विविधता एवं दक्षता लाती हैं तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति इसे अधिक उत्तरदायी बनाती हैं।
- वे परिवहन, रोजगार सृजन, संपत्ति सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ऋण को प्रोत्साहन प्रदान कर और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहयोग प्रदान कर अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

आवश्यकता क्यों?

- NBFCs द्वारा अग्रिमों में वृद्धि तथा उनके विरुद्ध सेवाओं में कमी को लेकर बढ़ती शिकायतें।
- वर्तमान में NBFCs, बैंकिंग लोकपाल के अधीन नहीं है।
- वित्तीय आसूचना इकाई (FIU) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट) का अनुपालन न करने के कारण 9,491 NBFCs को उच्च जोखिम वाली श्रेणी के अंतर्गत रखा है।

योजना का विवरण

- यह इस योजना के अधीन आने वाली NBFC के विरुद्ध सेवाओं में कमी की शिकायतों के लिए एक **निशुल्क एवं त्वरित शिकायत निवारण तंत्र** प्रदान करेगा।
- आरंभ में, इस योजना के दायरे में **जमा स्वीकार करने वाली सभी NBFC** को लाया जायेगा। इसके उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर RBI, ग्राहक इंटरफेस के साथ 1 बिलियन रुपये या उससे अधिक की परिसंपत्ति वाली NBFCs को योजना में सम्मिलित करने के लिए इस योजना का विस्तार करेगा।
- **भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी तीन वर्ष के कार्यकाल** के लिए लोकपाल के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं।

VISION IAS

- NBFC लोकपाल के कार्यालय **चार मेट्रो केंद्रों** (चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एवं नई दिल्ली) से कार्य करेंगे, ताकि देश भर के मामले इसके अधीन आ सकें।
- यदि NBFC शिकायत अस्वीकार कर देती है या एक महीने के भीतर कार्रवाई नहीं करती है तो **ग्राहक लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज** कर सकता है।
- **शिकायत के आधार-** ब्याज के भुगतान में विलंब या भुगतान न करना, जमा का भुगतान न करना, ऋण समझौते में पारदर्शिता का अभाव, RBI के निर्देशों का पालन न करना, ग्राहकों को पर्याप्त सूचना दिए बिना शुल्क लगाना तथा बकाया चुकाने के बावजूद प्रतिभूतियों के दस्तावेजों को वापस करने में विलंब करना या न वापस करना।
- **इस योजना के तहत लोकपाल को संबंधित NBFC से जानकारी मांगने की एवं 1 लाख रुपये तक का मुआवजा लगाने की शक्ति प्राप्त है।**
- शिकायतकर्ता/NBFC के पास लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष **अपील करने का विकल्प** होता है।
- लोकपाल द्वारा 30 जून को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यालय की गतिविधियों की सामान्य समीक्षा एवं RBI द्वारा मांगी गई सभी अन्य आवश्यक जानकारियों के साथ RBI गवर्नर को **एक वार्षिक रिपोर्ट** भेजनी आवश्यक होगी।

हाल ही में पियर टू पियर लेंडिंग प्लेटफॉर्म को NBFCs के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पियर टू पियर लेंडिंग का अर्थ एक **क्राउड फंडिंग प्लेटफार्म (मुख्यतः ऑनलाइन) से है,** जहाँ निवेश करने के इच्छुक लोग तथा ऋण प्राप्त करने वाले लोग एकसाथ आते हैं।

लाभ

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में वर्गीकृत पियर टू पियर लेंडिंग की क्रेडिट ब्यूरो तक पहुंच होगी तथा इसे ऋण संबंधी आकड़ों को क्रेडिट ब्यूरो के साथ साझा करना होगा (इससे डिफॉल्टर्स के लिए अन्य बैंकों तथा NBFC से ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाएगा) साथ ही उधारकर्ता की ऋण संबंधी सूचनाओं को ऋणदाता के साथ साझा किया जाएगा, जो उन्हें एक उपयुक्त निर्णय लेने में सहायता करेगा।
- पुनर्भुगतान में विलंब होने की स्थिति में, प्लेटफार्मों को वास्तविक विलंब के साथ उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
- पियर टू पियर प्लेटफार्मों को उपयुक्त शिकायत तंत्र के गठन तथा नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में उधारकर्ता या ऋणदाता दोनों RBI से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- RBI ने सभी प्लेटफार्मों में अधिकतम 10 लाख रुपये तक की ऋण राशि में भी वृद्धि की है। यह छोटे उद्यमों एवं स्टार्ट-अप्स को व्यापक रूप से लाभान्वित करेगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रति उधारकर्ता के लिए निवेशक पर 50, 000 रुपये तक की सीमा आरोपित की है। यह डिफ़ॉल्ट के जोखिम को कम करता है।

3.4. अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक तथा चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018

(Banning Of Unregulated Deposit Schemes Bill And Chit Funds (Amendment) Bill, 2018)

सुर्खियों में क्यों?

निवेशकों की बचत की सुरक्षा हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में निम्नलिखित दो विधेयक प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है - (a) अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2018 तथा (b) चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018।

3.4.1. अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2018

(The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018)

आवश्यकता क्यों?

हाल के दिनों में, देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध जमा योजनाओं के माध्यम से धोखाधड़ी की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। इन योजनाओं के शिकार सबसे अधिक निर्धन तथा वित्तीय रूप से अशिक्षित लोग हैं तथा ऐसी योजनाओं का संचालन अनेक राज्यों में किया जा रहा है।

- ऐसी योजनाओं को संचालित करने वाली कंपनियाँ/संस्थाएं निर्धन एवं भोले-भाले लोगों को धोखा देने के लिए मौजूदा विनियामकीय अंतराल तथा सख्त प्रशासनिक उपायों के अभाव का लाभ उठाती हैं।

VISION IAS

- 2016-17 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि अवैध जमा योजनाओं के खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक केंद्रीय कानून लाया जाएगा।
- **हाल ही में हुए घोटाले**: पश्चिम बंगाल में हुआ शारदा ग्रुप घोटाला (फर्म के अचानक बंद होने के बाद जमाकर्ताओं के कम से कम 20,000 करोड़ रुपये जोखिम में हैं), रोज़ वैली घोटाला आदि।

'पोंजी स्कीम' क्या है?

पोंजी स्कीम एक प्रकार की निवेश सम्बन्धी धोखाधड़ी है, जो निवेशकों को थोड़े जोखिम के बदले उच्च दरों पर प्रतिफल का विश्वास दिलाती है। पोंजी स्कीम नए निवेशक बना कर पुराने निवेशकों को रिटर्न (प्रतिफल) देती है। परंतु, अंततः सभी निवेशकों को रिटर्न देने के लिए पर्याप्त धन के अभाव में ऐसी योजनायें असफल हो जाती हैं।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- इसमें एक **महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक खंड** शामिल किया गया है जो जमा प्राप्तकर्ता को किसी भी अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने, उसका संचालन करने, उसका विज्ञापन जारी करने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है।
- यह **तीन विभिन्न प्रकार के अपराधों** की पहचान करता है- अविनियमित जमा योजनाएँ संचालित करना, विनियमित जमा योजनाओं में धोखाधड़ी एवं अविनियमित जमा योजनाओं के संबंध में गलत प्रलोभन।
- ऐसे अपराधों के निवारक के रूप में यह **गंभीर दंड एवं भारी आर्थिक जुर्माने का प्रावधान** करता है।
- ऐसे मामलों में जहाँ ऐसी योजनाएँ गैर-कानूनी रूप से धन इकठ्ठा करने में सफल हो जाती हैं, इस विधेयक में **जमा राशि के पुनर्भुगतान** के लिए पर्याप्त प्रावधान किये गए हैं।
- यह **सक्षम प्राधिकारी** द्वारा **संपत्तियों/परिसंत्तियों को जब्त करने** तथा उसके बाद जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान के लिए उन संपत्तियों की कुर्की का प्रावधान करता है। इसके लिए स्पष्ट समयसीमा तय की गयी है।
- यह देश में जमा प्राप्ति सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी एकत्र करने व उसे साझा करने के लिए एक **ऑनलाइन केंद्रीय डाटाबेस** की व्यवस्था करता है।
- यह **"जमा प्राप्तकर्ता"** और **"जमा"** को व्यापक रूप से **परिभाषित** करता है:
    - कानून द्वारा स्थापित की गयी विशिष्ट कंपनियों को छोड़कर, जमा प्राप्त करने या उसका आग्रह करने वाली सभी संभव संस्थाएँ (व्यक्तियों सहित) "जमा प्राप्तकर्ता" में सम्मिलित हैं।
    - **"जमा"** को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जमा-प्राप्तकर्ता सार्वजनिक जमाओं को पावती के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, परंतु किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर व्यापार की सामान्य गतिविधियों के दौरान धन स्वीकार करने पर कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं लगाया गया है।
- यह विधेयक **राज्य के कानूनों से सर्वोत्तम प्रक्रियाओं** को अपनाकर कानून के प्रावधानों को लागू करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंपता है।
- इसके तहत जमाकर्ताओं के पुनर्भुगतान के मामलों की देखरेख तथा अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालयों के गठन का भी प्रावधान किया गया है।
- विधेयक में नियमित जमा योजनाओं की सूची भी है। इस सूची के विस्तार या इसमें छंटनी के लिए केंद्र सरकार को सक्षम बनाने वाला एक खंड भी विधेयक में शामिल किया गया है।

3.4.2. चिट फंड (संशोधन) अधिनियम, 2018

(The Chit Funds (Amendment) Bill, 2018)

यह विधेयक, चिट फंड्स क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास की सुविधा प्रदान करने और चिट फंड उद्योग द्वारा अनुभव की जाने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए चिट फंड्स अधियिनम, 1982 में संशोधन करता है। इस प्रकार यह अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की अधिक वित्तीय पहुंच को संभव बनाता है।

VISIONIAS

चिट फंड

- चिट फंड एक प्रकार की बचत योजना है जिसमें एक निश्चित संख्या में सदस्य निर्धारित अवधि के दौरान किश्तों में भुगतान के माध्यम से अंशदान करते हैं। चिट फंड की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक ग्राहक लॉट, नीलामी या निविदा द्वारा निर्धारित पुरस्कार राशि का हकदार होता है।
  पुरस्कार की राशि = ग्राहक द्वारा किया गया सम्पूर्ण भुगतान - वह छूट जो ग्राहक को लाभांश के रूप में पुनर्वितरित की जाती है
- **महत्व:** भारत में लगभग 10,000 चिट फण्ड हैं जो प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का लेन-देन करते हैं। इस क्षेत्र की विशालता के कारण चिट फंड के समर्थक इसे अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण मानते हैं।
- हालांकि, इनके प्रवर्तकों द्वारा इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा लोगों द्वारा इस तरह की पोंजी स्कीम चलाने और निवेशकों का धन लेकर भागने के कई उदाहरण मौजूद हैं।
- **विनियमन:** भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग होने के कारण चिट फंड के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
- RBI बैंकों और अन्य NBFC का नियामक है, किन्तु यह चिट फंड कारोबार को विनियमित नहीं करता है। हालांकि, RBI राज्य सरकारों को नियम बनाने या कुछ चिट फंडों को छूट देने जैसे विनियामकीय पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।
- SEBI द्वारा सामूहिक निवेश योजनाओं का विनियमन किया जाता है। हालांकि, SEBI अधिनियम में विशेष रूप से चिट फंड सम्बन्धी प्रावधान शामिल नहीं हैं।

विधेयक का विवरण

- चिट फंड व्यापार की मूल प्रकृति को इंगित करने के लिए **"फ्रैटर्निटी फण्ड"** शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि ऐसी फण्ड को **"प्राइज चिट"** से पृथक किया जा सके। प्राइज चिट को एक पृथक कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।
- यह एक फ़ोरमैन (प्रमुख) द्वारा विधिवत रिकॉर्ड की गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से **दो न्यूनतम आवश्यक अंशदाताओं** (चिट निकासी के लिए) को सम्मिलित करने की अनुमति देता है, क्योंकि चिट के अंतिम चरण में अंशदाताओं की भौतिक रूप से उपस्थिति पूर्णतः सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ऐसे में कार्यवाही के बाद दो दिनों की अवधि के भीतर फोरमैन के पास कार्यवाही का विवरण होगा जो ऐसे अंशदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
- यह **फोरमैन के कमीशन की अधिकतम सीमा** 5% से बढ़ाकर 7% करता है, क्योंकि पुराने अधिनियम के लागू होने के बाद से दरें स्थिर रही हैं जबकि अतिरिक्त व्यय एवं अन्य लागतें कई गुना बढ़ गई हैं।
- यह **फोरमैन को अंशदाताओं से बकाया राशि के पूर्णतः प्राप्त होने तक उनकी किसी परिसंपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार) देता है,** ताकि चिट कंपनी उन अंशदाताओं के लिए *सेट-ऑफ़* (बकाया राशि के लिए ग्राहक द्वारा किये जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया) कर सके जो पहले से ही फंड निकाल चुके हैं और ऐसे अंशदाता किसी भी प्रकार का डिफ़ॉल्ट न कर सकें।
- यह 1982 में निर्धारित सौ रुपये की ऊपरी **सीमा को समाप्त करता है,** जिसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। साथ ही इस प्रस्तावित विधेयक में राज्य सरकारों को सीमा निर्धारित करने और समय-समय पर उसे बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है।

3.5. पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री

(Public Credit Registry:PCR)

सुर्खियों में क्यों ?

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। यह भारत के लिए PCR (Public Credit Registry: PCR) पर वाई.एम. देवस्थली के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर व्यक्तियों और कॉर्पोरेट कर्जदारों की सभी ऋण संबंधी सूचनाओं का एकत्रण करेगी।

पृष्ठभूमि

- एक PCR, क्रेडिट सूचना (किसी की क्रेडिट रेटिंग, वित्तीय और आर्थिक पृष्ठभूमि, पिछले वित्तीय लेनदेन, क्रेडिट जोखिम स्तर और अन्य संबंधित सूचनाओं) के साथ एक बड़े डाटाबेस में ऋण अनुबंध और परिणामों की पूरी व्यवस्था का एक व्यापक डाटाबेस है। यह विधि द्वारा अधिदेशित सभी हितधारकों के लिए सुलभ है।

VISION IAS

- विश्व बैंक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2012 तक सर्वे में सम्मिलित 195 देशों में से 87 देशों में सार्वजनिक ऋण (पब्लिक क्रेडिट) उपस्थित था। कई विकसित देशों में PCR के साथ निजी क्रेडिट ब्यूरो भी सह-अस्तित्व में हैं।
- प्रारंभ में, PCR सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ग्राहकों को कवर करेगा। तत्पश्चात, इसमें शेष वित्तीय संस्थान शामिल किए जा सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड और कंपनियों की पहचान के लिए कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) अद्वितीय पहचानकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। डाटाबेस को या तो RBI या किसी अन्य बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया जाएगा।

भारत में क्रेडिट रेटिंग से संबंधित मुद्दे

- **भारत में तंत्र जारीकर्ता की सहमति के बिना रेटिंग प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देता है:** यदि रेटिंग जारीकर्ता के अनुमान जितनी उच्च नहीं है तो वह बेहतर रेटिंग के लिए किसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CRA) या व्यक्ति का चुनाव कर सकता है। इससे CRA की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और जारीकर्ता के अधिकार में चली जाती है।
- **CRAs की गैर-रेटिंग गतिविधियां:** वे अपनी विशेष सहायक कंपनियों द्वारा गैर-रेटिंग गतिविधियों के माध्यम से महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करते हैं। ये गैर-रेटिंग गतिविधियाँ CRAs द्वारा प्रदान की जा रही मुख्य सेवाओं अर्थात् रेटिंग्स के सम्बन्ध में हितों का उल्लेखनीय रूप से टकराव उत्पन्न करती हैं।
- **हितों का टकराव:** वे निवेशकों के उपभोग के लिए स्वतंत्र रेटिंग प्रदान करने का प्रयास करते हैं तथा साथ ही जारीकर्ताओं से राजस्व में वृद्धि के माध्यम से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CRA) के शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने की दिशा में भी काम करते हैं।
- **जारीकर्ता भुगतान मॉडल:** चूंकि वे अपने व्यापार के लिए जारीकर्ताओं पर निर्भर रहते हैं, अतः यह उनकी वस्तुनिष्ठता से समझौता करता है।
- **सूचना उपलब्धता:** यदि जारीकर्ता कुछ निर्धारक प्रश्नों का उत्तर न देने का निर्णय लेता है, तो रेटिंग मुख्य रूप से सार्वजनिक सूचना के आधार पर ही आधारित हो सकती है।

भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री कैसे सहायता कर सकती है?

- एक पारदर्शी PCR बैंककर्मियों को क्रेडिट निर्णय लेने के लिए वस्तुनिष्ठ डेटा पर विश्वास करने में सहायता करेगी और जांच के अधीन होने पर उन्हें बाजार के साक्ष्य के साथ अपने कृत्यों का बचाव करने में सक्षम बनाएगी; इस प्रकार देश में ऋण संस्कृति में सुधार होगा।
- सामान्यतः छोटे और सीमांत निवेशकों, स्टार्ट-अप्स, नए उद्यमों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के क्षेत्र के छोटे व्यवसायों को हानि होती है. क्योंकि उनमें ऋण के लिए वांछित पात्रता का अभाव होता है। **ऋण (क्रेडिट) सूचना की पारदर्शिता ऐसे ऋणकर्ताओं के लिए "प्रतिष्ठित संपार्श्विक (reputational collateral)"** के रूप में कार्य करेगी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही यह ऋण अनुशासन प्रदान करके अच्छे ऋणकर्ताओं को पुरस्कृत करेगी एवं विभिन्न आकार के ऋणकर्ताओं के मध्य समान अवसर का सृजन करेगी।
- PCR अन्य लेन-देन संबंधी आंकड़े निकाल सकती है जिसमें खुदरा ग्राहकों के लिए विद्युत् और दूरसंचार जैसी उपयोगिताओं के लिए भुगतान करना तथा व्यवसाय के लिए व्यापार क्रेडिट डेटा शामिल हैं। औपचारिक क्षेत्र में ऋणकर्ता प्रायः क्रेडिट स्कोर के अभाव में नए ग्राहकों को लाइन ऑफ़ क्रेडिट प्रदान करने में असहज होते हैं। ऐसे ग्राहकों के लिए उपयोगिताओं और व्यापार लेनदारों को भुगतान करने में नियमितता क्रेडिट गुणवत्ता का संकेत प्रदान करती है। इस प्रकार औपचारिक क्षेत्र से नए ऋणकर्ताओं के लिए भी ऋण सुलभ हो सकता है। इससे वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिलेगा।
- समग्रतः, नियामकीय उद्देश्यों के लिए PCR की अनुपस्थिति में, ऋण व्यवहार और ऋणग्रस्तता के लिए केवल खंडित तस्वीर ही उपलब्ध होती है। PCR, बैंक और अन्य क्रेडिट एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति या संस्था का पूर्ण वित्तीय अवलोकन प्रदान करके संपूर्ण तंत्र के क्रेडिट जोखिम का आकलन करने हेतु एक पूर्ण तस्वीर प्राप्त करने में सहायता करेगी।

VISION IAS

चुनौतियां

- एक व्यापक PCR के गठन के लिए समुचित दृष्टिकोण तथा विविध स्रोतों से एकत्रित डाटा की बड़ी मात्रा और विविध प्रकारों को सँभालने के लिए उत्कृष्ट टीम वर्क और विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। इस तरह के रजिस्टरों के निर्माण में अनेक हितधारकों, अन्य नियामकों और सहायक विशेषज्ञता रखने वाली अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ कार्य करने की आवश्यकता होगी।
- कर्जदारों के लिए अद्वितीय पहचान प्रणालियों (व्यक्तियों के लिए आधार और कंपनियों के लिए CIN), रिजर्व बैंक के BSR1 (Basic Statistical Return – I) और CRILC (Central Repository of Information on Large Credits) डाटासेट को जल्दी से एक उपयोगी PCR में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ग्राहकों से शुरू किया जा सकता है तथा भारत में अन्य वित्तीय संस्थानों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। एक उच्च स्तरीय टास्क फ़ोर्स हमारे देश के लिए एक शक्तिशाली क्रेडिट सूचना प्रणाली को विकसित और शुरू करने हेतु एक रोडमैप प्रदान कर सकती है।

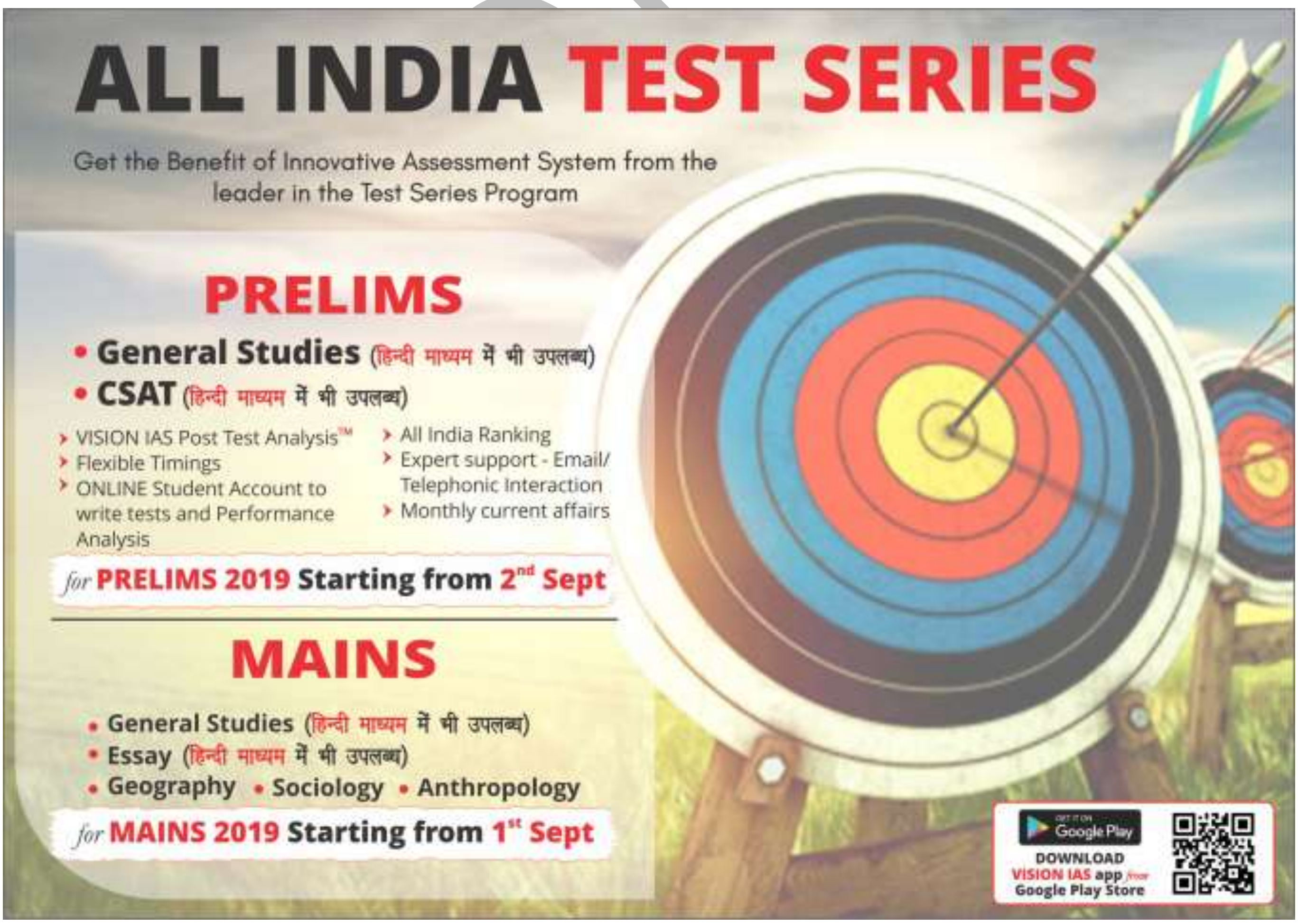

4. कराधान

(Taxation)

भूमिका

सरकारों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन और अपने नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि करने हेतु आरंभ की गई योजनाओं के लिए आय सृजन हेतु अपने नागरिकों पर कर आरोपित किया जाता है। भारत में सरकार को करारोपण का अधिकार **भारतीय संविधान** से प्राप्त होता है। भारतीय संविधान केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी करारोपण का अधिकार प्रदान करता है। भारत में आरोपित किये गये सभी करों का संसद या सम्बंधित राज्य विधानमंडल द्वारा एक कानून के रूप में पारित होना आवश्यक है।

कराधान का महत्व

- **राजस्व सृजन :** सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों, अवसंरचनाओं, कल्याण, शिक्षा, रक्षा इत्यादि के लिए राजस्व में वृद्धि हेतु कराधान का उपयोग किया जाता है |
- **असमानता को कम करना:** कर से प्राप्त आय का उपयोग कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की सेवा के लिए किया जाता है।
- **संसाधनों का पुनर्वितरण**: संसाधनों को समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
- **व्यावहारिक हतोत्साहन**: इसे सोशल इंजीनियरिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को असामाजिक व्यवहार के प्रति हतोत्साहित करना होता है और यह अधिकांशतः वस्तु पर अधिक कर आरोपित कर कीमतों में वृद्धि के द्वारा किया जाता है।
- **स्थानीय उद्योग की सुरक्षा :** सरकार द्वारा समान्यत: उच्च आयात शुल्क के माध्यम से स्थानीय उद्योगों को संरक्षित किया जाता है। उच्च आयात शुल्क के कारण आयातित वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं और इस प्रकार घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है।
- **उत्तरदायित्व में सुधार :** यह न केवल देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायक होता है बल्कि सरकार को अपने करदाताओं के प्रति उत्तरदायी भी बनाता है। सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह वित्तीय वर्ष के लिए बेहतर योजना बनाने और बजट आवंटित करने में मदद करता है क्योंकि कर राजस्व अपेक्षाकृत अनुमानित होता है।
- **अन्य लाभ**: करदाताओं द्वारा कर अनुपालन, सरकार द्वारा कर-अपवंचन रोधी उपायों में ढील देने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कर दरों तथा उपकरों को कम करने, अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप प्रदान करने तथा अधिकारिता की भावना के लिए मार्ग प्रशस्त करता है जिनके फलस्वरूप उन्नत, सामाजिक सेवाओं एवं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है।

मुद्दे और चिंताएं:

- वर्तमान में व्यक्तिगत करदाताओं की कुल संख्या 6.08 करोड़ है जो भारत की कुल जनसंख्या अर्थात 125 करोड़ का मात्र 4.86% ही है।
- वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति के अनुसार देश की कुल जनसंख्या की तुलना में व्यक्तिगत करदाताओं की कम संख्या **"हमारी प्रत्यक्ष कर व्यवस्था की प्रतिगामी प्रकृति"** तथा उस सीमित कर आधार को दर्शाती है जिस पर राजस्व विभाग संचालन करता है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, भारत में **प्रत्यक्ष करों पर निर्भरता में कमी** आई है। यूरोप में कुल करों में इसका योगदान लगभग 70% है जबकि वहीं भारत में कुल करों में इसका लगभग 35% योगदान है।

भारत में कराधान की हालिया प्रवृत्ति

- देश में कुल करदाताओं की संख्या 2011-12 के 4.38 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में 6.41 करोड़ हो गयी है। यह पांच वर्षों में 46% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। कुल करदाताओं की संख्या में वृद्धि की तुलना में व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है।

VISION IAS

- प्रत्यक्ष करदाताओ की संख्या में वृद्धि आंशिक रूप से राजस्व विभाग द्वारा प्रत्यक्ष कर अनुपालन पर ध्यान केन्द्रित किये जाने का ही परिणाम है, विशेष रूप से विमुद्रीकरण (ऑपरेशन क्लीन मनी) के पश्चात।

ऑपरेशन क्लीन मनी

- यह आयकर विभाग (ITD) का ऑपरेशन क्लीन मनी कार्यक्रम था। जिसका उदेश्य अवैध संपत्ति को उजागर करना था।
- इसमें विमुद्रीकरण के दौरान डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग करके विशाल मात्रा में जमा की गयी धनराशि का ई-सत्यापन करना शामिल था।

- व्यक्तिगत करदाताओं में भी कर भुगतान का रुझान यह दर्शाता है कि वेतनभोगी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला औसत कर भुगतान व्यक्तिगत व्यवसायी द्वारा किये जाने वाले औसत कर भुगतान से अधिक है।

बढ़ते कर आधार के लाभ

- FICCI द्वारा **कर आधार और काले धन की रोकथाम** के विस्तार पर किये गए एक अध्ययन ने इस बात को रेखांकित किया है कि **कर आधार** में विस्तार, उच्च कर-GDP अनुपात को प्राप्त करने, राजकोषीय समेकन प्राप्त करने, कर संग्रह के लक्ष्य को पूरा करने तथा बजट अनुमानों की तुलना में निम्न कर संग्रह को कम करने में सहायक होता है।
- यह ईमानदार करदाताओं के ऊपर पड़ने वाले राजस्व बोझ की दिशा परिवर्तित कर देगा और भविष्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दरों में कमी को संभव बनाएगा। इससे भारत में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस परिदृश्य में सुधार होगा।

कर प्रशासन सुधार आयोग (TARC)

पार्थसारथी सोम की अध्यक्षता वाली समिति ने कर आधार को विस्तृत करने हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

- वैसे क्षेत्रों को लक्षित कर नए करदाताओं को कर आधार में सम्मिलित करने पर ध्यान केंद्रित करना जो वर्तमान में कर नहीं देते हैं (विशेषकर अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र से)।
- कर के प्रारंभिक संग्रहण हेतु टीडीएस (TDS) के दायरे का विस्तार और कर अपवंचन को रोकना।
- छोटे व्यवसायियों को कर अनुपालन हेतु प्रोत्साहित करना और इसके सरलीकरण हेतु प्रीज़म्प्टिव टैक्स स्कीम (अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से कर-दायित्व का आकलन) का उपयोग करना।
- बैंकिंग नकद लेन-देन पर कर (BCTT) और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (FBT) लागू किया जाए।
- 50 लाख से अधिक आय वाले बड़े किसानों को टैक्स स्लैब में लाया जाना चाहिए।
- संभावित करदाताओं की पहचान के लिए सर्वेक्षण और प्रौद्योगिकी आधारित सूचना और आसूचना प्रणालियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार हेतु कर प्रशासन को अधिक ग्राहक उन्मुख होना चाहिए।

कर उछाल (tax buoyancy) में सुधार के तरीके:

- कुछ क्षेत्रों के लिए मजदूरी एवं वेतन के भुगतान हेतु डिजिटल भुगतान अनिवार्य करना और संपत्ति कर, स्टाम्प ड्यूटी, यूटिलिटी बिल इत्यादि जैसे वैधानिक बकाया भुगतान के मामले में **इलेक्ट्रॉनिक भुगतान** को बढ़ावा देना।
- **आर्थिक सर्वेक्षण** में स्थानीय सरकार को कराधान सम्बन्धी अधिकार प्रदान करने का सुझाव दिया गया है ताकि वे हस्तांतरित धन के बजाय अधिक प्रत्यक्ष कर एकत्र कर सकें।
- **प्रत्यक्ष कर संहिता का क्रियान्वयन**: सरकार ने आयकर अधिनियम की समीक्षा करने और एक नया प्रत्यक्ष कर कानून तैयार करने के लिए अरविन्द मोदी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया है।
- कर कानूनों और कर प्रशासन की प्रक्रिया/प्रक्रियाओं को सरलीकरण / तर्कसंगत बनाना |
- GST के संबंध में कर स्लैब / दरों को तर्कसंगत बना कर आधार को विस्तृत और कर अनुपालन में वृद्धि कर सकता है।

4.1. वस्तु एवं सेवा कर

(Goods and Services Tax)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, 1 जुलाई, 2017 को अधिनियमित वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था का एक वर्ष पूर्ण हो गया है।

GST के बारे में

- GST एक गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है और इसे अंतिम उपभोग बिंदु पर आरोपित किया जाता है। इसके तहत, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उपभोक्ता को आपूर्ति श्रृंखला में कर प्रभार का वहन करना होता है।

VISION IAS

- GST एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली है, जो काले धन और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करती है एवं नई शासन संस्कृति को बढ़ावा देती है।

महत्त्व

- GST में केन्द्रीय सरकार के अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं यथा- सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, अधिभार (surcharge) और उपकर (cess) तथा राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर जैसे वैट, प्रवेश कर आदि।
    - इससे पहले, भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर विभिन्न कर शामिल थे तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए उनकी अलग-अलग दर निर्धारित थी। इससे व्यापार हेतु प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधाएँ उत्पन्न होती थीं।
- सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना: **GST परिषद** एक अत्यंत प्रभावी एवं सशक्त निर्णयनकारी संघीय संस्था सिद्ध हुई है।
- **मानवीय इंटरफ़ेस में कमी:** GST, मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी संचालित है एवं शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम है।
- **राजस्व वृद्धि में सुधार:** GST राजस्व वृद्धि 11 प्रतिशत है, जो लगभग 0.9 के अप्रत्यक्ष करों की ऐतिहासिक वृद्धि की अपेक्षा 1.14 की राजस्व वृद्धि करेगा।
- **GST नेटवर्क:** GSTN द्वारा उत्पन्न डेटा अर्थव्यवस्था के संबंध में गहन जानकारी प्रदान कर सकता है। यह अर्थव्यवस्था में उभरती विभिन्न प्रवृत्तियों पर भी नीति निर्माताओं को त्वरित से डेटा प्रदान करेगा।
- **बेहतर अनुपालन:** GST के बाद कुल पंजीकरण लगभग 65 लाख से बढ़कर 110 लाख (दोहरी गणना किए बिना) हो गया है, जो लगभग 70 प्रतिशत के शुद्ध लाभ को दर्शाता है।
- विशेष रूप से निर्यातों के लिए करों को अधिक प्रभावी रूप से तटस्थ बनाना, ताकि हमारे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

GST से लाभ

- **एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार:** यह "एक देश, एक कर, एक बाजार" की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अपेक्षाकृत स्थिर कर व्यवस्था प्रदान करता है जो विदेशी निवेश और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देगा।
- **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव**: GDP में 1.5 से 2% तक की वृद्धि का अनुमान है। कास्केडिंग इफ़ेक्ट (प्रपाती प्रभाव) की समाप्ति और मौजूदा नियमों की तुलना में लगभग सभी वस्तुओं के लिए कम दरों के कारण आम तौर पर मुद्रास्फीति में कमी आ रही है।
- **कास्केडिंग इफ़ेक्ट नहीं:** GST करों की कास्केडिंग प्रभाव को रोकता है क्योंकि यह एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में हर स्तर पर वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति में उपलब्ध होगा।
- **ईज आफ़ डूइंग बिज़नेस:** कर से सम्बंधित कानूनों, प्रक्रियाओं, दरों के समायोजन से करों की भुगतान संस्कृति को सशक्तता मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरे जायेंगे तथा साथ ही इनपुट क्रेडिट का सत्यापन ऑनलाइन होने से यह विभिन्न टैक्स अधिकारियों की आवश्यकता को कम करेगा। इसके साथ ही यह 'इनवॉइस शॉपिंग' को भी हतोत्साहित करेगा।
- **टैक्स चोरी में कमी:** SGST और IGST की समान दर होने के कारण निम्नलिखित कारणों से टैक्स चोरी में कमी आएगी:
    - एकीकृत GST दर लागू होने के कारण पड़ोसी राज्यों के बीच और अंतःराज्यीय एवं अंतरराज्यीय बिक्री के बीच **व्यापार दरों के अंतर का उन्मूलन।**
    - किसी वस्तु अथवा सेवा के मूल्यवर्द्धन पर आरोपित कर की **स्व-निगरानी (सेल्फ-पुलिसिंग) की सुविधा।**

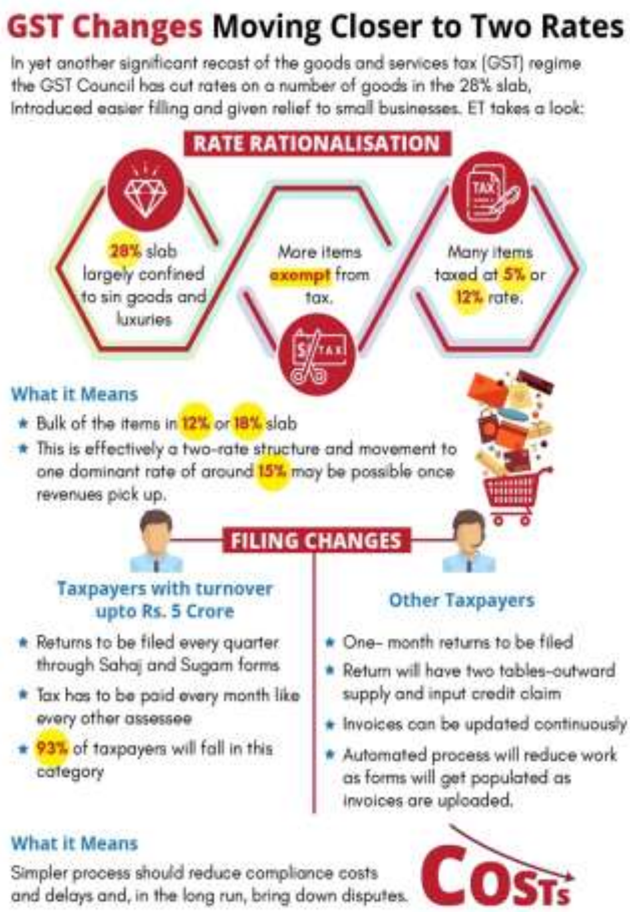

VISION IAS

- चूंकि 17 करों और उपकरों का एक ही कर में विलय कर दिया गया है अतः कर के सरलीकरण के कारण विभिन्न करों हेतु मल्टीपल रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होती और **अनुपालन लागत (कंप्लायंस कॉस्ट) में कमी** आती है।
- **उपभोक्ता पर प्रभाव** - अनाज सहित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बास्केट की आधे से अधिक वस्तुओं में कर की दर शून्य होगी जिससे बिना उपभोक्ताओं पर बोझ डाले, उन्हें GST श्रृंखला का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी।
- **राज्य की सीमा पर चेकपोस्ट की समाप्ति से लॉजिस्टिक और वस्तु सूची लागत (inventory cost) में कमी आयी है।**

चुनौतियां

- **डिजिटल अवसंरचना** – सम्पूर्ण भारत में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण और भुगतान को ठीक ढंग से संचालित करने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु बैंडविड्थ की उपलब्धता।
- **संसदीय और वैधानिक स्वायत्तता सम्बन्धी मुद्दे:** GST परिषद (एक कार्यकारी निकाय) पर कोई भी निर्णय लेने के लिए GST परिषद् के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का कम-से-कम तीन-चौथाई बहुमत होना चाहिए (इसमें कुल मतों में केंद्र की हिस्सेदारी 33% और राज्यों की हिस्सेदारी 66% होती है)।
- **संघवाद:** राज्यों को अपनी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति 'करारोपण में स्वायत्तता' से वंचित कर दिया गया है। राज्य व्यक्तिगत रूप से अब कर दरों को बदलने में सक्षम नहीं होंगे। चूंकि, मौजूदा व्यवस्था के अनुसार अनुच्छेद 246 (A) के तहत केंद्र और राज्य दोनों के पास GST के तहत कानून बनाने की शक्ति है। अतः केंद्र एवं राज्यों को मिलजुलकर कार्य करना होगा जिससे कार्यक्षेत्र में चुनौती उत्पन्न हो सकती है।
- **शहरी स्थानीय निकायों** को GST के अंतर्गत स्थानीय निकाय कर, चुंगी और अन्य प्रवेश कर रद्द किए जाने के बाद एक विशाल राजकोषीय अन्तराल से निपटना पड़ेगा।
- **अपवादों और विभिन्न कर दरों की सूची** - पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल, पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन, एल्कोहल आदि जैसे कई वस्तुओं को बाहर रखे जाने से और 4 अलग-अलग दरों के होने से यह 'एक देश-एक कर' के सिद्धांत को कमजोर करता है।
- **करों में हुई वृद्धि की वजह से दबाव-** 10 लाख रुपये के टर्नओवर वाली छोटी कंपनियों को GST का भुगतान करना होगा जबकि इससे पूर्व यह सीमा 1.5 करोड़ थी। यहां तक कि असंगठित क्षेत्र (जो सबसे बड़े रोजगार निर्माता के रूप में है) अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को खो सकता है। इस क्षेत्र को मुनाफे में बने रहने के लिए कीमतों को बढ़ाना पड़ सकता है।
- **उपभोक्ताओं के लिए-** कम कर-दरों के कारण लागतों में हुई कमी से प्राप्त लाभ ग्राहकों को नहीं मिलते। इसके अलावा, कुछ लोग GST को करारोपण की प्रतिगामी व्यवस्था (रिग्रेसिव सिस्टम) के रूप में देख रहे हैं क्योंकि यह सभी उत्पादों में न्यूनाधिक रूप से करारोपण को समान बनाता है। इसका अर्थ है कि धनी व्यक्ति विलासिता के सामान और सेवाओं पर कम कर देगा और गरीबों को आवश्यक सामान और सेवाओं के लिए और अधिक भुगतान करना होगा।

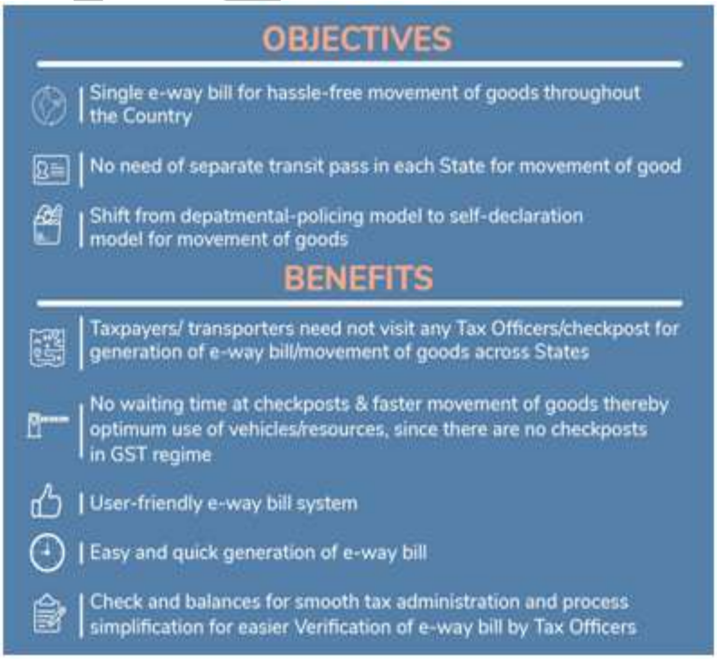

चुनौतियों से निपटने हेतु उठाये गए कदम

- **छोटे व्यवसाय के लिए छूट-** पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 10 लाख रुपये के कम के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। जबकि शेष भारत में, वार्षिक कारोबार हेतु छूट की सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
- **मुनाफाखोरी के खिलाफ (एंटी-प्रॉफिटिरिंग) कानून-** GST परिषद द्वारा राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (National Anti-Profiteering Authority: NAA) के गठन को स्वीकृति प्रदान की गयी है ताकि कर कटौती और इनपुट टैक्स क्रेडिट से प्राप्त लाभों को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जा सके।
- **अनिवार्य पंजीकरण**: अब करों की चोरी नहीं की जा सकेगी क्योंकि व्यापार का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति GST सिस्टम में होगा। इसके साथ ही ई-वे विधेयक भी पारित किया गया है जहां 50,000 से अधिक लागत वाली वस्तु की 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर आवाजाही हेतु ऑनलाइन पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी

VISION IAS

- **GST नेटवर्क के स्वामित्व पैटर्न में परिवर्तन:** इससे पूर्व GSTN में 51% की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की थी। इसने पर्याप्त डाटा संरक्षण उपायों के बिना कर तथा व्यापार डाटा का नियंत्रण एक निजी कंपनी को प्रदान कर दिया था। GSTN परिषद द्वारा स्वामित्व संरचना में परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान की गयी है और अंततः इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी सामूहिक रूप से 50 प्रतिशत होगी।
- **संचार और जागरूकता कार्यक्रम** - इसके लिए, सरकारी कार्यालयों में सुविधा केंद्र और विभिन्न सहयोगी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- **GST सुविधा प्रदाता (GSP)**- GSTN ने GST शासन के अनुपालन में करदाताओं और अन्य हितधारकों के हित में अभिनव और सुविधाजनक तरीके प्रदान करने के लिए 34 GSP का चयन किया है। यह GST के तहत कर प्रशासन की प्रक्रिया को आसान बनाएगा।
- **ई-वे हेतु अनिवार्य आवेदन:** इन्फोग्राफिक देखें
- **दरों को युक्तिसंगत बनाना:** सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए GST दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है। यह करों के बोझ को कम करेगा और करों के बेहतर अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।

- ई-वे बिल एक दस्तावेज है जिसे नई वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत उस वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा रखा जाना आवश्यक है जिसके द्वारा 50,000 रूपए से अधिक मूल्य की वस्तु को 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ले जाया जा रहा हो। इस व्यवस्था को सरकार द्वारा GST अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत अधिदेशित किया गया है।
- इस बिल को वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण से पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों या ट्रांसपोर्टरों द्वारा GST कॉमन पोर्टल से जेनेरेट किया जाता है।

ई-वे बिल से सम्बंधित चुनौतियां

- यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक ट्रांसपोर्टर (विशेषकर छोटे शहरों में) को यह जानकारी हो कि GSTN पोर्टल का उपयोग कैसे करना है।
- **भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी:** इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यात्रा के दौरान ट्रांसपोर्टर अपनी शिकायतों (यदि कोई हो) के समाधान करने हेतु GSTN पोर्टल का उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे।
- **RFIDs and RFID रीडर्स का उपयोग:** प्रमुख चेकपॉइंट्स पर वाहनों का स्वचालित तरीके से सत्यापन का विचार एक आदर्श विचार है, परन्तु यह सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है।
- ई-वे बिलों की वैधता के लिए सख्त समयसीमा: तय की गई दूरी के अनुसार वैधता की गणना करना, कुछ उद्योग अभिकर्ताओं को अवास्तविक प्रतीत होता है।

निष्कर्ष

- GST ने देश की कर व्यवस्था को "एक राष्ट्र, विभिन्न कर' से 'एक राष्ट्र, एक कर' में परिवर्तित करने में सहायता की है। यह सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है, जो कि पहले से ही एकीकृत राजनीति में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर भारत को एक साझा बाजार (common market) में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है।
- GST अभी भी प्रगति पर है और अगला महत्वपूर्ण कदम GST से बाहर की मदों (विशेष रूप से विद्युत्, रियल एस्टेट और पेट्रोलियम उत्पादों) को इसकी परिधि के भीतर लाने का होगा।

4.2. नए प्रत्यक्ष कर कानून मसौदा हेतु टास्क फोर्स

(Task Force to Draft New Direct Tax Law)

सुर्खियों में क्यों ?

- सरकार ने वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर एक नए प्रत्यक्ष कर कानून के मसौदे के निर्माण हेतु अरबिंद मोदी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय पैनल का गठन किया है।

VISION IAS

प्रत्यक्ष कर

- वह कर जिसमें कराघात और करापात एक ही इकाई पर होता है।
- यह एक प्रगतिशील कर है, क्योंकि कर देयता का अनुपात एक व्यक्ति या इकाई की आय में वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है।
- यह विभिन्न प्रकार के होते हैं यथा: आयकर, निगम कर, लाभांश वितरण कर, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और संपत्ति कर।
- आयकर अधिनियम 1961 (ITA) में आयकर, निगम कर, संपत्ति कर आदि के प्रावधान हैं।

टास्क फोर्स को निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करना है:

- विभिन्न देशों में प्रचलित प्रत्यक्ष कर प्रणाली,
- अंतर्राष्ट्रीय स्टार पर प्रचलित सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां,
- भारत की आर्थिक आवश्यकताएं, और
- अन्य सम्बंधित मामले

ईश्वर पैनल की अनुशंसाएं

- **शेयरों और प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय:** समिति ने उल्लेख किया है कि इस प्रकार की आय पर उचित कर के अनुप्रयोग में अनिश्चितता विद्यमान है। अतः इस प्रकार के अनुप्रयोग को सरल बनाने के लिए समिति ने इस आय पर निम्नलिखित स्थितियों में पूंजीगत लाभ कर आरोपित करने की अनुशंसा की है:
  i) यदि करदाता द्वारा 1 वर्ष से अधिक समयावधि के लिए शेयर रखे जाते हैं या
  ii) 5 लाख रुपये से अधिक की राशि के शेयर रखे जाते हैं।
- **छूट प्राप्त आय (exempt income) पर व्यय:** समिति ने सिफारिश की है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को छूट प्राप्त आय से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट और सरल बनाने के लिए प्रशासनिक प्रावधान करने चाहिए। इसने कहा है कि इनकी अनिश्चितता, कुल आयकर मुकदमों के 15% का कारण है।
- **स्रोत पर कर कटौती (TDS):** समिति ने सुझाव दिया है कि प्रशासनिक कार्यवाहियों को सरल बनाने हेतु TDS एकत्र करने की सीमा में वृद्धि की जाएगी। साथ ही प्रशासनिक बोझ से बचने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर TDS दरों को 10% से घटाकर 5% किया जाना चाहिए।
- **लेखा खातों (book of accounts) की लेखा परीक्षा:** समिति ने सिफारिश की है कि करदाताओं द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा करवाए जाने की सीमा में वृद्धि की जानी चाहिए।
- **छोटे व्यवसायों के लिए प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम:** प्रिजम्प्टिव आयकर योजना के तहत, एक करोड़ रुपये से अधिक के कुल टर्नओवर वाले छोटे व्यवसाय 8% की कर दर पर अपनी आय घोषित करते हैं। समिति के अनुसार इसे 2 करोड़ तक बढ़ाया जाना चाहिए।
- **आय गणना एवं प्रकटीकरण मानक (ICDS):** कंपनी अधिनियम 2013 में परिवर्तन और GST के लागू होने की पृष्ठभूमि में समिति ने करदाताओं पर बोझ को कम करने के लिए ICDS के कार्यान्वयन को स्थगित करने की अनुशंसा की थी।
- **अनिवासी:** जिन व्यक्तियों के पास पैन नंबर नहीं है, उनके लिए उच्च कर दर की कटौती के प्रावधान को पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। वस्तुतः यह अनिवासी भारतीयों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बाधित करता है ,क्योंकि उनके पास पैन कार्ड नहीं होता है।

पृष्ठभूमि

- 1980 के दशक में, जब सरकार ने दीर्घकालिक राजकोषीय नीति (1985) की घोषणा की थी, तब प्रत्यक्ष कर सुधारों को लागू करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए।
- प्रत्यक्ष करों के समेकन हेतु सरकार द्वारा विभिन्न समितियों जैसे **राजा चेलैया समिति** (1990 के दशक की शुरुआत में), **विजय केलकर समिति** (2002) आदि का गठन किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, भारत में प्रत्यक्ष कर से सम्बंधित कानूनों को सरल बनाने के लिए भारत सरकार (GOI) द्वारा **प्रत्यक्ष कर संहिता (DTC)** को भी तैयार किया गया था।

VISION IAS

- 2009, 2010 और 2013 में DTC के तीन ड्राफ्ट जारी किए गए थे। DTC 2013 द्वारा निम्नलिखित को प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव रखा गया:
    - जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल (GAAR)
    - कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनियों (CFC) पर कराधान,
    - भारतीय संपत्तियों के मूल निवास स्थान (रेज़िडन्सी) और करों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण को निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण के रूप में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट (POEM) नियम।
- 2015 में सरकार ने **न्यायमूर्ति आर वी ईश्वर की अध्यक्षता में एक** 10-सदस्यीय समिति का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य कानूनों के अस्पष्ट प्रारूपण से उत्पन्न मुकदमों को कम करना एवं **आयकर अधिनियम (I-T Act), 1961** के प्रावधानों की जाँच करना था।

आवश्यकता

- **उच्च जटिलता एवं अस्पष्टताएं:** भारत में कराधान प्रणाली जटिल है तथा इसको युक्तिसंगत बनाने एवं इसके सरलीकरण की शीघ्र आवश्यकता है। अस्पष्ट कर संरचना के अप्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव होते हैं, क्योंकि यह कंपनियों, निवेशकों और परिवारों से संबंधित निर्णयों को विकृत करती है तथा मुकदमेबाजी में वृद्धि करती है।
- **अप्रचलित (outdated) प्रावधान:** आयकर कानून के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो अपने अंतर्निहित उद्देश्यों के लिए निरर्थक, अप्रचलित या असंगत बन गए हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में नाटकीय गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, जिन्होंने कई देशों की राजकोषीय नीति को प्रभावित किया है। अतः यह भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि वह वर्तमान आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति की आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनों को समायोजित करे।
- भारतीय निगम कर की दर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के देशों के माध्य (median) की तुलना में भी कई बिंदु अधिक है जोकि ट्रांसफर प्राइसिंग के माध्यम से कर मध्यस्थता के लिए एक प्रतिकूल प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। प्रत्यक्ष कर सुधार के परिणामस्वरूप अत्यधिक कर कटौती में सहायता मिलेगी।
- प्रत्यक्ष कर प्रणाली में कई अपवाद होने के कारण ये अर्थव्यवस्था में प्रतिभागियों के निर्णयों को विकृत करके निर्धारित दक्षता को क्षति पहुँचाते हैं।
- इससे निम्न कर की दरों और सरलीकृत कर संरचना के कारण संभावित राजस्व हानि की समस्या से निपटने के लिए **कर आधार में वृद्धि** करने में सहायता मिलेगी।
- एक पारदर्शी कर संहिता के परिणामस्वरूप एक संवृद्धिशील अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी तरीके से पूंजी का आबंटन हो सकेगा।
- देश में कराधान संबंधी फ्रेमवर्क स्पष्ट होना चाहिए, जो कर विभाग की विवेकाधीन शक्तियों में कमी करके टैक्स टेररिज्म को नाटकीय रूप से कम कर सकता है।
- एक जटिल कर संरचना प्रभावी रूप से बड़े व्यापारिक समूहों की सहायता करती है जो स्वयं के कर विशेषज्ञों की सहायता से प्रणाली में हेरफेर कर सकते हैं। कर सुधार के माध्यम से बचत व्यवहार में विकृति को कम किया जा सकता है और साथ ही वित्तीय उत्पादों के भ्रामक विक्रय के प्रोत्साहन में भी कटौती की जा सकती है।
- भारत में समग्र रूप से एकत्रित अप्रत्यक्ष करों का प्रत्यक्ष करों से अनुपात 52:48 है जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने से और वृद्धि हुई है। इसे प्रत्यक्ष कर सुधारों के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है।

अपेक्षित लाभ (Intended Benefits)

- **प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था:** सरलीकृत और स्पष्ट प्रत्यक्ष कर संहिता भारतीय अर्थव्यवस्था को कर स्थिरता, न्यूनतम छूट और आवंटन दक्षता पर फोकस करने के माध्यम से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक होगी।
- **कर आधार:** आय कर का भुगतान करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि कर इसे बदला जा सकता है।
- **निम्न अप्रत्यक्ष कर:** उच्च प्रत्यक्ष कर संग्रहण द्वारा राजकोषीय विस्तार किया जा सकता है जिससे GST की निम्न दरों के साथ गरीबों पर कर के बोझ को कम किया जा सके।

प्रत्यक्ष कर के लिए संबंधित पहल

- **भारत द्वारा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का (BEPS) का समर्थन** - यह कर अपवंचन सबंधित रणनीतियों को दर्शाता है जिनके द्वारा कर नियमों में व्याप्त अन्तराल एवं असमानताओं का लाभ उठाकर कृत्रिम तरीके से कर सम्बन्धी लाभों को टैक्स हैवेन देशों में स्थान्तरित किया जाता है।

- **सरकार द्वारा निरंतर एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का विस्तार**: यह करदाता और कर प्राधिकरण के मध्य एक समझौता है, जिसके अंतर्गत भविष्य के वर्षों में करदाता के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की प्राइसिंग हेतु ट्रांसफर प्राइसिंग पद्धति का निर्धारण किया जाता है।

4.2.1. जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स

(General Anti Avoidance Rules: GAAR)

GAAR के बारे में

- यह 1 अप्रैल 2017 से लागू, GAAR नियमों / फ्रेमवर्क का एक ऐसा सेट है, जो राजस्व अधिकारियों को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि :
    - किसी विशेष अंतरण में वाणिज्यिक महत्ता है या नहीं।
    - वास्तविक अंतरण से सम्बंधित कर देयता।
- यह सरकार को स्थानीय परिसंपत्तियों से सम्बंधित विदेशी सौदों पर कर आरोपित करने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह कर अधिकारियों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे किसी भी प्रकार के अंतरण को गैर-अनुमेय तथा कर भुगतान से बचने के लिए किये गए अंतरण के रूप में घोषित कर उसका कर-दायित्व सुनिश्चित कर सकें। कर अधिकारी ऐसा तभी कर सकते हैं जब अंतरण कर भुगतान से बचने के मुख्य उद्देश्य से किया गया हो और इसमें वाणिज्यिक महत्ता का अभाव हो।

पृष्ठभूमि

- GAAR को पहली बार **प्रत्यक्ष कर संहिता 2009** में प्रस्तावित किया गया था।
- **पार्थसारथी शोम समिति (2012)** GAAR प्रावधानों की अनुशंसा करने के लिए गठित की गई थी।

महत्व

- यह कर अधिकारियों को अन्तर्निहित दोषों को दूर करने तथा **कर परिहार (tax avoidance) की जांच करने में सहायता करेगा** और इस प्रकार यह सरकार के कर राजस्व को बढाने में सहायक हो सकता है।
- सरकार GAAR के माध्यम से **पी-नोट्स के प्रसार को नियंत्रित कर सकती है**। पी-नोट्स भारतीय औपचारिक अर्थव्यवस्था में काले धन के निवेश का एक साधन बन गए हैं।
- यह मुक्त एवं निष्पक्ष निवेश को बढ़ावा देकर दीर्घकाल में **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** की दिशा में एक कदम होगा।
- इससे भारत उन विकसित देशों के समकक्ष आ जाएगा जो पहले ही GAAR को लागू कर चुके हैं।

चुनौतियां

- GAAR के संबंध में राजस्व प्राधिकरणों की शक्तियां और उत्तरदायित्व अभी भी अपरिभाषित हैं। इसके कारण वैध कर योजना को क्षति पहुँच सकती है।
- कर से बचाव (tax mitigation) और कर परिहार के तरीकों के मध्य अंतर स्थापित करने में एक प्रकार की व्यक्तिनिष्ठता विद्यमान है।
- कर प्रशासन के मामलों पर दोहरा कराधान परिहार समझौता (Double Taxation Avoidance Treaties: DTAAs) और GAAR नियमों की दो व्यवस्थाएँ कार्य करती हैं। GAAR किसी एक कर क्षेत्राधिकार की सीमाओं तक सीमित है, जबकि संधि किसी देश की सीमाओं के बाहर लागू होती है। तथापि दोनों प्रावधानों के एक ही विषय पर लागू होते समय दोनों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है।

आगे की राह

- कर परिहार को रोकने के लिए सरकार पहले से ही कदम उठा रही है। सरकार द्वारा अग्रिम मूल्य निर्धारण नियम, दोहरा कराधान परिहार समझौते में कर से होने वाले लाभ की सीमाओं सम्बन्धी प्रावधान इत्यादि बनाये गए हैं। GAAR के प्रारंभ होने से कर संग्रह में सुधार के लिए पहले से उठाये गए कदमों को सुदृढीकरण होगा।
- सरकार को कर वंचन को नियंत्रित करने और इससे निपटने के लिए एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन के मध्य संतुलन स्थापित करना होगा।

VISION IAS

पार्थसारथी शोम समिति की प्रमुख अनुशंसाएं:

- कर लाभ की मौद्रिक सीमा 3 करोड़ रुपये या इससे अधिक होने की स्थिति में ही GAAR के नियमों को लागू किया जाए।
- कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने की दशा में GAAR विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) पर लागू न हो।
- यदि किसी व्यवस्था के किसी भाग को गैर-अनुमेय कर परिहार व्यवस्था (इम्परमिसिबल अवॉयडेंस अरेंजमेंट) घोषित कर दिया जाता है तो कर के सम्बन्ध में जो परिवर्तन निर्धारित किया जाए वह केवल उस भाग के सन्दर्भ में ही हो जिसको ऐसा घोषित किया गया है।
- प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 को प्रस्तुत करने की तिथि अर्थात अप्रैल, 2010 से पहले किए गए निवेश को GAAR से उन्मुक्ति प्राप्त हो।

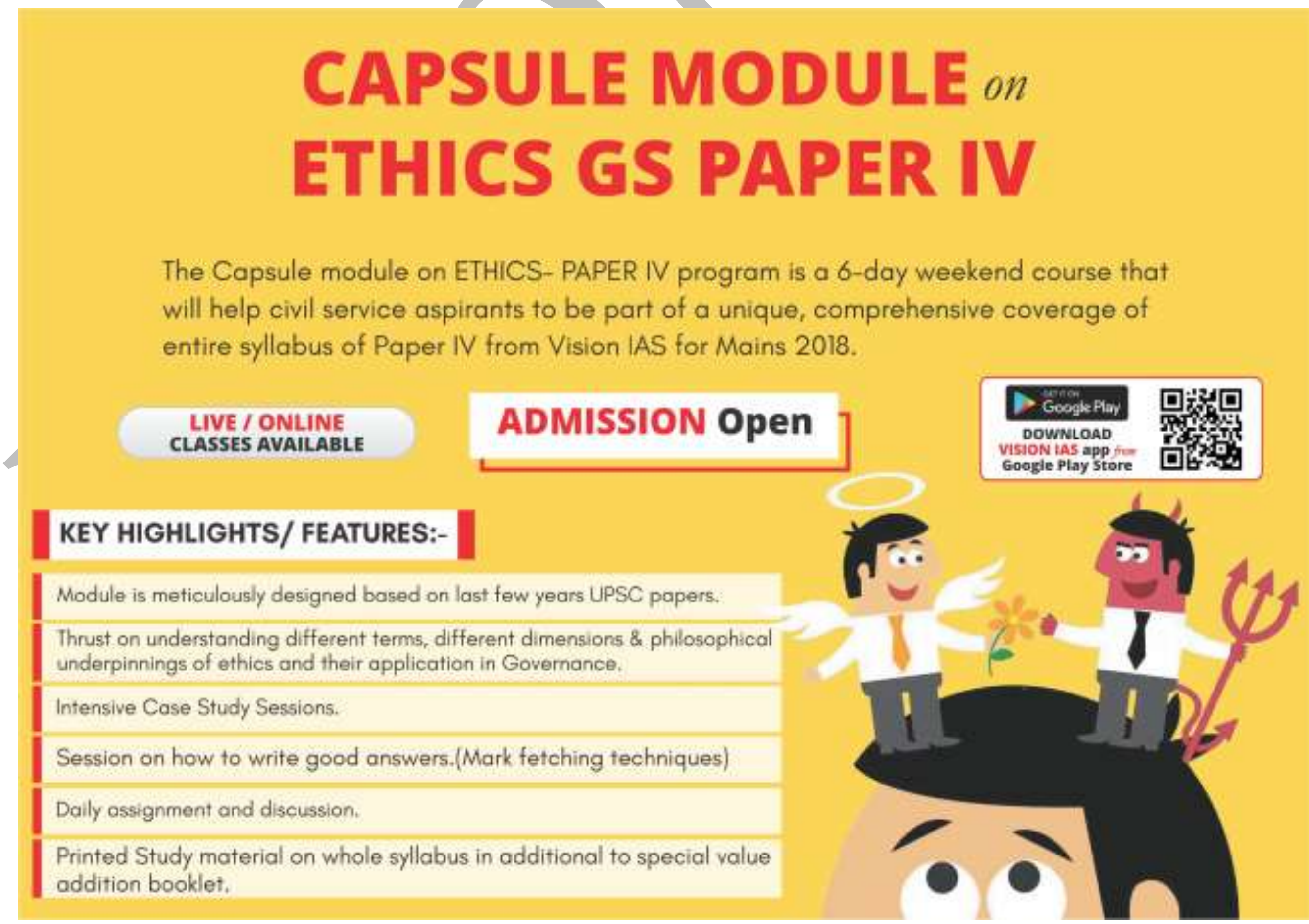

5. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

(Corporate Governance)

5.1 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी द्वारा गठित समिति

(Sebi Panel on Corporate Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर **उदय कोटक समिति** ने अपनी रिपोर्ट सेबी को सौंप दी है। इस पैनल द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में विभिन्न सुधारों के संबंध में सुझाव दिए गए हैं।

पृष्ठभूमि

- **कॉर्पोरेट गवर्नेंस** का तात्पर्य नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके माध्यम से किसी कंपनी को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत किसी कंपनी के विभिन्न हितधारकों यथा शेयरधारकों, प्रबंधन, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, वित्तदाताओं, सरकार और समुदाय के हितों के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है।
- भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अभिशासन (गवर्नेंस) के मापदंड कंपनी अधिनियम, कंपनियों द्वारा एक्सचेंजों के साथ क्लॉज 49 के अंतर्गत हस्ताक्षरित सूचीकरण समझौते (लिस्टिंग एग्रीमेंट) तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में निर्धारित किए गए हैं।
- पूर्व में विभिन्न समितियों ने भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों में सुधार की प्रक्रिया में योगदान दिया है यथा - **कुमार मंगलम बिड़ला समिति (1999) तथा एन.आर.नारायण मूर्ति समिति (2003)**।
- 2009 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी स्वैच्छिक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- वर्तमान में भारत का कॉर्पोरेट जगत अत्यधिक ऋणग्रस्तता और बोर्ड-रूम विवादों की समस्या का सामना कर रहा है (उदाहरण के लिए टाटा, इंफ़ोसिस)।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व

- विश्व भर में सुचारू रूप से प्रशासित कंपनियों का निवल मूल्य (नेट वर्थ) अपने समकक्षों (निम्न स्तर पर प्रशासित) की तुलना में 10-40% अधिक है। बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लाभ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के संचालन परिणामों तथा ऐसी कंपनियों के बाजार पूँजीकरण में परिलक्षित हैं।
- कॉर्पोरेट निकायों द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन के आधारभूत सिद्धांतों का अनुपालन करना, वर्तमान में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है।
- एक कंपनी के स्तर पर एक सुदृढ़ गवर्नेंस के अनुपालन से, सामान्यतः देश के कॉर्पोरेट कानूनों या उनके क्रियान्वयन **से सम्बंधित कमियों** के कारण हुई क्षति की भरपाई की जा सकती है।
- सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्रियान्वयन कंपनी से संबंधित **जोखिमों को नियंत्रित करने और भ्रष्टाचार के अवसर को कम करने** में सहायक होता है। प्रायः ऐसी कंपनियों में घोटाले और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है जहां के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा औपचारिक प्रशासन संहिता का पालन नहीं किया जाता है।
- एक बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली का क्रियान्वयन यह भी सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने सदस्यों, अधिकारियों और प्रबंधन के हितों की सुरक्षा करेगी। इसके माध्यम से अभिलेखों (records) को बनाए रखने का अर्थ यह भी है कि आवश्यकता पड़ने पर दस्तावेज़ों के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि एक शेयरधारक अनावश्यक रूप से अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर प्रश्न नहीं उठाएगा। यदि आवश्यकता हो तो उन्हें कंपनी-बुक, अनुमोदित प्रस्ताव और बोर्ड से संबंधित कार्य विवरण दिखाए जा सकते हैं और आश्वस्त किया जा सकता है कि अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं।

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से सम्बंधित मुद्दे

- बोर्ड की नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद।
- निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन (परफॉरमेंस अप्रेज़ल) में प्रभाविता और पारदर्शिता का अभाव।
- भारत में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा सामान्यतः निष्क्रिय भूमिका निभाई जाती है और यदि वे प्रवर्तकों का समर्थन नहीं करते तो उन्हें आसानी से हटाया भी जा सकता है।

VISION IAS

- प्रायः सामान्य बैठकों में बोर्ड के सभी सदस्यों के उपस्थिति न होने के कारण हितधारक उनसे प्रश्न पूछने में असमर्थ रहते हैं।
- कार्यकारी मुआवजा नीतियों में पारदर्शिता का अभाव है और इसमें शेयरधारकों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
- पारिवारिक स्वामित्व वाली भारतीय कंपनियों में अत्यधिक नियंत्रण और अनुपयुक्त उत्तराधिकार योजना होती है।
- अव्यावहारिक जोखिम मूल्यांकन नीतियां।
- निजता, डेटा संरक्षण तथा साइबर सुरक्षा को कम महत्व दिया जाना।·
- बोर्ड द्वारा **कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी** (CSR) परियोजनाओं की दिशा में गंभीर प्रयासों का अभाव।

सेबी द्वारा अनुमोदित कोटक समिति की अनुशंसाएँ:

- **पारदर्शिता को बढ़ाना- प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) में वृद्धि यथा:**
    - अधिमानी आवंटन (प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट) और QIPs (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट) के माध्यम से प्राप्त किए गए धन के उपयोग का पूर्ण प्रकटीकरण।
    - ऑडिटर की योग्यता (क्रेडेंशियल), ऑडिट शुल्क, ऑडिटर के इस्तीफे के कारणों का प्रकटीकरण।
    - निदेशकों की विशेषज्ञता/कौशलों के प्रकटीकरण और जवाबदेहिता को बढ़ाने हेतु रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन (RPT) का प्रकटीकरण।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority-NFRA) की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसकी अनुशंसा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई थी।

- इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य एवं नौ अंशकालिक सदस्य होंगे।
- कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली **एक समिति** (यह समिति खोज और चयन दोनों कार्य करेगी) इस प्राधिकरण के अध्यक्ष और पूर्ण कालिक सदस्यों के नाम की अनुशंसा करेगी।
- इसे एक स्वतंत्र नियामक के रूप में स्थापित किया गया है। यह लेखा व्यवसाय तथा लेखांकन मानकों की निगरानी करेगी और साथ ही सभी **सूचीबद्ध कंपनियां और बड़ी असूचीबद्ध कंपनियां** इसके न्यायिक क्षेत्राधिकार में आएंगी।
    - चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एक्ट,1949 के अंतर्गत ICAI **(The Institute of Chartered Accountants of India)** छोटी असूचीबद्ध कंपनियों की लेखापरीक्षा जारी रखेगा।
    - **क्वालिटी रिव्यु बोर्ड** द्वारा भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, सार्वजनिक असूचीबद्ध कंपनियों और NFRA द्वारा प्रत्यायोजित कंपनियों की गुणवत्ता लेखा परीक्षा जारी रखी जाएगी।
- इसे स्वतः संज्ञान से या कदाचार की शिकायत प्राप्त होने पर किसी चार्टर्ड अकॉउंटेंट तथा उसकी कंपनी की जांच करने की शक्ति प्राप्त होगी।
- यदि पेशेवर अथवा अन्य कदाचार सिद्ध हो जाते हैं तो:
- यह किसी व्यक्ति के सन्दर्भ में न्यूनतम एक लाख रुपये का अर्थदंड (जिसे प्राप्त फीस के पांच गुना तक बढ़ाया जा सकता है) तथा किसी कंपनी के संदर्भ में न्यूनतम दस लाख रुपये का अर्थदंड (जिसे प्राप्त फीस के दस गुना तक बढ़ाया जा सकता है) आरोपित कर सकता है।
- यह किसी ऑडिटर को 6 माह से लेकर अधिकतम 10 वर्षों तक प्रतिबंधित कर सकता है।

- **निदेशक मंडल के संस्थान की पुनर्संरचना और बोर्ड की समितियों की भूमिका का विस्तार करना:** यह निम्नलिखित उपायों के माध्यम से किया जा सकता है:
    - शीर्ष की 500 सूचीबद्ध कंपनियों में अध्यक्ष (अर्थात् जो बोर्ड के अध्यक्ष है) और CEO/MD (अर्थात् प्रबंधन के अध्यक्ष) के पद का पृथक्करण।
    - बोर्ड की शक्ति में विस्तार करना और विविधता को बढ़ाना, जिसके तहत 1 अप्रैल, 2019 तक शीर्ष 1000 तथा 1 अप्रैल, 2020 तक शीर्ष की 2000 सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में न्यूनतम 6 निदेशक होंगे।
    - इसके अतिरिक्त, शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों (बाजार पूंजीकरण द्वारा) तथा शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों में क्रमश: 1 अप्रैल, 2019 और 1 अप्रैल, 2020 तक न्यूनतम एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति की जानी चाहिए।
    - निदेशक मंडल की गणपूर्ति (कोरम) निदेशक मंडल की कुल संख्या के एक तिहाई के बराबर होनी चाहिए।
    - निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा अधिकतम 8 पद धारण किये जाने की अनुमति देना।
- **सभी निवेशकों के लिए एल्गोरिदम ट्रेडिंग का स्तर एक-समान बनाए रखना:**
    - स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा ट्रेडिंग करने वाले सदस्यों के लिए लागत को कम करने हेतु साझा को-लोकेशन सेवाओं की अनुमति प्रदान की जाएगी। को-लोकेशन सुविधा के अंतर्गत एक्सचेंज द्वारा अपने यहाँ ट्रेडिंग करने वाले सदस्यों और डेटा वेंडरों को एक्सचेंज के परिसर में या उसके आस-पास अपना ट्रेडिंग या डाटा सिस्टम स्थापित करने की अनुमति दी जाती है।

VISION IAS

- सभी व्यापारिक सदस्यों के लिए मुफ्त टिक-बाई-टिक डेटा फीड (प्रयोक्ताओं को डेटा स्रोत से अद्यतन डेटा उपलब्ध कराने वाली प्रणाली)।
- **समितियों की वर्द्धित भूमिका**
    - लेखापरीक्षा समिति को किसी होल्डिंग कंपनी द्वारा उसकी सहायक कंपनी में 100 करोड़ अथवा उसकी परिसम्पत्तियों के आकार के 10 प्रतिशत से अधिक (जो भी कम हो) के अग्रिम/ निवेश की तथा/अथवा ऋण के उपयोग की समीक्षा करनी होगी।
- वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति और हटाए जाने की सिफारिश करने वाली **नामांकन और पारिश्रमिक समिति** की भूमिका का विस्तार किया गया है।
- **जोखिम प्रबंधन समिति** अब विशेष रूप से साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की भी जांच करेगी।
- अनेक सहायक कंपनियों वाली जटिल कॉर्पोरेट संरचना के मामले में, सहायक कंपनियों पर अधिक दायित्वों तथा अनिवार्य सेक्रेटेरियल ऑडिट के आरोपण के माध्यम से **कॉर्पोरेट गवर्नेंस को निचले स्तरों पर** लागू किया जाना।
- किसी भुगतान के राजस्व के 2% से अधिक होने पर माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स (50% से कम शेयरों का धारक) का अनुमोदन अनिवार्य बनाकर शेयरधारकों की सहभागिता और संलग्नता को बढ़ाने की आवश्यकता है।

महत्व

- कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों में अनुमोदित सुधारों का उद्देश्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों को सर्वोत्तम वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।
- इससे भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में माइनॉरिटी शेयरहोल्डरों के हितों को क्षति पहुंचा कर स्थापित किये जाने वाले प्रमोटर-राज के जोखिमों को कम करने में सहायता मिलेगी।
- कई मामलों में प्रकटीकरण को पहले से अधिक आवश्यक बनाने जैसी अनुशंसाएँ, कंपनी के प्रबंधकों और उसके शेयरधारकों के मध्य सूचनाओं की असंगतता को कम करने में सहायक होंगी।

  हालांकि, यह भी चिंता का विषय है कि छोटी सूचीबद्ध कंपनियों को इन अनुपालन आवश्यकताओं से अलग रखा गया है। साथ ही सूचीबद्ध इकाइयों पर अनुपालन का भार बढ़ जाएगा।

5.2. शेल कंपनियां

(Shell Companies)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में 'शेल कंपनियों पर गठित टास्क फोर्स' ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

शेल कंपनियां

- सामान्य तौर पर शेल कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो सक्रिय व्यावसायिक गतिविधियों या पर्याप्त संपत्तियों के बिना ही संचालित की जाती हैं।
- टास्क फोर्स ने व्याख्या की है कि एक सामान्य शेल फर्म को स्टैण्डर्ड मेमोरैंडम (मानक ज्ञापन) या आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन (कंपनी को प्रशासित करने वाले नियमों एवं विनियमों के दस्तावेज़) के साथ निगमित किया जाता है। इसमें निष्क्रिय शेयरधारकों और निदेशकों को सम्मिलित किया जाता है और फिर फर्म को भी निष्क्रिय छोड़ दिया जाता है। यह मुख्यतः वित्तीय धोखाधड़ी के उद्देश्य से स्थापित की जाती है।
- बिक्री लेन-देन के पश्चात निष्क्रिय शेयरधारक सामान्य तौर पर खरीददार को अपने शेयर स्थानांतरित कर देते हैं और तथाकथित निदेशक या तो त्यागपत्र दे देते हैं या भाग जाते हैं।

पृष्ठभूमि

- शेल कंपनियों के भ्रष्टाचार से व्यापक स्तर पर प्रभावी रूप से निपटने के लिए राजस्व सचिव और कॉर्पोरेट मामलों के सचिव की सह-अध्यक्षता में 2017 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।
- भारत में शेल कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य कानून के तहत परिभाषित नहीं की गयी हैं। हालांकि कुछ कानून धनशोधन जैसी अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से शेल कंपनियों को लक्षित करने के लिए प्रयोग किये जा सकते है, जैसे- बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016; धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 आदि।

अनुशंसाएँ

- टास्क फोर्स ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रमुख मानकों को सूचीबद्ध किया है कि 'क्या किसी कंपनी का निर्माण धन शोधन या विनियामकीय मध्यस्थता का अनुचित लाभ उठाने के लिए किया गया गया है' (चित्र देखें)।

VISION IAS

- टास्क फोर्स ने अनुशंसा की है कि कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of corporate affairs: MCA) को उन कंपनियों के वित्तीय विवरणों की फाइलिंग की जाँच करनी चाहिए जिनका विमुद्रीकरण के पश्चात अघोषित धन के प्रवाह हेतु दुरुपयोग किया गया था।
- इसके अतिरिक्त इसने ऐसी कंपनियों पर निगरानी रखने का सुझाव दिया है-
  - जिनके ऋणों में असामान्य वृद्धि या कमी हुई हो अथवा
  - जिनके 10% से अधिक अशोध्य ऋण (bad debt) को राईट ऑफ कर दिया गया हो और;
  - वे साझेदारी फर्में जिनमें निवेश में 100% या उससे अधिक की वृद्धि हुई हो।

शेल कंपनियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने ऐसी शेल कंपनियों और उनके सहयोगियों के व्यापक **डिजिटल डेटाबेस** तैयार किए हैं जिनकी पहचान विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गयी थी।
- आयकर विभाग द्वारा की गयी **जांच** के पश्चात् 1155 से अधिक शेल कंपनियों को निरुद्ध किया गया। इन्हें 22,000 से अधिक लाभार्थियों ने स्रोत के रूप में प्रयोग किया था।
- विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य **सूचना साझाकरण तंत्र** को क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद (REIC) और केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (CEIB) आदि मंचों के अंतर्गत लागू किया गया है।
- **कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय** ने विभिन्न गैर अनुपालनों के लिए और लंबे समय तक निष्क्रिय रही 2.26 लाख से अधिक कंपनियों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है।
- सरकार ने बजट 2018-19 के माध्यम से **आयकर अधिनियम की धारा 276 CC के अंतर्गत प्रदत्त छूट को हटा दिया है।** यह इस बात का प्रावधान करती है कि यदि कर दाता की देनदारी 3000 रुपये से अधिक है और वह निर्धारित समय में जान-बूझ कर आय कर रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे कारावास और जुर्माने के माध्यम से दण्डित किया जाएगा। लगभग 3 लाख निष्क्रिय कंपनियों द्वारा 'शून्य आय' दिखाकर इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा था।
- **लेखा परीक्षकों से संबंधित मुद्दे:** गैरकानूनी लेन-देन की सुविधा हेतु कथित सहभागिता और ऐसी स्थिति के सामने आने पर कार्यवाही न करने के कारण, लेखा परीक्षकों की भूमिका भी जाँच के दायरे में आती है।
- लेखापरीक्षा फर्मों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति (TERI अध्यक्ष अशोक चावला की अध्यक्षता में गठित) की अनुसंशाओं की जांच MCA द्वारा की जा रही है।

5.3. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR)

(Corporate Social Responsibility)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने S&P BSE 100 सूची में एक तिहाई फर्मों द्वारा CSR के गैर-अनुपालन की पृष्ठभूमि में CSR दायित्वों के संस्थाओं द्वारा अनुपालन पर निगरानी करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित करने का निर्णय किया है।

VISION IAS

सुर्खियों से संबंधित तथ्य

- जिन **CSR गतिविधियों पर व्यय में बढ़ोतरी** देखी गयी है, उनमें शिक्षा को प्रोत्साहन, व्यावसायिक कौशल विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता, लैंगिक समानता, राष्ट्रीय धरोहर, बस्तियों का विकास, सामुदायिक विकास, अवसरंचना, सामाजिक कल्याण तथा सशस्त्र बलों के सेवानिवृत योद्धा, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं और उनके आश्रितों का कल्याण सम्मिलित है।
- जिन गतिविधियों में **CSR व्यय में गिरावट** देखी गयी है, उनमें भूख और निर्धनता उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए योगदान सम्मिलित है।
- महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसी व्यापक कॉर्पोरेट उपस्थिति वाले औद्योगिक राज्य में भारतीय कम्पनियों द्वारा CSR व्यय के उच्चतम प्राप्तकर्ताओं की सूची में सबसे ऊपर हैं। हालाँकि, महाराष्ट्र के बाद दमन दीव और ओडिशा में सबसे अधिक वृद्धि देखी गयी है।

अनिल बैजल समिति की संस्तुतियां

इसका गठन कम्पनियों द्वारा **CSR नीतियों के कार्यान्वयन की बेहतर निगरानी के उपायों का सुझाव** देने के लिए गठित किया था।

प्रमुख संस्तुतियां:

- CSR अधिनियम के पीछे का तर्क वित्तीय संसाधनों को उत्पन्न करना नहीं था अपितु 'सार्वजनिक वस्तुओं' के वितरण में नवोन्मेषी कॉर्पोरेट विचारों और प्रबन्धन कौशल का उपयोग करना है।
- CSR कार्यान्वयन रणनीतियों के लिए दो मॉडल होने चाहिए: जिन कम्पनियों का कॉर्पोरेट व्यय 5 करोड़ रुपयों से अधिक है और वे कम्पनियां जिनका कॉर्पोरेट व्यय 5 करोड़ रुपयों से कम है।
- CSR की निगरानी के लिए किसी अन्य अतिरिक्त तन्त्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोर्ड और CSR समिति स्वयं अपने शेयरधारकों एवं जन सामान्य के प्रति उत्तरदायी हैं।
- CSR गतिविधियों को अपनाने के लिए कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार स्थापित किए जाएंगे – बड़ी और छोटी कम्पनियों की दो श्रेणियों में प्रत्येक के लिए एक पुरस्कार।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के सम्बन्ध में

- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एक प्रबन्धन अवधारणा है, जिसमें कम्पनियां अपने **व्यापार संचालन** एवं उनके हितधारकों के साथ **अन्योन्यक्रिया में सामाजिक और पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं को समेकित करती हैं।**
- कॉर्पोरेट फर्म अपने परिचालन के लिए **कच्चे माल आदि के रूप समाज के मूल्यवान संसाधनों आदि का उपयोग करती हैं,** इसलिए इन फर्मों को **समाज के कल्याण के रूप में कुछ प्रतिफल देना चाहिए।**
- कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 जिसमें कम्पनियों पर **लागू होने वाले CSR प्रावधान सम्मिलित हैं, निम्न पर लागू होते हैं:**
    - 1000 करोड़ रुपयों और उससे अधिक वार्षिक कारोबार वाली कम्पनियां,
    - या 500 करोड़ रूपये और उससे अधिक की निवल संपत्ति वाली कम्पनियां,
    - या पांच करोड़ रूपये और अधिक शुद्ध लाभ वाली कम्पनियां
- यह अधिनियम CSR गतिविधियों पर **विगत तीन वर्षों में कम्पनियों को अपने शुद्ध लाभ का कम से कम 2% व्यय** करने को अधिदेशित करता है।
- अधिनियम की अनुसूची VII में ऐसी गतिविधियों की सूची सम्मिलित है, जिनका फर्मों द्वारा CSR के लिये संचालन किया जा सकता हैं।

एक कम्पनी के लिए सशक्त CSR कार्यक्रम के लाभ:

- समुदायों का विश्वास प्राप्त करना ।
- कर्मचारियों को आकर्षित करना और उन्हें कंपनी में बनाए रखना ।
- कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा और ब्रांड निर्माण में वृद्धि।
- निवेशक आकर्षित होते हैं, क्योंकि निवेश के दौरान वे फर्म की नैतिकता को सम्मिलित करते हैं।
- फर्म की लाभप्रदता में वृद्धि, क्योंकि फर्म का नैतिक आचरण ग्राहकों के निर्णय लेने को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

VISION IAS

वैश्विक सिद्धांत और दिशा-निर्देश

- सोशल एकाउंटबिलिटी इंटरनेशनल (SAI): SA 8000 मानक विश्व का प्रथम लेखा परीक्षण योग्य सामाजिक प्रमाणीकरण मानक है।
- बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए OECD दिशा-निर्देश बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए उत्तरदायी व्यवसाय आचरण के सिद्धांतों और मानकों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। इन दिशा-निर्देशों में सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी कॉर्पोरेट व्यवहार के लिए परिभाषित मानकों को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह निगमों और समुदायों या व्यक्तियों के मध्य व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले विवादों के समाधान की प्रक्रिया भी निर्धारित करता है।
- OECD के CSR नीतिगत उपकरणों का लक्ष्य कंपनियों की वर्तमान CSR गतिविधियों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि विकसित करने, उनके मूल्य का आकलन करने और अन्य नियोजन योग्य CSR गतिविधिया को निर्धारित करने में उनकी सहायता करना है।
- यूनाइटेड नेशन्स (UN) ग्लोबल कॉम्पैक्ट विश्व की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट सिटीजनशिप पहल है। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व के व्यवसायों में संधारणीय और सामाजिक रूप से उत्तरदायी नीतियों को अपनाने पर बल देना है।
- ISO 26000: सामाजिक उत्तरदायित्व ISO द्वारा प्रदान किया गया एक निर्देशात्मक उपकरण है जो संगठनों को सामाजिक उत्तरदायित्व के अर्थ और उसके महत्व को समझने में सक्षम बनाता है।
- भारत में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक उत्तरदायित्वों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों का निर्धारण किया गया है। इनमें नैतिकता और पारदर्शिता, उत्पाद जीवन चक्र संधारणीयता, कर्मचारी कल्याण, हितधारक संलग्नता, मानवाधिकार, संरक्षणात्मक और संधारणीय रीतियों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण का उत्तरदायी संरक्षण एवं उपयोग (एनवायरनमेंटल स्टीवर्डशिप), उत्तरदायी नीति समर्थन, समावेशी विकास और उपभोक्ता कल्याण से संबंधित नौ सिद्धांत शामिल हैं।

CSR से संबंधित कुछ चुनौतियाँ

- **सुदृढ़ नीति का अभाव:** कई फर्में दीर्घकालिक रूप से सुदृढ़ CSR नीति तैयार करने की अक्षमता के कारण CSR संबंधित व्यय को निश्चित दिशा देने में विफल रहती हैं।
- **स्थानीय आवश्यकताओं से अलगाव:** वास्तविक आवश्यकताओं और कम्पनियों द्वारा जिसके लिए धन आंवटित किया जा रहा होता है, उसमें असम्बद्धता देखी जा सकती है। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन और पहचान कर सकने वाले सुव्यवस्थित गैर-सरकारी संगठन उपलब्ध नहीं हैं।
- **कार्यान्वयन की सुगमता के आधार पर संचालित CSR परियोजनाएं:** कई CSR प्रयास पूर्ण रूप से कम्पनी के परिचालन दृष्टिकोण और उनके CSR परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुगमता से संचालित होते हैं।

कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित नौ विभिन्न अनुसूचियों में से दो अनुसूचियां विभिन्न रोगों के उन्मूलन से संबंधित हैं। कुल CSR व्यय का 44% शिक्षा के संवर्द्धन के लिए प्रदान किया गया है। बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए कोई भी धन नहीं दिया गया है और अत्यधिक भुखमरी तथा गरीबी उन्मूलन में कुल CSR व्यय का केवल 6% ही प्राप्त हुआ है।

- **विभिन्न कॉर्पोरेट घरानों द्वारा गतिविधियों का दोहराव,** जिसके कारण सहयोगी दृष्टिकोण के स्थान पर प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण होता है।
- **स्थानीय समुदायों में CSR गतिविधियों की जागरूकता का अभाव:** कम्पनियों की CSR गतिविधियों में भाग लेने और योगदान करने में स्थानीय समुदाय में विश्वास और रूचि की कमी है। वास्तव में, सरकार, NGO, स्थानीय एजेंसियां, समाज के साथ-साथ निजी क्षेत्रक सहित सभी हितधारकों को सम्मिलित होने की आवश्यकता है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस में कमी:** कई CSR गतिविधियाँ शहरी क्षेत्रों और बस्तियों में प्रारम्भ की जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अभावग्रस्त और निर्धन लोग CSR के लाभ से वंचित रहते हैं।
- **भौगौलिक समानता से संबंधित मुद्दे:** कुल CSR व्यय का एक-चौथाई से अधिक भाग पांच राज्यों यथा - महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु पर खर्च किया जाता है। सबसे कम भाग उत्तर पूर्व के राज्य नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और मेघालय (अवरोही क्रम में) को प्राप्त हैं।

VISION IAS

- **अपर्याप्त निगरानी:** एक ऐसी स्वतंत्र एजेंसी की कमी है, जो CSR प्रयासों की निगरानी और प्रमाणीकरण कर सके।
- **अतिरिक्त कॉर्पोरेट कर के रूप में:** CSR कानून को प्रायः 2% अतिरिक्त कर के रूप में देखा जाता है। हालांकि सरकार को देने के स्थान पर इसे फर्मों के द्वारा खर्च किया जाता है। ध्यातव्य है कि वैश्विक औसत 24.09% की तुलना में भारत में कॉर्पोरेट कर दर 34.61% है जो पहले से ही विश्व में सर्वाधिक कर दरों में गिनी जाती है है।

निष्कर्ष

सरकार सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी है। कॉर्पोरेट उन्हें इस भूमिका से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं किन्तु वे इस भूमिका में पूरक अवश्य बन सकते हैं। कॉर्पोरेट एक सार्थक योगदान कर सकते हैं, विशेष रूप में यदि कोई एक ऐसा मंच उपलब्ध हो जो उन्हें समग्र रूप में अपने कौशल, तकनीक और संसाधनों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता हो। कल्याणकारी योजनाओं में राजकोषीय घाटे और लीकेज के बढ़ने के साथ, CSR समाज की समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने में सहायक है।

6. भूमि से संबंधित नीतियां

(Land Related Policies)

परिचय

- भूमि विश्व के अधिकांश लोगों के आर्थिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन का प्रतिनिधित्व करती है। भू-संसाधन को संभालने और उपयोग करने का तरीका लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के साथ-साथ भू-संसाधन की सतत गुणवत्ता के लिए निर्णायक होता है।
- विश्व बैंक के अनुसार, भारत की भूमि का लगभग 60.3 % भाग कृषि भूमि है। हालाँकि, कृषि अर्थव्यवस्था का न्यूनतम उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र का भारत की GDP में केवल 15% का योगदान है और इसमें भारत के श्रमबल का आधे से अधिक भाग संलग्न है। यही कारण है कि भारत का दुर्लभ भू-संसाधन इसका न्यूनतम उत्पादक संसाधन भी है, जो भारत की निर्धनता का मूल कारण है।
- हाल के दिनों में भारत में भूमि संबंधित मुद्दे सर्वाधिक विवादास्पद और जटिल रूप ग्रहण कर चुके हैं। ये मुद्दे विस्थापन बनाम विकास की वर्षों पुरानी बहस से लेकर नवीनतम भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन तक भिन्न-भिन्न समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत में भूमि से संबंधित मुद्दे

- **भूमि संसाधनों की कमी: कृषि जनगणना 2010-11** के अनुसार, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की लघु और सीमान्त जोतें कुल परिचालित जोत का 85% और कुल परिचालित क्षेत्र का 44% हैं। सभी परिचालन वर्गों (लघु, सीमांत, मध्यम और बड़े) के लिए विगत वर्षों में **जोत के औसत आकार** में कमी आयी है और सभी वर्गों के लिए यह 1970-71 में 2.82 हेक्टेयर से घटकर 2010-11 में 1.16 हेक्टेयर रह गया है।
- **परियोजनाओं का अवरुद्ध होना: लैंड डिस्प्यूट एंड स्टॉल्ड इन्वेंस्टमेंट इन इंडिया** की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2000 और अक्टूबर 2016 के मध्य घोषित 40,000 से अधिक परियोजनाओं में से 5,780 या 14% भूमि अधिग्रहण विवादों के कारण अवरुद्ध हो गयी थीं। अर्थव्यवस्था के निवेश चक्र और क्षेत्र की रोजगार सृजन क्षमता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

भारत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे

- **नीति आयोग** ने अपनी **तीन वर्षीय कार्य योजना** में कहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित उच्च क्षतिपूर्ति, वहनीय आवास के लिए भूमि अधिग्रहण को महँगा बनाती है और इस प्रकार उच्च लागत में योगदान करती है।
- **मुकदमों की बढ़ती संख्या:** भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (LARR एक्ट, 2013) के अंतर्गत मुक़दमे बढ़ रहे हैं और उच्चतम न्यायालय ने इन मामलों में से 94.6% में अधिग्रहण को अवैध घोषित कर सम्पूर्ण प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया है।
- **अस्पष्ट भू-स्वामित्व:** वाणिज्य पर स्थायी समिति के अनुसार, भूमि अधिग्रहण और इसके उपयोग हेतु आवश्यक मंजूरियों में विलंब हो रहा है। इस विलंब के विभिन्न कारण हैं जिनमें उपयुक्त भूमि की उपलब्धता और भू स्वामित्व से संबंधित विवाद सम्मिलित हैं। ज़मींदारी प्रणाली की विरासत, कानूनी फ्रेमवर्क में अंतराल और भूमि अभिलेखों के निम्नस्तरीय प्रशासन सहित विभिन्न कारणों के फलस्वरूप भारत में भू स्वामित्व अस्पष्ट है।
- **लोगों के अधिकारों की उपेक्षा:** गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के प्रयोग और अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भूमि के अधिग्रहण (व्यक्तिगत या साझा) के मामले में वन अधिकार अधिनियम (FRA) और **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम** 1996 (PESA) के अप्रभावी प्रवर्तन और क्रियान्वयन ने लोगों की आजीविका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
- **भूमि का सकल निम्न उपयोग:** विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर CAG की रिपोर्ट से पता चलता है कि इन क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा अधिगृहीत कुल भूमि का 53% भाग (31,886 हेक्टेयर) अप्रयुक्त रहता है जिससे **देश में भू संग्रहण (land hoarding) की समस्या उत्पन्न होती** है।

GIS (भौगोलिक सूचना तंत्र) - इनेबल्ड पोर्टल मैप्स भूमि-संबंधी जानकारी

यह पाँच लाख हेक्टेयर भूमि का एक ऑनलाइन डाटाबेस है। यह डाटाबेस वर्ष 2020 तक देश में विनिर्माण केंद्र बनाने के सरकार के उस लक्ष्य को आगे बढाने के लिए तैयार किया गया है जिसके लिए मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहलों को आरम्भ किया गया था।

VISION IAS

GIS-इनेबल्ड डाटाबेस

- इसके माध्यम से, उद्योग, औद्योगिक पार्क या क्लस्टर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित सूचना तक पहुंच प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही इसके द्वारा कृषि और बागवानी फसलों एवं खनिज उत्पादन की क्षेत्रवार उपलब्धता भी प्राप्त की जा सकती है।
- यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी संस्थानों और कुशल एवं अर्द्ध कुशल प्रतिभाओं की उपलब्धता के विषय में विवरण भी प्रदान करेगा।
- यह पोर्टल औद्योगिक क्षेत्र के लिए अत्यंत लाभदायक होगा क्योंकि:
  - यह सूचना विषमता को समाप्त करेगा।
  - विनिर्माण क्षेत्र में औद्योगिक नीति के निर्माण और निवेश में सुधार करेगा।
  - विशिष्ट जॉब प्रोफाइलों में श्रम की नियोजनीयता में सुधार करेगा।

सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (GLIS)

- यह कुल क्षेत्र, जियो-पोजिशनिंग मैप और स्वामित्व अधिकार जैसे विवरणों का रिकॉर्ड रखता है।
- पोर्टल के अनुसार, रेलवे केंद्रीय मंत्रालयों के मध्य सबसे बड़ा भू-स्वामी है। रक्षा मंत्रालय का भी सरकार की भूमि के एक बृहद हिस्से पर स्वामित्व है।

भूमि के सतत उपयोग हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट, 2016:** यह भूमिहीन और सीमांत कृषकों की भूमि तक पहुंच में सुधार हेतु कृषि भूमि को पट्टे पर देने की सुविधा और परमिट प्रदान करने का प्रावधान करता है।
  - यह अधिनियम कृषि भूमि में पट्टे पर कृषि करने वाले कृषकों को मान्यता प्रदान करता है ताकि वे ऋणदाता संस्थानों, बीमा, आपदा राहत और सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य सहायता सेवाओं के माध्यम से ऋण तक पहुंच प्राप्त कर सकें।
  - **स्वामित्व की सुरक्षा:** यह अधिनियम भू-स्वामियों के लिए भू-स्वामित्व के अधिकार को सुनिश्चित करने और पट्टे की सम्मत अवधि के लिए पट्टेदार की काश्तकारी की सुरक्षा हेतु सभी क्षेत्रों में भूमि पट्टे को वैध बनाने की अनुशंसा करता है।
  - इस अधिनियम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के भूमि कानूनों में से **भूमि पर प्रतिकूल कब्ज़े** के प्रावधान को हटाना है, क्योंकि यह प्रावधान भूमि-पट्टा बाज़ार की मुक्त कार्यपद्धति में हस्तक्षेप करता है।
  - यह सम्मत पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद भूमि की भू-स्वामी को स्वतः बहाली का प्रस्ताव करता है। यह पट्टेदारी समाप्त होने के बाद भी पट्टेदार के पास भूमि के किसी भी न्यूनतम क्षेत्र को छोड़े जाने की आवश्यकता निर्धारित नहीं करता।
  - विवादों के मामले में यह **त्वरित मुकदमे की प्रक्रिया** का प्रस्ताव करता है।
  - **भू-स्वामी के अधिकार और उत्तरदायित्व:** भू स्वामी पट्टे के पहले ही दिन कृषक को पट्टे पर ली गई भूमि का स्वामित्व सौंप देगा। भू-स्वामी पट्टे की सम्मत अवधि की समाप्ति पर स्वतः ही भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लेगा। वह पट्टे पर दी गई भूमि का उपयोग विक्रय, उपहार के रूप में देने या गिरवी रखने हेतु कर सकता है। हालांकि, इससे पट्टे की अवधि के अंत तक भूमि पर कृषि करने का कृषक का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। भू-स्वामी भूमि पर सभी करों और उपकरों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
  - **कृषकों के अधिकार और उत्तरदायित्व:** कृषक, जिसे भूमि पट्टे पर दी गई है, इस भूमि के अबाधित कब्जे और उपयोग का अधिकारी होगा। वह केवल कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए भूमि का उपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वह भूमि को गिरवी या उप-पट्टे पर नहीं दे सकता है। वह उस भूमि को गिरवी रखे बिना बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण जुटाने का पात्र होगा। वह इस भूमि पर किए गए किसी भी सुधार या परिवर्तन के लिए भूस्वामी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। उसे पट्टा समझौते में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर भू-स्वामी को भूमि वापस सौंपने का अधिकार भी होगा।

लाभ

- देश में लाखों हेक्टेयर बंजर भूमि का उपयोग किये जाने की क्षमता है।
- यह भूमिहीन निर्धन, लघु और सीमांत कृषकों को बैंक ऋण और बीमा कवर तक पहुंच के माध्यम से आजीविका और संरक्षण का साधन प्रदान करेगा।
- यह बड़े भूस्वामियों को उनके भू स्वामित्व के अधिकार को खोने और गैर-कृषि उद्यमों में निवेश करने के भय के बिना भूमि को पट्टे पर देने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- यह कृषि भूमि के एकत्रीकरण को भी संभव बनाता है जिससे लघु भूखंडों को पट्टे पर दिया जा सकता है, अन्यथा लघु भूखंड आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होते हैं।

VISION IAS

भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013

- यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को प्रतिस्थापित करके भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन का भी प्रावधान करता है।
- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सामाजिक प्रभाव आकलन सर्वेक्षण, अधिग्रहण के आशय का उल्लेख करने वाली प्रारंभिक अधिसूचना, अधिग्रहण की घोषणा और एक निश्चित समय के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान करना शामिल है।
- **क्षतिपूर्ति** ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य के 4 गुने और शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य के 2 गुने तक होनी चाहिए।
- **अधिमूल्यित भूमि मूल्य में हिस्सा:** यदि अधिग्रहित भूमि किसी तीसरे पक्ष को उच्च मूल्य पर विक्रय की जाती है तो अधिमूल्यित भूमि मूल्य (या लाभ) का 40% मूल स्वामियों के साथ साझा किया जाएगा।
- सभी अधिग्रहणों में अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों का **पुनर्वास और पुनर्स्थापन** किया जाना आवश्यक होगा। इसमें निजी कंपनियों द्वारा किया गया भूमि के बृहद भूखंडों का अधिग्रहण भी शामिल होगा।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R) दायित्वों को पूरा किया गया है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर **निगरानी समितियां** स्थापित की जाएंगी।
- **बहु-फसली और कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक:** खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय और मनमाने अधिग्रहण को रोकने हेतु अधिनियम, राज्यों को उन क्षेत्रों के अधिग्रहण पर सीमा आरोपित करने के लिए निर्देश देता है जिन पर वर्तमान में कृषि की जा रही है।
- नए कानून में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु न्यूनतम 70% और निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 80% **अनिवार्य सहमति** प्राप्त करना निर्धारित किया गया है।
- **छूट:** इस अधिनियम के प्रावधान विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962, रेलवे अधिनियम, 1989 सहित 16 मौजूदा कानूनों के अंतर्गत किये जाने वाले अधिग्रहणों पर लागू नहीं होंगे।
- **भूतलक्षी परिचालन:** पूर्वकाल में हुए अन्याय की भरपाई करने के लिए, यह उन मामलों के लिए भूतलक्षी रूप से लागू होता है जिनमें कोई भूमि अधिग्रहण पंचाट (अवार्ड) नहीं बनाया गया था। इसके अतिरिक्त यह उन मामलों में भी लागू होता है जिनमें भूमि पांच वर्ष पूर्व अधिगृहीत की गई थी, परंतु कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी या भूमि के स्वामित्व का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।
- **अप्रयुक्त भूमि की वापसी:** यदि भूमि अधिग्रहण के पश्चात् अप्रयुक्त रह जाती है तो नया विधेयक राज्य को भूस्वामी को या राज्य भूमि बैंक को भूमि वापस करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **जनजातीय समुदायों और अन्य वंचित समूहों हेतु विशेष रक्षोपाय:** ग्राम सभा की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में कोई भूमि अधिगृहीत नहीं की जा सकती है। कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि PESA, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 जैसे कानूनों के तहत गारंटीकृत सभी अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा।

भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

- यह विधेयक सरकार को परियोजनाओं की पांच श्रेणियों को निम्नलिखित अनिवार्यताओं से छूट प्रदान करने में सक्षम बनाता है: (i) सामाजिक प्रभाव आकलन, (ii) बहु-फसली भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिबंध, और (iii) निजी परियोजनाओं एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के लिए अनुमति।
- परियोजनाओं की पांच श्रेणियां हैं: (i) रक्षा, (ii) ग्रामीण अवसंरचना, (iii) वहनीय आवास, (iv) औद्योगिक गलियारे, और (v) PPPs सहित अवसंरचना जहां सरकार भूस्वामी है।

आगे की राह

- **भूमि राज्य सूची का विषय** है। अतः राज्य प्रत्येक हितधारक से परामर्श करके भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विशिष्ट कानूनी सुधार कर सकते हैं।
- **अधिगृहीत भूमि के उपयोग के बारे में विवरण प्रस्तुत करना:** सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के माध्यम से अधिगृहीत की गयी भूमि के उपयोग के बारे में लोगों को जानने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में सरकार सभी संपत्तियों के लिए स्वामित्व, अवस्थिति और अभिप्रेत उपयोग के विवरण प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है। इसके अतिरिक्त नागरिकों को आधिकारिक भूमि उपयोग के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने तथा 'विरोध के अधिकार' के अंतर्गत बेहतर विकल्प सुझाने हेतु आमंत्रित किया जाता है।
- **भूमि संसाधनों और उनके उपयोग प्रतिरूप की व्यापक सूची:** प्रत्येक संपत्ति की अवस्थिति, उसके आयामों, कानूनी स्वामित्व, वर्तमान और योजनाबद्ध उपयोग आदि की सूचना के साथ भूमि संसाधनों और उनके उपयोग प्रतिरूप की एक व्यापक सूची का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि भूमि उपयोग की प्रभावी पहचान को सुनिश्चित किया जा सके।

VISION IAS

- **अधिशेष भूमि का उपयोग:** अधिशेष भूमि का उपयोग जल और अपशिष्ट निपटान, आवास एवं परिवहन परियोजनाओं जैसी सेवाओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए और भविष्य में उपयोग हेतु लक्षित भूमि को एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से उस समय तक के लिए किराए पर दिया जाना चाहिए जब तक इसका लक्षित उपयोग प्रारंभ न हो जाए।
- **राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति को शीघ्र अंतिम रूप प्रदान करना चाहिए।**
- **क्षेत्र की कार्यपद्धति में सुधार हेतु लैंड बैंक, लैंड पूलिंग आदि नवाचारी दृष्टिकोणों को अपनाया जाना चाहिए।**

राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति, 2013 के प्रारूप की विशेषता

- **राष्ट्रीय भूमि उपयोग योजना:** केंद्र सरकार को तहसील, जिलों, क्षेत्रों और राज्यों की सूचना के आधार पर एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग योजना का निर्माण करना होगा।
- **भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना :** राज्य सरकारों को भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने के लिए व्यापक नीतियां विकसित करनी होंगी।
- **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और खानाबदोश समुदायों के लिए भूमि अधिकार:** राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और खानाबदोश समुदायों से संबंधित भूमि के अलगाव/हस्तांतरण से संबंधित मौजूदा कानूनों और नीतियों की समीक्षा करेंगे और अवरोधों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
- **घुमंतू परिवारों के लिए भूमि:** केंद्र सरकार को न्यूनतम भूमि अधिग्रहण अधिनियम को अधिनियमित करना चाहिए जिसके माध्यम से प्रत्येक खानाबदोश परिवार न्यूनतम पांच एकड़ कृषि योग्य भूमि का अधिकारी होगा।
- **महिलाओं के लिए भूमि अधिकार:** महिलाओं की भूमि तक पहुँच में सुधार करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए हैं जिनमें अन्य उपायों साथ ही, होमस्टेड (homestead) भूमि पर पति के साथ संयुक्त स्वामित्व के स्थान पर केवल महिला को स्वामित्व और महिलाओं के समूह को सामूहिक भू-स्वामित्व प्रदान करना भी शामिल हैं।
- **विवाद समाधान:** राज्य सरकार उप जिला स्तर पर एक प्राधिकरण स्थापित करेगी और राज्य स्तर पर भूमि से संबंधित विवाद के समाधान हेतु एक न्यायाधिकरण स्थापित करेगी।
- **भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण:** नीति भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण को सक्षम करने के लिए भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु एक राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों की स्थापना की अनुशंसा करती है।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** सभी राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिकारों की प्राप्ति पर की गई प्रगति की समीक्षा हेतु सभी राज्य सरकारों को राज्य भूमि अधिकार आयोग (SLRC) की स्थापना करना आवश्यक है। प्रशासन के लिए प्रत्येक राज्य अकादमी में एक भूमि सुधार इकाई स्थापित की जानी चाहिए। केंद्र सरकार को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के तहत इस नीति के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करना होगा।

लैंड पूलिंग

- इसे भूमि समायोजन या भूमि पुनर्गठन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक भूमि अधिग्रहण रणनीति है जिसमें भू-खंड के स्वामित्व के निजी अधिकार किसी नियुक्त की गयी एजेंसी को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप इन भू-खण्डों का संचयन (पूलिंग) होता है।
- एजेंसी संचित की गयी भूमि (पूल्ड लैंड) के कुछ भाग का उपयोग अवसंरचना के विकास और विक्रय के लिए करती है, जबकि अवसंरचना विकास के पश्चात् संचित भूमि के नए भूखंडों में मूल भू-स्वामियों को उनकी मूल संपत्ति के किसी निर्धारित अनुपात में अंश हस्तांतरित कर दिए जाते हैं।

लाभ

- **वित्तीय रूप से अनुदार योजना:** एजेंसी को भूमि अधिग्रहण लागत का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। भूमि की बिक्री से कुछ राजस्व प्राप्त होता है, जबकि भू-स्वामियों को विकास गतिविधियों के बाद बढ़े हुए मूल्य की भूमि प्राप्त होने से क्षतिपूर्ति मिल जाती है।
- भूमि के अनियमित आकार और छोटे खंडों को विकासात्मक उपयोग हेतु **अधिक उपयुक्त भूखंडों के रूप में पुनर्निर्मित करना** संभव बनाती है।

VISION IAS

निष्कर्ष

- जनसंख्या घनत्व और आर्थिक विकास दोनों के साथ भूमि की मांग में वृद्धि होती है।अतः, अब इन संघर्षों का समाधान करना और भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों के अधिक प्रभावी और कुशल उपयोग की ओर बढ़ना आवश्यक है।
- एकीकृत भौतिक भूमि उपयोग योजना और प्रबंधन उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक अत्यधिक व्यावहारिक तरीका है। एक एकीकृत तरीके से भूमि के सभी उपयोगों का मूल्यांकन करना, संघर्ष को कम करने और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास जैसे दो वांछनीय किन्तु एक दूसरे के विपरीत उद्देश्यों में संतुलन स्थापित करना संभव बनाता है। इससे सतत विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। एकीकृत दृष्टिकोण का सार भूमि उपयोग और भूमि संसाधनों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित क्षेत्रीय योजनाओं और प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय में अभिव्यक्त होता है।
- भूमि संसाधनों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है जो एक दूसरे को परस्पर प्रभावित कर सकते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अतः, एकीकृत रूप से सभी उपयोगों की योजना बनाना और प्रबंधित करना वांछनीय है।

6.1. औद्योगिक आवंटन के लिए भूमि बैंक

(Land Bank for Industrial Allocation)

परिचय

- भूमि बैंक एक प्रकार का *लैंड पूल* है जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को निवेशकों को भूमि देने के लिए अनुमति प्रदान करती है।
- इसकी परिकल्पना नियामक प्रक्रिया को समाप्त करने और भूमि अधिग्रहण संबंधी किसी भी विवाद से बचने के लिए की गयी है।

CONFLICT	DISTRICT	STATE	FAMILIES AFFECTED	AREA AFFECTED (hectares)
Odisha Govt. has put forest land in their land bank which earlier belonged to the POSCO Project	Jagatsinghpur	Odisha	700	1200
Chatisgarh govt. has locked away a chunk of land which was acquired from people to build a steel plant	Bastar	Chattisgarh	2000	1700
Jharkhand govt. has sealed a chunk of forest land-where a firing range of India army was proposed - in their land bank	Latehar	Jharkhand	50000	32
Jharkhand govt. has earmarked gram sabha's common land in their land bank. This land was a part of Koel-karo dam project, which could not come up due to people's protest	Khunti	Jharkhand	100	61

भूमि बैंक का महत्व

- ***ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस* में सुधार:** राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और इन स्थानों पर सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
- **निवेश आकर्षित करना:** भूमि बैंक का सृजन विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (FDI/स्थानीय निवेश) को आकर्षित करने में सहायता करेगा तथा साथ ही इसमें रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने की क्षमता है।
- **किसानों को जल्दीबाजी में भूमि बेचने से सुरक्षित करना:** इसके कारण किसान अब आवश्यकता पड़ने पर सरकार को अपनी भूमि बेच सकते हैं, फलतः अब जबरन भूमि अधिग्रहण भी नहीं किया जायेगा।

भूमि बैंक और भारत में इसके संदर्भ में पृथक कानून

- **वन संरक्षण अधिनियम, 1980:** इसके अंतर्गत, सरकार को गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से वन 'अनुमति' या अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। हालांकि, अधिनियम के अंतर्गत 'भूमि बैंक' के लिए वन विभाग की अनुमति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- **वन अधिकार अधिनियम, 2006:** इसके अंतर्गत सरकार वन में अनेक पीढ़ियों से रहने वाले या वनों पर निर्भर लोगों के भूमि और वन अधिकारों को मान्यता दिए बिना वन भूमि के उपयोग में परिवर्तन नहीं कर सकती।
- **PESA [पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम]:** यह अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम परिषदों को उनके क्षेत्रों में प्रस्तावित सरकारी कार्यक्रमों को स्वीकृति देने, अस्वीकार करने या परिवर्तित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापन अधिनियम (LARRA) 2013:** इसके अंतर्गत, यदि इस कानून के तहत अधिग्रहीत भूमि पाँच वर्ष से अधिक समय तक अप्रयुक्त रहती है तो राज्य सरकार इसे भूमि बैंक में शामिल कर सकती है या इसे उन लोगों को वापस कर सकती है, जिनसे इस भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

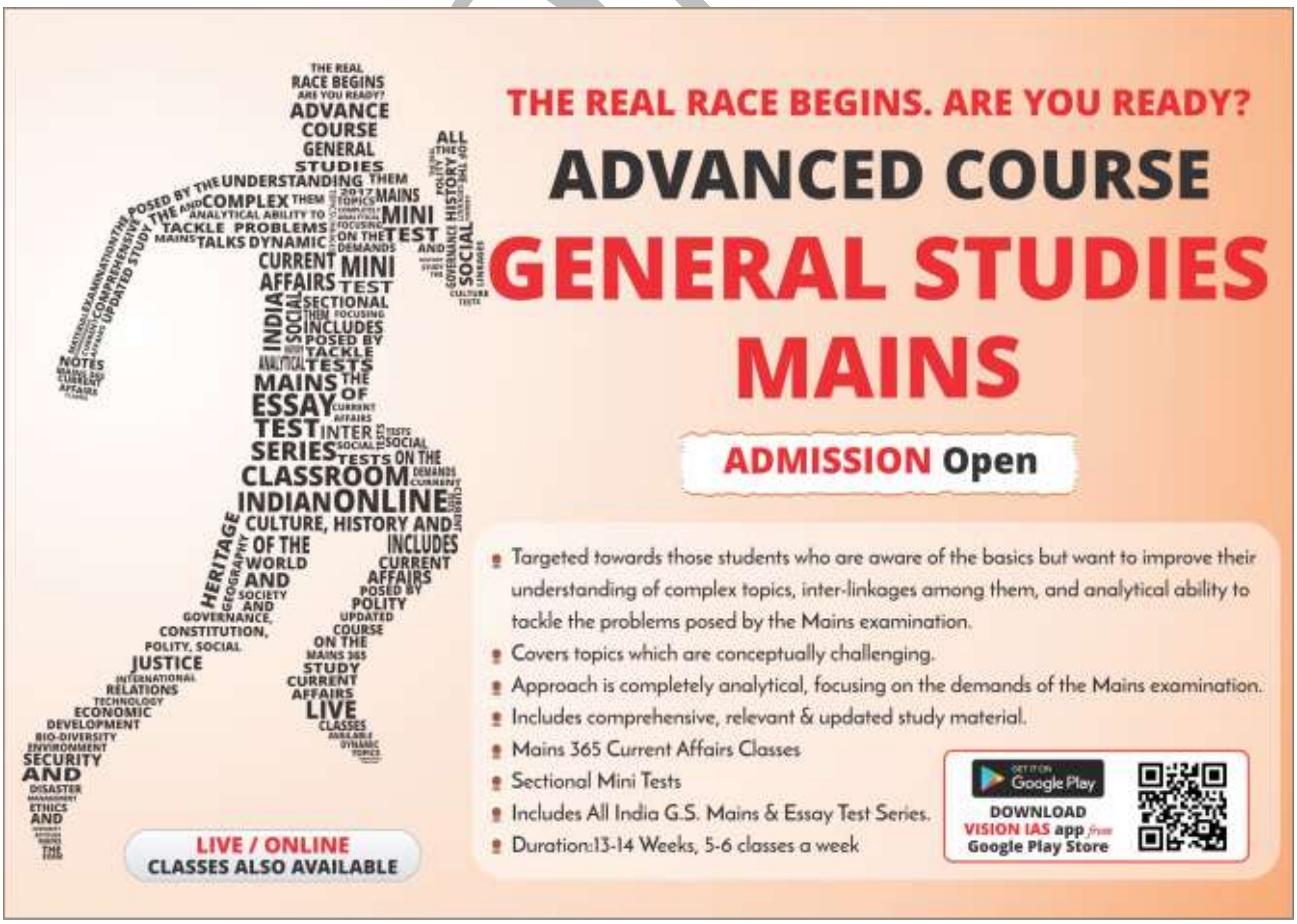

7. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

(Agriculture And Allied Sector)

परिचय

कृषि (जिसके अंतर्गत पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन भी सम्मिलित हैं) भारत की पोषण आवश्यकताओं का केंद्र है और रोजगार के स्रोत के रूप में **भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सकल घरेलू उत्पाद में** इसका योगदान **18%** है।

- श्रम और रोजगार मंत्रालय के पांचवें वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार, 2014-15 में **भारत के कुल श्रमबल का 45.7% कृषि कार्य में** संलग्न था।
- 2011 से **भारत के कृषि उत्पादन में प्रतिवर्ष लगभग 3.6%** की वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त उर्वरकों और बीजों के साथ-साथ बेहतर सिंचाई और ऋण सुविधाओं जैसी आगतों तक पहुंच में निरंतर सुधार हुआ है।
- इस क्षेत्र में **अनाज** से लेकर दालों, फल, सब्जियों और पशुधन उत्पादों **तक विविधता बढ़** रही है, जो मुख्य रूप से जनसांख्यिकीय विकास, बढ़ते नगरीकरण और परिवर्तित होते मांग प्रारूप से प्रेरित है।
- वित्त वर्ष 2018 में कृषि, वानिकी और मत्स्यन का सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) 17.67 ट्रिलियन रुपये (274.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर) होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें वित्त वर्ष 2012 से 2018 के मध्य 2.75% की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की गई।
- भारत का कुल कृषि निर्यात वित्त वर्ष 2010 में 16.45% की CAGR से बढ़कर वित्त वर्ष 2018 में 38.21 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। **भारत विश्व में कृषि उत्पादों के 15 प्रमुख निर्यातक देशों** में से एक है।
- भारत **विश्व में दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश** है तथा यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मवेशी समूह (भैंस) पाया जाता है। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर भारत में ही सर्वाधिक क्षेत्रफल में गेहूं, चावल और कपास की कृषि की जाती है।
- भारत चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, फार्म फिश, भेड़ एवं बकरी के मांस, फल, सब्जियों तथा चाय का **दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।**
- हालांकि, भारतीय कृषि को विखंडित जोत भूमि, भौम जल के घटते स्तर, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ती इनपुट लागत और कम उत्पादकता के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। **भारतीय कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:**

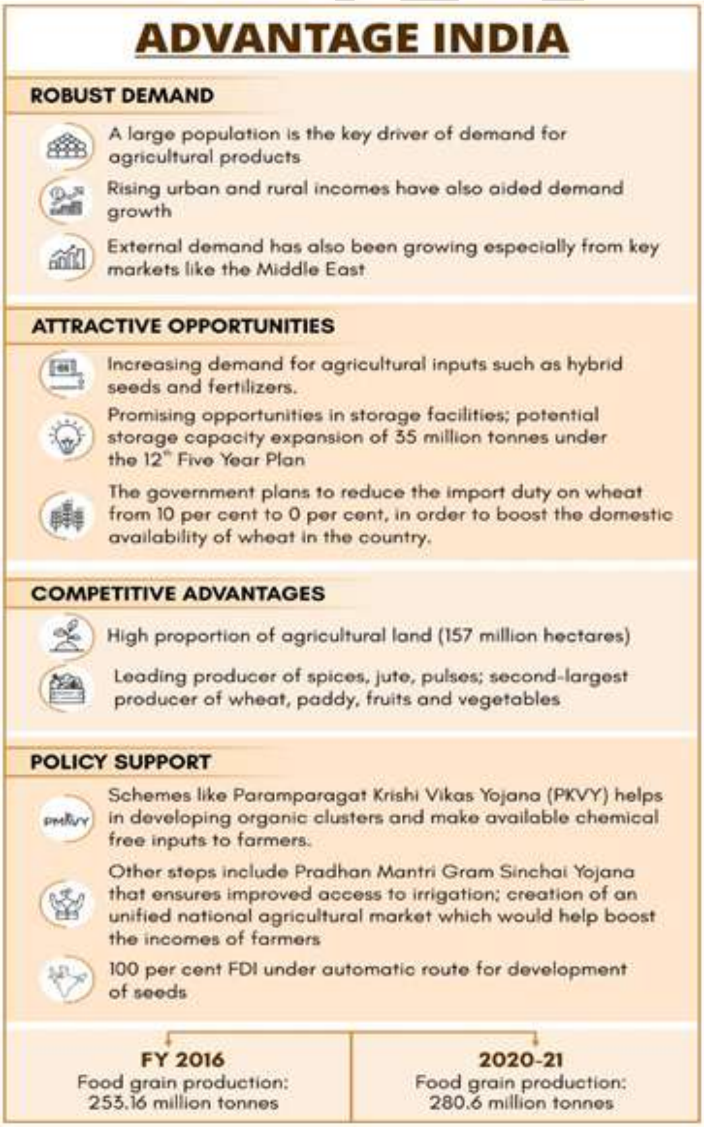

  - **निम्न कृषि उत्पादकता:** कृषि मंत्रालय के अनुसार, अमेरिका, यूरोप और चीन की तुलना में भारत की फसल पैदावार कम है (इन्फोग्राफिक 2 देखें)।
  - **नीतिगत मुद्दे:** कृषि, जल, व्यापार और वित्त जैसे अंतर्संबंधित मुद्दों पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य एक समन्वयकारी नीति का पूर्णत: अभाव रहा है।

- कृषि विपणन: प्रभावी विपणन सुविधाओं के अभाव के कारण किसानों को अपनी कृषि उपज की बिक्री हेतु स्थानीय व्यापारियों एवं बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो किसानों को उनकी उपज के लिए अत्यंत कम कीमत देते हैं। कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) अधिनियम ने व्यापारियों के कार्टेलिजेशन (व्यवसायी समूहन) को भी अनुमति प्रदान की है जिसके कारण फार्म-गेट कीमतों में वृद्धि नहीं होती।
- **इनपुट सम्बन्धी चुनौतियां:** अशोक दलवाई समिति की रिपोर्ट के अनुसार, इनपुट लागत में वृद्धि के कारण पिछले कुछ वर्षों में फसल आय में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की उत्पादकता और क्रय शक्ति में कमी आई है। नीचे विभिन्न इनपुट कारकों पर चर्चा की गई है:
  - **हरित क्रांति की द्वितीय पीढ़ी की समस्याएं:** उर्वरक, भूजल आदि जैसी हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग ने प्राकृतिक संसाधनों (मृदा, जल, जैव विविधता) को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसके परिणामस्वरूप कृषि की दीर्घकालीन संवहनीयता चुनौतीपूर्ण बन गयी है।
  - **मृदा स्वास्थ्य:** भारत का भू-क्षेत्र कुल वैश्विक भू-भाग का लगभग 2.5% है और यह वैश्विक पशुधन के 20% के साथ कुल मानव जनसंख्या के 16% से अधिक भाग को आश्रय प्रदान करता है। यह उत्पादकता पर दबाव बढ़ाता है जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों के दौरान मृदा की उर्वरता में लगातार गिरावट आई है।
  - **बीज:** बीज,सभी कृषि एवं बागवानी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु एक महत्वपूर्ण इनपुट है तथा किसानों की आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हालांकि बीज की खराब गुणवत्ता, **निम्न बीज प्रतिस्थापन दर** (एक माप जो यह दर्शाती है कि समस्त बोए गए क्षेत्र में पिछली फसलों के बचा कर रखे गए बीजों की तुलना में कुल कितने क्षेत्र में प्रमाणित बीज बोए गए थे) **और खेत में उगाए जाने वाले बीज के अवैज्ञानिक उपयोग से कृषि उत्पादन से कम प्रतिफल प्राप्त होता है।**
  - **मशीनीकरण की कमी:** विश्व बैंक के अनुसार कुल कार्य बल में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 2001 के 58.2% से घटकर 2050 तक 25.7% हो जाएगा। इस प्रकार, लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु देश में कृषि मशीनीकरण के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - **कीट और रोग** फसल पैदावार एवं उत्पादन को प्रभावित करते हैं। भारत में, खरपतवार, कीट, रोगों एवं कृंतकों की उपस्थिति के कारण किसानों की फसल उपज के 15 से 25% तक की हानि होती है।
  - **साख की कमी :** 2013-14 और 2016-17 के मध्य कृषि में वास्तविक निवेश प्रतिवर्ष 2.3% की दर से घटा है, जिससे कृषि अवसंरचना की स्थिति निरंतर खराब हुई है तथा साथ ही ऋण के लिए गैर-संस्थागत स्रोतों पर किसानों की निर्भरता बढ़ी है (लगभग 40% ऋण अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त किया गया और उसमें से 26% साहूकारों द्वारा दिया गया)।
- **अकुशल MSP संरचना: शांता कुमार समिति** के अनुसार, केवल 6% किसानों को ही MSP का लाभ प्राप्त होता है; शेष 94% किसान बाजारों पर निर्भर हैं।
- **वैकल्पिक रोजगार अवसरों की कमी कृषि पर दबाव बढ़ाती है:** 'परिस्थिति आकलन सर्वेक्षण' के अनुसार, वैकल्पिक अवसर उपलब्ध होने पर 40% से अधिक किसान कृषि कार्य को छोड़ना चाहते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** सूखा, बाढ़, तापमान में उतार-चढ़ाव, अनियमित वर्षा और ओला-वृष्टि की उच्च बारंबारता वस्तुतः मृदा अपरदन, कीटों के आक्रमण, फसल की विफलता इत्यादि के माध्यम से कृषि उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है।
- **कृषि सम्बन्धी शिक्षा की निम्न स्थिति:** राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) में सेवानिवृत्त शिक्षकों के रिक्त स्थानों पर नयी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 51% शिक्षकों के पास उसी विश्वविद्यालय की डिग्री होती है जिसमें वे पढ़ा रहे हैं। यह कारक अकादमिक और शोध कार्यक्रमों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
- **मूल्य श्रृंखला के साथ सक्षमकारी अवसंरचना की कमी**, जैसे- कृषि बाजारों, शीत भंडारगृहों, गोदामों आदि का अभाव। इसके अतिरिक्त, बढ़ते कृषि उत्पादन के साथ कृषि प्रसंस्करण का समान गति से विकास नहीं हुआ, जिससे खाद्यान्न की बर्बादी, किसानों को अत्यंत कम मूल्य की प्राप्ति, कृषि उत्पादों की मजबूरन बिक्री आदि समस्याएँ उत्पन्न हुईं हैं।
  - **अपर्याप्त परिवहन:** परिवहन के सस्ते और कुशल साधनों की कमी के कारण लाखों गांव बेहतर तरीके से बाजार केंद्रों से नहीं जुड़ पाते हैं।
- **अनुसंधान और विकास में कम निवेश:** भारत में अनुसंधान कार्य पर कृषि GDP का 1% से भी कम व्यय किया जाता है। यह क्षेत्र देश की लगभग 50% जनसंख्या को आजीविका प्रदान करने के साथ ही देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान पर किया जाने वाला अत्यंत निम्न व्यय चिंताजनक है।

VISION IAS

- **बाजार की निष्क्रियता:** घरेलू और वैश्विक, दोनों बाजारों में कीमतों में तीव्र गिरावट, अतिरिक्त आपूर्ति के बावजूद दालों जैसे कुछ खाद्य पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार की हस्तक्षेपकारी नीतियां, वायदा कारोबार पर प्रतिबंध एवं स्टॉकहोल्डिंग संबंधी सीमाओं का आरोपण तथा ऐसे ही कई अन्य कारक भरपूर फसल उत्पादन के बावजूद किसानों के असंतोष को बढ़ा रहे हैं।
- **कृषि सम्बन्धी NPA's:** भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में NPA's 2016 के 48,800 करोड़ रुपये से 23% बढ़कर 2017 में 60,200 करोड़ रुपये हो गया है। जिसके निम्नलिखित कारण हैं-
    - **मानसून पर निर्भरता -** 2014 और 2015 में लगातार सूखे के कारण फसल को नुकसान हुआ है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है।
    - **ग्रामीण संकट में वृद्धि -** हाल के सरकारी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि ग्रामीण मजदूरी में गिरावट आई है तथा कीमतों में उतार-चढ़ाव और फसल बुवाई क्षेत्र में भी गिरावट आई है। जुलाई और अक्टूबर के मध्य औसत अखिल-भारतीय वार्षिक ग्रामीण मजदूरी की वृद्धि दर 6.8% से घटकर 4.9% हो गई और गैर-कृषि व्यवसायों की तुलना में कृषि मजदूरी में तीव्र गिरावट हुई है।
    - **कृषि ऋण माफ़ी के नैतिक खतरे -** ऋण माफ़ी की आशा किसानों को ऋण न चुकाने (डिफॉल्ट) के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त एक राज्य के किसानों के ऋण माफ़ किए जाने पर अन्य राज्यों के किसान भी ऋण माफ़ करने की मांग करने लगते हैं।

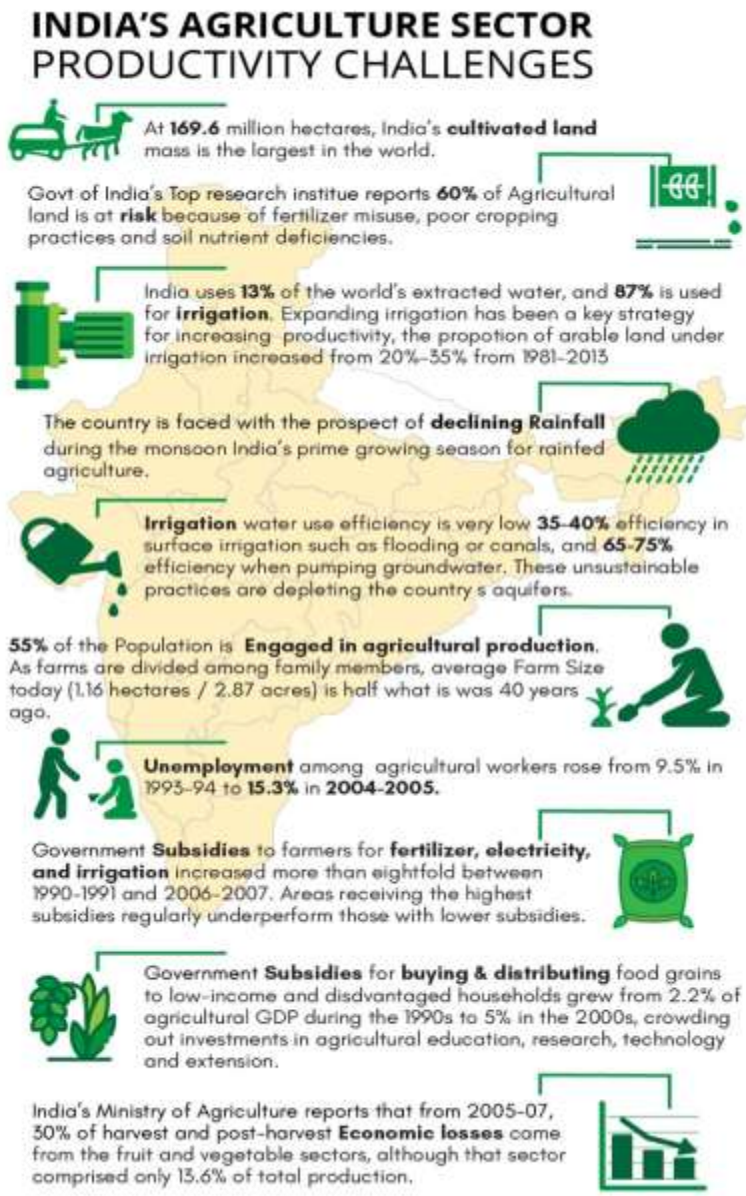

    - **कृषि ऋण की राशि का गैर-कृषि प्रयोजनों में उपयोग -** कृषक, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे चैनलों के माध्यम से ऋण प्राप्त करते हैं और उपभोग सहित अन्य गैर-कृषि गतिविधियों के लिए इस ऋण का उपयोग करते हैं।

क्या कृषि ऋण माफ़ी कृषि NPAs के समाधान हेतु व्यवहार्य विकल्प है?

अर्थशास्त्री कृषि ऋण माफ़ी को बैड इकोनॉमिक्स एवं एक जनवादी उपाय के रूप में देखते हैं। 1990 में पहली बार भारत में इसका उपयोग किया गया था और 2009 -10 के सूखे के बाद हाल ही में इसे दुबारा लागू किया गया।

- यह कृषि ऋण माफ़ी, ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ-साथ राज्यों की वित्तीय बैलेंस शीट पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
- यह ऋण अनुशासन को प्रभावित करती है और भविष्य में उधारकर्ताओं को ऋण वापसी हेतु हतोत्साहित करने के रूप में एक नैतिक खतरा उत्पन्न करती है।
- यह क्रेडिट के प्रवाह को भी प्रभावित कर सकती है क्योंकि बैंक उन क्षेत्रों में ऋण देने के इच्छुक नहीं होते जिनमें ऋण माफ़ी जैसी योजनाओं से प्रभावित होने की संभावना अधिक हो।
- इससे सरकारी उधारी बढ़ती है तथा सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न प्रभावित होता है। इसके परिणामस्वरूप निजी उधारकर्ताओं के लिए 'क्राउडिंग आउट' की समस्या उत्पन्न हो सकती है क्योंकि उच्च सरकारी उधारी अन्य अभिकर्ताओं के लिए ऋण की लागत में वृद्धि करती है।

कृषि संकट से निपटने हेतु सुझाव

हाल ही में कृषि मंत्रालय ने एक ब्लूप्रिंट जारी किया है, जिसमें 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 7-सूत्रीय रणनीति प्रस्तुत की गई है।

- **सिंचाई दक्षता में सुधार कर उत्पादन में वृद्धि-** इस दिशा में निम्नलिखित उपायों के माध्यम से प्रयास किया जाएगा:
  - सिंचाई बजट में वृद्धि (मध्य प्रदेश ने सिंचाई में पर्याप्त निवेश के माध्यम से 2004-2015 के दौरान 3.6% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 9.7% की कृषि वृद्धि दर हासिल की है)।
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कार्यान्वित करना।
  - लंबित मध्यम और वृहत सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाना।
  - वाटरशेड डेवलपमेंट तथा जल संचयन एवं प्रबंधन परियोजनाओं को गति देना।
- **इनपुट लागत का प्रभावी उपयोग -** सरकार ने विभिन्न इनपुट्स के लिए अलग-अलग कदम उठाए हैं-
  - **मृदा-** मृदा के पोषक तत्वों के संदर्भ में किसानों को सूचना प्रदान करने हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आरंभ की गयी है।
  - **उर्वरक -** मृदा की पोषक स्थिति के बारे में सूचना प्रदान कर उर्वरकों के उपयोग को तर्कसंगत बनाना, यूरिया के अवैध उपयोग को रोकना और साथ ही नीम लेपित यूरिया योजना के माध्यम से पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना।
  - **बीज -** वहनीय कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाले बीज प्रदान करना।
  - **जागरूकता -** ऑनलाइन और दूरसंचार माध्यमों, जैसे- किसान कॉल सेंटर और किसान सुविधा ऐप के द्वारा किसानों को समय पर सूचना और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना।
  - **बेहतर योजना निर्माण -** कृषि के संबंध में बेहतर योजना निर्माण के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना, जैसे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग जो फसल उत्पादन के पूर्वानुमान, कृषि भूमि के उपयोग का मानचित्रण, सूखे के सम्बन्ध में भविष्यवाणी के माध्यम बेहतर योजना निर्माण में सहायता करती है। रबी फसलों के लिए धान की परती भूमियों का उपयोग।
  - जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना, इससे संबंधित उत्पाद ऊँची कीमतों पर बिकते हैं जबकि इसकी इनपुट लागत कम होती है।
- **फसल कटाई के पश्चात होने वाली क्षति में कमी**
  - **भंडारण सुविधाएं -** सरकार किसानों को गोदामों का उपयोग करने और इसके माध्यम से मजबूरन कम कीमत पर उपज की बिक्री से बचने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके अतिरिक्त, नेगोशियेबल वेयरहाउस रिसीट्स पर दिए जाने वाले ऋणों के संदर्भ में ब्याज अनुदान लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत कोल्ड चेन।
- **मूल्यसंवर्द्धन**
  - **प्रसंस्करण के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना -** प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के अग्र एवं पश्च संयोजनों (फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज) पर कार्य कर खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं को विकसित किया जाएगा । इस योजना का मुख्य उद्देश्य 20 लाख किसानों को लाभ पहुंचाना और लगभग 5 लाख रोजगार अवसरों का सृजन करना है।
- **कृषि विपणन में सुधार**
  - **ई-NAM के माध्यम से बाजारों को एकीकृत करना-** 455 मंडियों को इस प्लेटफार्म से जोड़ा गया है।
  - **मॉडल कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) अधिनियम** पर कार्य किया जा रहा है जिसमें निजी बाजार स्थल और प्रत्यक्ष विपणन भी शामिल हैं।
  - **अनुबंध कृषि-** सरकार ने अनुबंध कृषि को बढ़ावा देने के लिए मॉडल अधिनियम प्रस्तुत किया है।
- **जोखिम, सुरक्षा और सहायता**
  - **बीमा-** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम दर तय करने; खड़ी फसलों को कवर करने के साथ-साथ फसल बुवाई के पूर्व से लेकर फसल कटाई के बाद तक होने वाली क्षतियों को कवर करने; 25% दावों के ऑनलाइन निपटारे; स्मार्टफोनों, सैटेलाइट चित्रों और ड्रोन सुविधाओं जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके फसल नुकसान के तीव्र आकलन; मुआवजे की राशि में 1.5 गुना वृद्धि तथा कम से कम 33% फसल के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में मुआवजे जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से संभावित जोखिम को कम करती है।
- **संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देना -** इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-
  - **एकीकृत कृषि प्रणाली** जो कृषि के साथ बागवानी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन पर केंद्रित है। यह योजना न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगी बल्कि यह सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का न्यूनीकरण भी करेगी।
  - **नीली क्रांति:** इसमें मत्स्यपालन के एकीकृत विकास एवं प्रबंधन के तहत राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड (NFDB) द्वारा आरंभ की गई अंतर्देशीय मत्स्यपालन, एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अंतर्गत गहरे सागर में मत्स्यन (डीप सी फिशिंग) योजना भी प्रारंभ की गई है।

VISION IAS

- **कृषि-वानिकी पर उप-मिशन:** इसका उद्देश्य अंतर-शस्यन (inter-cropping) को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत, "मेड़ पर पेड़" अभियान भी शामिल किया गया है।
- **रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट:** इस योजना में पोल्ट्री किसानों को पूरक आय और पोषण सहायता प्रदान करना तथा भेड़, बकरी, सुअर और बतख आदि के पालन के माध्यम से आय बढ़ाने के अवसरों के बारे में किसानों को संवेदनशील बनाना शामिल है।

'स्ट्रक्चरल रिफार्म एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क' नामक रिपोर्ट में अशोक दलवई समिति की प्रमुख अनुशंसाएं

- **संस्थागत व्यवस्था में सुधार/केंद्रीय कृषि मंत्रालय का जीर्णोधार करने की आवश्यकता:** इस सन्दर्भ में की गयी अनुशंसाएं-
  - कृषि-रसद, पूंजी निर्माण हेतु निवेश, प्राथमिक प्रसंस्करण इत्यादि जैसे नए पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मंत्रालय के कुछ विभागों को पुनर्गठित करना।
  - जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की समितियों के माध्यम से एक त्रि-स्तरीय योजना और समीक्षा तंत्र की स्थापना।
  - किसानों की आय को दोगुना करने हेतु नीतिगत फ्रेमवर्क, व्यापार नीति की समीक्षा, बजट के अंतर्गत किये आवंटन और कृषकों के कल्याण की स्थिति की समीक्षा करने हेतु राष्ट्रीय स्तर की नीति एवं नियोजन समिति की स्थापना।
- किसानों, काश्तकारों और बंटाईदारों को शामिल करने के लिए **'कृषक' की परिभाषा को उदार बनाना** तथा किसान की पहचान हेतु एक ऑनलाइन एवं वार्षिक प्रमाणीकृत डेटाबेस विकसित करना एवं सरकार की कृषि संबंधी समर्थन-प्रणाली के लाभों को प्राप्त करने के लिए उसे पात्रता प्रदान करना।
- मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 के माध्यम से लैंड पूलिंग को बढ़ावा देने, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का मसौदा तैयार करने, किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करने और भूमि अभिलेखों के व्यापक डिजिटलीकरण के माध्यम से **भूमि सुधार को प्रोत्साहित करना।**
- **उत्पादन जोखिम और बाजार अस्थिरता को कम करना:** बाजार सम्बन्धी आसूचना के विषय में दायित्व ग्रहण करने तथा कीमत व मांग के पूर्वानुमान के लिए **विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय** के पुनर्गठन, अत्यधिक संवेदनशील जिलों की सूखे से सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था, किसानों की फसल कटाई पश्चात् प्रबंधन क्षमता में सुधार तथा अनुमानों और संसाधन उपयोग दक्षता में सुधार हेतु प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से उत्पादन जोखिम और बाजार अस्थिरता को कम करना।
- **व्यापार व्यवस्था में सुधार -** इसे पूर्व-निर्धारित ट्रिगर्स (triggers) के अनुसार आयात में समायोजन करके मूल्य में उतार-चढ़ाव को दुरुस्त करके तथा कृषि की वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय मांग तक स्थिर पहुंच को प्रोत्साहन देने हेतु निर्यात को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जाना।
- **कृषि नीतियों को उदार एवं सरल बनाना,** जैसे- किसानों द्वारा उचित गुणवत्ता और उचित लागत पर इनपुट के चयन के अधिक विकल्प सुनिश्चित करना, बीज श्रृंखला को उदार बनाना, उर्वरक क्षेत्र की नीतियों का पुनरीक्षण करना, कीटनाशकों के नियमों को तर्कसंगत बनाना। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों को आमंत्रित करना और कृषि बाजार संरचना के आधुनिकीकरण के लिए उत्पादन बाजार परिवेश को उदार बनाना तथा मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, 2017 का अधिनियमन करना।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में निवेश और उद्यमों के लिए एक समर्पित विभाग की स्थापना के माध्यम से **अवसंरचनात्मक बाधाओं को समाप्त करना।**
- **जलवायु परिवर्तन का समाधान करना:** सुदृढ़ निगरानी, प्रतिकूल प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु प्रौद्योगिकी का प्रसार करके, कार्यप्रणाली और प्रवृत्ति में संभावित बदलावों के लिए किसानों को तैयार करके तथा फसल प्रणाली, फसल चयन और पशुधन देखभाल में परिवर्तन लाकर जलवायु परिवर्तन से निपटना।
- कृषि विकास हेतु ग्राम पंचायत को उत्तरदायी बनाकर **जमीनी स्तर की सहभागिता में सुधार करना** तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम-स्तरीय कार्य योजना तैयार करना।
- कृषि आय को मापने, वास्तविक समय में प्रदर्शन की निगरानी करने और कृषि-वस्तुओं की श्रृंखला के लिए मांग और कीमत का पूर्वानुमान करने में सहायता **हेतु समर्थन उपकरणों में सुधार करना।** इनका उपयोग वार्षिक ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस सर्वेक्षण तैयार के लिए भी किया जा सकता है।

अशोक दलवई समिति के अन्य सुझाव

- किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों से 6.39 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आवश्यक है।
- पूर्वी क्षेत्र के कम विकसित राज्यों (जो निजी निवेश में अत्यधिक पिछड़े राज्य हैं) में वित्तीय एवं अन्य अवसंरचनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

- वृहद पैमाने पर संस्थागत ऋण को बढ़ाना, क्योंकि वर्तमान में यह किसानों की केवल 50-60% निवेश आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।
- कृषि के संबंध में पिछड़े राज्यों में कृषि अनुसंधान एवं विकास, सिंचाई, ऊर्जा और शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आय के संदर्भ में निम्न प्रतिफल इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक है।
- "मांग-संचालित फोर्क-टू-फार्म दृष्टिकोण" पर ध्यान केंद्रित करना, उच्च मूल्य वाली फसलों की दिशा में विविधीकरण आदि।
- कृषि निर्यात को 2022-23 तक 100 अरब डॉलर तक ले जाने के उद्देश्य से अनाज एवं मांस के अतिरिक्त अन्य उत्पादों के निर्यात पर भी ध्यान केन्द्रित करना। वर्तमान में हमारे निर्यात में अनाज एवं मांस की एक बड़ी हिस्सेदारी है।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने कृषि क्षेत्र में 'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे अर्थात् 2017-18 से 2019-20 की अवधि तक जारी रखने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

कृषोन्नति योजना के बारे में विवरण

- इस योजना को 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के इसके उद्देश्य के एक भाग के रूप में जारी रखा गया है।
- यह अम्ब्रेला योजना कृषि मंत्रालय के अंतर्गत 11 योजनाओं/मिशनों को व्यापक रूप से समाहित करती है:
  - **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH):** कृषि परिवारों की पोषण सुरक्षा और आय सहायता में सुधार करने हेतु ।
  - तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन (NMOOP) सहित **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM):** इसका उदेश्य चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना तथा वनस्पति तेलों के आयात को कम करने के लिए इनकी उपलब्धता में वृद्धि करना है।
  - **सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA):** इसका उद्देश्य विशेष कृषि पारिस्थितिकी में एकीकृत कृषि, उचित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी के समन्वय से सतत कृषि को प्रोत्साहित करना है।
  - **कृषि विस्तार पर उप मिशन (SMAE):** इसका उद्देश्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि की वर्तमान में जारी विस्तार व्यवस्था को मजबूत बनाना, खाद्य और आहार सुरक्षा हासिल करना तथा किसानों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करना है; ताकि कार्यक्रम नियोजन और क्रियान्वयन व्यवस्था संस्थागत बनाई जा सके, विभिन्न हितधारकों के बीच कारगर संपर्क कायम किया जा सके, मानव संसाधन विकास को समर्थन दिया जा सके तथा इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया, अंतर व्यक्तिगत संचार और आईसीटी उपायों को नवाचारी बनाया जा सके।
  - **बीज तथा पौध रोपण सामग्री पर उप मिशन (SMSP):** इसका उद्देश्य प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन बढ़ाना, बीज प्रतिस्थापन दर (SRR) में वृद्धि करना, बीज उत्पादन में नई तकनीकों एवं अवसंरचना को बढ़ावा देना आदि है।
  - **कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन (SMAM):** इसका उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच में वृद्धि करना, 'कस्टम हायरिंग सेंटरों' को प्रोत्साहित करना, उच्च तकनीक और उच्च महत्त्व के कृषि उपकरणों के लिए हबों का निर्माण, प्रदर्शन और क्षमता सृजन गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों में जागरूकता कायम करना और देशभर में स्थापित निर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना है।
  - **पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव पर उपमिशन (Sub Mission on Plant Protection and Plan Quarantine :SMPPQ):** इसका उद्देश्य कीड़े-मकोड़ों, बीमारियों, खरपतवारों, कृन्तकों और निमेटोड आदि से कृषि फसलों तथा उनकी गुणवत्ता को होने वाले नुकसान को कम करना है। इसका उद्देश्य विदेशी प्रजातियों के आक्रमण से कृषि की जैव-सुरक्षा करना, विश्व बाजार में भारतीय कृषि सामग्रियों के निर्यात में सहायता करना और संरक्षण रणनीतियों के साथ श्रेष्ठ कृषि व्यवहारों को प्रोत्साहित करना है।
  - **कृषि गणना, अर्थव्यवस्थाओं तथा सांख्यिकी पर एकीकृत योजना (ISACES)**: इसका उद्देश्य कृषि गणना करना, प्रमुख फसलों की उपज लागत का अध्ययन करना, देश की कृषि-आि्थक समस्याओं पर शोध अध्ययन करना, कृषि सांख्यिकी कार्य-प्रणाली में सुधार करना और फसल रोपण से लेकर फसल की कटाई तक की स्थिति के बारे में अनुक्रमिक सूचना प्रणाली का निर्माण करना है।
  - **कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (ISAC):** इसका उद्देश्य सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा कृषि विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, कम्प्यूटरीकरण और कमजोर वर्गों के लिए कार्यक्रमों में सहकारी विकास में तेजी लाना है।
  - **कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (ISAM):** इसका उद्देश्य कृषि विपणन संरचना को विकसित करना, कृषि विपणन संरचना में नवाचार तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी एवं स्पर्द्धी विकल्पों को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों

VISION IAS

के श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए अवसंरचना सुविधा उपलब्ध कराना, राष्ट्रव्यापी विपणन सूचना नेटवर्क स्थापित करना तथा कृषि सामग्रियों के अखिल भारतीय व्यापार के लिए साझा ऑनलाइन बाजार प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजारों को एकीकृत करना है।

- **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A):** इसका उद्देश्य फसल चक्र के दौरान सूचना और सेवाओं तक किसानों की पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य की वर्तमान ICT पहलों को उन्नत एवं एकीकृत करना तथा किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को समय पर प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराकर कार्यक्रमों की क्षमता और प्रभाव में वृद्धि करना है।

7.1.न्यूनतम समर्थन मूल्य

(Minimum Support Price)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही के बजट में, सरकार ने किसानों के लिए सभी कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने की घोषणा की है।

MSP से संबंधित तथ्य

- न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से फसलों की खरीद करती है भले ही उन फसलों की प्रचलित कीमत कुछ भी हो।
- कृषि मंत्रालय के अंतर्गत **कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)** 23 फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है। इनमें 14 खरीफ (मानसून के बाद के मौसम उगाई जाने वाली), 6 रबी/शीतकालीन (गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सैफ्लावर) और 3 अन्य (गन्ना, जूट और कोपरा) फसलें शामिल हैं।
- CACP किसी फसल के लिए MSP की सिफारिश करते समय विभिन्न कारकों जैसे कृषि की लागत, उत्पाद की मांग-आपूर्ति की स्थिति बाजार मूल्य प्रवृत्तियों (घरेलू और वैश्विक) और अन्य फसलों की तुलना में मूल्य अनुपात को भी ध्यान में रखता है।

MSP का उद्देश्य :

- **निश्चित मूल्य:** किसानों को तय/नियत मूल्य और निश्चित बाजार प्रदान करना तथा उन्हें मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव (राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय) से सुरक्षा प्रदान करना।
- **उत्पादकता में सुधार**: कृषि गतिविधियों में उच्च निवेश और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर कृषि उत्पादकता में सुधार को प्रोत्साहन देने के माध्यम से।
- **उपभोक्ता का लाभ:** उचित मूल्य पर आपूर्ति सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।

मुद्दे :

- **जागरूकता का अभाव:** NITI आयोग के अनुसार, बुवाई के मौसम से पूर्व बहुत कम किसान (मात्र 10%) MSP से अवगत थे। 62% किसानों को फसल बुवाई के पश्चात् MSP के बारे में सूचित किया गया।
- **गैर लाभकारी मूल्य:** कई राज्यों में किए गए अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि किसान सरकार द्वारा घोषित MSP से खेती की लागत तक वसूल करने में असमर्थ थे।
- **विकृत फसल प्रतिरूप:** MSP ने दालों, तिलहन, मोटे अनाज आदि कि तुलना में गेहूं, चावल और गन्ना की खरीद पर अत्यधिक ध्यान दिया है।
- इसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों में, विशेष रूप से उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में **जल-स्तर एवं जल की गुणवत्ता** के साथ मृदा की उर्वरता में तीव्र गिरावट हुई है।
- **क्षेत्रीय भेदभाव:** इसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भेदभाव हुआ है, जिनमें MSP पर फसल खरीद की प्रवृति न्यूनतम है या अस्तित्व में ही नहीं है।
- **राजकोषीय लागत:** MSP के सब्सिडी भार से राजकोषीय स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। MSP में भारत द्वारा की गयी हालिया वृद्धि के कारण WTO द्वारा निर्धारित भारत की सब्सिडी सीमा के संदर्भ में भी आपत्ति व्यक्त की गयी है।
- **अन्य मुद्दे:** खरीद केंद्रों की अत्यधिक दूरी पर अवस्थिति किसानों के लिए परिवहन की उच्च लागत, खरीद केंद्रों का अनियमित कार्यसमय, भंडार-गृहों की कमी और अपर्याप्त भंडारण क्षमता, किसानों को MSP के भुगतान में विलम्ब आदि।

आगे की राह :

- **जागरूकता में वृद्धि:** MSP के संबंध में किसानों को और अधिक जागरूक किया जाना चाहिए और इस जानकारी के प्रसार हेतु प्रचार माध्यमों को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **समय पर भुगतान:** MSP भुगतान में देरी से किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अतः समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **अग्रिम घोषणा:** नीति निर्माताओं द्वारा MSP की घोषणा बुआई के मौसम से पूर्व की जानी चाहिए ताकि किसानों को अपनी फसल संबंधी योजना बनाने में अधिक सक्षम बनाया जा सके।
- खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जैसे- फसल सुखाने हेतु यार्ड, तौल-पटल (weighing bridges), शौचालय इत्यादि। बेहतर भंडारण और अपव्यय में कमी के लिए और अधिक गोदामों की स्थापना एवं उनका बेहतर प्रबंधन किया जाना चाहिए।
- छोटे और सीमांत किसानों को आय का स्रोत प्रदान करने के लिए **उचित औसत गुणवत्ता (Fair Average Quality: FAQ)** मानदंडों में कुछ छूट प्रदान की जा सकती है। परिवहन लागत से बचने के लिए खरीद केंद्र गांव में ही स्थित होने चाहिए। **राष्ट्रीय किसान आयोग** ने उत्पादक के लिए 5 किमी की दूरी में ही मंडी निर्मित करने की सिफारिश की है।
- **MSP निर्धारण की पद्धति की समीक्षा** : MSP की गणना के साथ-साथ कार्यान्वयन तंत्र के संबंध में राज्य सरकार के साथ सार्थक परामर्श होना चाहिए। MSP का निर्धारण वर्षों पुरानी लागत के स्थान पर वर्तमान वर्ष के डेटा एवं अधिक सार्थक मानदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से, NITI आयोग ने निम्नलिखित तीन मॉडल सुझाए हैं :-
    - **बाज़ार आश्वासन योजना :** यह राज्य द्वारा खरीद तथा खरीद के पश्चात MSP की एक निश्चित सीमा तक की हानि की क्षतिपूर्ति का प्रावधान करती है। यह क्षतिपूर्ति खरीद तथा खरीदे गए उत्पाद की बिक्री से प्राप्त वास्तविक मूल्य के बीच के अंतर के आधार पर तय की जाएगी।
    - **मूल्य अन्तराल खरीद योजना** : इसके तहत, यदि बिक्री मूल्य एक औसत मूल्य से कम है तो किसानों को MSP और वास्तविक मूल्य के बीच के अंतर के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है। यह क्षतिपूर्ति MSP के 25% से अधिक नहीं हो सकती। उदाहरण: **मध्य प्रदेश में भावान्तर भुगतान योजना (BBY)**।
    - **निजी खरीद एवं स्टॉक योजना :** इसके तहत, निजी उद्यमियों द्वारा MSP पर खरीद की जाएगी। सरकार इन उद्यमियों को कुछ नीतिगत एवं कर संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र से लोगों को नामांकित किया जाएगा।
- राज्य अपनी आवश्यकताओं के आधार पर एक या एक से अधिक विकल्प अपना सकते हैं। हालांकि, एक ही फसल के लिए सभी तीन विकल्पों को लागू नहीं किया जा सकता है।
- किसी भी मॉडल को अंतिम रूप देने से पूर्व, सरकार को राष्ट्रीय किसान आयोग (NCF) की रिपोर्ट पर भी विचार करना चाहिए, जिसमें यह सिफारिश की गयी थी कि MSP को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक होना चाहिए।

मूल्य अंतराल भुगतान (Price Deficiency Payment: PDP) के लाभ

- यह योजना MSPs पर वस्तुओं की भौतिक खरीद का विकल्प उपलब्ध कराती है।
- यह योजना यह सुनिश्चित करने में अधिक प्रभावी हो सकती है कि फसल प्रतिरूप का निर्धारण MSP के अंतर्गत निश्चित खरीद वाली फसलों के पक्ष में न हो बल्कि उपभोक्ता आवश्यकताओं के अनुकूल हो।
- किसानों को औसत बिक्री मूल्य (average sale price: ASP) और MSP के मध्य के अंतर के बराबर राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होती है। इससे हैंडलिंग और स्टोरेज की लागत समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यह योजना भारत के लिए अपने खाद्य सब्सिडी बिल पर नियंत्रण रखने और WTO के सब्सिडी प्रतिबंधों के अनुपालन में सहायक हो सकती है।

निजी खरीद (private procurement) के लाभ

- यह सरकार के राजकोषीय भार को कम करेगा।
- इससे निजी संस्थाएं कृषि विपणन में साझेदार के रूप में शामिल होंगी और बाजार प्रतिस्पर्द्धा में सुधार होगा।
- यह सरकार के भंडारण तथा खरीद पश्चात् प्रबंधन एवं निपटान संबंधी दायित्वों को भी सीमित करेगा।

चिंताएं: कवरेज की कमी, लाभार्थी की उचित पहचान न होना, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति इत्यादि से संबंधित मुद्दे।

VISION IAS

7.2 कृषि विपणन

(Agricultural Marketing)

भूमिका

- कृषि विपणन प्रणाली को एक ऐसे भौतिक एवं संस्थागत तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके अंतर्गत प्रारंभिक कृषि उत्पादन के बिंदु से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचने तक **उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह** में सम्मिलित समग्र गतिविधियों के निष्पादन को सम्मिलित किया जाता है।
- इसमें असेम्बलिंग, हैंडलिंग, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, थोक बिक्री, खुदरा बिक्री और कृषि वस्तुओं के निर्यात के साथ-साथ बाजार सम्बन्धी जानकारी, ग्रेड और मानकों का निर्धारण, वस्तु व्यापार, वित्तपोषण और कीमत जोखिम प्रबंधन तथा उपर्युक्त कार्यों को सम्पन्न करने में संलग्न सहायक संस्थान सम्मिलित हैं।
- वर्तमान में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजारों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन बाजार समिति (APMC) अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है।
- यह अधिनियम संबंधित क्षेत्र में उत्पादित कृषि वस्तुओं, जैस - अनाज, दालें, खाद्य तिलहन और यहां तक कि चिकन, मटन आदि को अधिसूचित करता है।
- इन वस्तुओं की प्रथम बिक्री APMC द्वारा लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंटों के माध्यम से केवल APMC के तत्वाधान में आयोजित की जा सकती है।
- केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003 में पहली बार राज्यों द्वारा अनुपालन करने हेतु मॉडल APMC अधिनियम अधिसूचित किया गया था। फिर भी, लगभग 50% राज्यों ने अभी तक अपने राज्य कृषि विपणन अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन नहीं किए हैं।
- हालांकि नीतिगत विकृतियों, अधिक संख्या में मध्यस्थों के कारण विखंडन, निम्न अवसंरचना, उध्र्वाधर एकीकरण के अभाव और राज्यों के कृषि उत्पादन विपणन समिति (APMC) अधिनियमों द्वारा स्वीकृत आधिकारिक मंडियों के प्रभुत्व आदि के कारण कृषि विपणन में विभिन्न समस्याएँ विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मुद्दे हैं:
    - APMC अधिनियम के तहत, अधिकतर राज्यों में किसानों को अधिक संख्या में वस्तुओं को स्थानीय मंडी में बेचना पड़ता है, जहां इस अधिनियम के तहत निर्मित विपणन व्यवस्था द्वारा किसानों के हितों का उल्लंघन किया जाता है और मध्यस्थों को लाभान्वित किया जाता है।
    - **किसान द्वारा छोटा अंश प्राप्त करना :** राज्यों में APMC अधिनियमों के तहत प्रचलित विपणन व्यवस्था के तहत किसान को अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत का एक छोटा अंश प्राप्त होता है।
    - **कीमत में उतार-चढ़ाव:** सरकार कुछ क्षेत्रों में कुछ वस्तुओं को ही पूर्वघोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर क्रय किया जाता है। इससे ज्यादातर क्षेत्रों में अन्य वस्तुएं बाजार की कीमतों पर बिक्री हेतु बची रह जाती है। इन कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव आ सकता है।
    - **कीमत के निर्धारण की निम्नस्तरीय प्रणाली:** वस्तुओं के वायदा बाज़ार का न होना, वस्तुओं की कीमत में गिरावट और सरकारी सहायता की कमी के कारण कीमतों में निरंतर उच्च अस्थिरता बनी हुई है। इसने किसानों की आमदनी और उनके हितों को प्रभावित किया है।
    - विशेष रूप से फल और सब्जियों के लिए **मंडियों में उचित भंडारण और गोदामों का अभाव है**। इससे फल/सब्जियों की बर्बादी होती है और किसानों को कम कीमतें प्राप्त होती हैं।
    - **मांग-आपूर्ति में विषमता:** वर्तमान विपणन अवसंरचना अंतिम उपभोक्ता की मांग को उत्पादकों तक पहुँचाने में असमर्थ है। इस कारण जहाँ कुछ वस्तुएं अधिशेष के रूप में हैं, वहीं कुछ अन्य वस्तुओं की कमी हो रही है|
    - **विविध कर :** मंडियों द्वारा प्रविष्टि, निकास और अन्य शुल्क बार-बार आरोपित किए जाते हैं।
    - **विखंडित कृषि बाजार:** वर्तमान में हमारे पास हजारों की संख्या में बाजारों की उपलब्धता के बावजूद अनेक राज्यों में अनेक उत्पादों के लिए कोई किसान एक ही मंडी तक सीमित रहता है। इससे व्यापक प्रणालीगत अक्षमता उत्पन्न होती है।
    - **ग्रेडिंग की अनुपस्थिति :** वस्तुओं के विपणन हेतु शायद ही कोई ग्रेडिंग विद्यमान है। इससे उत्पाद की गुणवत्ता के सम्बन्ध में क्रेता के विश्वास में कमी आती है।

भारत में कृषि विपणन में सुधार हेतु उठाए गए कदम:

- **इलेक्ट्रॉनिक-नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट (e-NAM):** इसका उद्देश्य देश भर में मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के माध्यम से एकल राष्ट्रीय बाजार के रूप में एकीकृत करना है। इससे भारत में कहीं भी मौजूद कोई क्रेता किसी भी मंडी में ऑर्डर देने में सक्षम होगा। यह मध्यस्थों के एकाधिकार को समाप्त कर देगा।

VISION IAS

- केंद्र ने कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, 2003 को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नए मॉडल कानून अर्थात् **कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन और सुविधा) अधिनियम, 2017** का प्रारूप तैयार किया है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:
  - **एकीकृत बाजार क्षेत्र :** किसी राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कृषि उत्पादन को विनियमित करने के उद्देश्य से पूरे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र को एकल एकीकृत बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है।
  - **बाजार समिति:** एक बाजार समिति एक निर्दिष्ट क्षेत्र में बाजार का प्रबंधन करेगी, और निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी:

    (i) कृषि उपज और पशुधन की नीलामी को विनियमित करना।

    (ii) कृषि उपज और पशुधन के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

    समिति डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपभोक्ताओं को किसानों से संबद्ध कर सकती है और सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से इन बाजार स्थलों का प्रबंधन कर सकती है।
  - **बाजार स्थलों की स्थापना:** व्यापारियों, कमीशन एजेंटों आदि के कार्यसंचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए निजी बाजार स्थलों की स्थापना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, किसान-उपभोक्ता बाजार स्थलों की स्थापना किसानों और उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से सुगम्य आधारभूत संरचना प्रदान करके भी की जा सकती है।
  - **भंडारण अवसंरचना** जैसे गोदामों और कोल्ड-स्टोरेज को बाजार उप-स्थलों के रूप में घोषित किया जा सकता है।
  - **राष्ट्रीय महत्व का बाजार स्थल (Market yard of National Importance: MNI):** एक राज्य कुल प्रवाह क्षमता, कुल उपभोक्ताओं की संख्या और अवसंरचना जैसे मानकों के आधार पर अपने किसी भी बाजार स्थल को MNI के रूप में घोषित कर सकता है। MNI के प्रबंधन के लिए एक अलग बाजार समिति गठित की जा सकती है।
  - **ई-ट्रेडिंग:** राज्य एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित कर सकता है जो कृषि उपज में व्यापार के लिए आधारभूत संरचना और सेवाएं प्रदान करेगा। कोई व्यक्ति ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म स्थापित करने और संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत, ई-प्लेटफार्म अंतःप्रचालनीय (interoperable) होंगे।
  - फलों और सब्ज़ियों के लिए बाजार शुल्क आधारित लेवी पर 2% (बिक्री मूल्य का) और खाद्यान्नों पर 1% की सीमा कैप प्रस्तावित की जानी चाहिए।
  - **बाजार शुल्क की एकल बिंदु उगाही** : बाजार समिति किसी खरीददार से कृषि उपज पर केवल एक बार बाजार शुल्क लेगी, चाहे वह किसी बाहरी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से लायी गई हो या राज्य के भीतर से।

राष्ट्रीय किसान आयोग (1976) के अनुसार,

एक कुशल विपणन प्रणाली के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
- किसानों को प्राथमिक उत्पादकों के रूप में सर्वोत्तम संभव लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना।
- किसान अपनी जितनी भी उपज बेचना चाहे, एक लाभकारी मूल्य पर उसकी सम्पूर्ण खरीद के लिए सुविधाएँ सुनिश्चित करना।
- प्राथमिक उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के मध्य कीमतों में अंतर को कम करना।
- उपज की गुणवत्ता को दूषित किए बिना उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सभी कृषि उत्पाद उपलब्ध कराना।

कृषि विपणन में सुधार के उपाय

- **आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना:** राज्य शीघ्र ख़राब होने वाली वस्तुओं को APMC अधिनियम से हटा सकते हैं। साथ ही वे APMC बाज़ारों की लाइसेंस व्यवस्था को बैंक गारंटी द्वारा समर्थित खुले पंजीकरण से प्रतिस्थापित कर सकते हैं।
- **आवश्यक वस्तु अधिनियम को पुनर्संरचित करना:** कुछ श्रेणियों के अभिकर्ताओं, जैसे- निर्यातकों, खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, कई आउटलेट वाले खुदरा विक्रेताओं और बड़े डिपार्टमेंटल खुदरा विक्रेताओं को स्टॉक संबंधी सीमा से छूट प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। वर्तमान में, कई राज्यों में कठोर स्टॉक सीमाएं निर्यात और जीवंत घरेलू बाजारों के विकास को हतोत्साहित करती हैं।
- **एक अलग अनुबंध कृषि अधिनियम** (आगे उल्लिखित) के माध्यम से **अनुबंध और समूह कृषि को प्रोत्साहित** करना। इसके अंतर्गत खरीददार, किसान या **किसान उत्पादक संगठन (FPO)** को आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण इनपुट, अन्य सहायताएँ और एक गारंटीकृत मूल्य प्रदान कर सकता है।
- व्यावसायिक परिवेश में सुधार हेतु एक तृतीय पक्ष द्वारा आकलन और गुणवत्ता प्रमाणन तंत्र, विवाद निपटान तंत्र तथा खरीददारों तक सामान की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए तंत्र बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय बाजार को सक्षम बनाने और FPO को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अवसंरचना का निर्माण किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- विपणन आसूचना प्रणाली में सुधार कर मांग आधारित निर्णय निर्माण सहायता प्रणाली सुनिश्चित करना। इस प्रणाली में मूल्य स्थिरीकरण और जोखिम प्रबंधन की सहायता के लिए कृषि उत्पादन हेतु पूर्वानुमान तंत्र, मांग-आपूर्ति तथा फसल क्षेत्र का आकलन शामिल है।
- **कृषि बाजार सूचना प्रणाली (AMIS) में सुधार** : बाजार की अनिश्चितता की अनुक्रिया में खाद्यान्न बाजार में पारदर्शिता को बढ़ाना और नीतिगत कार्रवाई के समन्वय को प्रोत्साहित करना।
- लगभग 10,000 थोक और 20,000 ग्रामीण खुदरा बाजारों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक मॉडल APLM अधिनियम के प्रावधानों के तहत **निजी बाजारों की स्थापना को बढ़ावा देकर** वांछित बाजार घनत्व प्राप्त करना और इन बाजारों को एक अखिल भारतीय तंत्र से जोड़ना।
- **2020 तक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार (NAM) :** इसका निर्माण e-NAM के तहत बाजारों के कवरेज को बढ़ाकर और संयुक्त उद्यम प्लेटफार्मों के अतिरिक्त राज्यों के साथ-साथ निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में वैकल्पिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जा सकता है।
- कृषि निर्यात को 100 बिलियन डालर तक बढ़ाने के लिए एक आक्रामक कृषि व्यापार नीति स्वीकार किये जाने की आवश्यकता है।
- **खरीद प्रणाली में सुधार करना :** जितना संभव हो उतनी अधिक फसलों (गेंहूँ और धान के अतिरिक्त) को कवर करने के लिए सरकार को खरीद संचालन तंत्र को सुदृढ़ और विस्तृत करना चाहिए तथा उत्पादन क्षेत्रों के मामले में निष्पक्ष होना चाहिए।
- **भण्डारण सुविधा को उन्नत बनाना** व सुदूर क्षेत्रों तक इन सुविधाओं की पहुंच का विस्तार करना, जिससे किसानों की उत्पादन के बाद की हानि एवं उपज की मजबूरन बिक्री (डिस्ट्रेस सेलिंग) को रोका जा सके। किसानों द्वारा आसानी से बैंक ऋण का लाभ उठाने के लिए सरकार को **नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रसीदों** (negotiable warehousing receipts: NWR) को प्रोत्साहन देना चाहिए।
- छोटे और सीमांत किसानों को विपणन प्रणाली में शामिल करने के लिए **किसान उत्पादक संगठन एवं ग्राम उत्पादक संगठनों (FPO / VPO)** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रसीद (NWR) क्या है?

- इसे भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (Warehousing (Development and Regulation) Act,2007) में परिभाषित किया गया है। यह भांडागारों (वेयरहाउस) में जमा की गयी वस्तुओं के बदले वेयरहाउस द्वारा जमाकर्ताओं को जारी किये गए प्रपत्र होते हैं, जिनके लिए वेयरहाउस अमानतदार होता है।
- ये नॉन-नेगोशिएबल या नेगोशिएबल, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। NWR का व्यापार किया जा सकता है, उन्हें बेचा जा सकता है, अदला-बदली की जा सकती है और उधार लेने में सहायता के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

लाभ

- यह किसानों को मामूली रूप से ख़राब होने वाले उत्पादों की बिक्री अवधि को कटाई के मौसम से परे बढ़ाने और उपज की मजबूरन बिक्री से बचने में सहायता प्रदान करती है।
- NWR पंजीकृत वेयरहाउस में किसानों द्वारा जमा किए गए कृषि उत्पादों के संदर्भ में ऋण देने में बैंकों की रुचि को बढ़ा सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में तरलता बढ़ सकती है और वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण को प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है।

गिरवी ऋण योजना

- गिरवी ऋण योजना का उद्देश्य उपज को गिरवी रखने के बदले शून्य/कम ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करके कृषि उपज की मजबूरन बिक्री के विरुद्ध किसानों के हितों की रक्षा करना है।
- इसका उद्देश्य आसान ऋण तथा सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण तक पहुंच प्रदान करना है।

7.2.1. किसान उत्पादक कंपनियाँ

(Farmer Producer Companies)

सुर्खियों में क्यों?

- सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष से पाँच वर्ष की अवधि के लिए किसान उत्पादक कंपनियों (FPC) के लाभ को कर मुक्त कर दिया है।

FPC क्या हैं?

- यह सहकारी समितियों और निजी लिमिटेड कंपनियों का मिश्रित रूप है, जिसमें सदस्यों के बीच लाभ की साझेदारी होती है।
- इसकी महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में सम्मिलित है:
    - इसका गठन उत्पादकों के समूह द्वारा कृषि या गैर-कृषि गतिविधियों के लिए किया जाता है।

VISION IAS

- यह एक पंजीकृत और विधिक निकाय है (कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत)।
- संगठन में उत्पादक शेयरधारक होते हैं।
- यह प्राथमिक उत्पाद से संबंधित व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करती है।
- लाभ का एक हिस्सा उत्पादकों के बीच साझा किया जाता है और अधिशेष को व्यापार विस्तार के लिए स्थापित कोष में में जोड़ दिया जाता है।

- इसमें कृषि से संबंधित अनेक चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करने में सहायता करने के लिए उत्पादकों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, का समूहीकरण किया जाता है।
- NABARD ने उत्पादक संगठन विकास निधि (PODF) का शुभारंभ किया है और लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) ने 2011 से अब तक लगभग 250 FPOs की स्थापना की है।
- SFAC ने अपना पूंजी आधार सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना **"इक्विटी ग्रांट एंड क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनीज़"** आरंभ की है।

विवरण

- जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, धारा 35CCC के अंतर्गत सहकारी समितियों को कर से छूट प्राप्त होती है, वहीं FPC पर प्राइवेट और पब्लिक-लिमिटेड कंपनियों के समान कर आरोपित किया जाता है।
- उक्त परिवर्तनों के बाद, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत FPCs (100 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनी) को कृषि संबंधी गतिविधियों से प्राप्त लाभ पर कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

FPCs की आवश्यकता

- **संरचनात्मक चुनौतियाँ-** जैसे कि निम्न स्तरीय बाजार अवसंरचना, औपचारिक स्रोतों से ऋण अनुपलब्धता, बाजार के संबंध में ज्ञान एवं बाजार तक पहुँच की चुनौती, सूचना संबंधी विषमताएँ, कारक और उत्पाद बाजार की परस्पर इंटरलॉकिंग, सौदेबाजी की अल्प **शक्ति** और निम्न धारण क्षमता, विखंडित खरीद और बिक्री के कारण उच्च इनपुट लागत तथा उत्पादन एवं बाजार में निजी संगठनों के अन्य रूपों से प्रतिस्पर्धा।
- **छोटे किसान की बाध्यताएँ -** भारत में अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनके पास प्रति परिवार 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। उनमें से अधिकांश अभी भी निर्वाह आधारित कृषि करते हैं। वर्ष 2010-11 में लघु और सीमांत जोतें देश में कुल जोतों का 85% थीं।
- **सहकारी समितियों की विफलता-** अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, नौकरशाही नियंत्रण और कमजोर नेतृत्व एवं शक्तिशाली अभिजात वर्ग द्वारा प्रबंधन पर कब्जे के कारण सहकारी समितियाँ अपेक्षा के अनुरूप प्रभावी नहीं रहीं। इसके अतिरिक्त ये समितियाँ व्यापार उन्मुख भी नहीं थीं।

FPCs के लिए चुनौतियाँ और अवसर

- **पेशेंट कैपिटल/दीर्घकालिक पूंजी का अभाव-** चूँकि इन संस्थाओं को व्यवहार्य व्यापारिक उद्यम के रूप में नहीं माना जाता है; अतः, इस प्रकार के उद्यमों में एक सुदृढ़ व्यापार योजना सहित पेशेंट कैपिटल (दीर्घकालिक पूँजी जिससे तुरंत प्रतिफल प्राप्त करने का उद्देश्य न हो)और कुशल संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है।
- **उद्यमशीलता संबंधी क्षमताओं की कमी** के अलावा, छोटे किसानों में व्यापार योजनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक समझ का अभाव होता है। इसके साथ ही वे प्रायः यह समझने में भी अक्षम होते हैं कि इंटरप्राइज मॉडल की दिशा में आगे बढ़ने के लिए FPCs का विकास पथ कैसा होना चाहिए। इस प्रकार, विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से बैंकों और गैर-सरकारी संगठनों को, किसानों के मध्य जागरूकता का प्रसार करना चाहिए।
- इसमें प्रशासनिक क्षमता का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप बही खातों//खातों का निम्न स्तरीय प्रबंधन होता है। समग्र जवाबदेही एवं पारदर्शिता में सुधार के लिए सरकार प्रशासनिक संरचना में सुधार के लिए कदम उठा सकती है।
- नकारात्मक चयन संबंधी घटनाएँ : कुछ व्यक्ति/संस्थाएं केवल सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रवेश करते हैं और एक बार इसका पूर्ण लाभ लेने के बाद छोड़ कर चले जाते हैं।
- अन्य चुनौतियों में उचित निगरानी और मूल्यांकन की कमी, कृषक सदस्यों का कोई रिकॉर्ड न होना या अधूरा रिकॉर्ड होना, अनुचित कार्य करने वालों के लिए कोई दंड नहीं, बेहतर निष्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं, फ्री-राइडिंग (अपने लिए निर्धारित एवं उचित अंश से अधिक प्राप्त करना) इत्यादि जैसी समस्याएं शामिल हैं।

VISION IAS

आगे की राह

- सब्सिडी के दुरूपयोग से बचने के लिए प्रवर्तकों/संगठनों के साथ-साथ सदस्यों के लिए योग्यता आधारित उचित चयन तंत्र की आवश्यकता है।
- इष्टतम आकार निर्धारण: समूह के अंदर 25-30 सदस्यों के छोटे उप समूह की निगरानी करना सरल हो सकता है। ऐसा उप-समूह गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा के सन्दर्भ में बेहतर निष्पादन भी कर सकता है।
- इष्टतम संरचना: तुलनात्मक सुविधाओं पर आधारित लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न कौशलों से युक्त सदस्यों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। नीति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के आधार पर कृषकों के लिए प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए ताकि विभिन्न कौशल के लाभों का प्रवाह सुनिश्चित हो सके।
- उत्पाद विभेद: यदि कृषकों के उत्पाद अन्य से अलग एवं बेहतर हैं तो FPOs कृषकों के लिए मूल्य को अधिकतम कर सकता है।
- गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका- जहाँ NGO प्रवर्तक संस्थानों के रूप में FPCs के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वहीं सहायता एवं अंशदान की राजनीतिक अर्थव्यवस्था उन्हें एक निश्चित पद्धति के अंतर्गत ही कार्य करने को विवश करती है और अंततः इन संस्थानों को कमजोर बनाती है। यही कारण है कि ये संस्थान एक क्षेत्र के अंदर सीमित रहते हैं और अधिक महत्व अर्जित नहीं कर पाते। इस प्रकार इन कंपनियों के अधिक विकास हेतु सामाजिक उद्यमों के अधिक दृष्टिकोणों को शामिल किया जाना चाहिए।

7.2.2. अनुबंध कृषि

(Contract Farming)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा मॉडल अनुबंध कृषि (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) अधिनियम जारी किया गया।

पृष्ठभूमि

- **राष्ट्रीय कृषि नीति, 2000** अनुबंध कृषि और भूमि पट्टे की व्यवस्था के माध्यम से निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की परिकल्पना करती है।
- किसानों से प्रत्यक्ष खरीद पर प्रतिबंध और कृषि उत्पादन पर कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) का एकाधिकार है।

नीति आयोग द्वारा किये गए अवलोकन के अनुसार APMC द्वारा अनुबंध कृषि पर आरोपित कर शोषणकारी हैं। इस संदर्भ में **कृषि सुधारों पर राज्य मंत्रियों की समिति** ने अनुशंसा की है कि अनुबंध कृषि को APMCs के दायरे से बाहर होना चाहिए।

अनुबंध कृषि के बारे में

- इसके अंतर्गत, क्रेताओं (जैसे- खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां और निर्यातक) और उत्पादकों (किसान या कृषक संगठनों) के बीच एक **फसल-पूर्व समझौते** के आधार पर कृषि उत्पादन (पशुधन और पोल्ट्री सहित) किया जाता है।
- **लाभ:** उत्पादक बाज़ार मूल्य और माँग में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम कर सकते हैं जबकि क्रेता गुणवत्तापूर्ण (उत्तम किस्म के) उत्पाद की अनुपलब्धता के जोख़िम को कम कर सकते हैं।
- इसे संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। हालांकि कृषि राज्य सूची का विषय है।
- भारत में अनुबंध कृषि को **भारतीय संविदा अधिनियम,1872** के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त **मॉडल APMC एक्ट, 2003** अनुबंध कृषि के सन्दर्भ में विशिष्ट प्रावधान करता है जैसे- अनुबंध कृषि के प्रायोजकों हेतु अनिवार्य पंजीकरण और विवाद निपटान।
- अनुबंध कृषि पर वर्तमान कानूनों में केवल एक या दो कृषि जिंस सम्मिलित हैं। यह केवल विपणन तक ही सीमित है।

अनुबंध कृषि की चुनौतियाँ

- **राज्य की अनिच्छा:** राजस्व हानि के भय से राज्य इन सुधारों को आगे बढ़ाने के प्रति अनिच्छुक रहे हैं।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत **अनुबंधित उत्पादन पर स्टॉकहोल्डिंग सीमाएं** प्रतिबंधित हैं। ये क्रेताओं को अनुबंध के प्रति हतोत्साहित करती हैं।
- उत्पाद की किस्मों, परिस्थितियों आदि के संदर्भ में, विभिन्न राज्यों के कानूनों में **समानता या एकरूपता का अभाव** है। यह एकरूपता अनुबंध कृषि की अनुमति हेतु आवश्यक है।
- **क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा:** वर्तमान में यह कृषि क्षेत्र में विकसित राज्यों (पंजाब, तमिलनाडु आदि) में व्यवहार में लाया गया है। वहीं अधिकांशतः छोटे और सीमांत किसानों की आबादी वाले राज्य इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
- **आपूर्ति पक्ष से संबंधित मुद्दे:** लेन-देन और विपणन की उच्च लागतों के कारण खरीददारों को बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसानों (**जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कृषि-जोत का औसत आकार 1.1 हैक्टेयर था**) के साथ कृषि अनुबंध के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इस कारण बड़े किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है और सामाजिक-आर्थिक विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं।

VISION IAS

- **यह कृषि की एक पूंजी-सघन और कम संधारणीय पद्धति है** चूँकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग को बढ़ावा देती है। ये प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, मानव और पशुओं पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं।
- **एकल कृषि (मोनोकल्चर फार्मिंग) को प्रोत्साहन:** यह केवल भूमि की उर्वरता पर ही प्रभाव नहीं डालेगा बल्कि खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्नों के आयात के लिए भी संकट उत्पन्न करेगा।·
- क्रय एकाधिकार: इसके अंतर्गत, सामान्यतः अनुबंध कंपनियां द्वारा विभेदित (ऐसा कृषि उत्पाद जिसे अन्य प्रतिस्पर्द्धी उत्पादों से अलग किया जा सके) फसलों को उगाने के लिए कृषकों के साथ अनुबंध करती है। यह अनुबंध फर्म को उनके उत्पाद के एकमात्र क्रेता और कृषकों को, बाज़ार में प्रचलित मूल्य पर अपने उत्पाद की बिक्री करने के लिए बाध्य उत्पादक (प्राइस-टेकर्स) के रूप में परिवर्तित कर देता है। अनुबंध फर्में कृषकों को उनके उत्पाद की बाज़ार में कम कीमत बता कर इस स्थिति का लाभ उठा सकती हैं।
- **सूचना असममितता:** अनुबंध करने वाली फर्मों के पास उत्पादकता और भूमि की गुणवत्ता के संबंध में संपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होती है। इससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां कृषक निम्न-गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन करते हैं। दूसरी ओर कृषक कभी-कभी उत्पाद की मात्रा एवं गुणवत्ता या मूल्य परिवर्तन के प्रभाव जैसे अनुबंध में उल्लिखित विनिर्देशों को नहीं समझ पाते हैं। ये बाजार विफलताएं उप-इष्टतम परिणामों का का कारण बनती हैं। इसके साथ ही अनुबंध के अनजाने में किये गए उल्लंघन के कारण कृषक क्रेता के दंड के पात्र बन जाते हैं।
- पूर्व निर्धारित कीमतें, **किसानों को उपज के लिए बाजार में प्रचलित उच्च मूल्यों के लाभों से वंचित** कर सकती हैं।

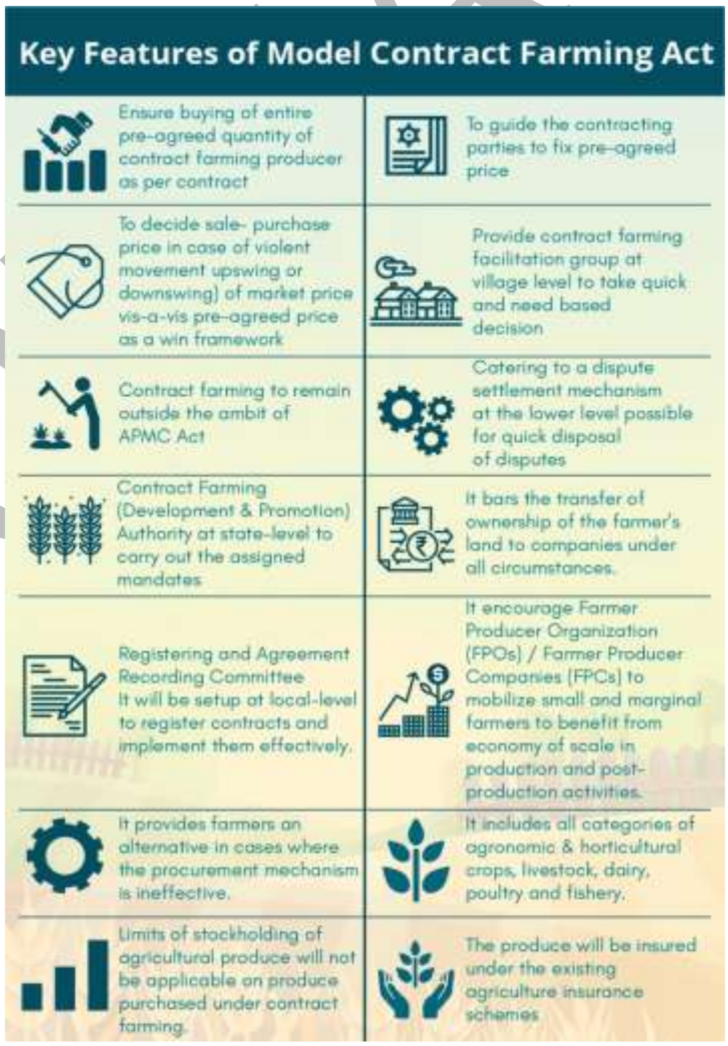

महत्व

- **कृषि में निजी भागीदारी:** यह कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करता है ताकि नई कृषि तकनीकों, अवसंरचना के विकास आदि को बढ़ावा दिया जा सके।
- **किसानों की उत्पादकता में सुधार:** यह बेहतर आगतों, वैज्ञानिक विधियों और ऋण सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करके कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाती है। इससे किसानों की आय में वृद्धि, रोज़गार के नए अवसर और बड़े पैमाने पर खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलता है।
- यह कृषि को एक संगठित गतिविधि का स्वरूप प्रदान करती है तथा उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार लाने में सहायक है।
- **फसल कटाई के पश्चात् क्षति हेतु बीमा:** यदि फसल कटाई के पश्चात् कोई क्षति होती है, तो पूर्व निर्धारित कीमतें उस क्षति की भरपाई करने का अवसर प्रदान करती हैं।
- **निर्यात में वृद्धि:** यह किसानों को खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग हेतु आवश्यक फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही यह भारतीय किसानों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले बागवानी उत्पाद के मामले में) से जोड़ती है। यह खाद्यान्न अपव्यय को भी उल्लेखनीय ढंग से कम करती है।
- **उपभोक्ता को लाभ:** विपणन दक्षता में वृद्धि, मध्यस्थों का उन्मूलन, विनियामक अनुपालन में कमी आदि उत्पादन में लायी जाने वाली कृत्रिम कमी को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकते हैं। साथ ही यह खाद्य कीमतों से सम्बंधित मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

मॉडल अधिनियम अनुबंध कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक उपयुक्त कदम है। सरकार को कृषकों और क्रेताओं के मध्य प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सूचना असममिता को समाप्त कर एक सक्षमकारी परिवेश प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। जब तक ऐसा परिवेश प्रदान नहीं किया जाता है तब तक नया मॉडल अधिनियम प्रभावी रूप से अनुबंध कृषि को बढ़ावा देने में असमर्थ है।

- सरकार को कृषकों और क्रेताओं दोनों के लिए बाजार-आधारित प्रोत्साहन सृजित करना चाहिए। इसे सम्पूर्ण देश में स्पॉट बाजारों और मंडियों के साथ कृषकों के संपर्क में सुधार करना चाहिए।
- सरकार को कृषकों और अनुबंध फर्मों का एक सूचना भंडार बनाना चाहिए। यह भंडार भूमि उपलब्धता, डिफ़ॉल्ट रेट और निष्पादन मानकों के संबंध में कृषकों या कृषक उत्पादक संगठनों के बारे में विवरण प्रदान कर सकता है। यह अनुबंधों में शामिल होने से पूर्व एक-दूसरे का मूल्यांकन करने में कृषकों और प्रायोजकों की सहायता करेगा।
- इसके अतिरिक्त सरकार फसलों के लिए मानकों की स्थापना और प्रवर्तन की सुविधा प्रदान कर सकती है। यह अनुबंधित फसल से संबंधित स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करेगा। सरकार कृषकों को शिक्षित कर सकती है और उन्हें अनुबंध खेती एवं मॉडल अनुबंधों के बारे में अधिक जागरूक बना सकती है।

7.2.3. कृषि निर्यात नीति का मसौदा

(Draft Agriculture Export Policy)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कृषि निर्यात नीति का मसौदा जारी किया है।

पृष्ठभूमि

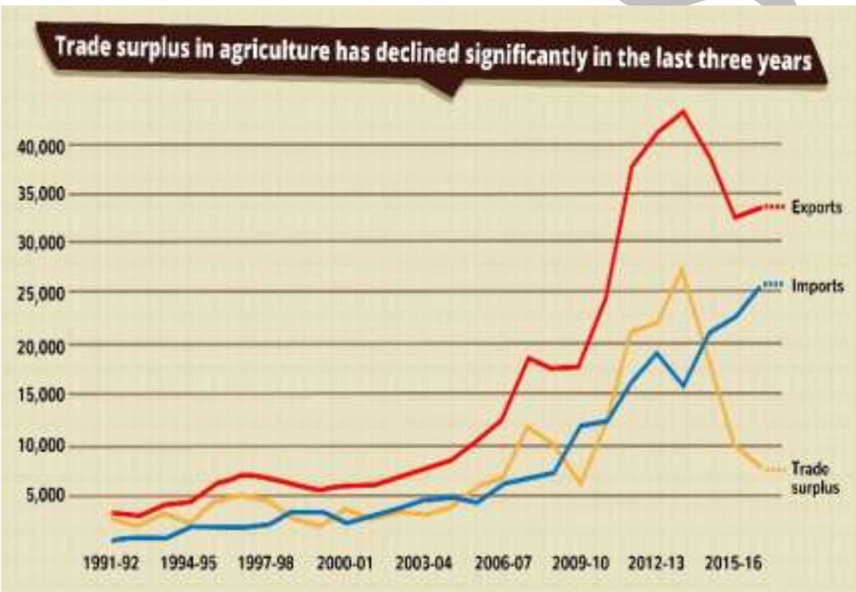

- भारत का कृषि निर्यात बास्केट, विश्व-कृषि व्यापार के 2% से अधिक (अनुमानित रूप से 1.37 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) हेतु उत्तरदायी है। वर्तमान में भारत, वैश्विक रूप से प्रमुख निर्यातकों **में नौवें स्थान** पर है (विश्व व्यापार संगठन 2015)। 2007 और 2016 के मध्य चीन (8%), ब्राजील (5.4%) और अमेरिका (5.1%) की तुलना में भारतीय कृषि निर्यात में 9% की वृद्धि हुई है।
  - **कम निर्यात:** अमेरिका में 25% एवं चीन में 49% की तुलना में भारत की कृषि निर्यात बास्केट में मूल्य वर्धित कृषि उपज की मात्रा 15% से कम है।
  - कृषि सकल घरेलू उत्पाद (GDP में कृषि का अंश) में कृषि वस्तुओं के निर्यात का योगदान 13.10% है।
  - कृषि निर्यात कुल निर्यात का 12.7% है जबकि कृषि आयात कुल आयात का 4.2% है (2014-15)।
  - 1991-92 और 2013-14 के मध्य भारत के कृषि व्यापार अधिशेष में दस गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
  - कृषि व्यापार अधिशेष को विगत तीन वर्षों में काफी क्षति पहुंची है और यह 70% तक कम हो गया है। यह गिरावट मुख्यतः निर्यात में 22% की कमी (2013-14 में 42.9 अरब डॉलर से घट कर 2016-17 में 33.7 बिलियन डॉलर) जबकि आयात में 62% की वृद्धि (2013-14 में 17.5 अरब डॉलर से बढ़कर 2016-17 में 25.5 अरब डॉलर) के परिणामस्वरूप हुई है।
  - मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कीमतों और सरकार की प्रतिबंधित नीतियों से अनाज (गेहूं और मक्का), कपास, तिलहन और गोमांस के निर्यात में गिरावट के कारण कृषि निर्यात में कमी आयी है।
  - भारत वर्तमान में 70% कृषि जिंसों में निर्यात प्रतिस्पर्द्धी है जबकि 10-15% कृषि जिंस गैर-व्यापार योग्य (non-tradable) हैं। जिंस के शेष भाग में भारत एक प्रतिस्पर्द्धी आयातक है।
  - कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने हाल ही में सरकार से 10-20% कृषि उपज निर्यात करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

कृषि निर्यात से संबंधित मुद्दे

- सरकारी नीतियों में निरंतर परिवर्तन के कारण भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक अनियमित आपूर्तिकर्ता बन चुका है। सरकार द्वारा प्रतिबंधात्मक निर्यात नीति (जैसे न्यूनतम निर्यात मूल्य) के कारण कृषक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के लाभ से वंचित रह जाते हैं और साथ ही इसमें अनिश्चितता का एक तत्व भी सम्मिलित होता है।

- **कृषि-उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए असमान भंडारण सुविधा:** इससे निर्यात की वृद्धि बाधित होती है। अनुमानों के अनुसार कृषि वस्तुओं की फसल कटाई के पश्चात् होने वाली हानि 44,000 करोड़ रुपये वार्षिक है।
- **निर्यात अस्वीकृति:** भारतीय कृषि उत्पाद अन्य विकासशील देशों के उत्पादों की तुलना में प्रमुख निर्यात बाजारों में **अधिक अस्वीकृति का सामना** करते हैं ,क्योंकि ये अलग-अलग देशों द्वारा निर्धारित **फाइटोसेनेटरी और गुणवत्ता मानकों को पूर्ण करने में विफल** रहते हैं। APEDA द्वारा जारी एक मसौदा निर्यात रणनीति ने SPS (Sanitary and Phytosanitary measures) अधिसूचनाओं के प्रभावी संचालन के लिए तंत्र को सुदृढ़ करने और भारत के SPS क्लब का गठन करने की मांग की गयी है। इसमें SPS अधिसूचनाओं पर परस्पर क्रिया के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने वाले विभिन्न विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- बढती अनौपचारिक काश्तकारी के साथ **जोतों का आकार अभी भी छोटा बना हुआ है**। यहाँ तक कि एक जिले की उपज में किस्मों तथा कटाई के समय परिपक्वता के चरण में आकार और एवं अन्य भौतिक मानकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। इस संदर्भ में उत्पादकों के लिए किसी विशेष फल या सब्ज़ियों की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करना और बड़े पैमाने पर पूंजी जुटाना कठिन होता है।
- **मूल्यवर्द्धित उत्पादों की उपेक्षा:** भारत में मूल्यवर्द्धित उत्पादों के निर्यात के विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण देश अब तक परंपरागत वस्तु का निर्यातक रहा है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। अतः कच्चे माल तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के संभावित बाजार (विशेषकर छोटे अभिकर्ताओं के लिए) के संबंध में बाज़ार समझ (मार्किट इंटेलिजेंस) सीमित हैं।
- APMC द्वारा विनियमित मंडी, सीमित भंडारण और व्यापार प्रतिबंधों ने कृषकों के लिए निर्यात उन्मुख मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना कठिन बना दिया है।

कृषि निर्यात को क्यों बढ़ाना चाहिए?

- **अधिशेष का उपयोग -** कृषि निर्यात को बढ़ावा देकर, भारत प्रत्येक वर्ष उत्पादित विभिन्न कृषि वस्तुओं के अधिशेष का उपयोग कर सकता है।
- **संसाधनों का इष्टतम उपयोग -** भारत की कृषि-जलवायु स्थितियों के कारण, भारत प्रत्येक इच्छित कृषिगत वस्तु का उत्पाद करने में सक्षम है। निर्यात को बढ़ावा देना हमारे संसाधनों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला निर्माण में सहायता -** कृषि निर्यात वैश्विक मूल्य श्रृंखला के निर्माण में सहायता करेगा। इससे कृषि क्षेत्र में बेहतर नौकरी की संभावनाएं सृजित होंगी।
- **किसान की आय को दोगुना करना-** यह किसानों को उपज के लिए बेहतर कीमतें प्राप्त करने में सहायता करेगा। इसके अतिरिक्त यह सरकार को 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा।

कृषि निर्यात नीति का मसौदा फ्रेमवर्क

रणनीतिक उपाय

- **नीतिगत उपाय –** इसमें प्रतिबंध या न्यूनतम निर्यात मूल्य अधिरोपण से मुक्त **स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था;** नाशवान वस्तुओं को APMC एक्ट के दायरे से हटाने एवं मण्डी शुल्क को युक्तिसंगत बनाने हेतु APMC एक्ट में सुधार करना तथा मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम के प्रावधान के तहत भू-स्वामियों के अधिकारों के साथ समझौता किए बिना **भूमि को पट्टे पर देने संबंधी मानदंडों का उदारीकरण** करना सम्मिलित हैं।
- **अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक को प्रोत्साहन–** इसमें नाशवान वस्तुओं के लिए 24x7 सीमा शुल्क निकासी, हिन्टरलैंड कनेक्टिविटी में वृद्धि, बेहतर कार्गो हैंडलिंग आदि हेतु समर्पित कृषि अवसंरचना युक्त पत्तन विकास सम्मिलित हैं।
- **संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण–** यह नीति खेत के स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण तथा कृषि श्रृंखला को समाविष्ट करने वाले विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय का समर्थन करती है। यह बेहतर किस्मों, मानक व्यवस्था की स्थापना करने, SPS एवं TBT अवरोधों के प्रति अनुक्रिया करने, प्रतिस्पर्धा में बेहतर लाभ प्रदान करने वाले क्षेत्रकों की पहचान करने आदि हेतु शोध एवं विकास के मुद्दों का समाधान करेगी।
- **कृषि निर्यात में राज्य सरकार की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी:** कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु नोडल राज्य विभाग/एजेंसी की पहचान करना तथा विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में उत्पाद विशिष्ट क्लस्टरों के विकास के साथ-साथ कृषि निर्यातों को राज्य निर्यात नीति में सम्मिलित करना।

परिचालनात्मक उपाय

- **क्लस्टर पर ध्यान केंद्रित करना:** यह नीति किसान उत्पादक संगठन की स्थापना करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं भू-मानचित्रण तथा संक्रमण कृषि निर्यात ज़ोन (AEZs) युक्त उपयुक्त उत्पादन क्लस्टरों की पहचान का समर्थन करती है।

VISION IAS

- **मूल्य वर्द्धित निर्यातों को बढ़ावा देना-** यह जैविक निर्यात क्षेत्र/ जैविक खाद्य पार्क की स्थापना, जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग, जैविक और सांस्कृतिक उत्पादों के लिए एक समान पैकेजिंग एवं गुणवत्ता प्रोटोकॉल मानक के विकास को सम्मिलित करती है।
- **"भारतीय उपज" का विपणन और संवर्द्धन** जैविक उत्पादों, विशिष्ट सांस्कृतिक उत्पादों एवं भौगोलिक संकेतक उत्पादों के लिए **उत्पाद विशिष्ट बाजार अभियान** एवं पृथक निधि होनी चाहिए।
- **उपज के लिए सुचारु लॉजिस्टिक संचलन हेतु पोस्ट-हार्वेस्ट (post-harvest) अवसंरचना–** इसमें ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस उपाय अपनाना, नाशवान वस्तुओं के लिए सागरीय प्रोटोकॉल का विकास करना आदि सम्मिलित हैं।
- **सुदृढ़ गुणवत्ता व्यवस्था की स्थापना–** यह हमारी अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु मान्यता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते हुए, घरेलू और निर्यात बाजार के लिए एकल आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना और रखरखाव को सम्मिलित करती है।
- **अन्य उपाय –** इसमें आत्मनिर्भरता और निर्यात उन्मुख उत्पादन, एग्री-स्टार्टअप निधि का निर्माण, अनुसंधान एवं विकास के लिए कार्य योजना तैयार करना, जैविक उपज के निर्यात का समर्थन करने के लिए पूर्वात्तर क्षेत्र में सशक्त अवसंरचना युक्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, निर्यात संवर्द्धन हेतु निजी क्षेत्र को शामिल करना आदि सम्मिलित हैं।

7.3. कृषि आगत

(Agriculture Input)

परिचय

- भारत को अपनी लगभग 1.2 अरब की जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़, आधुनिकीकृत कृषि क्षेत्रक की आवश्यकता है। हालांकि कृषि योग्य भूमि को और अधिक विस्तारित करने की संभावनाएं सीमित हैं। अतः खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, कृषि उत्पादकता और इसकी वृद्धि को सतत बनाए रखने एवं इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन का स्तर एक वहनीय मूल्य पर गुणवत्तायुक्त आगतों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
- आगतों का इष्टतम उपयोग कृषि मूल्य प्रणाली को अधिक प्रभावी, दक्ष और संधारणीय बनाता है।
- कृषि गतिविधियों के बुवाई चरण के दौरान महत्वपूर्ण आगतों (इनपुट) के अधिक प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से उपयोग दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही श्रम एवं जल जैसी अन्य आगतों की संभावित न्यूनता का भी शमन किया जा सकता है।

तेलंगाना की इनपुट सपोर्ट स्कीम

उद्देश्य: किसानों को खरीफ और रबी मौसमों के लिए 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से राशि प्रदान करके उन्हें साहूकारों से ऋण लेने से राहत प्रदान करना। आशा है कि किसान इस राशि का उपयोग बीजों, उर्वरकों, मशीनरी और श्रमबल जैसी आगतों (इनपुट) की खरीद के लिए करेंगे।

7.3.1. जल प्रबंधन

(Water Management)

परिचय

- भारत में कुल वैश्विक जल संसाधनों का केवल 4% भाग ही उपलब्ध है, परन्तु यह विश्व की लगभग 18% मानव जनसंख्या और 15% पशुधन का भरण-पोषण करता है। इससे देश के जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है।
- देश में उपलब्ध कुल उपयोग योग्य जल के 80% से अधिक भाग का प्रयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह सभी फसलों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए और वर्ष भर समान रूप से उपलब्ध नहीं है।
- वर्तमान में, गैर-कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध जल की मांग बढ़ रही है तथा उच्च स्तर की जल उपयोग दक्षता प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता है।
- फसल गहनता और उत्पादकता, जो उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, मुख्य रूप से **सिंचाई पर निर्भर** होते हैं।
- भारत में, कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में दूसरी फसल उगाई जाती है। कुछ राज्यों में, यह आंकड़ा 25% से भी कम है। निम्न फसल गहनता का मुख्य कारण रबी के मौसम में फसल उत्पादन के लिए आवश्यक जल और नमी की उपलब्धता का न होना है।

VISION IAS

चुनौतियां

- **वर्षा सिंचित क्षेत्र:** 52% कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है और भूमि का तीन चौथाई भाग शुष्क, अर्ध-शुष्क, और शुष्क आर्द्र परिस्थितियों के अंतर्गत आता है जो इसे मौसम के विचलन के प्रति अधिक सुभेद्य बनाता है। उत्पादकता का निम्न स्तर एवं निम्न इनपुट उपयोग इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** देश में वर्षा और जल की उपलब्धता में 'कालिक और स्थानिक' भिन्नताएँ विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए, गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का कुल वार्षिक जल उपलब्धता में 50% से अधिक योगदान है, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी बेसिन में से प्रत्येक का योगदान केवल 15% है।
- **निर्मित सुविधाओं का उप-इष्टतम उपयोग:** मौजूदा सिंचाई प्रणाली की प्रमुख कमियों में से एक निर्मित सिंचाई क्षमता (irrigation potential created: IPC) और सिंचाई क्षमता उपयोग (irrigation potential utilized: IPU) के मध्य विद्यमान व्यापक अंतर है। इसके कारण हैं: नहर प्रणाली का अपर्याप्त रखरखाव, सहभागी प्रबंधन का अभाव, बदलता भूमि उपयोग पैटर्न, निर्दिष्ट फसल प्रतिरूप से विचलन, मृदा क्षरण और कमांड एरिया डेवलपमेंट में विलम्ब।
- **निम्न सिंचाई दक्षता:** सिंचाई जल का आवश्यकता से अधिक उपयोग, अधिकांश सतही सिंचाई प्रणालियों की निम्न सिंचाई दक्षता (लगभग 35% से 45%) से प्रदर्शित होता है और भूमिगत जल के उपयोग के संदर्भ में यह दक्षता लगभग 65% है।
- **भूमिगत जल का असंतुलित उपयोग:** भूमिगत जल सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करता है और वर्तमान में यह देश के कुल सिंचित क्षेत्र के 63% से अधिक भाग को सिंचित करता है। हालांकि राज्यों द्वारा प्रदत्त सब्सिडी या मुफ़्त बिजली से किसानों ने गहरे जलभृतों से आवश्यकता से अधिक जल निकालना शुरू कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में भूमिगत जल के स्तर और जल की गुणवत्ता में कमी आई है और ये क्षेत्र डार्क जोन्स में परिवर्तित हो रहे हैं।
- **अनुपयुक्त फसल और फसल प्रणाली:** वर्तमान में, कई राज्यों में कृषि योग्य क्षेत्र के बड़े हिस्से में चावल, गन्ना आदि जैसी जल गहन फसलें उगायी जाती हैं।
- **जल भराव और मृदा लवणता:** सतही जल के अधिक उपयोग के परिणामस्वरूप जल निकासी की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जिससे कुछ क्षेत्रों में जल भराव हो रहा है।

आगे की राह

- **भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग की समस्या के समाधान हेतु उपाय किए जाने चाहिए-** इसके लिए भूमिगत जल का कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन, सतही जल और भूमिगत जल के संयोजन का उपयोग, निम्न/सीमांत गुणवत्ता वाले भूजल का उचित प्रबंधन, जल संरक्षण (जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करके), भूजल विकास का विनियमन, घरेलू उपभोग और कृषि उपयोग के लिए अलग विद्युत् फीडर इत्यादि उपाय किए जा सकते हैं।
- मानसून के दौरान नहर के अंतिम छोर पर **सेकेंडरी स्टोरेज बनाना** जिसका उपयोग आकस्मिक अवधि के दौरान किया जा सकता है।
- दूसरी हरित क्रांति का समर्थन करने के लिए **पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विकास** करना क्योंकि इस क्षेत्र में भू-जल संसाधनों का 55-99% तक कम उपयोग किया जाता है।
- जल के दुरूपयोग को कम करने और उपज के स्तर से समझौता किए बिना उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए **खेत पर जल प्रबंधन में सुधार करना।**
- **सहभागिता युक्त जल प्रबंधन:** संगठित जल प्रयोक्ता संघों (Organised water users associations: WUAs) को बढ़ावा देने से प्रभावी फसल योजना एवं जल के न्यायसंगत वितरण में सहायता मिलेगी। साथ ही यह सरकार द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं और प्रदर्शन में सुधार के लिए फीडबैक और इनपुट के लिए चैनल के रूप में कार्य करेंगे।
- **वर्षा जल संचयन:** यह वर्षा जल के संग्रहण, भूजल स्तर में सुधार, विभिन्न क्षेत्रों को सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत लाने और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में फसल गहनता की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकता है।
- जल बजट के माध्यम से इसके उपयोग को किफायती बनाने के लिए **जल मूल्य निर्धारण और नियामक तंत्र स्थापित करना।**
- मृदा के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए, भूमि में जल के रिसाव को बढ़ाने के लिए और वर्षा जल को फसलों के लिए उपलब्ध नमी के रूप में परिवर्तित करने के लिए **हरित जल प्रबंधन हस्तक्षेप (Green water management interventions)** करना।
- उचित उपचार के बाद सिंचाई के लिए जल का पुनर्चक्रण।
- **राष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन निधि (National Irrigation Management Fund: NIMF) का सृजन करना:** सिंचाई प्रबंधन के प्रदर्शन में सुधार के लिए राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु।
- **डेटा-आधारित निर्णयन को सक्षम बनाना:** राज्यों को रियल टाइम निगरानी क्षमताओं के साथ सुदृढ़ जल डेटा सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेटा का उपयोग नीतिगत उद्देश्यों को लक्षित करने और व्यापक जल पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को सक्षम करने के लिए किया जा सकता है।

VISION IAS

- **सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना:** यह किसान को उर्वरक उपयोग, श्रम व्यय, और अन्य इनपुट के उपयोग को कम करने में सहायता करती है, जिसके परिणामस्वरूप इनपुट लागत कम हो जाती है।
  - यह परंपरागत क्यारी आधारित सिंचाई विधियों की तुलना में 40% तक जल की बचत करने के साथ-साथ फसल उत्पादकता में लगभग 47% और आय में लगभग 48% वृद्धि करने में भी सहायक है।

- **जल बजट (Water budgeting):** यह एक संतुलित जल उपयोग योजना है। इसके अनुसार सहभागी प्रबंधन के माध्यम से न्यायसंगत वितरण तथा मांग और आपूर्ति; साथ ही यह जल के अधिकतम संभावित उपयोग का प्रमुख साधन है।
- **ग्रीन वाटर:** पौधों के विकास के लिए उपलब्ध वह जल जो मृदा और जड़ों के आस-पास के क्षेत्र (root zone) में संग्रहित होता है **हरित जल (ग्रीन वाटर)** कहा जाता है।

7.3.2 सूक्ष्म सिंचाई कोष

(Corpus for Micro Irrigation Fund)

सुर्खियों में क्यों?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF) की स्थापना की गयी।

सूक्ष्म-सिंचाई

- इसका तात्पर्य सर्फेस ड्रिप, सबसर्फेस ड्रिप, बबलर और माइक्रो-स्प्रिंकलर प्रणाली द्वारा मृदा के ऊपर या नीचे, मंदगति से जल पहुँचाने से है। इससे फसलों की उपज एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है।
- सिंचाई जल की बचत के अतिरिक्त इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा बचत, श्रम लागत में बचत, उर्वरकोण में बचत, फसल उत्पादन में वृद्धि और कृषक लाभार्थी की शुद्ध वार्षिक आय में वृद्धि होती है।
- वर्ष 2012, 2015 और 2016 में बारम्बार पड़ने वाले सूखे के कारण, सूक्ष्म सिंचाई PMKSY के 'प्रति बूँद अधिक फसल (पर ड्राप मोर क्रॉप)' घटक के रूप में भारत में नीतिगत प्राथमिकता बन चुकी है।

भारत में सूक्ष्म-सिंचाई की स्थिति

- एक अध्ययन के अनुसार भारत में सूक्ष्म सिंचाई का औसत प्रचलन स्तर 5.5% है। केवल हरियाणा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में ही प्रचलन का स्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- भारत में सूक्ष्म सिंचाई को मुख्य रूप से शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा रहा है जहाँ भूजल, जल आवश्यकताओं की पूर्ति का प्राथमिक स्रोत है।
- सूक्ष्म सिंचाई टास्क फ़ोर्स ने **सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 69.5 मिलियन हेक्टेयर की संभावना** का अनुमान लगाया था, जबकि अभी तक कवर किया गया क्षेत्रफल केवल 10 मिलियन हेक्टेयर है।

सूक्ष्म सिंचाई फंड (MIF)

- इसका उद्देश्य **सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए** रियायती ब्याज दर पर राजकीय वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस हेतु वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 3,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
- इस सम्बन्ध में यह प्रस्तावित किया गया है कि MIF के अंतर्गत ऋण दर, NABARD द्वारा कोष जुटाने की लागत से 3% तक कम रहेगी।
- यह सम्पूर्ण भारत को कवर करेगा और नाबार्ड द्वारा विस्तारित ऋणों का 7 वर्ष में पुनर्भुगतान किया जा सकेगा जिसमें दो वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है।
- MIF के अंतर्गत प्रस्तावित ऋण दर, NABARD द्वारा कोष जुटाने की लागत से 3% कम है।

  सूक्ष्म सिंचाई पर टास्क फोर्स ने **सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 69.5 मिलियन हेक्टेयर की संभावना** का अनुमान लगाया है, जबकि अब तक कवर किया गया क्षेत्र केवल 10 मिलियन हेक्टेयर है।

VISION IAS

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- इसका उद्देश्य स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, क्षेत्रीय अनुप्रयोग और विस्तार संबंधी गतिविधियों हेतु सम्पूर्ण (एंड टू एंड) समाधान के साथ केंद्रित तरीके से सिंचाई की पहुंच का विस्तार करते हुए 'हर खेत को जल' और जल उपयोग दक्षता 'प्रति बूँद अधिक फसल' में सुधार लाना है।
- इसकी देखरेख और निगरानी सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों के साथ PM के अधीन अंतर-मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) का गठन किया जाएगा।
- PMKSY को निम्नलिखित मौजूदा योजनाओं को समेकित कर तैयार किया गया है:
    - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP);
    - एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP); तथा
    - खेत के स्तर पर जल प्रबंधन (OFWM) जोकि राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (NMSA) का घटक है।
- इसके अंतर्गत सभी क्षेत्रों अर्थात घरेलू, कृषि और उद्योगों के लिए जल प्रबंधन की रुपरेखा या जल बजट तैयार किया जाता है।

सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF) के लाभ

- यह प्रभावी और समयबद्ध ढंग से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक-'प्रति बूँद अधिक फसल (PDMC)' के प्रयासों का पूरक होगा। इसके द्वारा 50 से 90 प्रतिशत तक की जल उपयोग दक्षता को सुनिश्चित किया जा सकता है।
- इस कोष के द्वारा 5 वर्षों के दौरान **सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत अधिक क्षेत्र** (अर्थात लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर) शामिल किये जाने में सहायता मिलेगी।
- राज्य सरकार की गारंटी या समतुल्य संपार्श्विक (equivalent collateral) के माध्यम से किसान उत्पादक संगठन (FPO)/सहकारी समितियां/राज्य स्तरीय एजेंसियां **भी कोष का उपयोग** कर सकती हैं।
- इससे राज्यों को 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के दौरान **प्रति वर्ष सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र** को लाने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी सहित, अपनी पहलों के लिए **संसाधन जुटाने** में सहायता मिलेगी।
- **किसानों की आय में वृद्धि** - किसान उन्नत जल परिदृश्य में और नई फसलें शामिल कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरुप किसान की आय में वृद्धि होगी।

इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- **उपकरणों को लगाने की उच्च लागत-** माइक्रो-स्प्रिंकलर काफी महँगे होते हैं और किसानों की वित्तीय बाधाएं दूर करने के लिए, सरकार को सूक्ष्म-सिंचाई की लागत की 40-90% सीमा तक सब्सिडी प्रदान करनी होगी।
- **कार्यान्वयन में अक्षमता-** सूक्ष्म सिंचाई के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को समर्पित मिशन से बदलकर PMKSY के अंतर्गत NMSA के एक घटक के रूप में कर दिया गया है। इससे राज्यों में फंड के अनुपयुक्त उपयोग जैसी अक्षमताओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- **अन्य मुद्दों** में अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ ड्रिप एजेंसियों द्वारा गुणवत्ताहीन अनुवर्तन (follow up) सेवाएँ सम्मिलित हैं।

निष्कर्ष

- भारत में जल दबाव को ध्यान में रखते हुए फसल संरेखण और सूक्ष्म सिंचाई (Precision irrigation) को अपनाकर जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ड्रिप और स्प्रिंकलर तंत्रों द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई, सिंचाई के सभी रूपों अर्थात् सतह, लिफ्ट और भूजल के मामले में आवश्यक है।
- जल उपयोग दक्षता प्राप्त करने पर प्राथमिक रूप से ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। यह दक्षता सिंचित भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा कर उत्पादन में वृद्धि करने तथा खेती की लागत को कम करने में सहायक होगी। इसके लिए सभी लंबित मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करना आवश्यक है। इसके साथ ही छोटी तथा सूक्ष्म सिंचाई संरचनाओं पर अधिक बल दिया जाना चाहिए ताकि वर्षा सिंचित फसलों को संरक्षक प्रकृति की सिंचाई उपलब्ध करायी जा सके।

7.3.3. उर्वरक क्षेत्र (FERTILIZER SECTOR)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने वर्ष 2022 तक यूरिया उर्वरक की खपत को आधा करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

  सरकार ने वर्ष 2016-17 में उर्वरक सब्सिडी के कारण बकाया दावों के भुगतान के लिए 10,000 करोड़ रुपये हेतु विशेष बैंकिंग व्यवस्था (SBA) को भी अनुमोदित किया है।

VISION IAS

नीतिगत और विधायी पहल

- **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 2010:** यह **22** उर्वरकों (यूरिया को छोड़कर) के लिए लागू की गई है। इन उर्वरकों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) का निर्धारण फास्फेट और पोटाश **(P&K)** उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों, विनिमय दरों और देश में स्टॉक के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।·

इसका उद्देश्य

- यह सुनिश्चित करना कि किसानों को सांविधिक रूप से नियंत्रित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में फास्फेट और पोटाश उर्वरक उपलब्ध हो।
- उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादकता में सुधार करना, स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करना और सब्सिडी के बोझ को कम करना।
- **नई यूरिया नीति 2015:** यह नीति, घरेलू यूरिया को ऊर्जा कुशल बनाने और सब्सिडी के बोझ को कम करने पर ध्यान केन्द्रित करती है।
- **नीम लेपित यूरिया** (NCU): **NCU** का **100%** उत्पादन अनिवार्य है**,** इनके लाभों में शामिल हैं:
    - मृदा में यूरिया का विघटन मंद गति से होता है**,** जिससे यूरिया की कम मात्रा की आवश्यकता होती है।
    - NCU, रासायनिक उद्योग**,** विस्फोटकों आदि जैसे गैर-कृषि कार्यों में संघटक सामग्री के रूप में यूरिया के अवैध उपयोग को रोकता है।
- **गैस पूलिंग:** री-गैसीफाइड **LNG** (जिसका आयात किया जाता है) के साथ घरेलू गैस की पूलिंग की जाती हैं। इससे प्राकृतिक गैस ग्रिड से जुड़े सभी यूरिया विनिर्माण संयंत्रों को **एकसमान वितरण मूल्य** पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
- सिंगल सुपर फॉस्फेट (**SSP**) के निर्माताओं के लिए **न्यूनतम उत्पादन मानदंड को समाप्त करना** जिससे वे कृषि प्रयोजनों के लिए **SSP** की उत्पादित मात्रा और बिक्री के बावजूद सब्सिडी के पात्र बन जाएँगे।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड:** किसान इसके द्वारा उर्वरकों के अतार्किक प्रयोग से बचने के लिए उर्वरक की अपनी स्वनिर्धारित आवश्यकता को प्राप्त कर सकते हैं ।

भारत में उर्वरक उद्योग

- भारत, चीन के बाद यूरिया उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में दूसरे और फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जबकि देश में पोटाश के सीमित भंडार होने के कारण पोटाश की आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।
- यह **आठ आधारभूत उद्योगों में से एक है।**

संबंधित मुद्दे: उर्वरक क्षेत्र के मुद्दों में कई हितधारक शामिल हैं, जैसे कि:

उर्वरक कंपनियां

- **महंगा फीडस्टॉक**-वर्तमान यूरिया क्षमता का लगभग 20 प्रतिशत अभी भी फीडस्टॉक के रूप में नेफ्था या ईंधन तेल पर निर्भर है। नेफ्था की पूंजीगत लागत प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक होती है।
- यूरिया आयात का **उच्च कैनलाइजेशन** (उर्वरक कंपनियों को केवल तीन एजेंसियों के माध्यम से इसे आयात करना पड़ता है ये एजेंसियाँ हैं; राज्य व्यापार निगम, MMTC और इंडियन पोटाश लिमिटेड)। जिससे प्राय: उद्योग के लिए यूरिया की माँग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो जाता है।
- DAP (डी-अमोनियम फॉस्फेट) उर्वरक के आयात के लिए **उचित मूल्य निर्धारण मापदंड विद्यमान नहीं** है। इससे अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं और घरेलू उर्वरक कंपनियों के मध्य अनुबंधों को अंतिम रूप देने में विलंब होता है।

सरकार

- **वित्तीय स्थिति**: उर्वरक के क्षेत्र में अत्यधिक वित्तीय सब्सिडी (लगभग 0.73 लाख करोड़ रुपये या GDP का 0.5 प्रतिशत) प्रदान की जाती है। इस पर खाद्य पदार्थों के बाद दूसरी अधिकतम सब्सिडी खर्च की जाती है और कुल सब्सिडी का केवल 35% ही अपेक्षित लाभार्थियों तक पहुँच पाता है।
- **काला बाजारी:** भारत में यूरिया की अत्यंत कम कीमत के कारण गैर-कृषि कार्यों में इसका प्रयोग होता है और साथ ही पड़ोसी देशों जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल में इसकी तस्करी की जाती है।
- रोडमैप: NBS उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के पास कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं था। इसके परिणामस्वरूप उर्वरकों के असंतुलित उपयोग पर नियंत्रण स्थापित करने की नीति विफल हो गयी। इस सन्दर्भ में मात्रात्मक वितरण और विशिष्ट समय-सारिणी के साथ विशिष्ट सुसंगत उपायों को तैयार करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- निगरानी तंत्र: उर्वरक विभाग (DoF) में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं है कि उर्वरक कम्पनियों द्वारा निर्धारित कीमत उनकी उचित उत्पादन लागत पर आधारित है या नहीं।

किसान/कृषि

- **उच्च लागत**: उर्वरकों की काला बाजारी के कारण प्रायः लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कृषि निवेश की लागत बढ़ जाती है।
- **अवैज्ञानिक उपयोग**: अन्य उर्वरकों, विशेषकर P&K के सापेक्ष यूरिया की कम कीमत इसके अत्यधिक उपयोग /अवैज्ञानिक उपयोग को प्रोत्साहित करती है। परिणामस्वरूप मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आती है साथ ही पर्यावरणीय निम्नीकरण भी होता है।

उर्वरक उद्योग में DBT : इस प्रणाली के अंतर्गत कृषकों द्वारा उर्वरक की खरीद को प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनों पर दर्ज किया जायेगा। तत्पश्चात सरकार की ओर से उर्वरक फर्मों को सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।

उर्वरक उद्योग में DBT के लाभ:

- यह एक लाभार्थी-चालित सब्सिडी भुगतान योजना है।
- यह लाभार्थियों के आधार कार्ड से जुड़े डेटाबेस का निर्माण करती है। इसके फलस्वरूप क्रेताओं के स्तर पर हुए लेनदेन के विवरण तक सरकार को पहुँच प्राप्त हो जाएगी।
- यह सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला (विनिर्माता श्रृंखला से लाभार्थियों तक) के स्तर पर फण्ड की अधिक पारदर्शी और तीव्र ट्रैकिंग को सुविधाजनक बनाता है।
- यह वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु किये जाने वाले उर्वरक के उपयोग को कम करता है।
- यह कृषकों की सहायता के लिए पोषक तत्वों के उपयोग के सन्दर्भ में डेटा का सृजन करता है।

उर्वरक उद्योग में DBT की चुनौतियां:

- वर्ष में सर्वाधिक मांग की अवधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) के कारण अनावश्यक विलंब (बायोमेट्रिक मिसमैच, ऑथेंटिकेशन फेलियर, इंटरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि) होता है या खुदरा विक्रेता 'समायोजित लेनदेन' (कुछ आधार संख्याओं पर दिन के सभी विक्रय पंजीकृत करना) का सहारा ले सकता है। इसके साथ ही एडवांस्ड बुकिंग सिस्टम जैसे तीव्र परीक्षण तंत्र की आवश्यकता है।
- उपर्युक्त सन्दर्भ में प्रभावी संचार आवश्यक है ताकि किसानों से अधिक शुल्क न लिया जा सके।
- इन सभी के अतिरिक्त एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र भी अत्यंत आवश्यक है।

उठाए जा सकने वाले कदम

- यूरिया आयात की **डी-कैनलाइजिंग** आवश्यक है, जिससे उर्वरक आपूर्ति-माँग में परिवर्तन के प्रति परिस्थितियों के अनुरूप और शीघ्रता से प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सके।
- **दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करना**-ओमान में उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त उपक्रम के उदाहरण का अनुसरण करते हुए ईरान जैसे स्थानों से दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करना, जहां ऊर्जा की कीमत कम है।
- **सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना** -विभिन्न उत्पादों पर सब्सिडी का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि संबंधित खुदरा कीमतें किसानों को संतुलित अनुपात में उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करें।
- जोत के आकार या किसी अन्य आधार पर किये गए गरीबी के आकलन के अनुरूप काश्तकारों और बटाईदारों के लिए उर्वरक सब्सिडी हेतु **बेहतर लक्ष्यीकरण समय की माँग** है।
- **जैविक उर्वरक को प्रोत्साहन**:यह प्रोत्साहन उर्वरक क्षेत्र में सभी प्रकार के हितधारकों के लिए दोहरी जीत की स्थिति उत्पन्न करेगा जैसे - किसान के उत्पादों की बेहतर उपज, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को दूर करना, सरकार पर सब्सिडी के बोझ में कटौती और अर्थव्यवस्था के राजकोषीय विवेक में सुधार।

7.3.4. बीज उद्योग

(Seed Industry)

सुर्खियों में क्यों?

- हालिया रिपोर्टों में दर्शाया गया है कि 2009-2016 के दौरान भारतीय बीज बाजार 17% की वृद्धि दर से बढ़कर 2016 में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो गया है।

बीज उत्पादन, प्रजनन प्रणाली के माध्यम से गुजरता है; **प्रजनक बीज (ब्रीडर सीड) ------ आधार बीज (फाउंडेशन सीड) ------ प्रमाणित बीज (सर्टिफाइड सीड)**

प्रजनक बीज का उत्पादन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है और आधार तथा प्रमाणित बीज का उत्पादन राष्ट्रीय बीज निगम (मिनीरत्न) द्वारा किया जाता है।

VISION IAS

विधायी पहलें

वर्तमान में बीज क्षेत्र निम्नलिखित कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है;

- **बीज अधिनियम, 1966**: प्रमाणित बीज की गुणवत्ता को विनियमित करता है।
- **बीज नियंत्रण आदेश,** 1983: बीजों की बिक्री को नियंत्रित करता है और लाइसेंस प्रदान करता है।
- **नई बीज विकास नीति, 1988:** बीजों के आयात, निर्यात आय और कृषि आय बढ़ाने पर जोर।
- **पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (PPVFR Act**): यह पौधों के प्रजनकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करता है।
- **राष्ट्रीय बीज नीति 2002-** निम्न पर आधारित है:
    - बीज की किस्मों का विकास, बीज उत्पादन, निजी क्षेत्र को प्रमुख कर्ता के रूप में प्रोत्साहित करके बीज वितरण व विपणन, अवसंरचना सुविधा तथा नेशनल जीन फण्ड।
- **EXIM पॉलिसी 2002-07**: कुछ विशेष प्रकार के बीजों जैसे कि प्याज, बरसीम, काजू आदि को छोड़कर निर्यात प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया गया है।
- **बीज बिल 2004 (seed bill 2004)**:
    - यह बीज अधिनियम, 1966 को प्रतिस्थापित करता है।
    - बीजों के लिए न्यूनतम बीज मानक निर्धारित करता है।
    - बीजों की अनुपयोज्यता (non-performing) की स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मुआवजे का प्रावधान किया जा सकता है।
    - निजी बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के स्व-प्रमाणीकरण और मान्यता हेतु प्रावधान, और ट्रांसजेनिक बीजों का विनियमन
- **राष्ट्रीय बीज योजना, 2005:** कृषि शैक्षिणिक संस्थानों, बीज कंपनियों और राज्य सरकार के मध्य एक सहक्रियाशील दृष्टिकोण पर बल।

भारत में बीज उद्योग

- भारत विश्व में पांचवां सबसे बड़ा बीज बाजार है।
- इसके 2017-2022 की अवधि के दौरान 15% से अधिक दर से बढ़कर वर्ष 2022 तक 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने की संभावना है।
- मक्का, कपास, धान, गेहूं, ज्वार, सूरजमुखी और बाजरा जैसे बीजों का बीज बाजार में प्रमुख योगदान है।
- अन्य आगतों के कुशल प्रबंधन द्वारा कुल उत्पादन में गुणवत्तापूर्ण बीजों के प्रत्यक्ष योगदान को 45% तक बढ़ाया जा सकता है।

सम्बंधित मुद्दे

बीज क्षेत्र से संबंधित मुद्दों में विभिन्न हितधारक सम्मिलित हैं, जैसे ;

बीज कंपनियां

- कंपनियों के लिए जटिल और अस्थिर IPR व्यवस्था और विभिन्न लाइसेंसिंग शर्तों के चलते निजी कम्पनियों द्वारा अनुसंधान में निवेश उनकी आय का केवल 3-4% है जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक 10-12% है।
- इसके अतिरिक्त, GM फसल बीज के संबंध में जो वर्तमान प्रौद्योगिकी प्रदाता कम्पनियाँ है वो लगभग एकाधिकार की स्थिति में है।

सरकार

- महाराष्ट्र और तेलंगाना में अनधिकृत GM फसलों पर आधारित बीजों की बड़े पैमाने पर अवैध बिक्री तथा रोपण को प्रतिबंधित करने में नियामकीय विफलता के मामले प्रकाश में आए हैं।
- विभिन्न कृषि अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि बीज क्षेत्र की नीतियों में दूरदर्शी दृष्टिकोण का अभाव है तथा ये विखंडित कार्यवाहियों पर आधारित हैं।

किसान

- अधिकतर फसलों हेतु बीज प्रतिस्थापन दर 20 प्रतिशत के वांछित स्तर से नीचे बनी हुई है।
- कृषि से उत्पादित हुए बीजों के गैर-वैज्ञानिक उपयोग से कृषि उत्पादन में कमी आती है, जिससे कृषि आय घटती है।
- बीजों हेतु इष्टतम बीज गुणक दर (प्रजनन प्रणाली) को प्राप्त करने के लिए कम भूमि की उपलब्धता किसानों के समक्ष एक चुनौती बन गई है।

VISION IAS

उठाये जाने वाले कदम

- अवैध GM कपास उत्पादित करने वाले कृषि क्षेत्र की पहचान करने और उन क्षेत्रों पर अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर **एक तीव्र कार्यवाही ढांचे** की आवश्यकता है।
- **GM तकनीक पर फोकस:** GM फसलों के लिए राष्ट्रीय नीति जो इनके उपयोग के लिए सही क्षेत्रों को परिभाषित करेगी व GM तकनीक में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
- **त्वरित समाधान:** इस उद्योग को प्रभावित करने वाले विभिन्न IPR कानूनों के बीच के अस्पष्टता को समाप्त करना। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सरकार कैसे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बौद्धिक संपदा का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ-साथ अनुसंधान निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करेगी।
- **प्रोत्साहन:** कम मूल्य तथा उच्च उत्पादन क्षमता युक्त बीजों के उत्पादन के लिए, बैंक को स्वीकार्य योजनाओं के तहत निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।
- **बीज-अनुसंधान क्षमता में वृद्धि:** बीज क्षेत्र में निजी निवेश को हतोत्साहित करने वाले बीज मूल्य (नियंत्रण) आदेश और अन्य प्रतिबंधों को समाप्त कर बीज उत्पादन और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इसके साथ ही बीज के लिए **एक सुदृढ़ तृतीय पक्ष गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **विनियामक तंत्र**: बीज और बायोटेक उद्योग पारदर्शी, विज्ञान-आधारित, पूर्वानुमेय और निष्पक्ष बनाने हेतु विनियामकीय तंत्र को सुदृढ़ करना।
- **एकीकृत दृष्टिकोण:** बीज प्रतिस्थापन दर में सुधार तथा कृषि-जलवायु क्षेत्र के अनुरूप उपयुक्त गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ सामान्य तथा क्षेत्र विशिष्ट बाधाओं को समाप्त करने हेतु निर्धारित लक्ष्य के साथ प्रयास किया जाना चाहिए।

7.3.5. कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2017 का मसौदा

(Draft Pesticides Management Bill 2017)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2017 प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य कीटनाशकों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, निरीक्षण, परीक्षण और वितरण को नियंत्रित करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

वर्तमान में भारत एशिया में कीटनाशकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और कीटनाशकों के उपयोग में विश्व में 12वें स्थान पर है।

- भारत में लगभग **150 कीटनाशक पंजीकृत हैं।**
- **कुल कृषि क्षेत्र का लगभाग 40 प्रतिशत हिस्सा** कीटनाशकों द्वारा उपचारित किया जाता है (भारतीय कृषि की स्थिति 2015-2016)।
- आंध्र प्रदेश, कीटनाशकों का अग्रणी उपभोक्ता हैं, तत्पश्चात महाराष्ट्र और पंजाब का स्थान है।

भारत में कीटनाशक प्रबंधन से संबंधित मुद्दे

- **अविनियमित बिक्री:** कीटनाशकों के अंधाधुंध एवं एकतरफा उपयोग ने मानव एवं पशु स्वास्थ्य के लिए खतरे, पारिस्थितिकीय असंतुलन, कीटनाशकों के प्रति कीटों में प्रतिरोध के विकास, कीटों के पुनरुत्थान और पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं (जैव-नियंत्रण एजेंट) के विनाश जैसे विभिन्न दुष्प्रभाव उत्पन्न किये हैं और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से मृदा, जल, भोजन में कीटनाशकों के अवशेषों के स्तर में भी वृद्धि हुई है।
- **विभिन्न संलग्न निकाय:** केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति फसलों के लिए कीटनाशकों का पंजीकरण करता है जबकि FSSAI इस बात का निर्धारण करता है कि फसलों में कीटनाशकों के अवशेष अधिकतम किस सीमा तक होने चाहिए। तत्पश्चात राज्य कृषि विश्वविद्यालय और विभाग इन कीटनाशकों के लिए अपनी अनुशंसाएं करते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सही सूचना किसानों तक नहीं पहुँच पाती है।
- **अन्य देशों में प्रतिबंधित रसायनों की बिक्री:** ऐसे 93 रसायन हैं जो अधिकांश विकसित देशों और नेपाल तथा बांग्लादेश जैसे कुछ पड़ोसी देशों में भी प्रतिबंधित या सीमित हैं किन्तु भारत में उनकी बिक्री की जाती है। ऐसे कम से कम 18 अन्य कीटनाशक हैं जिन्हें WHO ने अत्यधिक घातक माना है।

VISION IAS

- **कीटनाशक निर्माताओं का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार:** कीटनाशकों की बोतलों या पैकेट के लेबल पर स्वीकृत उपयोग, सही खुराक और प्रतीक्षा अवधि का उल्लेख नहीं किया जाता है।

इस विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- **पुराने कानून की समाप्ति:** यह 1968 के कीटनाशक अधिनियम को प्रतिस्थापित करने और कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रस्तावित कदम है।
- **केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड की स्थापना:** केंद्र और राज्य सरकार को कीटनाशकों के कारण होने वाले जोखिमों की रोकथाम, पंजीकृत कीटनाशकों के प्रदर्शन की निगरानी, कीटनाशकों के निर्माण की प्रक्रिया, इनके विज्ञापन हेतु विनियम तथा दिशा-निर्देश के संबंध में परामर्श देने के लिए।
- **पंजीकरण समिति की स्थापना:** कीटनाशकों के त्वरित पंजीकरण, कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति देने या प्रतिबंधित करने और कीटनाशकों को अधिसूचित करने आदि के लिए।
- **वर्गीकरण:** इसके द्वारा मानदंड निर्धारित किए जाएंगे, जिनके आधार पर कीटनाशक को मिसब्रांडेड, सबस्टैण्डर्ड या स्प्यूरियस (नकली) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- **दंड:** यह उल्लंघनकर्ताओं के लिए दंड में वृद्धि का समर्थन करता है और राज्य सरकारों को इनके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है।
- **क्षतिपूर्ति:** यह उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के तहत प्रभावित किसानों या उपयोगकर्ताओं के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करता है।
- **मानदंडों को कठोर करना:,** इसमें नए कीटनाशकों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग के लिए दिशा-निर्देशों को कड़ा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कीटनाशकों की टॉलरेंस लिमिट (कीटनाशक की वह अधिकतम स्वीकृत मात्रा जो खाद्य पदार्थ में अवशेष के रूप में बनी रह सकती है) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट की जाएगी।
- **रिपोर्टिंग:** राज्य सरकारों द्वारा त्रैमासिक आधार पर केंद्र को विषाक्तता के सभी प्रकरणों की सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे छह महीने तक के लिए रासायनिक कीटनाशकों को प्रतिबंधित कर सकते है। वर्तमान में यह अवधि 2 माह है।

कीटनाशकों से संबंधित अन्य पहलें

- **राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशकों के अवशेषों की निगरानी:** यह देश के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में कृषिगत वस्तुओं में कीटनाशकों के अवशेषों की निगरानी और विश्लेषण के लिए कृषि मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- हितधारकों के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के लिए ***ग्रो सेफ फ़ूड*** अभियान आरंभ किया गया है।
- **किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नीति आयोग ने** जैविक कृषि का प्रस्ताव दिया है ताकि कीटनाशकों की खपत को कम किया जा सके।
- भारत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के नेतृत्व में संचालित, स्थायी जैविक प्रदूषकों के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन और कीटनाशियों के निर्यात-आयात के लिए रॉटरडम कन्वेंशन का हस्ताक्षकर्ता है।
- **एकीकृत कीट प्रबंधन** एक पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण है। इसका लक्ष्य सभी उपलब्ध वैकल्पिक कीट नियंत्रण विधियों और तकनीकों जैसे-पारंपरिक, यांत्रिक और जैविक को नियोजित कर कीटों की संख्या को आर्थिक सीमा स्तर (ETL) से कम रखना है। इसके अंतर्गत जैव-कीटनाशकों और पादप आधारित कीटनाशकों (उदाहरणार्थ नीम से बनाया गया कीटनाशक) के उपयोग पर बल दिया जाता है।
  - एक अंतिम उपाय के रूप में उस स्थिति में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग की सलाह दी जाती है यदि फसल में कीटों की संख्या आर्थिक सीमा स्तर (ETL) को पार कर जाती है।
  - राष्ट्रीय कृषि नीति - 2000 और राष्ट्रीय कृषक नीति - 2007 ने IPM का समर्थन किया है।
  - भारत में कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग (DAC) द्वारा "राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)" के अंतर्गत "1991-92 में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" योजना को आरम्भ किया गया है"।

VISION IAS

कीटनाशक अधिनियम 1968 से जुड़े मुद्दे

- **लंबी पंजीकरण प्रक्रिया-** नए कीटनाशकों के पंजीकरण में लगभग 3-4 वर्ष लगते हैं। इससे कृषि के लिए इसका आदान (इनपुट) मूल्य पुन: बाधित होता है।
- **डाटा संरक्षण की कमी-**इसके कारण विकसित विश्व की तुलना में किसानों के लिए नए और हरित रासायनिक कीटनाशकों तक पहुँच में विलम्ब होता है।
- भविष्य के संभावित नकारात्मक परिणामों की स्थिति में **कम क्षतिपूर्ति** राशि।
- **कठोर दंड प्रावधानों की कमी** और कीटनाशक प्रबंधन के लिए अत्यधिक केंद्रीकरण तंत्र।

विधेयक का विश्लेषण

- **अस्पष्ट परिभाषा:** कीटनाशकों और कई अन्य शब्दावलियों की अस्पष्ट परिभाषा जैसे कि 'उपयोगकर्ता' को विधेयक के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। इससे अनुचित उपयोग का उत्तरदायित्व किसानों पर आ सकता है।
- **जवाबदेही का अभाव:** विधेयक में डाटा संरक्षण की समय सीमा और निरीक्षक द्वारा नकली कीटनाशकों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।
- **दंड प्रावधान:** विधेयक कीटनाशकों का विपणन करने वाली कंपनियों पर दंड संबंधी प्रावधान लागू करने के मुद्दों को संबोधित नहीं करता हैं।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय निगरानी समिति**–निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने हेतु **कीटनाशक विकास और विनियमन प्राधिकरण** गठित करना समय की आवश्यकता है।
- **पारदर्शिता:** पंजीकरण समिति द्वारा एकत्र किए गए सभी नमूने और परीक्षण परिणाम इंटरनेट पर पूर्व निर्धारित अवधि के लिए प्रदर्शित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त कृषि विभागों के लिए **अनिवार्य ई-प्रलेखन** (IT अधिनियम, 2000 के अनुसार) प्रक्रिया में तेजी लाएगा और पारदर्शिता में वृद्धि करेगा।
- **शक्ति का प्रत्यायोजन:** वर्तमान में, स्पष्ट उल्लंघन की स्थिति में केवल मजिस्ट्रेट ही कीटनाशकों की बिक्री के निलंबन का आदेश दे सकता है। यें शक्तियाँ पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर को भी प्रदान की जानी चाहिए ।
- प्रवेश संबंधी अवरोधों को दूर करके और नई पीढ़ी के कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहित कर **प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना**।
- अर्ह डीलरों द्वारा प्रबंधित **मजबूत खुदरा नेटवर्क** की स्थापना करना ताकि इनके द्वारा, किसानों को केवल कीटनाशकों का विक्रय करने के अतिरिक्त अन्य संबंधित सेवाएँ भी प्रदान की सकें।
- **R&D**:कीटनाशक उद्योग द्वारा की जाने वाली अनुसंधान और विकास (**R&D**) संबंधी गतिविधियाँ को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे **'मेक इन इंडिया'** को बढ़ावा मिलेगा और आयातित फार्मूलों पर निर्भरता कम होगी।
- **उपयोग पश्चात प्रबंधन:** उपयोग के पश्चात् खाली हो चुके कंटेनरों का प्रबंधन चुनौती के रूप में उभर रहा है। इसके सुरक्षित निपटान और दहन (इन्सिनरेशन) के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है और इस संबंध में **'स्वच्छ भारत'** के एक अंग के रूप में किसानों को शिक्षित किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है ।'

7.4. कृषि में प्रौद्योगिकी की भूमिका

(Role of Technology in Agricultural)

परिचय

- भारतीय कृषि की महत्त्वपूर्ण विशेषता इसकी विभिन्न क्रांतियाँ हैं जिनसे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति तथा श्वेत क्रांति भारतीय कृषि की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही हैं। इन सभी क्रांतियों में एक सामान्य लक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग था। ध्यातव्य है कि प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के बिना इन क्रांतियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जिनके परिणामस्वरूप भारत कई महत्वपूर्ण खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है।
- तकनीकी हस्तक्षेप में आमूल-चूल परिवर्तन ने भारत को खाद्यान्न का आयात करने वाले देश से एक आत्मनिर्भर देश और यहां तक कि खाद्यान्न का निर्यात करने वाले देश के रूप में परिवर्तित कर दिया है।
- कृषि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रेरित विकास के परिणामस्वरूप, खाद्य की मांग में वृद्धि की गति के अनुरूप उत्पादकता एवं विभिन्न फसलों व वस्तुओं के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है।
- परंतु वर्तमान में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे- गुणवत्तायुक्त जल की उपलब्धता की कमी, मृदा में पोषक तत्वों का अभाव, जलवायु परिवर्तन, कृषि-भूमि में ऊर्जा उपलब्धता, जैव विविधता की क्षति, नए कीटों तथा रोगों का उदय, कृषि भूमि का विखंडन, ग्रामीण-नगरीय प्रवास इत्यादि। इनके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र पर दबाव उत्पन्न हो रहा है और वांछित/त्वरित वृद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है।

VISION IAS

कृषि में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं:

- **संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियाँ:** इनका लक्ष्य कम लागत पर अधिक उत्पादन करने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधन आधार तथा मृदा की गुणवत्ता को भी अच्छी स्थिति में बनाए रखना है, जैसे- शून्य जुताई कृषि। ये किसानों के लिए आय के परिप्रेक्ष्य से तथा अंतिम उपभोक्ता के लिए मुद्रास्फीति दबाव को कम करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं।
- **अनावश्यक उत्पादन तथा उत्पादन में होने वाले घाटे को कम करना:** अवशिष्ट तथा उप-उत्पादों सहित खेत के समस्त कृषि उत्पादों को उपयोगी और आर्थिक रूप से लाभकारी वस्तुओं में परिवर्तित करना। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि इन अपशिष्ट उत्पादों के नुकसान की भरपाई हेतु उपभोक्ताओं के लिए प्रति इकाई मूल्य में बढ़ोतरी न हो। साथ ही यह उत्पादन की और अधिक मात्रा को मुद्रीकृत करने की अनुमति देता है।
- **फसल कटाई के पश्चात प्रयोग होने वाली (पोस्ट-हार्वेस्ट) प्रौद्योगिकियाँ :** पोस्ट-हार्वेस्ट अवसंरचना की अनुपस्थिति के कारण कृषि उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है।
    - शीत भंडार, प्रसंस्करण इकाइयां, अगम्य क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क तथा पंचायत स्तर पर स्थानीय विनियमित बाजारों की स्थापना के रूप में उपयुक्त पोस्ट-हार्वेस्ट अवसंरचना सुनिश्चित कर, मूल्य वृद्धि तथा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इससे दूसरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में भी सहायता मिल सकती है।
- **जलवायु प्रत्यास्थ प्रौद्योगिकियां:** इसका मूल उद्देश्य किसानों को स्वयं के संसाधनों के कुशल प्रबंधन के माध्यम से जलवायु की परिवर्तनशीलता का सामना करने में सक्षम बनाना है। देश की एक बड़ी जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता और उनके पास जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए उपयुक्त क्षमता का अभाव होने के कारण भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य है।
- **जैव प्रौद्योगिकी (उच्च उपज प्रौद्योगिकी):** कृषि में जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग खाद्य फसलों को उच्च उपज प्रदान करने में समर्थ तथा जैविक एवं अजैविक दबावों के प्रति अधिक सुदृढ़ बना सकता है। यह खाद्य आपूर्ति में स्थिरता ला सकती है एवं उसमें वृद्धि कर सकती है, जो कि बढ़ती खाद्य मांग, जलवायु परिवर्तन तथा भूमि एवं जल के अभाव को देखते हुए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, GM फसलें।
- **नैनो प्रौद्योगिकी:** यह मृदा उत्पादकता को बढ़ाने एवं फसल पोषण को संतुलित करने; खर-पतवार का प्रभावी नियंत्रण करने; कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग कर बीज के उद्भवन में वृद्धि करने; कृषि रसायनों की आपूर्ति; पर्यावरणीय दबाव और फसल की स्थिति की निगरानी तथा पर्यावरणीय दबाव एवं रोगों के विरुद्ध पौधों के प्रतिरोधी लक्षणों में सुधार करने के लिए फील्ड-सेंसिंग सिस्टम के उपयोग को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है। उदाहरण- एंटीमाइक्रोबियल एजेंटों के रूप में नैनो आकार के चांदी के कणों का उपयोग।
- **कृषि का मशीनीकरण:** भारत के कृषि क्षेत्रक में श्रम की हिस्सेदारी (55%) कृषि भूमि के मशीनीकरण (40%) की तुलना में काफ़ी अधिक है। भारत में कृषि के कम लाभकारी होने के कारण कृषकों की निर्धनता में वृद्धि हुई है।
    - अतः भारत में कृषि में यंत्रों के उपयोग में वृद्धि की जानी चाहिए क्योंकि इससे बीज की लागत में 15-20% की बचत, उर्वरकों की लागत में 15-20% की बचत, फसल गहनता में 5-20% की वृद्धि, समय में 20-30% की बचत, शारीरिक श्रम में 20-30% की कमी तथा कृषि उत्पादकता में 10-15% की समग्र वृद्धि की जा सकती है।

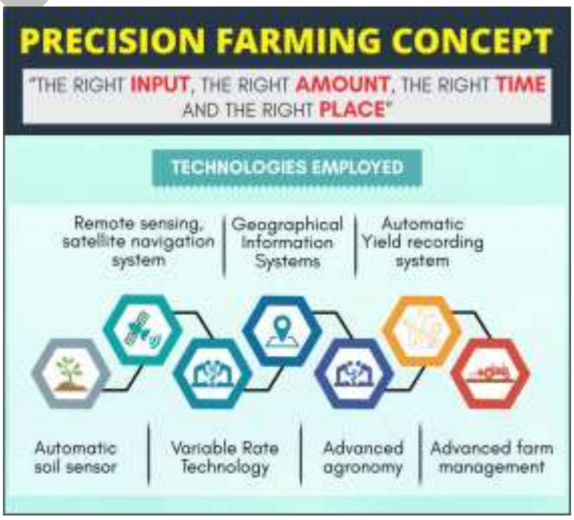

- **उभरती हुई प्रौद्योगिकियां:** बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT), ब्लॉक चेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक एवं सेंसर इत्यादि जैसी विकासशील प्रौद्योगिकियों का विकास अंतर-संबंधित है। इनका उपयोग कृषि मूल्य व्यवस्था में परिवर्तन करने हेतु खेतों और किसानों द्वारा सृजित बिग डेटा के विश्लेषण के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया को इष्टतम करने के लिए किया जाता है।
    - हाल ही में, नीति आयोग एवं IBM ने महत्वाकांक्षी जिलों में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग द्वारा परिशुद्ध कृषि (Precision Agriculture)** के विकास के लिए एक आशय ज्ञापन (स्टेटमेंट ऑफ़ इंटेंट) पर हस्ताक्षर किए हैं।

आगे की राह

- वर्तमान में इष्टतम दृष्टिकोण यही है कि ग्रामीण आय में वृद्धि के माध्यम से **'साइंस ऑफ डिस्कवरी' से 'साइंस ऑफ़ डिलीवरी'** की ओर बढ़ना चाहिए।

VISION IAS

- कृषकों को उनके उत्पाद को कुशलतापूर्वक बाजार में बेचने तथा लाभ प्राप्त करने में सहायता करने हेतु **मांग-चालित नवाचार पर ध्यान केंद्रित** करने की आवश्यकता है।
- सुदृढ़ तकनीकी आधार निर्मित करने के लिए प्रत्येक राज्य को उत्तरदायित्व लेने, पर्याप्त बजटीय समर्थन के साथ सुदृढ़ कार्यान्वयन योजनाओं का निर्माण करने तथा आधार इंडिया **स्टैक एंड स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर (Stack and Spatial Data Infrastructure : SDI)** का लाभ उठाने की आवश्यकता है।
- प्राथमिकता के क्रम में समस्याओं का समाधान करने हेतु दक्षता एवं विकसित प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में **सार्वजनिक शोध प्रणाली को प्रोत्साहित करने तथा उसे सुदृढ़ करने** की तत्काल आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जहाँ भी सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) से लाभ मिलने की संभावना हो वहाँ इसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए ।
- **बीज व्यवस्था पर नवाचारी मॉडल** जो किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और राज्य बीज निगमों (SSCs) के साथ बीज की किस्मों के सहभागी चयन का लाभ उठाते हैं, विभिन्न फसलों में वांछित बीज प्रतिस्थापन अनुपात को बनाए रखने में सहायक होंगे।
- SDI और आधार के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं को जोड़कर कृषि-भूमि के स्तर पर **क्षेत्रीय अभिसरण** को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। यह कृषि में आगतों की उपयोग दक्षता (सिंचाई तथा उर्वरक जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं) में वृद्धि करने के लिए सब्सिडी को खेतों और कृषकों की आवश्यकताओं की ओर लक्षित करेगा। इसके साथ ही ये बाजार मूल्य स्थिरीकरण का समर्थन करेगा और अंततः जोखिम में कमी करने के लिए फसल वृद्धि की ऋतु से पूर्व ही कृषकों के समक्ष सरल विकल्पों को प्रस्तुत करेगा (उत्पादन व बाजार) और आगतों को अनुकूलित कर संरचित बाजारों में एकीकृत करेगा।
- कृषि उत्पादकता तथा उपज में वृद्धि करने हेतु स्टार्ट-अप तथा नवीन तकनीक के माध्यम से **कृषि में नवाचार को प्रोत्साहित करना।**

7.5. संबद्ध क्षेत्र (Allied Sector)

परिचय

कृषि और संबद्ध क्षेत्र गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को कम करने, आय का विविधीकरण करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सतत विकास को प्राप्त करने के माध्यम से भारत के आर्थिक
विकास की प्रक्रिया में एक अपरिहार्य एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हाल के वर्षों में, भारतीय कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी बदलाव आया है। ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आई है और संबद्ध गतिविधियां आजीविका सम्बन्धी रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण भाग बन गयी हैं।

बढ़ती आय के साथ उपभोग प्रतिरूप में बदलाव इन उत्पादों की मांग में वृद्धि को दर्शाता है क्योंकि भारत में आय में वृद्धि और गरीबी में कमी आई है। इसके अतिरिक्त, इन उत्पादों में से अधिकांश के लिए वृहत निर्यात बाजार विद्यमान हैं जो उत्पादकता, मजदूरी और आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान करते हैं।

बागवानी

- कुल फसल क्षेत्र के 8.5% पर की जाने वाली बागवानी भारत के कृषि GDP का 30% है।
- 2017 में बागवानी फसलों (फलों, सब्जियों और मसालों) का उत्पादन लगातार पांचवें वर्ष खाद्यान्न के उत्पादन से अधिक रहा।
- खाद्यान्न की तुलना में, अधिकांश बागवानी फसलों के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है और इस प्रकार बागवानी फसलें मानसून में कमी से अधिक प्रभावित नहीं होती हैं।
- संसाधन-विपन्न गरीब किसानों को बागवानी क्षेत्र में वृद्धि से सर्वाधिक लाभ होता है क्योंकि फल और सब्जियां **अधिकांशतः सीमांत और छोटे किसानों** (जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है) द्वारा उगाई जाती हैं।
- यह लोगों को विविध और संतुलित आहार प्राप्त करने में भी सक्षम बनाती है।
- हालांकि वैश्विक बाजार में भारत का हिस्सा सब्जियों के वैश्विक व्यापार का केवल 1.7% और फलों के वैश्विक व्यापार का 0.5% है।
- आवश्यक प्रयासों में ऐसे विपणन सुधार सम्मिलित हैं जो किसानों को अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत में अधिक अंश दिला सकें जैसे-
    - अनुबंध कृषि जो किसान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से बेहतर ढंग से संबद्ध कर सकती है,
    - केवल फसल ऋण के बजाय अ ावधिक ऋण तक आसान पहुंच,
    - किसान निर्माता संगठनों को अधिक प्रोत्साहन तथा
    - ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत भंडारण, परिवहन, विद्युत् और संचार अवसंरचना इत्यादि। यह कृषि व्यवसाय में, विशेष रूप से आपूर्ति श्रृंखलाओं में, निजी निवेश को सक्षम एवं प्रोत्साहित करेगा।

VISION IAS

पशुपालन

- यह आजीविका प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। पशुओं से अधिक पोषक तत्व युक्त खाद्य उत्पाद, बोझ ढोने की क्षमता (draught power), जैविक खाद एवं ईंधन के लिए गोबर, चमड़ा और खाल आदि प्राप्त होते हैं। पशुधन प्राकृतिक पूंजी है और ये फसल की बर्बादी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण आय में आयी गिरावट के विरुद्ध सुरक्षा बीमा के रूप में कार्य करते हैं।
- पशुपालन के विकास में एक महत्वपूर्ण चुनौती चारा संबंधी मुद्दे हैं। चारागाह प्रबंधन और साझी संपत्तियों में कमी की समस्याओं के कारण चारे का अभाव और अनुत्पादक नर मवेशियों की तीव्रता से बढ़ती संख्या इस समस्या को दोगुनी गंभीर बनाती हैं।
- इसके लिए, नस्ल सुधार के द्वारा पशुधन उत्पादकता में वृद्धि, बेहतर चारा और पोषण, पशु स्वास्थ्य, और बेहतर समूह संरचना महत्वपूर्ण हैं।

ब्लू इकोनॉमी

- भारतीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि खाद्य उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इनमें गहरे सागरों के साथ पर्वतों में स्थित झीलें तथा वैश्विक जैव विविधता के 10% से अधिक संसाधन (मत्स्य और शेलफिश के रूप में) सम्मिलित हैं। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा गरीबी के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही इनमें व्यापार अवसरों की भी एक बड़ी संभावना है। ध्यातव्य है कि स्वतंत्रता के पश्चात् मत्स्य उत्पादन में निरंतर और स्थायी वृद्धि देखी गयी है।
- समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यपालन, दोनों ही क्षेत्रों में भारत के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। दोनों ही क्षेत्रों में हाल के वर्षों में सकारात्मक वृद्धि देखी गयी है। वर्तमान समय में भी अतिरिक्त वृद्धि के लिए विस्तृत संभावनाएं बनी हुई हैं। अंतर्देशीय मत्स्यपालन, विशेष रूप से लवणीय जल से जुड़ा निर्यात उन्मुख झींगा उत्पादन, तीव्र विस्तार के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। स्वच्छ जल की मछली की घरेलू मांग में भी वृद्धि हुयी है। वर्षा जल निकायों, सिंचाई जलाशयों, प्राकृतिक आर्द्रभूमि और तालाबों और टैंकों में मत्स्य उत्पादन के विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं है। हमें गुणवत्तायुक्त बीजों एवं चारे के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा इसके साथ ही रोग नियंत्रण, विपणन अवसंरचना, आधुनिक मत्स्य प्रसंस्करण संयंत्रों और मूल्य श्रृंखला की रीइंजीनियरिंग में निवेश करना चाहिए।

वानिकी

- भारत विश्व के दस सर्वाधिक वन समृद्ध देशों में से एक है। ये दस देश कुल मिलाकर विश्व के कुल वन क्षेत्रफल के 67% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2015 में, वानिकी उद्योग का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.3% का योगदान था। लकड़ी आधारित उत्पाद, जैसे- कागज़, लुगदी और फर्नीचर किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए व्यापक संभावनाएं प्रदान करते हैं।
- हालांकि वन उत्पाद के आयात में वृद्धि के साथ इस क्षेत्र के GDP योगदान में कमी आई है, जहाँ लकड़ी के लट्ठे, काष्ठ एवं काष्ठ उत्पादों के 72% हेतु उत्तरदायी हैं।
- वानिकी के संबंध में, पेड़ों की कटाई और उन्हें राज्य सीमाओं के बाहर ले जाने के संबंध में नीतियों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। यह आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने कानूनों को उदार बनाएँ ताकि निजी भूमि पर उगाए जाने वाले वृक्षों से लकड़ी काटी जा सके और उन स्थानों पर पहुंचायी जा सके जहां इसका अधिकतम उत्पादक उपयोग किया जा सकता है।

संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदम

- **एकीकृत कृषि प्रणाली** जो कृषि के साथ बागवानी, पशुधन, और मधुमक्खी पालन पर केंद्रित है। यह योजना न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगी बल्कि इससे सूखे, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव में भी कमी आएगी।
- **नीली क्रांति:** इसके अंतर्गत डीप सी फिशिंग योजना का प्रारम्भ तथा मत्स्यपालन के एकीकृत विकास और प्रबंधन के अंतर्गत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) द्वारा अंतर्देशीय मत्स्यपालन, जलीय कृषि (एक्वाकल्चर), समुद्री कृषि (मैरीकल्चर) जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना सम्मिलित है।
- **रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट:** इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को पूरक आय तथा पोषण सहायता प्रदान करना तथा भेड़, बकरी, सुअर और बत्तख पालने वालों को उनकी आय वृद्धि के अवसरों के बारे में जानकारी देना सम्मिलित है।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पुनर्नवीकरण (RKVY-RAFTAAR) के लिए लाभकारी दृष्टिकोण:** किसानों के प्रयास को मजबूत करने, उनके जोखिम को कम करने और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से कृषि को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना।
- **राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति**: यह किसानों की आय को बढ़ाने और जलवायु सहायता प्राप्त करने हेतु तैयार की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान, "**हर मेड़ पर पेड़**" के उद्देश्य के साथ एक विशेष योजना "कृषि वानिकी उप-मिशन" आरम्भ की गई थी।

VISION IAS

- **पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन:** इसके अंतर्गत किसानों की आय के स्रोतों के विविधीकरण हेतु बांस की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है।
- **भारतीय वन अधिनियम,1927** में संशोधन कर बांस को 'वृक्ष' की श्रेणी से हटा दिया गया है ताकि इसके बाधा-रहित उत्पादन और विपणन को बढ़ावा दिया जा सके।
- **बागवानी के लिए प्रोत्साहन**: एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के माध्यम से बेहतर रोपण सामग्री, उन्नत बीज एवं संरक्षित कृषि, उच्च घनत्व वृक्षारोपण, पुनर्नवीकरण, और परिशुद्ध कृषि के माध्यम से बागवानी को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- **श्वेत क्रांति:** राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्वदेशी नस्लों को संरक्षित करने, आनुवंशिक संरचना में सुधार, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, डेयरी प्रसंस्करण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना तथा डेयरी उद्यमिता विकास योजना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर उत्पन्न करने आदि के माध्यम से श्वेत क्रांति।
- **मधुमक्खी पालन**: इसे एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (IBDC) की स्थापना, मधुमक्खी पालनकर्ताओं और हनी सोसायटी / कंपनियों / फर्मों के पंजीयन एवं बड़ी संख्या में किसानों / मधुमक्खी पालकों के प्रशिक्षण के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

7.5.1. डेरी क्षेत्रक

(Dairy Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों पर गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने 10,881 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ 2017-18 से 2028-29 की अवधि के लिए "डेरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि" (DIDF) अनुमोदित की है।

भारत में डेयरी क्षेत्र

- भारतीय डेयरी क्षेत्र 15 करोड़ किसानों को आजीविका प्रदान करता है।
- वार्षिक रूप से 156 मिलियन मीट्रिक टन आइटम के उत्पादन के साथ भारत विश्व का सर्वाधिक विशाल दुग्ध उत्पादक है।
- क्रिसिल (Crisil) रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दुग्ध अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ रु. मूल्य की है, यह 15-16 प्रतिशत CAGR वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है, जिसमें से संगठित दुग्ध अर्थव्यवस्था का मूल्यमान 80,00 करोड़ रु. है।

वृद्धि कारक:

- वैश्विक डेयरी उपभोग स्थिर है और यहाँ तक कि इसमें गिरावट आ रही है, वहीं भारतीय उपभोग बढ़ रहा है। भारत का प्रति व्यक्ति दुग्ध उपभोग पश्चिमी देशों की तुलना में अत्यधिक कम है।
- भारतीय उपभोक्ता – विशेष रूप से समृद्ध शहरी उपभोक्ता – अधिक मूल्यवर्द्धित उत्पादों का उपभोग कर रहा है। चूँकि भारतीय सहकारी संस्थाएं केवल आधारिक दुग्ध व्यवसाय में ही अटकी रह गई हैं, इसलिए बाजार में ऐसा अन्तराल रह गया है जिसने कुछ नए प्रतिभागियों को नए उत्पादों के प्रस्तुतीकरण के साथ आने की अनुमति प्रदान की।
- उच्च प्रयोज्य आय वाले कार्यशील दम्पत्तियों की परिघटना ने भी पूर्ण भोजन (दुग्ध) की तत्काल आवश्यकता के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया।

चुनौतियाँ:

अंतरराष्ट्रीय स्तर

- **मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का प्रभाव:** क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समेत मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के अंतर्गत दूध और दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्कों की समाप्ति आयातों को अधिक सस्ता बनाएगी।
- **निर्यात के लिए अधिशेष की न्यूनता:** भारत वार्षिक रूप से 156 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। लेकिन, दूध और दुग्ध उत्पादों की अत्यधिक मांग है, इसलिए भारत से इन आइटम का निर्यात नगण्य (लगभग 0.5 मिलियन मीट्रिक टन या उत्पादन का 0.3 प्रतिशत) है। जबकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपने उत्पादन का 86% एवं 25% निर्यात करते हैं।
- **अन्य देशों द्वारा निर्यात प्रतिबंध:** क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) वाले अधिकांश देशों में डेयरी उत्पादों पर अत्यधिक प्रतिबंधात्मक व्यवस्था - या तो उच्च आयात शुल्क या प्रमाणीकरण एवं निरीक्षण अनिवार्यताओं वाली बोझिल प्रक्रियाएं- विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए चीन भारतीय डेयरी उत्पादों के आयात की अनुमति नहीं देता है। इसी प्रकार, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया भारत को पदास्य-रोग (मवेशियों का होने वाली पैर और मुँह की बीमारी) से पीड़ित देश के रूप में वर्गीकृत करते हैं और भारतीय डेयरी उत्पादों को प्रतिबंधित करते हैं। न्यूजीलैण्ड द्वारा डेयरी उत्पादों पर कई पशु चिकित्सा दस्तावेजों की अनिवार्यता भी उस देश को भारतीय निर्यात रोकती है।

राष्ट्रीय स्तर

- **असंगठित क्षेत्रक का प्रभुत्व:** यह मूल्यवर्द्धन एवं अवसंरचना निर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश को रोकता है।

VISION IAS

- **अवसंरचनागत मुद्दे:** शीत खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाएं, दुग्ध उत्पादों इत्यादि का परिवहन करने के लिए वाहन, विपणन सुविधाओं एवं विस्तार सुविधाओं का अभाव; अपर्याप्त पशु चिकित्सा सेवाएं।
- **चारे की गैर उपलब्धता:** विशेष रूप से वर्ष भर हरे चारे के मामले में। खेती पैटर्न की वर्तमान पद्धति जारी रहने पर 2025 तक हरे चारे की 65% कमी होगी।
- **खंड वार समस्या: घर के पिछवाड़े स्थित पशु अहातों** के मामले में अपने पशुओं के लिए संतुलित पोषण स्वीकार करने के प्रति अनिच्छा मुख्य चुनौती है। ऐसे अधिकतर स्थानों में उनमें से अधिकतर अभी भी अपने पशुओं का असंतुलित फ़ीड, चारा और पूरकों का उपयोग करते हुए पारंपरिक रूप से खिलाते-पिलाते हैं और इसके कारण पशुओं से अपेक्षा से कम दुग्ध उत्पादन होता है।**अर्द्ध संगठित डेरी फार्मों के लिए,** रेवड़ की दक्षता में सुधार करना एवं वर्ष भर लगातार दुग्ध उत्पादन बनाए रखना महत्वपूर्ण चुनौती है।

ऑपरेशन फ्लड
- यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा आरम्भ किया गया था।
- इसका उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण आय में वृद्धि और उपभोक्ताओं के लिए वहनीय कीमत सुनिश्चित करना था।
- इसके परिणामस्वरुप भारत दूध और दूध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया।

आगे की राह
- भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं जैसे "गोजातीय प्रजनन तथा डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण -1) और "डेयरी उद्यमिता विकास योजना" के माध्यम से डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है।
- डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि का उपयोग कुशल दुग्ध खरीद प्रणाली और अन्य प्रसंस्करण अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करने हेतु किया जाएगा।
- इनपुट पक्ष पर हस्तक्षेप के साथ डेयरी फार्मों की आर्थिक व्यवहार्यता को सुदृढ़ बनाने हेतु निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता है:
  - कृषक के लिए अधिक निष्पक्ष कीमतों को सुनिश्चित करना, ग्रामीण उत्पादन क्षेत्रों और शहरी बाजारों के मध्य संपर्क में वृद्धि करना।
  - उत्पादकता में अधिक वृद्धि करने में सहायक स्वदेशी नस्ल को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।
  - डेयरी किसान संगठनों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से ऋणों तक पहुंच में वृद्धि करना।
- गुणवत्ता सम्बन्धी विनियमों के कठोर क्रियान्वयन के साथ ही गुणवत्ता हेतु अवसंरचना तथा प्रशिक्षण को उन्नत करना।
- निजी क्षेत्र के लिए एक निष्पक्ष वातावरण के निर्माण के साथ ही एक तर्कसंगत निर्यात नीति का भी निर्माण करना ताकि किसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च कीमतों का लाभ उठाने में सक्षम हो सकें।

7.5.2 रेशम उद्योग

(Silk Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए रेशम उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना
- यह केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा लागू एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इसमें निम्नलिखित चार घटक शामिल हैं:
  - अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सूचना प्रौद्योगिकी पहलें,
  - बीज संगठन,
  - समन्वय और बाजार विकास,
  - गुणवत्ता प्रमाणन तंत्र (QCS) / निर्यात ब्रांड संवर्द्धन और प्रौद्योगिकी उन्नयन
- यह आयातित रेशम पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू रेशम के उत्पादन, गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने पर केंद्रित है।

भारत में रेशम उद्योग (सेरीकल्चर)

- रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान। यह देश में 8.25 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- भारत में उत्पादित चार प्रमुख प्रकार के रेशम हैं: मलबरी, टसर, मूगा, ईरी। इनमें से कुल कच्चे रेशम के उत्पादन का 70% भाग मलबरी रेशम है।
- वर्तमान में भारत में सभी चार प्रकार के रेशम - मलबरी, ईरी, मूगा और टसर का उत्पादन किया जाता है। रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में होता है।
- भारतीय रेशम के प्रमुख निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात हैं, इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी का स्थान आता है। अधिकांशतः प्राकृतिक रेशम के धागे, फैब्रिक, मेड-अप्स, रेडीमेड गारमेंट्स, रेशम की कालीन और रेशम अपशिष्ट का निर्यात किया जाता है।
- रेशम उद्योग की संवृद्धि और विकास के लिए भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना भी की गयी है। यह विभिन्न देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण विश्व में व्यापार प्रदर्शनी और मेलों का आयोजन करती है। इसके साथ ही परिषद निर्यातकों और संभावित ग्राहकों के मध्य बैठकों की सुविधा भी प्रदान करती है।
- केवल भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रेशम की इन सभी वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन किया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में उत्पादित रेशम देश में कुल रेशम उत्पादन का लगभग 21% है।
- भारत में रेशम उपभोग में लगभग 85% योगदान हथकरघा का है जबकि शेष भाग का उपोग पावरलूम द्वारा किया जाता है।

सेरीकल्चर का महत्व

- **छोटी उत्पादन अवधि और उच्च प्रतिफल:** उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में एक वर्ष में पांच फसलों का उत्पादन किया जा सकता है।
- **महिलाओं के अनुकूल व्यवसाय** जैसा कि वर्तमान में कुल श्रमबल में 60% से अधिक महिलाएं हैं।
- समाज के कमजोर वर्गों के लिए आदर्श कार्यक्रम है, क्योंकि इसके लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता नहीं होती है।
- **पर्यावरण अनुकूल गतिविधि:** उत्कृष्ट पर्णसमूह और जड़ों के प्रसार के साथ एक सदाबहार फसल के रूप में मलबरी मृदा संरक्षण में योगदान देता है और ग्रीन कवर उपलब्ध कराता है। रेशम के कीड़ों के पालन से उत्पन्न अपशिष्ट को उद्यान में आगत के रूप में पुनर्चक्रित किया जा सकता है।
- **इक्विटी चिंताओं को पूर्ण करना:** चूँकि अंतिम-उत्पाद के उपयोगकर्ता अधिकतर उच्च स्तर के आर्थिक समूहों से होते हैं, इसलिए धन का प्रवाह उच्च समूहों से निम्न समूहों की ओर होता है।
- **श्रम गहन एवं उच्च आय का सृजन:** यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के साथ ही विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी एक माध्यम है।

उद्योग के समक्ष चुनौतियां

- **अल्प निर्यात आय -** वैश्विक मंदी और पश्चिमी देशों में रेशम वस्तुओं की कम मांग के कारण। कमजोर रुपये के कारण भी निर्यात को हानि हो रही है। हालांकि, रेशम निर्यात संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, थाईलैंड आदि में नए बाजार की खोज में है।
- **हथकरघा उत्पादों के नाम पर पावरलूम उत्पादों का विक्रय-** इससे हथकरघा श्रमिकों के कठोर श्रम के बदले उन्हें अपर्याप्त प्रतिफल मिलता है क्योंकि पावरलूम अत्यधिक सस्ता है।
- **बुनाई के प्रति युवाओं के आकर्षण की कमी-** क्योंकि कोई भी व्यक्ति कम तनाव में पावरलूम पर कार्य करके समान आय प्राप्त कर सकता है।
- **प्रतिस्पर्द्धी मूल्य निर्धारण -** सस्ते आयातित चीनी रेशम या कृत्रिम/सिंथेटिक रेशम धागे के मिश्रण के कारण प्राकृतिक रेशम व्यापारी अत्यधिक कम कीमत में अपने उत्पाद को बेचने के लिए विवश हैं।
- **कृषि क्षेत्र में गिरावट -** तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण और कृषि श्रम की कमी के कारण देश में मलबरी रेशम में निरंतर गिरावट आ रही है।
- विदेशी रेशम पर प्रतिबंध लगाने, एकीकृत बाजार की कमी और व्यापारियों के मध्य सेरीकल्चर के अपर्याप्त ज्ञान के संदर्भ में सरकार का अव्यवस्थित एवं असमेकित दृष्टिकोण।

आगे की राह

- अधिक दक्षता और तारतम्य के लिए अग्र एवं पश्च उप-तंत्रों (forward and backward sub-systems) के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करना क्योंकि सेरिकल्चर और रेशम उद्योग अत्यधिक बिखरा हुआ और असंगठित है।
- कृत्रिम त्वचा और अन्य चिकित्सा अनुप्रयोगों जैसे रेशम के गैर पारंपरिक उपयोगों पर पर्याप्त बल देने से उच्च मूल्य संवर्द्धन के लिए सकारात्मक दबाव उत्पन्न हो सकता है।
- एंटी-डंपिंग ड्यूटी के कार्यान्वयन के द्वारा चीन के सस्ते कच्चे रेशम और फैब्रिक से भारतीय रेशम बाजार की कुछ सीमा तक सुरक्षा।

VISION IAS

- संभावित पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में रेशम उत्पादन के लिए संभावित समूहों की पहचान और संवर्द्धन।
- संरचित और विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कौशल उन्नयन।
- बेहतर और संकर प्रजातियों के विकास के लिए केंद्रित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से उपयुक्त लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का विकास।

7.5.3. भारत में मत्स्यन क्षेत्र

(Fishery Sector In India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारत विश्व में **दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य** उत्पादक देश बन गया है।

क्षेत्र का अवलोकन

- वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 6.3% है। मत्स्यन क्षेत्र GDP में 1.1 % और कृषि GDP में 5.15% का योगदान देता है।
- मत्स्यन क्षेत्र की दो शाखाएं अर्थात् **अंतर्देशीय मत्स्यन और समुद्री मत्स्यन** हैं। अंतर्देशीय क्षेत्र से कुल मत्स्यन का लगभग 65% उत्पादित होता है जबकि शेष का उत्पादन समुद्री क्षेत्र से होता है।
- देश के कुल निर्यात में मत्स्य तथा मत्स्य उत्पादों का योगदान 10% है तथा कृषि निर्यात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 20% है।

भारतीय मत्स्यन क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसका लघु पैमाने का होना है। मत्स्यन क्षेत्र प्रोटीन समृद्ध पौष्टिक खाद्य तथा निर्धन मछुआरों हेतु आय और आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त अनेक सहायक गतिविधियों अर्थात् विपणन, खुदरा बिक्री, परिवहन आदि में ग्रामीण जनसंख्या को संलग्न करने हेतु मत्स्यन क्षेत्र महत्वपूर्ण है।

मत्स्यन क्षेत्र की चुनौतियाँ

- यह क्षेत्र लो-स्केल, अंतर्देशीय और ताजे जल (freshwater) से मत्स्य उत्पादन में स्थिरता और निम्न-स्तरीय अवसंरचना जैसे शीत भंडारण सुविधाओं का अभाव आदि समस्याओं से प्रभावित हैं। इनके चलते अनुमानित रूप से 15-20% की पोस्ट-हार्वेस्ट क्षति होती है।
- मत्स्य पालन हेतु गुणवत्ता युक्त बीज और खाद्य तक पहुँच तथा क्रेडिट की अपर्याप्त उपलब्धता के चलते गरीब मछुआरे इस क्षेत्र में निवेश नहीं कर पाते हैं।
- अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए जल निकायों के पट्टे हेतु कोई आचार संहिता नहीं है और इस क्षेत्र के सूखे से प्रभावित होने पर कोई पृथक प्रावधान नहीं है।
- आवास का विखंडन तथा अंधाधुंध मत्स्यन, संसाधनों का ह्रास, ऊर्जा संकट और मत्स्यन की उच्च लागत के कारण समुद्री मत्स्यन में गिरावट आई है।
- जलीय क्षेत्रों में मानव गतिविधियों के बढ़ने से डेड जोन/हाइपोक्सिक जोन की घटनाएं नियमित रूप से उत्पन्न हो रही हैं जिससे मत्स्यन क्षेत्र का स्थानांतरण या स्थायी क्षति हो रही है।
- **फाइबर रीइन्फॉर्स प्लास्टिक (FRP)** के बढ़ते उपयोग तथा निम्न गुणवता वाली नौकाओं ने समुद्री पारितंत्र को क्षति पहुँचाई है।

LOP सिस्टम क्या है?

LOP सिस्टम का उद्देश्य भारतीय मछुआरों को अन्य देशों से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में सक्षम पुराने जहाजों को खरीदने में मदद करना है।

सरकार द्वारा उठाये गए कदम

- **अंतर्देशीय मत्स्यन हेतु**
  - विभिन्न राज्यों में मैक्रो-प्रबंधन दृष्टिकोण के तहत **"अंतर्देशीय मत्स्यन और एक्वाकल्चर विकास"** पर केंद्र प्रायोजित योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें मत्स्य पालन हेतु अन्तर्देशीय लवणीय/क्षारीय मृदा का उत्पादक उपयोग तथा अंतर्देशीय प्रग्रहण संसाधनों का एकीकृत विकास आदि शामिल है।
  - अंतर्देशीय मत्स्यन पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा निर्माण हेतु सरकार ने **डॉ दिलीप कुमार** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

- सभी वर्तमान योजनाओं को शामिल कर एक अम्ब्रेला स्कीम **'ब्लू रिवोल्यूशन: इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'** निर्मित की गई है।

- यह अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री मत्स्यन को समाहित करेगा जिसमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, मेरीकल्चर और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) द्वारा संचालित गतिविधियां शामिल हैं।

समुद्री मत्स्यन के लिए

- सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति, 2017 अधिसूचित की थी।
- स्थानीय मछुआरों की आजीविका को बढ़ावा देने हेतु अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में **"लेटर ऑफ परमिट" (LOP)** प्रणाली पर रोक लगा दी गई है।
- पारम्परिक मछुआरों को EEZ में मानसून अवधि के दौरान मछली पकड़ने के प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।
- समुद्री पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए भारतीय EEZ में LED प्रकाश और अन्य कृत्रिम प्रकाश और बुल-ट्रॉलिंग, पर्स सेनिंग (purse seining) और गिल नेटिंग के प्रयोग पर रोक लगाई गई है।
- सरकार द्वारा मछुआरों की जनगणना की जा रही है तथा मत्स्यन गतिविधियों का एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। नौकाओं/जहाजों पर ट्रैकिंग उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं जिससे दुर्घटना आदि की स्थिति में शीघ्र ही सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

FAO कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ रेस्पोंसिबल फिशिंग (FAO's Code of Conduct of responsible Fishing)

- इस संहिता में जीवित जलीय संसाधनों के प्रभावी संरक्षण, प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी अभ्यासों के व्यवहारिक सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित किया गया है।
- यह संहिता स्वैच्छिक है। हालांकि, इसका कुछ भाग UNCLOS (यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी) सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित है।

उठाये जाने योग्य कदम

- **कृषि से समानता-** जलीय कृषि के लिए भी सामान्य कृषि के समान ही, विद्युत टैरिफ, कर लाभ, सब्सिडी, बीमा और क्रेडिट उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन और मत्स्य की रोग प्रतिरोधी नस्लों के विकास हेतु **अनुसंधान**।
- डॉ बी. मीनाकुमारी समिति की अनुशंसाओं, जैसे कि बफर ज़ोन का निर्माण (200 मीटर से 500 मीटर की गहराई के मध्य) और फिशिंग नेट के वैज्ञानिक उपयोग को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- मत्स्यन समुदाय के लिए **विशेष बीमा** प्रणाली एवं मछुआरों की सुरक्षा और रक्षा के लिए पड़ोसी देशों के साथ सहयोग सर्वोपरि होना चाहिए। नीतियों का उद्देश्य, विभिन्न आर्थिक और परंपरागत गतिविधियों के द्वारा मछुआरों की आजीविका का संरक्षण होना चाहिए।
- केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग द्वारा सहकारी क्षेत्र का पुनरुद्धार करने से 2022 तक किसानों **की आय दोगुनी** करने में सहायता मिलेगी।
- अंतर्देशीय क्षेत्र में, जलाशयों और ताजे जल में मत्स्यपालन विकास के दो मुख्य स्तम्भ हैं। अन्य जल निकायों जैसे बाढ़ के मैदान की झीलों और आर्द्र भूमि, सिंचाई नहरों, लवणीय और जलप्लावित क्षेत्रों जैसे अन्य स्रोतों को उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तरोतर मुख्यधारा में लाना आवश्यक है।
- देश में अंतर्देशीय मत्स्यन और जलीय कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु गुणवत्ता युक्त बीज और फीड, कल्चर-बेस्ड-कैप्टिव फिशरीज तथा फार्म आधारित प्रजातियों के पालन से संबंधित कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होगा।
- अपतटीय जल की अनुमानित क्षमता, उत्पादन में वृद्धि के अवसर प्रदान करती है, जबकि फिशिंग फ्लीट की गहरे समुद्री संसाधनों के उपयोग की क्षमता सीमित है। इसलिए अपतटीय जल में विविध मत्स्यन तकनीक के प्रोत्साहन हेतु, **फ्लीट अपग्रेडेशन के साथ ही** साथ मछुआरों के कौशल और क्षमता में वृद्धि भी आवश्यक है। फिश ऐग्रिगेटिंग डिवाइस (FADs) और कृत्रिम रीफ (ARs) के द्वारा मछली के स्टॉक में वृद्धि तथा मेरीकल्चर के प्रोत्साहन से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।
- विधायी क्षेत्र में, तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (UTs) के वर्तमान समुद्री मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम (MFRA) में कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिस्पान्सबल फिशरिज (CCRF) की आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए संशोधन आवश्यक है। इसी प्रकार, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि हेतु एक मॉडल बिल आवश्यक है। EEZ में भारतीय स्वामित्व वाली मत्स्यन नौकाओं द्वारा मत्स्यन को नियंत्रित करने हेतु एक केंद्रीय अधिनियम की आवश्यकता है।

VISION IAS

7.5.4. राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष

(National Year of Millets)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योग एवं खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2018 को 'राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' (National Year of Millets) के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

मोटे अनाजों के चार आयामी लाभ

कृषि और खाद्य सुरक्षा परिप्रेक्ष्य

- एक कुशल जड़ तंत्र के कारण अन्य फसलों की तुलना में इन्हें कम जल की आवश्यकता होती है।
- मोटे अनाज अपनी लघु विकास अवधि के कारण खाद्य मांग की पूर्ति करने में सहायक होते हैं।
- ये रोगों एवं कीटों से कम प्रभावित होते हैं। इस प्रकार इनके लिए कीटनाशकों की आवश्यकता न्यूनतम होती है।
- मिश्रित कृषि प्रणालियों में इनका खाद्य एवं चारे के रूप में उपयोग किया जाता है।
- ये विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण फसलों के साथ उगाये जा सकते हैं।
- बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए ये प्रमुख फसल-विकल्प हो सकते हैं।

सांस्कृतिक एवं निर्धनता परिप्रेक्ष्य

- ये परंपरागत रूप से आदिवासियों की कृषि प्रणालियों से संबद्ध हैं। जैसे कि कर्नाटक रागी हब्बा (महोत्सव)।
- इनके लिए उच्च मशीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती है और ये सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं।
- कम इनपुट लागत के साथ अधिक उत्पादन प्रदान करते हैं।

पोषण परिप्रेक्ष्य

- मोटे अनाजों में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इनका GI (ग्लाइसीमिक इंडेक्स) निम्न होता है। इस प्रकार ये भारत में कुपोषण और भुखमरी की समस्या को कम कर सकते हैं।
- ये उच्च मधुमेहग्रस्त एवं ग्लूटेन इनटॉलेरेंट व्यक्तियों के लिए लाभदायक हैं।

पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य

- इसमें कार्बन प्रच्छादन एवं जलवायु अनुकूलन में सहयोग करने की क्षमता होती है।
- इनकी कृषि के दौरान मुख्य रूप से कार्बनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। फलस्वरूप इनसे रासायनिक उर्वरकों से सम्बंधित आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों प्रकार की लागतों में कमी होती है।

मोटे अनाजों के विषय में

- मोटे अनाज छोटे बीज वाली घासों के समूह हैं। ये अनाज फसल/खाद्यान्नों के रूप में विकसित होते हैं।
- इसमें ज्वार, रागी, कोर्रा, अरके (arke), समा, बाजरा, चेना/बर्र (Chena/Barr) और सवां सम्मिलित होते हैं।
- **कृषि-जलवायु-दशा:** ये पूर्णतः सूखी चिकनी बलुई मृदाओं एवं शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों जैसे कि राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि में भली प्रकार से विकसित होते हैं।
- भारत अफ्रीकी देशों नाइजीरिया और नाइजर के बाद मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत में लगभग 60 मिलियन एकड़ भूमि पर मोटे अनाज की कृषि की जाती है।

मोटे अनाजों के लिए सरकार की पहल

- **इंटीग्रेटेड सिरीअल्ज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन कॉर्स सिरीअल्ज़ बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम एरियाज (ICDP-CC)**।
- **इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन (INSIMP)**- इसका उद्देश्य 0.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को मोटे अनाजों की कृषि के अंतर्गत लाना, हाइब्रिड बीज की आपूर्ति करना एवं संयुक्त मोटा अनाज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विस्तार-** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मोटे अनाजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समूह (PDS basket) में सम्मिलित किया गया है।

चुनौतियाँ

- **प्रतिकूल कृषि नीति** - कृषि ऋण, सब्सिडी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) चावल, गेहूं जैसी फसलों के लिए अनुकूल हैं। इससे मोटे अनाजों की कृषि हतोत्साहित होती है।

VISION IAS

- **कुछ विशेष मोटे अनाजों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना:** अधिकतर राज्य आमतौर पर ज्वार, बाजरा और रागी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साथ ही इन योजनाओं पर अमल करते समय मोटे-अनाजों की छोटी किस्मों को सम्मिलित नहीं किया जाता है।
- **आहार की आदतें:** बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण चावल व गेहूं की खपत में वृद्धि हो रही है।
- **जागरूकता का अभाव:** मोटे अनाजों के सामाजिक-आर्थिक और पोषण संबंधी लाभों के विषय में जागरूकता का अभाव इनकी मांग और आपूर्ति को विरूपित कर देता है। इसके अतिरिक्त, मोटे अनाजों को **'निर्धन लोगों का भोजन'** माने जाने की प्रवृत्ति के कारण इनकी खपत और भी कम हो जाती है।

आगे की राह

- **इंटीग्रेटेड मिलेट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी:** मृदा स्वास्थ्य, बीज उपलब्धता, मशीनीकरण और जागरूकता में विस्तार आदि को समाविष्ट करने वाली समग्र उत्पादन-वितरण की रणनीति समय की मांग है।
- **नीतिगत कार्रवाई –** किसानों को मोटे अनाजों की कृषि हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार को मोटे अनाजों की व्यापक श्रेणियों को मध्यान्ह भोजन एवं सार्वजनिक वितरण के अंतर्गत सम्मिलित कर इनकी मांग सृजित करनी चाहिए।
- **स्वनिर्धारित दृष्टिकोण (कस्टमाइज़्ड अप्रोच):** मोटे अनाजों की फसल प्रणालियाँ विविध प्रकार के वर्षा-सिंचित पारिस्थितिक तंत्रों का भाग हैं। इस प्रकार, उन्हें आवश्यकतानुसार-निर्मित एवं स्थान-विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
- **पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष पहल:** मांग-आपूर्ति अंतरालों को पाटने एवं जमीनी स्तर के शोध की आवश्यकता है।

7.5.5. ऑपरेशन ग्रीन्स

(Operation Greens)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन्स पर कार्य करना आरंभ किया है। इसकी घोषणा 2018-19 के बजट में की गई थी।

ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है?

- ऑपरेशन ग्रीन्स, फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने तथा इनकी कीमतों में व्याप्त अस्थिरता को कम करने के लिए **ऑपरेशन फ्लड** की तर्ज पर आरंभ की गई **500 करोड़ रूपये की परियोजना** है।
- सरकार ने परियोजना के आरम्भ में तीन मुख्य सब्जियों, अर्थात् **टमाटर, प्याज और आलू** (TOP) पर ध्यान केंद्रित किया है। उक्त सब्ज़ियों के उत्पादन का अनुपात देश में कुल सब्ज़ी उत्पादन का आधा है।
- इस परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भविष्य में किसान उत्पादक संगठन (FPO), कृषि-संभार तंत्र (एग्रो लॉजिस्टिक्स), प्रसंस्करण सुविधाओं और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- यह योजना वस्तुओं की स्थिर कीमतें उपलब्ध कराकर 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में सहायता प्रदान करेगी। शीत भंडारण सुविधाओं की कमी तथा उचित प्रसंस्करण सुविधा और संगठित खुदरा मंडी से किसानों का पर्याप्त संपर्क न होने के कारण, अत्यधिक उपज की स्थिति में किसानों की आय तथा उपज का बाज़ार मूल्य दोनों प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं।
- मूल्य स्थिरता से उपभोक्ताओं के लिए **वहनीय कीमतों पर मुख्य सब्जियों की उपलब्धता** भी सुनिश्चित होगी।

बागवानी उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु उठाए गए कुछ अन्य कदम

- कृषि उपज की खरीद, बफर स्टॉक अनुरक्षण और बाजार में विनियमित निर्गमन (रेगुलेटेड रिलीज़) के माध्यम से कृषि और बागवानी उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि के **मूल्य स्थिरीकरण कोष** (PSF) का गठन।
- **किसान मंडियों की स्थापना** जहाँ FPO (फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन) थोक विक्रेताओं, संगठित खुदरा विक्रेताओं और साधारण उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों का प्रत्यक्ष रूप से विक्रय कर सकते हैं।
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन नामक केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से **बागवानी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना**।
- **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955** तथा चोरबाज़ारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 जैसे कानूनों का निर्माण तथा इनके तहत जमाखोरी एवं कालाबाजारी को गैर-जमानती अपराध बनाना।
- **सम्पदा (SAMPADA)** (*स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स*) – इसमें मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और मूल्यवर्द्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना, बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेजों का

VISION IAS

निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता आदि का निर्माण/विस्तार जैसी योजनाएँ सम्मिलित हैं।

बजट घोषणाएँ

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत से जोड़ना** अर्थात् समर्थन मूल्य को उत्पादन की लागत से लगभग 50 प्रतिशत अधिक रखना।
- यदि FPO महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, तो उनके लिए **पाँच वर्ष तक आयकर में छूट**।
- 470 APMC प्रोन्नत बाजारों को **e-nam** मार्केट प्लेटफार्म से जोड़ना और 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास।

शीघ्र नष्ट होने वाली (Perishables) वस्तुओं के लिए मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु सुझाव

सरकार कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु मुख्य रूप से, निर्यात पर रोक लगाने, जमाखोरी रोकने और व्यापारियों पर आयकर छापे डालने जैसे उपायों पर ही निर्भर है। इसके लिए कुछ अन्य कदम भी उठाए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं:

- **विविधतापूर्ण फसलें उगाने** के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। इससे कीमतों में होने वाली अस्थिरता के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी।
- बड़े पैमाने पर परिचालन का लाभ उठाने के लिए बागवानी फसलों की **क्लस्टर आधारित कृषि**। इससे उत्पादन से लेकर विपणन तक सम्पूर्ण श्रृंखला की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- कम से कम 25% उपज के खाद्य प्रसंस्करण लक्ष्य को स्थापित करके कृषि क्षेत्र में **मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहित** करना, क्योंकि वर्तमान में इस क्षेत्र में भारत अधिकांश दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की तुलना में पीछे है।
- **बाजार संबंधी सुधार**
    - वृहद उपभोग केंद्रों (मेगा कंज्यूमिंग सेंटर्स) की मैपिंग करना और उनके खुदरा नेटवर्क को प्रत्येक उत्पाद के उन चिह्नित उत्पादन केन्द्रों से जोड़ना जहाँ मध्यस्थों (intermediaries) की संख्या न्यूनतम है।
    - FPO से सीधे क्रय करने की अनुमति देने तथा बैक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु **FPO,** निजी कंपनियों और NGOs को प्रोत्साहन देने (जैसा कि दूध के संदर्भ में किया गया था); के लिए कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) अधिनियम में संशोधन करना।
    - यदि दूध के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किसानों को उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जानी वाली कीमतों का 75% से भी अधिक प्राप्त होता है। दूध के समान ही, अन्य वस्तुओं के लिए भी किसानों को उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतों का कम से कम 60% प्राप्त होना चाहिए। अतः इस दिशा में उचित कदम उठा कर बाज़ार शोषण को कम किया जाना चाहिए।
    - राज्यों को कीमतों में उतार-चढ़ाव की स्थिति में, हरियाणा की **भावांतर भरपाई योजना** (सब्जियों के लिए) जैसी **मूल्य में गिरावट की क्षतिपूर्ति हेतु भुगतान योजना** अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
    - वायदा कारोबार की अनुमति देना और राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करना।
- **कृषि-संभार तंत्र (एग्री-लॉजिस्टिक्स) में निवेश,** जिसे आधुनिक गोदामों और कोल्ड स्टोरेज से आरंभ किया जाना चाहिए। इससे किसानों द्वारा खेतों पर किये जाने वाले परंपरागत भंडारण के कारण होने वाली हानि को 25-30% से घटा कर 10% से भी कम किया जा सकता है।

7.6. कृषि से संबंधित अन्य मुद्दे

(Other Issues in Agriculture)

7.6.1. जैविक खाद्य पदार्थ

(Organic Food)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में FSSAI ने देश में जैविक खाद्य पदार्थ पर विनियमन जारी किए।

इस दिशा-निर्देश के प्रावधान

VISION IAS

- **परिभाषा:** FSSAI ने निम्नलिखित परिभाषाएँ दी हैं:
    - **जैविक कृषि:** यह रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों और संश्लेषित हार्मोनों या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों जैसे संश्लेषित बाह्य आगतों(synthetic external inputs) के उपयोग के बिना, कृषि उत्पादन के एक पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण हेतु फार्म डिज़ाइन और प्रबंधन की प्रणाली है।
    - **जैविक कृषि उपज:** जैविक कृषि से प्राप्त उपज।
    - **जैविक खाद्य पदार्थ:** जैविक उत्पादन के निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप उत्पादित खाद्य उत्पाद।
- जुलाई, 2018 से **जैविक खाद्य पदार्थों की अनिवार्य लेबलिंग**। इस लेबलिंग द्वारा उत्पाद की जैविक स्थिति से सम्बंधित पूर्ण और सटीक जानकारी संप्रेषित की जानी चाहिए।
- विनियमन के गैर-अनुपालन पर **अर्थदण्ड** आरोपित किए जाएँगे।
- **अनुमोदन प्राधिकरण:** जैविक खाद्य उत्पादों को निम्नलिखित द्वारा प्रदत्त प्रमाणन चिह्न या गुणवत्ता आश्वासन चिह्न वहन करना चाहिए:
    - राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP),
    - सहभागिता गारंटी प्रणाली-भारत (PGS-India),
    - FSSAI द्वारा प्रदत्त स्वैच्छिक लोगो (Voluntary logo) जो उत्पाद को 'जैविक(आर्गेनिक)' के रूप में चिह्नित करता है।

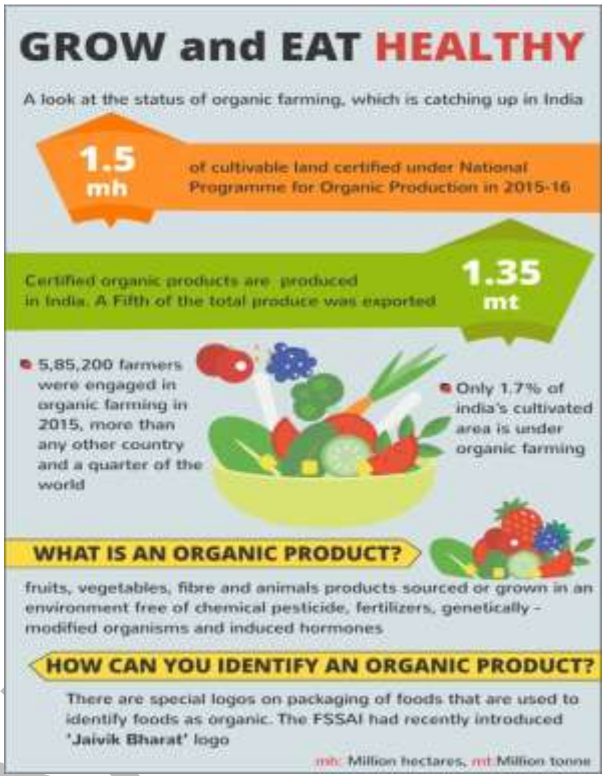

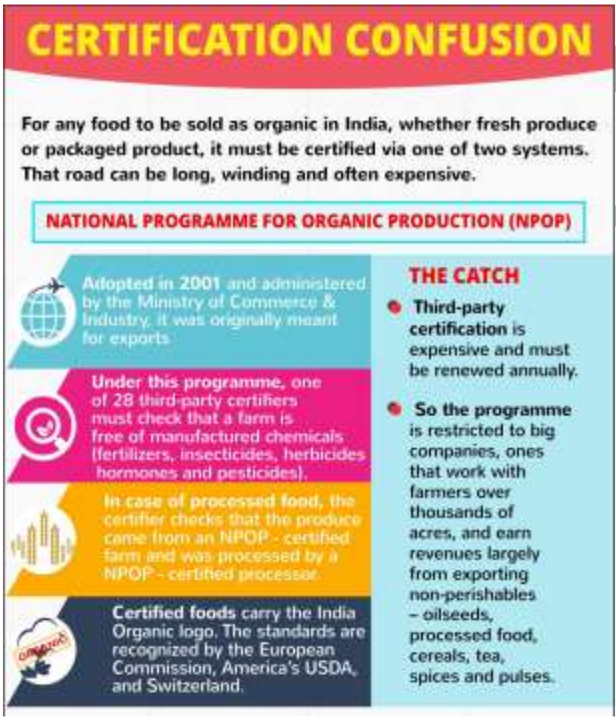

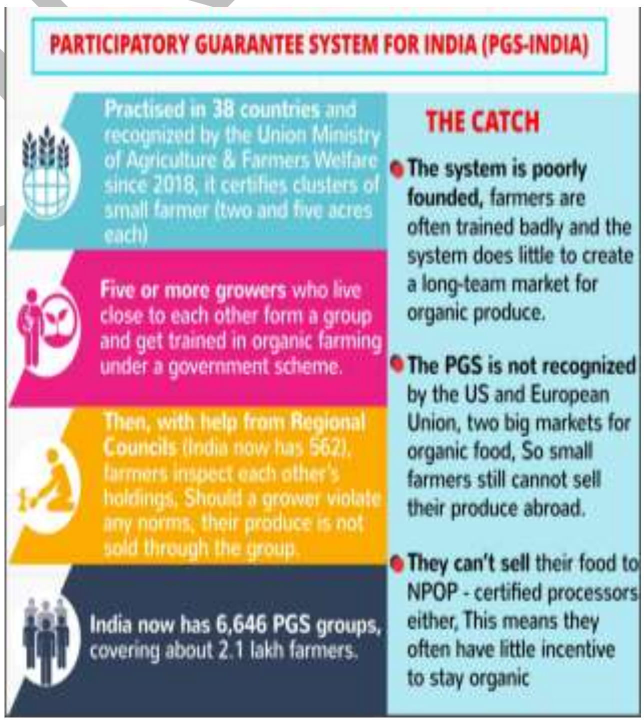

महत्व

- यह जैविक बाजार क्षेत्रक में व्याप्त धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने में सहायता करेगा, जहाँ अजैविक उत्पादों को जैविक के रूप में बेचा जाता है।
- **वृद्धि के लिए प्रोत्साहन: इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकनोमिक रिलेशन्स (ICRIER)** द्वारा 2017 में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि यदि आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने वाली उचित नीतियों से समर्थन किया गया तो आगामी पांच वर्षों में जैविक खाद्य बाजार में 20% की वृद्धि होने की संभावना है।
- **उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना:** उपभोक्ता अब जैविक खाद्य उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं।
- **किसानों का सशक्तिकरण:** जैविक प्रमाणन किसानों को उनकी उपज के लिए प्रीमियम अर्जित करने में भी सहायता प्रदान करेगा।

- उचित दिशा-निर्देश **जैविक उत्पाद को वैश्विक मूल्य श्रृंखला (global value chain) से एकीकृत करने** और साथ ही घरेलू बाजार को और गहन बनाने भी सहायता करेंगे।
- **स्वास्थ्य लाभ:** जैविक खाद्य की बढ़ती खपत उपभोक्ताओं को अकार्बनिक कृषि में प्रयुक्त किए जाने वाले कीटनाशकों, उर्वरकों और वृद्धि हार्मोनों के प्रभाव से सुरक्षित करेगी।

निहित मुद्दे

- **दो प्रमाणन प्रणालियों से सम्बंधित मुद्दे:** दोनों प्रमाणीकरण प्रणालियों के मध्य कोई संबद्धता नहीं है। (इंफ़ोग्राफ़िक देखिए)।
- **सहभागिता गारंटी प्रणाली (PGS) परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न करने में भी विफल रहती है।** इसका कारण उपभोक्ताओं द्वारा इसके स्व-प्रमाणन चरित्र पर विश्वास न करना है।
- **खुदरा क्षेत्र के बड़े अभिकर्ता** जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने में कम **रुचि लेते** हैं, क्योंकि उत्पाद के स्रोत को प्रमाणित करने में बहुत समय लग जाता है।
- महंगा उत्पाद– जैविक उत्पाद, बाजार में उपलब्ध अन्य विकल्पों की तुलना में महंगा होता है।

आगे की राह

- प्रक्रिया और प्रशासनिक लागत को सुसंगत बनाने के लिए **एकल नोडल एजेंसी** गठित की जा सकती है।
- वैश्विक मानकों का पालन करते हुए जैविक उत्पाद के लिए **लघु और सीमांत उत्पादकों को एकीकृत करने की प्रक्रिया** के परिणामस्वरूप कृषि व्यवसायों हेतु अवसरों में वृद्धि होगी।
- जैविक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए कोल्ड स्टोरेज, परिवहन आदि **अवसंरचना का विकास किया जाना चाहिए**।
- परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के माध्यम से देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देना।

परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के संबंध में

- यह सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA) परियोजना के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) का एक विस्तृत घटक है।
- इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
    - जैविक कृषि के समर्थन और प्रचार द्वारा अंततः मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करना।
    - उपज में सुधार लाने हेतु उर्वरकों एवं कृषि रसायनों पर कृषकों की निर्भरता को कम करना।
    - आगत उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधन के उपयोग हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना ।
    - तीन वर्ष में लगभग 10 हजार क्लस्टरों का निर्माण करना और जैविक कृषि के अंतर्गत 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करना।
- प्रत्येक किसान को कृषि के पारंपरिक तरीकों तथा शून्य-बजट प्राकृतिक कृषि और परमाकल्चर जैसे मानक जैविक कृषि प्रचलनों को अपनाने के लिए तीन वर्ष की अवधि हेतु प्रति हेक्टेयर 48,700 रु दिया जाएगा।
- इन पारंपरिक उपायों में शामिल हैं: यौगिक कृषि, गौ माता खेती, वैदिक कृषि, वैष्णव खेती, अहिंसा कृषि, अवधूत शिवानंद कृषि, और ऋषि कृषि।

7.6.2. गन्ना मूल्य निर्धारण

(Sugarcane Pricing)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने चालू सत्र 2017-18 में चीनी मिलों द्वारा पेरे गए गन्ने के लिए 5.50 रुपये प्रति क्विंटल की वित्तीय सहायता देने हेतु स्वीकृति प्रदान की है।

गन्ना मूल्य निर्धारण नीति

भारत में गन्ना मूल्य निर्धारण नीति का उद्देश्य गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मूल्य, उद्योग के लिए पर्याप्त प्रतिफल और उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। भारत में दोहरी गन्ना मूल्य निर्धारण प्रणाली है।

गन्ने का मूल्य निर्धारण अनिवार्य वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 के अंतर्गत जारी किए गए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के सांविधिक प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)

- यह राज्य सरकारों और चीनी उद्योग के संघों से परामर्श करने के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य है।

राज्य परामर्शित मूल्य (SAP)

VISION IAS

- उत्पादन की लागत, उत्पादकता के स्तर में अंतर उद्धृत करते हुए और साथ ही किसान समूहों से दबाव के परिणामस्वरूप, कुछ राज्य राज्य विशिष्ट कीमतों की घोषणा करते हैं, जिन्हें राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) कहा जाता है। ये सामान्यत: वैधानिक न्यूनतम मूल्य (SMP) से अधिक होते हैं।

उच्च SAP के साथ गन्ने का दोहरा मूल्य निर्धारण गन्ना और चीनी से सम्बंधित अर्थव्यवस्था को विकृत करता है। इसके परिणामस्वरूप गन्ना मूल्य बकाया में वृद्धि होती है। उद्योग संघ ने अनुशंसा की है कि SAP की प्रणाली को हटा दिया जाना चाहिए तथा यदि राज्य SAP की घोषणा करता है, तो मूल्य अंतर का वहन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए।

संबंधित विवरण

- धनराशि सीधे उन किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिन्हें गन्ने के लिए केंद्र द्वारा निश्चित "उचित और लाभकारी मूल्य" (FRP) नहीं मिला है।
- केंद्र का गन्ना (नियंत्रण) आदेश मिलों के लिए किसानों से गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर FRP के भुगतान को अनिवार्य करता है। इसमें विफल रहने पर विलम्ब की अवधि के लिए देय राशि पर 15% वार्षिक ब्याज प्रभारित किये जाने का प्रावधान है।
- किसानों को देय गन्ना मूल्य की बड़ी बकाया राशि को देखते हुए मिलों का कहना है कि वे किसानों के भुगतान हेतु चीनी से अपनी प्राप्तियों के 75% से अधिक का प्रयोग नहीं कर सकते और इस प्रकार सरकार द्वारा स्वीकृत राशि अपर्याप्त है।
- हाल के वर्षों में SAP में लोकलुभावन वृद्धि के परिणामस्वरूप गन्ने का अत्यधिक उत्पादन हुआ है,जो लगभग 295.07 लाख टन है। इस प्रकार इसने चीनी की अधिक आपूर्ति को उत्प्रेरित किया है जो सर्वकालिक रूप से 29.98 मिलियन टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
- इसके अतिरिक्त चीनी उत्पादन की उच्च लागत (आंशिक रूप से भारत में गन्ने की ऊँची कीमतों के कारण) को देखते हुए अन्य देशों में चीनी का निर्यात मूल्य घरेलू बिक्री से काफी कम है।

भारत में चीनी उद्योग के समक्ष व्याप्त अन्य प्रमुख चुनौतियां

- विश्व में गन्ने की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत शीर्ष पर है किन्तु यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज अत्यंत निम्न है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में यह उपज और भी कम है।
- चीनी उद्योग की प्रकृति **मौसमी** है और पेराई की अवधि सामान्यत: एक वर्ष में 4 से 7 महीने के बीच होती है। इससे लगभग आधे वर्ष तक मिलें और श्रमिक खाली/बेरोजगार रहते हैं।
- गन्ने से **चीनी प्राप्ति की औसत दर** 10 प्रतिशत से कम है। यह जावा, हवाई और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य चीनी उत्पादक क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है, जहाँ यह दर 14 प्रतिशत तक है।
- हमारे देश में अधिकांश चीनी मिलें पुरानी, छोटे आकार की और पुरानी मशीनरी वाली हैं जिनकी पेराई क्षमता लगभग 1200 टन प्रति दिन की है।
- भारत में चीनी उत्पादन की लागत विश्व में सर्वाधिक है। इसका कारण मुख्य रूप से गन्ने की ऊँची कीमत, अलाभप्रद उत्पादन प्रक्रिया, अकुशल प्रौद्योगिकी एवं राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च कर हैं।
- इस उद्योग को सह-उत्पादों अर्थात; खोई और शीरा, का निपटान (विशेष रूप से प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के अंतर्गत) करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- दोहरी मूल्य प्रणाली पर आधारित सरकार की नीति उद्यमियों को आगे विकास और सुधार के लिए निवेश करने से हतोत्साहित करती है।
- चीनी का प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग भारत में लगभग 10 किलोग्राम है, जबकि यह विश्व में लगभग 20 किलोग्राम है।

सुझाव

- सरकार ने चीनी मूल्यों में गिरावट को रोकने और चीनी मिलों की तरलता की स्थिति में सुधार लाने के लिए पहले से ही निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
  - चीनी पर आयात शुल्क 50 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना
  - चीनी मिलों पर दो महीने तक स्टॉक होल्डिंग सीमा आरोपित करना
  - न्यूनतम संकेतक निर्यात कोटा (MIEQ) नियत करना और
  - विदेशी बाजारों में अधिशेष उत्पादन हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए चीनी के निर्यात से सीमा शुल्क हटाना।

VISION IAS

- गन्ना मूल्य निर्धारण पर **सी.रंगराजन समिति** (2012) ने SAP समाप्त करने की अनुशंसा की थी और गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए **राजस्व साझेदारी सूत्र** (RSF) का समर्थन किया। इसके तहत चीनी मूल्य का 75 प्रतिशत या चीनी और उसके उपोत्पादों की कीमत का 70 प्रतिशत गन्ने की कीमत के रूप में किसानों में वितरित किया जाना चाहिए।
- CACP ने भी राजस्व साझेदारी सूत्र, चीनी के FRP और चीनी मूल्य स्थिरीकरण निधि के एक-साथ कार्यान्वयन के **मिश्रित दृष्टिकोण** की अनुशंसा की है।
- **एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम** के अंतर्गत OMCs द्वारा इसकी खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण, पूर्वानुमान और भंडारण सुविधाओं में वृद्धि।
- सह-उत्पादन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विद्युत उत्पादन एक अन्य विकल्प है जिसके माध्यम से कंपनियां चीनी उत्पादन के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को विद्युत वितरण कंपनियों को बेचकर राजस्व प्राप्त कर सकती हैं।
- सरकार को गन्ना जैसी फसलों के लिए अधिक भूजल निष्कर्षण की समस्या कम करने के लिए अन्य कम जल गहन फसलों की ओर **फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित** करना चाहिए।

7.6.3. कृषि शिक्षा

(Agricultural Education)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि शिक्षा विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों की योजना हेतु तीन वर्षीय कार्ययोजना (2017-2020) जारी रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजना से संबंधित तथ्य

- इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों की किताबी ज्ञान पर निर्भरता में कमी करना, फैकल्टी की कमी का समाधान करना, पर्यावरण अनुकूल पहलों को प्रोत्साहन देना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में सुधार करना, पूर्व छात्रों की भागीदारी, नवप्रवर्तन, प्रौद्योगिकी सक्षम अधिगम, पोस्ट-डॉक्टरेट फैलोशिप, कृषि शिक्षा पोर्टल एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना है।
- इसके अतिरिक्त यह कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में नीति एवं कार्यक्रम के माध्यम से लैंगिक मुद्दों पर अनुसंधान में भी सहायता प्रदान करेगी।

कृषि शिक्षा की आवश्यकता

- **कृषि उत्पादकता -** प्रभावी कृषि शिक्षा (किसानों एवं शोधकर्ताओं, दोनों के लिए) कृषि प्रक्रियाओं में बेहतर आर्थिक और तकनीकी निर्णय लेना संभव बनाती है जो भविष्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के रूप में प्रदर्शित होती है (विश्व बैंक)।
- **कृषि संबंधी मूल्य श्रृंखला -** कृषि संबंधी सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला, अर्थात् कृषि इनपुट से लेकर मार्केट लिंकेज तक सभी कुछ, विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। इनका समाधान कृषि शिक्षा द्वारा भली भाँति किया जा सकता है।
- **रोजगार-** उभरती श्रम शक्ति को अवशोषित करने के लिए कृषि शिक्षा की आवश्यकता है। विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) खाद्य फसलों और परिशुद्धता कृषि (प्रिसीजन एग्रीकल्चर) के उभरते क्षेत्रों कारण कृषि शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गयी है, क्योंकि इन क्षेत्रों में विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है।
- **श्रम मूल्य-** भारत में कृषि क्षेत्र में व्यक्ति के श्रम का बाज़ार मूल्य कई विकासशील देशों की तुलना में कम है और कृषि शिक्षा व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि करते हुए उसके श्रम के बाजार मूल्य को बढ़ाती है।

कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने वाली अन्य सरकारी पहलें

राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना

- **यह कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विश्व बैंक और ICAR के सहयोग से परियोजना आरम्भ की गई है।**

पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना

- **इसे वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत कृषि शिक्षा के लिए 100 नए केंद्र खोले गए थे।**

कृषि शिक्षा द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **वित्त-** कृषि राज्य का विषय है और इसका वैधानिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर अधिरोपित किया गया है। राज्य सरकारों के पास प्रायः निधि का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त, कृषि विश्वविद्यालयों की **स्थापना लागत** में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि परिचालन बजट कम हुआ है। यह संस्था के नवप्रवर्तन संबंधी प्रयासों के समक्ष बाधाएं उत्पन्न करता है।

VISION IAS

- **फैकल्टी-** राज्य कृषि विश्वविद्यालय (SAUs) सेवानिवृत्त हुई **फैकल्टी के स्थान पर नयी फैकल्टी की नियुक्ति न हो पाने की स्थिति का सामना कर रहे हैं।** साथ ही उनमें नियुक्त होने वाली फैकल्टी की अधिकांश आपूर्ति स्वयं उसी विश्वविद्यालय से होती है (अर्थात् अधिकांश फैकल्टी सदस्यों ने उसी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की होती है जहाँ वे अध्यापन कर रहे हैं)। इससे शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रमों की गुणवत्ता बाधित होती है।
- **नेटवर्किंग और गुणवत्ता की कमी –** अधिकतर विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साहचर्य और एकीकरण का अभाव है।
- **निम्न गुणवत्ता -** इन विश्वविद्यालयों में प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता तुलनात्मक रूप से निम्न होती है जो उनकी वैश्विक रैंकिंग को और अधिक प्रभावित करती है।
- **प्रथम विकल्प नहीं -** कम प्रतिफल और करियर के सीमित अवसरों के कारण कृषि शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित हुई है। परिणामस्वरूप कृषि शिक्षा को छात्रों द्वारा एक विकल्प के रूप में वरीयता प्रदान नहीं की जाती है।

आगे की राह

- **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP)-** सरकार को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की क्षमता का दोहन करना चाहिए; विशेष रूप से एग्री-बिजनेस, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान कमजोर हैं और बदलती मांग के प्रति उचित अनुक्रिया में सक्षम नहीं हैं।
- **पाठ्यक्रम की समीक्षा करना – किसानों की आय दोगुना करने** के संबंध में गिठत **अशोक दलवाई समिति** ने इस तथ्य को उजागर किया है कि कृषि को संधारणीय व्यवस्था एवं लाभ उत्पन्न करने वाले उद्यम के रूप में परिणत करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
- **वैश्विक मानक प्रथाएँ-** कृषि शिक्षा को विश्व व्यापार संगठन, बौद्धिक संपदा अधिकारों की नैतिकताओं तथा मानक व्यापार प्रथाओं के साथ सुसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है।
- **क्षेत्र विशिष्ट शिक्षा -** नए विश्वविद्यालयों के लिए अध्ययन के एक क्षेत्र के स्थान पर एक समग्र **कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्र** के विकास संबंधी मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए, क्योंकि कृषि संबंधी मुद्दे विविध विषयों से संबंधित होते हैं।
- **विनियामक प्राधिकरण** अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास कृषि शिक्षा को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां या अधिदेश नहीं हैं। अतः कृषि क्षेत्रक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित बनाने हेतु, उच्च कृषि शिक्षा के नियमन के लिए एक **केन्द्रीय वैधानिक प्राधिकरण** का निर्माण करना महत्वपूर्ण है।
- **व्यावसायिक कृषि शिक्षा -** विश्वविद्यालय मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि व्यावसायिक और गैर-औपचारिक शिक्षा की भी उतनी ही आवश्यकता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमबल के ज्ञान और प्रौद्योगिकीय सशक्तिकरण के संबंध में यह अत्यावश्यक है।

7.6.4. खाद्य तेल आयात

(Edible Oil Import)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आयातित खाद्य तेल पर भारत की निर्भरता वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ने की संभावना है।

पृष्ठभूमि

- भारत प्रमुख तिलहन उत्पादकों और खाद्य तेल आयातकों में से एक है। भारत की वनस्पति तेल अर्थव्यवस्था का अमेरिका, चीन और ब्राजील के बाद विश्व में चौथा स्थान है।
- तिलहन, सकल फसली क्षेत्र के 13%, GDP के 3% और सभी कृषि वस्तुओं के मूल्य 10% के लिए जिम्मेदार है।
- भारत के कुल खाद्य तेल आयात में पॉम ऑयल की हिस्सेदारी आधे से अधिक है।

ISOPOM (तिलहन, दलहन, पॉम ऑयल और मक्का की एकीकृत योजना)

- इसके तहत तिलहन, दलहन, पॉम ऑयल और मक्का से संबंधित चार योजनाओं को एक केंद्र प्रायोजित योजना ISOPOM में एकीकृत कर दिया गया है।
- प्रजनक (ब्रीडर) बीज की खरीद, आधार बीज का उत्पादन, प्रमाणित बीज आदि के उत्पादन और वितरण के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

VISION IAS

तिलहन और पॉम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन (NMOOP)

- इसे तीन उप मिशन के तहत लागू किया जाता है; MM I - ऑयल सीड्स ,MM II - पॉम ऑयल , MM III - TBOs (ट्री बेस ऑइल)।
- मिशन का लक्ष्य वित्त वर्ष 2019 तक तिलहन का उत्पादन 42 mn टन तक बढ़ाना है, जो कि वित्तीय वर्ष 2017 में 34 mn टन अनुमानित है।
- NMOOP के लिए रणनीति और दिशा-निर्देशों में शामिल हैं:
    - इनके विकल्पों पर बल देते हुए बीज प्रतिस्थापन अनुपात (SRR) में वृद्धि;
    - तिलहन के सिंचित क्षेत्र को 26% से बढ़ाकर 36% करना,
    - कम उपज वाली अनाज फसलों से तिलहन के क्षेत्र में विविधीकरण,
    - अनाज/दालों/गन्ना के साथ तिलहन की कृषि,
    - धान/आलू की कृषि के पश्चात परती भूमि का उपयोग
    - वाटरशेड और बंजर भूमि में पॉम ऑयल और ट्री बेस्ड तिलहनों की कृषि का विस्तार,
    - गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि;
    - तिलहनों की खरीद और संग्रह को बढ़ाना
    - ट्री बेस्ड तिलहनों का प्रसंस्करण।

आयात की आवश्यकता :

कृषि परिस्थितियाँ

- भारत में तिलहन उत्पादन मुख्य रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में होता है। देश में तिलहन उत्पादन क्षेत्र का केवल एक चौथाई भाग सिंचित है।
- विगत दो वर्षों में लगातार सूखे के कारण तिलहन उत्पादन और घरेलू खाद्य तेल का उत्पादन कम हुआ है।
- वर्ष 2017-18 की बात करें तो प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ के कारण कम बुवाई और फसल की क्षति से सोयाबीन के उत्पादन क्षेत्र का आकार कम हो गया है, जिससे तेल निष्कर्षण प्रभावित हुआ है।
- विगत वर्ष स्पॉट मार्केट में मूल्यों में आयी गिरावट के कारण ख़रीफ़ मौसम में तिलहन फसलों का बुवाई क्षेत्र भी कम रहा।
- भारत में विभिन्न तिलहन फसलों की औसत पैदावार में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी यह अन्य प्रमुख तिलहन उत्पादक देशों से काफी पीछे है।

प्रसंस्करण उद्योग

- प्रसंस्करण उद्योग स्थानीय उपभोग के लिए तेल की आपूर्ति करने हेतु रिपैकिंग और वितरण का कार्य करते हैं। इस हेतु वे तेल सम्मिश्रण के लिए परिष्कृत तेल के आयात पर अधिक फोकस करते हैं।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा और घरेलू मांग

- मौजूदा आयातित वनस्पति तेल और पॉम ऑयल घरेलू बाजार में उत्पादित अन्य तिलहन से सस्ता है।
- देश में वार्षिक खाद्य तेल की मांग करीब 22 मिलियन टन है और यह प्रति वर्ष 3 से 4% की दर से बढ़ रही है। भारत अपनी कुल खाद्य तेल की मांग का केवल 40% ही उत्पादित करता है और शेष की आपूर्ति सामन्यतया दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रगतिशील पॉम ऑयल उद्योग से की जाती है।

आयात नीति

- खाद्य तेल पर वर्तमान आयात शुल्क अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में दीर्घकालीन गिरावट पर आधारित है। इसके चलते कच्चे तेल या अपरिष्कृत तेल की तुलना में परिष्कृत तेल का आयात अधिक आकर्षक बन जाता है।

खाद्य तेल निर्यात

- हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने खाद्य तेलों (सरसों के तेल को छोड़कर) के थोक निर्यात पर लगे दशकों पुराने प्रतिबंध को समाप्त कर दिया।

पक्ष में तर्क

- यह कदम तिलहन के बढ़ते उत्पादन का समर्थन करेगा और खाद्य तेलों के विपणन के लिए नए मार्गों की खोज करेगा।

VISION IAS

- इसका परिणाम भारत के खाद्य तेल उद्योग की निष्क्रिय क्षमता के उपयोग के रूप में सामने आ सकता है और यह ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस की दिशा में एक कदम है।
- उपभोक्ताओं का समर्थन करने के लिए उदार आयात जितना आवश्यक है, उतना ही घरेलू उत्पादकों का समर्थन करने के लिए निर्यात महत्वपूर्ण है।
- यह प्रगतिशील विदेशी व्यापार नीति की ओर कदम होगा जिसमें निर्यात और आयात दोनों के लिए मार्ग खुले रखे जाते हैं।

आगे की राह

- तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाने चाहिए :
    - गुणवत्तापूर्ण बीज और बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
    - कृषि क्षेत्र में ऋण और बीमा संबंधी ढांचे का विस्तार किया जाना चाहिए और ऋण तथा बीमा नीतियों को किसान-अनुकूल होना चाहिए।
    - बेहतर तकनीक के संदर्भ में किसानों को जागरूक बनाना और बाजार से बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना।
    - भारतीय रिफाइनरियों की उच्च क्षमता का उपयोग करना जो कि अभी तक स्थापित क्षमता का मात्रा 35% है। ये किसानों और उद्योगों को काफी लाभ प्रदान कर सकते हैं।

VISION IAS

8. औद्योगिक नीति और सम्बंधित मुद्दे

(Industrial Policy and Associated Issues)

वर्तमान संदर्भ

- भारत, पिछले दो दशकों में विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है, निःसंदेह आर्थिक सुधारों से इस प्रदर्शन में सहायता मिली है।
- भारत के हालिया विकास का सर्वाधिक प्रमुख पक्ष सेवा क्षेत्र की गतिशीलता रही है, जबकि इसके विपरीत, **विनिर्माण क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति** से वृद्धि हुई है। यदि भारत की तुलना अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से की जाए तो हम पाते हैं कि वहाँ इस क्षेत्र (विनिर्माण क्षेत्र) में वृद्धि की दर उनके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में होने वाली वृद्धि से अधिक रही है।
- भारत, तीव्र गति से होने वाले वैश्वीकरण द्वारा प्रदान किए गए **अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने में सफल** नहीं रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले दशक में विनिर्माण का अन्य विकासशील देशों की ओर नाटकीय स्थानांतरण हुआ है।
- इसके अलावा, विश्व की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तुलना में कि भारत में अन्य क्षेत्रकों की अपेक्षा विनिर्माण क्षेत्र के योगदान एवं प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों में अंतर तेज़ी से बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है।

औद्योगिक विकास के लिए बाधाएं:

- **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा:** भारत में आधारभूत संरचना, क्षमता और प्रभावोत्पादकता दोनों ही संदर्भ में समस्याओं का सामना कर रही है। अर्थव्यवस्था में हो रहे तीव्र विकास ने बुनियादी ढांचे पर और अधिक दबाव डाला है। गुणवत्तायुक्त औद्योगिक आधारभूत ढांचे की कमी के कारण प्रचालन तंत्र की लागत बढ़ गई है और इसके चलते वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई है।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में भारतीय उद्योग के लिए अवसर:

- भारत **कम लागत वाली अर्थव्यवस्था** बनी हुई है।
- भारत में **युवा आबादी का अनुपात, अपेक्षाकृत अधिक** है।
- भारत को **लगातार शीर्ष निवेश गंतव्य** के रूप में मूल्यांकित (रेट) किया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रवाह न केवल घरेलू बचत में अंतर को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल के संदर्भ में लाभ भी प्रदान करता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र में भारत की स्थिति काफी मजबूत है। वर्तमान में भारत की विशेषज्ञता सॉफ्टवेयर सेवाओं में है, साथ ही यह हार्डवेयर क्षेत्र में विशेषज्ञता का अवसर भी प्राप्त कर सकता है।
- एक कर सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर (GST), उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए भारतीय बाजार को एकीकृत कर देगा।
    - यह संभवत: उन उद्योगों द्वारा 'चेरी-पिकिंग' के अभ्यास को समाप्त कर देगा जो राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र-आधारित छूट का लाभ उठा रहे थे। इससे देश में एक समान व्यापार परिवेश का निर्माण करने में सहायता मिलेगी।

- **प्रतिबंधात्मक श्रम कानून:** श्रम कानूनों का प्रवर्तन औपचारिक क्षेत्र के लिए अत्यधिक सुरक्षात्मक रहा है। हालांकि श्रम संरक्षण सम्बन्धी कानूनों की नितांत आवश्यकता होती है, लेकिन इसने कहीं न कहीं नियोक्ताओं को नियमित आधार पर श्रमिकों को भर्ती करने से हतोत्साहित ही किया है। संभवतः इसने उद्यमियों को श्रम गहन क्षेत्रों से दूर रहने और अत्यधिक पूंजी या कुशल-श्रम गहन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों का चयन करने की ओर उन्मुख किया है।
- **जटिल कारोबारी परिवेश:** जटिल और समय लेने वाली व्यावसायिक प्रक्रियाओं और इनकी मंजूरी मिलने में देरी ने व्यवसायों को हतोत्साहित किया है। भारत में एक अत्यंत जटिल एवं बहु-स्तरीय कर प्रणाली विद्यमान है, जिसकी उच्च अनुपालन लागत और इसके कैस्केडिंग प्रभाव (टैक्स पर टैक्स) विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी अपनाने की मंद गति:** भारतीय उद्योग नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मंद गति से अपनाने वाला देश रहा है। अक्षम प्रौद्योगिकियों के कारण उत्पादकता घटने और लागत बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पाद अलाभकारी स्थिति में हैं।
- **कम उत्पादकता:** भारत में विनिर्माण क्षेत्र में प्रति श्रमिक मूल्यवर्धन और औसत मजदूरी द्वारा मापी गई उत्पादकता चीन की तुलना में केवल एक-तिहाई है। विभिन्न क्षेत्रकों के मध्य और एक ही क्षेत्रक के अंतर्गत विभिन्न फर्मों के मध्य उत्पादकता में अंतर स्थिति को और भी खराब बना देते हैं। भारत में भारी संख्या में श्रमिक कम उत्पादकता और कम मजदूरी वाली गतिविधियों में नियोजित हैं।
- **व्यापार के लिए चुनौतियां:** विनिर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से निर्यातकों को विश्व भर में स्थिर/ घटती वैश्विक मांग तथा बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्तियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र विशेष रूप से चीन और अन्य मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वाले देशों से होने वाले सस्ते आयात से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।

VISION IAS

- **<u>अनुसन्धान एवं विकास (R&D) और नवोन्मेष (इनोवेशन) पर अपर्याप्त व्यय:</u>** उद्योगों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों में निवेश अत्यंत आवश्यक है। अन्य सार्वजनिक सेवा मांगों ने सार्वजनिक निवेश को बाधित किया है और लंबी परिपक्वता अवधि और अनिश्चित रिटर्न के कारण निजी निवेश के आने की संभावना न के बराबर है।

यह भी समझा जा सकता है कि ये कारण वस्तु और सेवाओं की लागत बढ़ाने का काम करते हैं। ये सभी कारक एक-दूसरे से आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं, जो घाटे में वृद्धि करते हैं। इस मजबूती से जुड़े गठजोड़ को तोड़ने की आवश्यकता है, जिससे एक सकारात्मक दिशा की ओर कदम बढ़ाया जा सके।

<u>1991 की औद्योगिक नीति के तत्व :</u>

सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में सुधार हेतु श्रृंखला-बद्ध निर्णय लेने का फैसला किया:

- औद्योगिक लाइसेंसिंग
- विदेशी निवेश
- विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते
- सार्वजनिक क्षेत्र नीति
- एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार (मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस: MRTP) अधिनियम

<u>जिनमें प्रगति हुई:</u>

- कुछ उद्योगों की सूची जिनमें औद्योगिक लाइसेंसिंग लेने सम्बंधित बाध्यताएं अनिवार्य थीं और जिनकी संख्या कुछ वर्ष पहले 18 थी। अब धीरे-धीरे यह घट गई है और वर्तमान में तंबाकू आधारित सिगार और सिगरेट; औद्योगिक विस्फोटक; खतरनाक रसायनों तथा इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण तथा मदिरा निर्माण और आसवन जैसे पांच उद्योग क्षेत्रों में ही लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता रह गई है।
- स्वचालित मार्ग के तहत अधिकांश क्षेत्रों में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है, वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के कुल प्रवाह का लगभग 90% स्वचालित मार्ग के माध्यम से आता है। अब रक्षा और फ़ूड रिटेल जैसे नए क्षेत्रों में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गयी है।
- सार्वजनिक क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तन के कारण लोहे और इस्पात, बिजली आदि के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी संभव हुई। उद्यमों की संख्या और पेड-अप कैपिटल के मामले में निजी क्षेत्र की वृद्धि पिछले तीन दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में काफी तेज रही है।
- भारत, MRTP अधिनियम, 1969 के रूप में प्रतिस्पर्धा कानून रखने वाले पहले विकासशील देशों में से एक था। इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ने संप्रभु (sovereign) कार्यों का निष्पादन करने वाले कुछ सार्वजनिक उद्यमों को छोड़कर लगभग सभी सार्वजनिक और निजी उद्यमों के बीच के भेद को समाप्त कर दिया है और बाजार को प्रतिस्पर्धी बनाने में योगदान दिया है।

इसलिए, बदलते वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए मौजूदा परिस्थितियों में अवसरों और बाधाओं को देखते हुए **वर्तमान औद्योगिक नीति पर पुनः विचार** किए जाने की आवश्यकता है।

<u>औद्योगिक नीति, 2017 का प्रारूप :</u>

- **<u>वैश्विक सम्बन्ध स्थापना:</u>** भारत को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए **वैश्विक सम्बन्ध** स्थापित करने होंगे तथा इसी क्रम में भारतीय एवं वैश्विक SMEs में तालमेल के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में तेज़ी लानी होगी।
- **<u>औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि :</u>** बिजली, प्रचालन तंत्र, विनियामक / अनुपालन प्रक्रियाओं को आसान बनाने, पूंजी की लागत को कम करने और श्रम उत्पादकता में सुधार जैसे बुनियादी ढांचे की लागत को कम करके औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की जा सकती है।
- **<u>प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति</u>**
    - यह उन्नत विनिर्माण के लिए IOT (इन्टरनेट ऑफ थिंग्स), कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जैसे आधुनिक स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को भी उपयुक्त रूप से शामिल करेगा।
    - अनुपालन लागत एवं लेन-देन के समय को कम करके व्यापार वातावरण में सुधार करेगा।
- **<u>MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) के लिए पूंजी तक पहुंच:</u>**
    - पीयर टू पीयर लेंडिंग, क्राउड फंडिंग इत्यादि जैसे विकल्पों की खोज।
    - MSMEs की वित्त तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है।

VISION IAS

- **कराधान :** GST को सरल बनाना, काउंटर-ड्यूटी संरचना की समस्या का समाधान करना।
- **उद्योग संबंधी मानक:**
  - अंतराल को कम करने के लिए उद्योग आधारित अनिवार्य तकनीकी नियम विकसित किए जाएंगे।
  - उद्यमों को भारत में परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **रोजगार सृजन :** बड़ी संख्या में प्राथमिक क्षेत्र से बाहर निकलने वाले अकुशल और अर्द्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार देने के लिए **नयी नौकरियों का निर्माण** करना होगा।
- **नगर निगम निकायों को सुदृढ़ बनाना:** ऊर्जा उत्पादन हेतु कचरे के पुनर्चक्रण हेतु व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य इकाइयों की स्थापना करना, नगर निगम निकायों को सुदृढ़ बनाना, उन्हें प्रतिस्पर्धी दरों पर धन जुटाने और सेवाओं के लिए शुल्क लगाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **स्थिर और उत्तरदायी औद्योगीकरण सुनिश्चित करना :**
  - हरित ऊर्जा, हरित विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना।
  - एक गतिशील नवीनीकरण क्षेत्र, जो 'एनर्जी मिक्स' में पर्याप्त योगदान कर सके।
  - बेहतर तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने के माध्यम से ऊर्जा उपयोग दक्षता में सुधार।
- **अनुसंधान और विकास :** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के उपयुक्त मॉडल, अकादमिक - अनुसंधान संस्थान- उद्योग सम्बन्ध, भारतीय फर्मों को उनकी अनुसंधान और विकास (R&D) व्यय बढ़ाने में सहायता और उच्च गुणवत्ता वाले पेटेंट दाखिल करना।

वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट **'वैश्विक परिदृश्य में बदलती औद्योगिक नीति'** के आधार पर अतिरिक्त सिफारिशें:

- खुले, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तंत्र को अपनाने और अनुमोदन प्रक्रियाओं के अधिक सरलीकरण पर ध्यान देना।
- **अनुसंधान और विकास:**
  - औद्योगिक क्षेत्र में R&D को संस्थागत बनाया जाना चाहिए और विश्वविद्यालयों/ भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के साथ इनकी कनेक्टिविटी अधिक से अधिक बढ़ायी जानी चाहिए।
  - पूर्ण जोश के साथ विनिर्माण के नवीन क्षेत्रों की खोज की जानी चाहिए जैसे -डिफेंस ऑफ़सेट।
- **पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित उद्योगों में निवेश को पुनर्जीवित** किया जाना चाहिए क्योंकि इन पूंजीगत वस्तुओं के मामले में देश अभी भी आयात पर ही निर्भर है।

नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी, 2016 :

- पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में यह पहली नीति है जिसके निम्नलिखित स्पष्ट लक्ष्य हैं
  - 2014-15 में 2,30,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को 2025 तक 7,50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाना, और
  - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को वर्तमान के 8.4 मिलियन से बढ़ाकर 30 मिलियन तक पहुँचाना।
- यह निर्यात को उत्पादन के मौजूदा 27 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने की परिकल्पना करती है।
- यह भारत की मांग में घरेलू उत्पादन के हिस्से को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखती है। इससे भारत पूंजीगत वस्तुओं का शुद्ध निर्यातक देश बन सकेगा।
- इसका उद्देश्य उप-क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सुधार, कौशल उपलब्धता में वृद्धि, अनिवार्य मानकों को सुनिश्चित करना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) की वृद्धि और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है।

- **IPR फ्रेमवर्क:**
  - हमें अपने औद्योगिक विकास की कीमत पर सीमावर्ती देशों द्वारा उनके अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए औद्योगिक नीति के रूप में बौद्धिक संपदा का उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
  - हमारे IPR ढांचे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि TRIPS में शामिल मानकों के अलावा सुरक्षा के उच्च IP मानकों पर सहमति न बने।
- **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति:**
  - स्मार्ट विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इसे पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे शून्य उत्सर्जन, शून्य-दुर्घटना, शून्य-दोष युक्त निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके।

VISION IAS

- हमें **प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास कोष (Technology Acquisition and Development Fund: TADF)** ढाँचे में नवीन एवं आवश्यक परिवर्तन करने होंगे ताकि औद्योगिक क्षेत्र में स्मार्ट प्रक्रियाओं और स्थायी प्रचालन को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे हमारे औद्योगिक क्षेत्र को स्मार्ट एवं चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रवेश करने के लिए तैयार किया जा सके।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति - महत्वपूर्ण पक्ष / विशेषताएं -

- राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (National Investment and Manufacturing Zones: NIMZs);
- व्यापार नियमों में तर्कसंगतता और सरलीकरण;
- विनिर्माण इकाइयों के लिए सरल और त्वरित निवारण तंत्र;
- लघु और मध्यम उद्योगों (SMEs) के लिए प्रोत्साहन;
- औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन उपाय;
- हरित प्रौद्योगिकियों सहित अन्य प्रौद्योगिकी विकास के लिए वित्तीय और संस्थागत तंत्र;
- सरकारी खरीद और विशेष फोकस सेक्टर।

- **सूक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्योग (MSMEs) क्षेत्र**
  - सूचनाओं तक पहुंच, ऋण प्रक्रियाओं और ऋण सहायता का सरलीकरण एवं ब्याज में छूट देकर, MSMEs को समय पर और किफायती ऋण तक पहुँच के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - MSMEs को डिजिटल मार्केटिंग में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **श्रम और औद्योगिक विकास**
  - श्रम क्षेत्र में मौजूद तमाम कानूनों की कमियों को दूर कर उनका सरलीकरण किया जाना चाहिए।
  - सामाजिक सुरक्षा कानूनों को संशोधित और सरलीकृत किया जा सकता है जिससे नियोक्ता अपने श्रमिकों के लिए एक सक्रिय हितधारक बनकर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को सही तरीके से लागू कर सके।
- **रोजगार और कौशल विकास**
  - भारत में चल रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण पर यदि ध्यान दिया जाए तो हम पायेंगे कि यह श्रमिकों की आवश्यकताओं से पूरी तरह से मेल नहीं खाते, इसलिए कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम का उचित समायोजन आवश्यक है।
  - बदलते तकनीकी पर्यावरण और उद्योग क्षेत्र की मांग के अनुसार, कार्यबल को समय-समय पर कौशल प्रदान किया जाना चाहिए।

8.1 भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

(Electronics manufacturing in india)

सुर्खियों में क्यों?

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा है, जिससे भारतीय आयात बिल में निरंतर वृद्धि हो रही है और लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजन के अवसर समाप्त हो रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) क्या है?

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) उद्योग द्वारा उद्यमों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों, जैसे- कंप्यूटर, टीवी और सर्किट बोर्डों इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के उद्योगों में निम्नलिखित अनुभाग शामिल हैं:

- **इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बाजार**
- **इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा (EMS) बाजार**
- **कम्पोनेन्ट मार्केट**
- **सेमी कंडक्टर डिजाइन मार्केट**

वर्ष 2017 में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बाजार का सम्पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) उद्योग में लगभग 81% हिस्सेदारी के साथ प्रभुत्व बना हुआ है, जबकि कम्पोनेन्ट मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा (EMS) बाजार में वर्ष 2014 से 2020 के मध्य उच्च वृद्धि दर की अपेक्षा की गयी है।

VISION IAS

बाजार का आकार:

- देश में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर की मांग 2015 के 75 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 तक 400 अरब अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है। अनुमानित उत्पादन 2020 तक 104 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिससे मांग और उत्पादन में 296 अरब अमेरिकी डॉलर का अंतर उत्पन्न होगा।
- 2015 में वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भारत का हिस्सा मात्र 1.6% था। यह वर्तमान में 1.75 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य का हो गया है।

ESDM उद्योग की SWOT एनालिसिस

हालिया प्रवृत्ति :

- देश की इलेक्ट्रॉनिक्स की कुल मांग में उत्पाद के 50-60% और कंपोनेंट के 70-80% का आयात किया जाता है। यदि स्थिति में बदलाव नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आयात पर होने वाला व्यय 2020 तक तेल आयात पर होने वाले व्यय से अधिक हो सकता है।
- भारत सरकार की व्यापार अनुकूल नीतियों, स्थिर राजनीतिक नेतृत्व साथ ही विश्व कि कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं में उथल-पुथल ने एक साथ मिलकर एक सहायक निवेश परिवेश के निर्माण में योगदान दिया है। इससे भविष्य में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

भारत के निर्यात हिस्सेदारी में कमी के कारण:

- **इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए विपरीत कर संरचना:** स्थानीय घटक आपूर्तिकर्ताओं के सीमित होने के कारण, विनिर्माता पार्ट्स के आयात पर निर्भर हैं।
- जटिल श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण में विलंब और अनिश्चित कर व्यवस्था ने निवेशकों को दुविधा में डाल रखा है, इसलिए देश में आने वाले कुल FDI का 1% से भी कम इलेक्ट्रॉनिक्स को प्राप्त होता है।
- भारतीय प्रक्रियाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता के विरुद्ध संचालित सीमा पारीय व्यापार प्रक्रियाएं इज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में प्रदर्शित होती हैं, उच्च अनुपालन लागत के कारण इस श्रेणी (सीमा पारीय व्यापार) में भारत की रैंकिंग 146 है।

सरकारी पहल:

- सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति (NPE) को मंजूरी प्रदान की गयी है।

इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति (NPE) 2012 :

दृष्टिकोण (VISION): देश की आवश्यकताओं को पूरा करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण उद्योग के सृजन की आवश्यकता है।

2020 तक के NPE लक्ष्य:

- 2020 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार प्राप्त करना।
- 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश और

VISION

- 2020 तक लगभग 28 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करना।
- 80 बिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य के साथ, चिप डिजाईन एवं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर उद्योग में लगभग 55 बिलियन डॉलर के टर्नओवर लक्ष्य प्राप्त करना।
- 200 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स की स्थापना।
- 2020 तक इस क्षेत्र में वार्षिक आधार पर 2500 पीएचडी के लक्ष्य के साथ उच्च स्तरीय मानव संसाधन सृजन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना।

- सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया है।
- **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (MSIP)** कुल पूंजीगत व्यय में 25% तक (SEZ में 20%) की सब्सिडी प्रदान करती है।
- **इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना(EMCS)** ग्रीनफील्ड क्लस्टर्स (इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण दृष्टि से अल्पविकसित या अविकसित क्षेत्र) में बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं के विकास के लिए 50% लागत प्रदान करती है और वहीं ब्राउनफील्ड क्लस्टर्स (ऐसा क्षेत्र जहां EMCs पर्याप्त संख्या में मौजूद है) के लिए 75% लागत वहन करती है। वर्तमान में लगभग 30 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण समूहों को अधिसूचित किया गया है और साथ ही भारत सरकार ने 2020 तक ऐसे ही 200 क्लस्टर्स निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाएगी**, जो किसी भी स्थिति में 30% से कम नहीं होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार के लिए **इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि (EDF)** विचाराधीन है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स और बौद्धिक सम्पदा (intellectual property) के सृजन में योगदान देना है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने देश में दो सुविधा आधारित **सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग (semiconductor wafer fabrication manufacturing)** इकाइयों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्र में अत्यधिक शोध को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार उद्योग विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुसंधान हेतु पूरे देश में विश्वविद्यालयों में पीएचडी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- भारत सरकार, कौशल विकास योजना के तहत समर्थन प्रदान करने के क्रम में, कुशल और अर्द्ध कुशल श्रमिकों के लिए उद्योग आधारित विशिष्ट कौशल हेतु 75% से 100% प्रशिक्षण लागत प्रदान करेगी।
- अनिवार्य मानक व्यवस्था के अंतर्गत परीक्षण प्रयोगशाला अवसंरचना में निवेश के अवसर।
- आंध्र प्रदेश और कर्नाटक समेत कई राज्य सरकारों ने पहले से ही अपनी राज्य आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स नीतियों के हिस्से के रूप में पूरक प्रोत्साहन प्रदान करने की घोषणा की हुई है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और केरल राज्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।
- इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र में MSMEs को चिन्हित करके उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना की घोषणा की गयी है।

चीन के साथ तुलना :

चीन में विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता	भारत में विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता
• विशाल एवं मितव्ययी अर्थव्यवस्था होने के साथ चीन में स्थिर एवं पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला ने विगत दो दशकों में चीन को कम लागत और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उच्च मार्जिन वाले (अधिक लाभ) उत्पादन को बनाए रखने में सहायता की। • इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में इसका प्रभुत्व अविश्वसनीय रूप से सरकारी समर्थन से उत्पन्न हुआ है, जो हितधारकों को मुख्य रूप से पूंजी सब्सिडी और करों की छूट के रूप में प्राप्त होता है। • वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक दिग्गजों के लिए अर्थव्यवस्था एक निर्यात गंतव्य में परिवर्तित हुई क्योंकि देश ने कम मजदूरी पर अधिक योग्य श्रमिकों की आपूर्ति की।	• दूसरी तरफ, भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता आगे बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अर्थव्यवस्था विकास पथ पर अग्रसर है। • इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल घरेलू मांग एक मुख्य अभिकर्ता होगी, जो स्थानीय तंत्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। • बढ़ते निवेश और स्थानीय मूल्य वृद्धि के स्तर में कई गुना वृद्धि होगी क्योंकि अधिकांश OEMs (original equipment manufacturers) भारत से अपने उत्पादों के स्थानीयकरण की अपेक्षा करते हैं।

VISION IAS

• चीन की अर्थव्यवस्था मंद हो गई है, यह मुद्रा अवमूल्यन और बढ़ती मजदूरी की समस्या से जूझ रही है, इसके 'कम लागत वाले विनिर्माण' संबंधी टैग की चमक कम होने लगी है, जिससे अब भारत, वियतनाम और मलेशिया जैसे अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं निवेश के लिए अधिक आकर्षक सिद्ध हो रही हैं।	• नियामक ढांचे ने विदेशी और घरेलू निवेश आकर्षित करने के लिए निवेश और व्यापार परिवेश को अत्यंत अनुकूल बनाया है। • भारत में चीन की तुलना में बेहतर डिजाइन क्षमता और लगभग 150% कम मजदूरी पर प्रतिभाशाली श्रमिक उपलब्ध हैं, जिससे चीन की तुलना में भारत भविष्य में घरेलू-सह-निर्यात उन्मुख विनिर्माण गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा।

8.2. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रक

(MSME Sector)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
- इसके साथ ही सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए क्रिसिडेक्स (**CriSidEx**) जारी किया गया। यह भारत का पहला मनोभाव सूचकांक (सेंटीमेंट इंडेक्स) है।

क्रिसिडेक्स (CriSidEx) के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य

- क्रिसिडेक्स (**CriSidEx**) एक मिश्रित सूचकांक है, जिसे **CRISIL एवं SIDBI** द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह 8 मापदंडों वाले डिफ्यूज़न इंडेक्स (diffusion index) पर आधारित है तथा लघु एवं मध्यम उद्यम व्यावसायिक मनोभावों का 0 (अत्यंत नकारात्मक) से 200 (अत्यंत सकारात्मक) के पैमाने पर मापन करता है।
- चूंकि लघु एवं मध्यम उद्यम संबंधी आँकड़े देर से प्राप्त होते थे, अतः ऐसे में जमीनी-स्तर के मनोभावों का व्यापक और संक्षिप्त संकेतक; नीति निर्माताओं, ऋणदाताओं, व्यापार निकायों, अर्थशास्त्रियों, रेटिंग एजेंसियों और स्वयं लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए महत्वपूर्ण एक उपकरण बन जाता है।
- क्रिसिडेक्स (**CriSidEx**) का अध्ययन संभावित विपरीत परिस्थितियों और उत्पादन चक्र में परिवर्तनों को चिह्नित करेगा जो बाजार दक्षताओं में सुधार करने में सहायक होगा।
- निर्यातकों और आयातकों के मनोभावों को जानकर, यह विदेशी व्यापार पर कार्यवाही करने योग्य संकेतक भी प्रस्तुत करेगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 में हाल ही के संशोधन

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के आधार को **'संयंत्र/ मशीनरी में निवेश'** से परिवर्तित कर **'वार्षिक टर्नओवर'** करना। तदनुसार अधिनियम की धारा 7 में संशोधन किया जाएगा।
    - सूक्ष्म उद्यम: **वार्षिक टर्नओवर** पाँच करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है।
    - लघु उद्यम: **वार्षिक टर्नओवर** पांच करोड़ रुपये से अधिक होता है किन्तु 75 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है;
    - मध्यम उद्यम: **वार्षिक टर्नओवर** 75 करोड़ रुपये से अधिक होता है किन्तु 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है।
- यह *ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस* को प्रोत्साहित करेगा, वर्गीकरण के मानदंडों को संवृद्धि उन्मुख बनाएगा एवं उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर आधारित नई कर व्यवस्था के साथ जोड़ेगा।

IMPORTANCE OF MSMES

It is important for inclusive growth as it provides the bulk of Industrial employment in the country

5.1 crore	Operating MSMEs in India
11.7 crore	Employment in MSME sector
77.6 lakh	Registered MSMEs as on January 10, 2018 of which 40 lakh registered since September 2015 under Udyog Aadhaar
30.7 %	Contribution to GDP (fiscal 2015)
45.0 %	Contribution to exports
78.2 %	Dependence on self-finance

- इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा **व्यापार की मात्रा की सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है। यह मात्रा** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम **की धारा 7 में निर्दिष्ट सीमाओं के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।**

VISION IAS

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के समक्ष व्याप्त समस्याएँ

सरकारी योजनाओं की बहुतायत के बाद भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं:

- **पूँजी की उपलब्धता** – लगभग 40% लघु उद्यम ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी के अभाव** के कारण ये उद्यम आयातित उत्पादों और सेवाओं की तुलना में कम उत्पादक एवं कम प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं।
- **मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं** जैसे जल, विद्युत आपूर्ति, सड़क/रेल और टेलीफोन कनेक्टिविटी इत्यादि की कमी।
- विद्युत, पर्यावरण तथा श्रम से संबंधित **विविध वैधानिक मंजूरियाँ** प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
- अन्य चुनौतियों में कच्चे माल एवं कुशल श्रम इत्यादि की अनुपलब्धता सम्मिलित हैं।

सरकार की पहलें

- **उद्यमी मित्र पोर्टल–** इसे SIDBI द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) हेतु ऋण की उपलब्धता एवं सहयोग प्रदान करने वाली सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रारंभ किया गया है।
- **डिजिटल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम योजना–** यह क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग को समाविष्ट करती है। इसके तहत MSME द्वारा इंटरनेट के उपयोग से *इन-हाउस* (घरेलू स्तर पर निर्मित) IT अवसंरचना को स्थापित करने के बजाय *टेलर-मेड* (आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य द्वारा निर्मित) या सामान्य (कॉमन) IT अवसंरचना (उनकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए सॉफ्टवेयर सहित) तक पहुँच स्थापित की जाती है|
- **MSME विलम्बित भुगतान पोर्टल – MSME समाधान** – यह सम्पूर्ण देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों / राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान से संबंधित अपने मामलों को प्रत्यक्ष रूप से दर्ज करने में सक्षम बनाएगा।
- **MSME संबंध** – यह पोर्टल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी करने में सहायता करेगा।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम–** यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है।
- नवीनीकृत स्फूर्ति **(Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries:SFURTI)** योजना – यह पारंपरिक उद्योगों एवं कारीगरों को समूहों में संगठित करती है और उनकी विक्रेयता में संवर्द्धन कर एवं उन्हें उन्नत कौशलों से सुसज्जित कर प्रतिस्पर्धात्मक बनाती है।
- **नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु योजना** (A Scheme for promoting innovation, entrepreneurship, and agro-industry:**ASPIRE)**– नए रोजगारों का सृजन करती है एवं बेरोजगारी में कमी करती है, उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देती है, नवीन व्यावसायिक समाधान आदि की सुविधा प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (NMCP)** - भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के मध्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए।
- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) -** उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की क्षमता निर्माण के लिए क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाना।

आगे की राह

- लक्षित लाभार्थियों के बीच विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के विषय में सीमित जागरूकता है। अतः बेहतर संचार रणनीति एवं नए युग के मीडिया उपकरणों जैसे सोशल मीडिया आदि का प्रयोग करना आवश्यक है।
- योजनाओं को मांग प्रेरित बनाने के लिए योजना की डिज़ाइन के चरण पर हितधारकों की भागीदारी की विशेष आवश्यकता है।
- निर्णय निर्धारण प्रक्रिया के स्तरों में कमी की जानी चाहिए एवं परिचालन संबंधी मुद्दों पर लचीलेपन की संभावना रखनी चाहिए।

8.3 विशेष आर्थिक क्षेत्र

(Special Economic Zones- Sez)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिका द्वारा बहुपक्षीय व्यापार निकाय WTO में भारत के निर्यात सब्सिडी कार्यक्रम को चुनौती देने के बाद, वाणिज्य मंत्रालय ने WTO के नियमों से संगत एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति के निर्माण हेतु बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की।

SEZ के बारे

- SEZ ऐसे निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ आर्थिक कानून, देश के विशिष्ट आर्थिक कानूनों से अधिक उदार होते हैं और सभी इकाइयों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

VISION IAS

- SEZ को व्यापार संचालन और शुल्क और टैरिफ के प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र माना जाता है। SEZs के भीतर उत्पादकों द्वारा खरीदे गए स्थानीय कच्चे माल को निर्यात के रूप में माना जाता है, जबकि SEZs में उत्पादित और DTA (डोमेस्टिक टैरिफ एरिया) में बेचे जाने वाली वस्तुओं को आयात के रूप में माना जाता है।
- भारत में SEZ, SEZ अधिनियम, 2005 के तहत शासित होता है, जो एक अम्ब्रेला लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह SEZ विकास के सभी महत्वपूर्ण विधिक और विनियामक पहलुओं के साथ-साथ SEZ में परिचालन इकाइयों को भी शामिल करता है।

SEZ के उद्देश्य
- विदेशी निवेश में वृद्धि करना।
- निर्यात हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी और बाधा रहित वातावरण प्रदान करना।
- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का उत्पादन करना।
- रोजगार के अवसरों का निर्माण करना।
- अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना।

SEZ द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियाँ
- **नीति पूर्वानुमेयता की कमी-** वचनबद्ध राजकोषीय प्रोत्साहन व्यवस्था (promised fiscal incentives regime) में महत्वपूर्ण परिवर्तन ने अनिश्चितता उत्पन्न की है, जिससे डेवलपर्स और इकाइयाँ निवेश वापसी के लिए विवश हुई हैं।
    - 2005 के SEZ अधिनियम ने किसी 'सन सेट क्लॉज़' के बिना उनके भीतर स्थित क्षेत्र और इकाइयों को MAT से छूट दे दी। परंतु सरकार ने 2012 से SEZ और उनकी इकाइयों पर 18.5% की दर से MAT आरोपित करने के लिए पुनः कानून में परिवर्तन किया।
- **कठोर श्रम नियम:** कठोर श्रम नियमों के देश में श्रम आपूर्ति (विशेषकर बहु उत्पाद निर्माण SEZ के लिए) पर नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। साथ ही इनके कारण चीन के SEZ मॉडल की सफलता का अनुकरण करने के भारत के अवसरों में कमी आयी है।
- **अवसंरचना की कमी:** SEZ नीति द्वारा प्रस्तावित विश्व स्तरीय अवसंरचना सुविधा की अनुपस्थिति तथा इसके साथ ही SEZ के बाहर पूरक अवसंरचना यथा बंदरगाह कनेक्टिविटी में कमी के कारण SEZ में निवेश के अवसरों में कमी आई है।
- **संचालन के विभिन्न मॉडल:** SEZ, तटीय आर्थिक क्षेत्र, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, फ़ूड पार्क और टेक्सटाइल पार्क जैसे आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न मॉडल, कार्यपालिका की कार्यपद्धति में लालफीताशाही में वृद्धि करते हैं।
- **कठोर प्रतिस्पर्धा:** SEZ को घरेलू बिक्री के संबंध में अलाभकारी स्थिति का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें पूर्ण सीमा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जबकि मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के कारण ASEAN देशों के लिए सीमा शुल्क की दर कम है।
- **मौजूदा विनिर्माण इकाइयों का SEZs में स्थानांतरण:** उद्यमी आकर्षक रियायतों के कारण DTA की तुलना में SEZ में कारोबार करना पसंद करते हैं, जिससे रोजगार या उत्पादन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती जबकि सरकारी राजस्व कम हो जाता है।
- **लाल फीताशाही:** केंद्र सरकार के विभागों तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय की कमी ने सिंगल-विंडो मैकेनिज्म के उद्देश्यों को कमजोर कर दिया है।

2014 की CAG रिपोर्ट के आधार पर SEZ के निष्पादन पर लोक लेखा समिति का अवलोकन
- **SEZ का निष्पादन**
    - आर्थिक विकास, निवेश, निर्यात और रोजगार पर SEZ का **कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं** दिखा है।
    - **क्षेत्रीय असमानता:** अधिसूचित SEZs के दो-तिहाई से अधिक पांच राज्यों- आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में स्थित हैं जिनका निवेश में 90% और रोजगार सृजन में 83% योगदान है।
- **SEZ का विकास प्रतिरूप**
    - SEZs का विकास वक्र उद्योग द्वारा **शहरी समूह के लिए वरीयता** को इंगित करता है। यह संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य को कमजोर करता है।
    - **अंतर-क्षेत्रक असमानता:** लगभग 57% SEZ IT/ITES क्षेत्र में सेवारत हैं और केवल 9.6% बहु उत्पाद विनिर्माण क्षेत्र में सेवारत हैं।
- **भूमि आवंटन और उपयोग:**
    - SEZ के लिए अधिसूचित सभी भूमियों में से केवल 62% पर संचालन प्रारंभ हुआ है।
    - डेवलपर्स, SEZ के नाम पर भूमि के बृहद क्षेत्र के आवंटन/खरीद के लिए सरकार से संपर्क करते हैं तथा बाद में वे मूल्य वृद्धि से लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ वर्षों में इसे गैर-अधिसूचित कर देते हैं।

VISION IAS

  - **भूमि अधिग्रहण के लिए कम क्षतिपूर्ति:** किसानों को SEZ के लिए अधिगृहीत की गयी उनकी भूमि के लिए बाजार मूल्य की तुलना में कम कीमत का भुगतान किया जाता है।
  - 'सार्वजनिक उद्देश्य' खंड के तहत अधिगृहीत कई भूमियों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए परिवर्तित किया जा रहा है।
  - कई डेवलपर्स द्वारा SEZ भूमि को ऋण प्राप्त करने हेतु गिरवी रखा जा रहा है। साथ ही, SEZ के विकास के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए धनराशि का उपयोग किया जा रहा है।
- **कर प्रशासन:**
  - SEZ टैक्स हैवेन बन रहे हैं। इनसे देश को कोई महत्त्वपूर्ण लाभ मिलने के बजाय ये प्रशुल्कों से बचने तथा सरकारी राजस्व की हानि के कारण बन रहे हैं।
  - अयोग्य छूट/कटौतियों को SEZ तक विस्तारित कर दिया गया है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में लगभग 27,000 करोड़ रुपये की प्रणालीगत कमजोरियों को भी देखा गया है।
- **निगरानी और नियंत्रण:**
  - SEZ की निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली की अपर्याप्तता और आंतरिक लेखापरीक्षा की कमी के कारण डेवलपर्स ने तथ्यों की गलत प्रस्तुति कर 1150 करोड़ रुपये की हेराफेरी की। इसकी जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि डाटा को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र उपस्थित नहीं है।
  - सेवा कर, स्टाम्प शुल्क इत्यादि के भुगतान पर छूट की निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
  - पूरी डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली परियोजना को NSDL को आउटसोर्स किया गया है और DoC में डाटाबेस प्रबंधन के लिए कोई IS रणनीतिक योजना नहीं है।

SEZ के प्रदर्शन पर लोक लेखा समिति की अनुशंसा:

- इसके द्वारा **मापनीय निष्पादन संकेतकों की** अनुशंसा की गयी है, जो SEZ की स्थापना की आर्थिक लागत के साथ ही सामाजिक और पारिस्थितिकीय लागत को भी दर्शाते हैं।
- जिन SEZ का निष्पादन एक निश्चित स्तर से कम है उनकी स्थापना की आवश्यकता का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- SEZ में लचीले श्रम कानूनों के साथ **सुशासन का प्रवर्तन,** SEZ की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होगा।
- डेवलपर्स द्वारा SEZ भूमि के अधिसूचन को रद्द करने पर केंद्र सरकार द्वारा उस तिथि तक प्राप्त कुल वित्तीय लाभ को सूचित किया जाना चाहिए। मौजूदा नियमों के अनुसार, जो डेवलपर्स भूमि को गैर-अधिसूचित करने का प्रस्ताव रखते हैं उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त सभी वित्तीय लाभों का वापस भुगतान करना पड़ता है।
- वित्त मंत्रालय को **न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) और लाभांश वितरण कर (DDT)** को हटाने पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। इसे उद्यमियों और डेवलपर्स के लिए SEZ को अधिक वैकल्पिक बनाना चाहिए।
- **SEZ के आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने** और CBEC की ICEGATE प्रणाली के साथ SEZ कर प्रशासन के पूर्ण एकीकरण को प्राप्त करने के लिए एक **निश्चित समयसीमा** होनी चाहिए। साथ ही, **सरकार को SEZ के लिए छूट, स्टाम्प ड्यूटी और सेवा कर के रिकॉर्ड के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना होगा।**

SEZ के निष्पादन में सुधार हेतु उठाए जा सकने वाले अन्य कदम

- जैव प्रौद्योगिकी, गैर-परंपरागत ऊर्जा उपकरण, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण और सेवाओं जैसे SEZs की स्थापना के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र को 25 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक कम करना तथा **क्षेत्र विशिष्ट SEZs को बढ़ावा देना।**
- **अवसंरचना सुविधा में सुधार:** SEZs की अवस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वे विनिर्माण निर्यात को बढ़ावा दे सकें। SEZs की स्थापना करते समय बंदरगाहों और हवाई अड्डों से संपर्क को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सुविकसित परिवहन अवसंरचना SEZs के निष्पादन में सुधार कर सकती है भले ही वे बंदरगाहों/हवाई अड्डों से कुछ दूरी पर स्थित हों और ऐसे में SEZs को बंदरगाहों/हवाई अड्डों के अत्यंत निकट स्थित करना आवश्यक नहीं होगा।
- SEZs के आधुनिक संस्करण जैसे मुक्त बंदरगाह, मुक्त तटीय क्षेत्रों, ग्रोथ पोल्स और क्लस्टर्स की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- क्षेत्र में प्लांट की अवस्थिति के संदर्भ में फर्मों को अधिक लचीलापन प्रदान करने से **निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहन** मिलेगा। इस क्षेत्र के उत्पाद और विकास की आवश्यकताओं के रणनीतिक महत्व के अनुसार क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।
- घरेलू निवेश के पूरक के रूप में क्षेत्र में **अधिक ग्रीनफील्ड FDI के लिए प्रोत्साहन** अधिक निजी निवेशकों को आकर्षित करेगा। चीन इसका सुस्पष्ट उदाहरण है जहां SEZs में लगभग 20% FDI लगा हुआ है। क्षेत्र में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को उत्तरदायी बनाने की अनुमति से विकास को बनाये रखा जा सकेगा।

VISION IAS

- स्थान का चयन करते समय, खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए SEZs को **कृषि भूमि को पूर्ण रूप से बाहर रखना** आवश्यक होगा।
- विस्थापित लोगों के लिए तैयार बेहतर संतुलित **क्षतिपूर्ति और पुनर्वास नीति** की स्थापना।
- किसी विशेषाधिकार के बिना **एक स्थिर और निष्पक्ष कर व्यवस्था** को बनाए रखना देश की राजकोषीय सुदृढ़ता को बढ़ाएगा। साथ ही, राजस्व चोरी को रोकने के लिए क्षेत्र को भौतिक रूप से आबद्ध (फिजिकली एन्क्लोज) करना आवश्यक होगा। यदि आवश्यक हो, तो बिल्कुल आरम्भिक चरण में कर विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए।
- SEZ के लिए **नवाचारी वित्त पोषण तंत्र की अनुमति** देना जैसे SEZs और औद्योगिक पार्कों की इमारतों के लिए अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना, सम्पूर्ण SEZ अवसंरचना के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) की अनुमति देना, ECB के माध्यम से पुनर्वित्त विकल्प की अनुमति देना और रियल स्टेट क्षेत्र के लिए "जोखिम भार मानदंड" में छूट प्रदान करना; SEZ के निवेश चक्र में सुधार में सहायक होगा।

निष्कर्ष

- कई देशों में SEZs की स्थापना का उद्देश्य निर्यात संवर्द्धन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और इस प्रकार अधिक रोजगार और विकास को उत्पन्न करना है। WTO प्रणाली के तहत, वैश्विक अर्थव्यवस्था मुक्त व्यापार व्यवस्था के तहत उभरती प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बेहतर रूप से एकीकृत और उदारीकृत है।
- हालांकि, उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से कई को निर्यात को बढ़ावा देना है, परंतु साथ ही वे अपने घरेलू उद्योग की सस्ते आयात से रक्षा के लिए बाध्य हैं। इसलिए, SEZ के विकास को बनाए रखना और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में निर्यात में वृद्धि करना, विशेषकर विकासशील देशों में विकास एजेंडे का मुख्य भाग होना चाहिए।

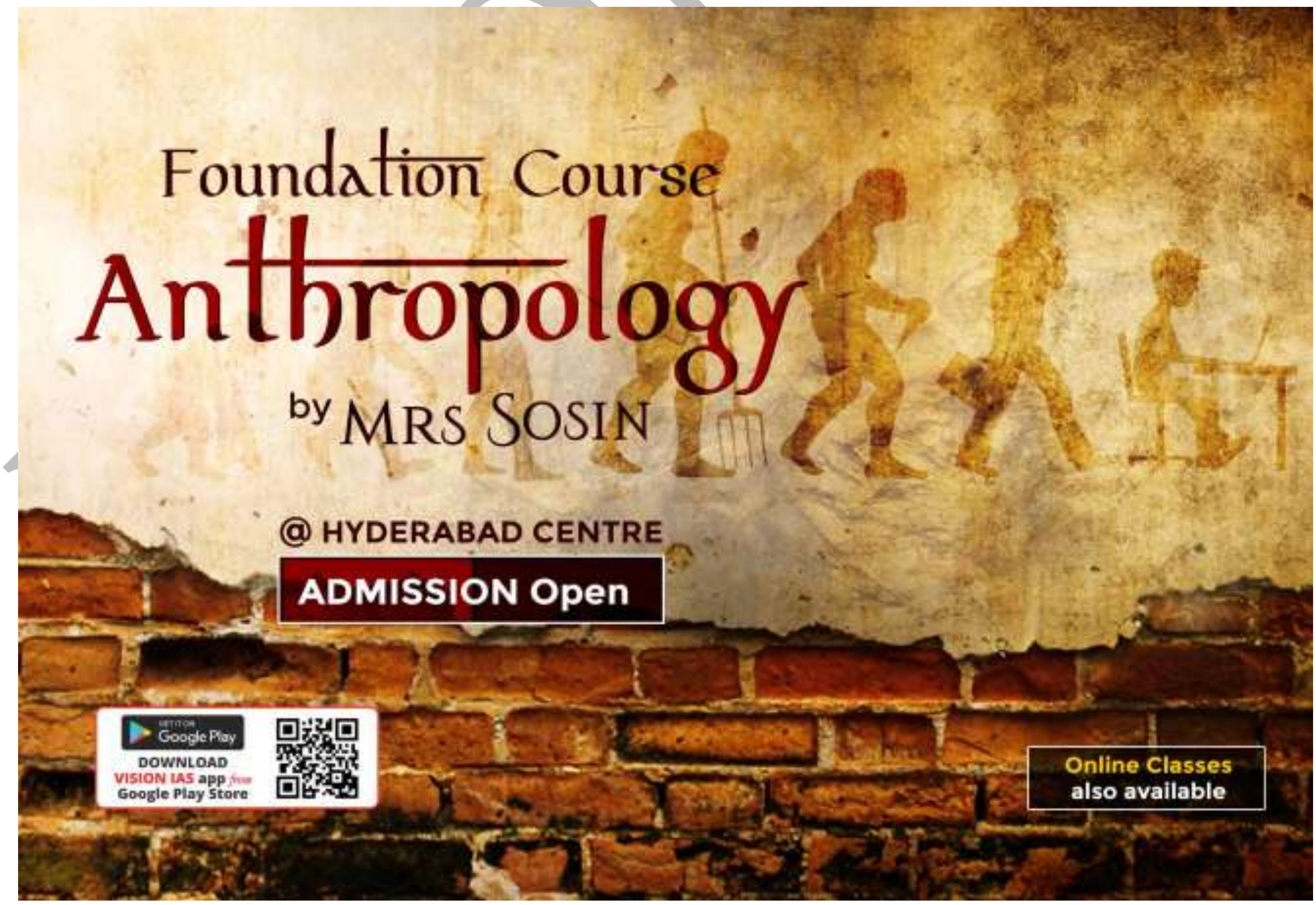

9.सेवा क्षेत्र

(Services Sector)

9.1 पर्यटन क्षेत्र

(Tourism Sector)

पर्यटन, भारत के सेवा क्षेत्र में विकास के प्रमुख चालकों में से एक है। भारत में 35 विश्व धरोहर स्थल, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र और 26 जैविक प्रांत (biotic province) हैं जो रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

पर्यटन क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं

- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-2018 के अंतर्गत रेखांकित किया गया है कि विदेशी पर्यटक आगमन (FTA), निर्गामी (आउटबाउंड) पर्यटन और घरेलू पर्यटन में वृद्धि के साथ पर्यटन क्षेत्र में समग्र सुधार देखने को मिला है।
- भारत में निर्गामी पर्यटन (वह पर्यटन जो किसी देश के निवासियों द्वारा किसी अन्य देश में किया जाता है) FTA के दोगुने से भी अधिक है और 2017 में FTA भी बढ़कर 8.8 मिलियन हो गया है।
- तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक घरेलू पर्यटक यात्राओं के शीर्ष 5 गंतव्य राज्य थे। 2016 में कुल पर्यटक यात्राओं में इन राज्यों की भागीदारी 61.3 प्रतिशत की थी।
- इसके अतिरिक्त, देश के सकल घरेलू उत्पाद में कुल योगदान के संदर्भ में भारत का यात्रा और पर्यटन क्षेत्र विश्व में 7वें स्थान पर है (वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल 2017)।

संबंधित तथ्य

मसौदा राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2015

- **उद्देश्य**: 2020 तक पर्यटकों के आगमन को विश्व के कुल पर्यटकों की संख्या के 0.68% से 1% तक बढ़ाना और 2025 तक इसमें दो गुनी (2%) वृद्धि करना।
- **विजन**: वैश्विक यात्रियों के लिए भारत को **"मस्ट एक्सपीरियंस एंड मस्ट री-विजिटेड'** गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
- यह नीति "**उत्तरदायी और सतत**" पर्यटन के प्रतिमान पर आधारित है।
- इस नीति के अंतर्गत नीतिगत विषयों के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार बोर्ड और अनुपालन हेतु राष्ट्रीय पर्यटन प्राधिकरण के गठन की परिकल्पना की गयी है।
- **आधारभूत अवसंरचना** के साथ ही **पर्यटन अवसंरचना** को भी विकसित किया जाएगा।
- पर्यटन और आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) क्षेत्रों में व्यावसायिक से लेकर पेशेवर कौशल एवं अवसरों के सृजन तक के सम्पूर्ण स्पेक्ट्रम के लिए व्यापक रूप से गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन का विकास करना।
- पर्यटन और पर्यटन से संबंधित अवसंरचना में निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना।
- पर्यटन में प्रौद्योगिकी सक्षम विकास पर बल देना।
- पर्यटन में वृद्धि के एक प्रमुख संचालक के रूप में घरेलू पर्यटन पर बल देना।
- लक्षित और देश विशिष्ट अभियानों के साथ वैश्विक पर्यटक यातायात में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 'स्थापित स्रोत बाजारों' और 'संभावित बाजारों' में प्रचार पर ध्यान केंद्रित करना।
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों का विकास और प्रचार करना जिसमें देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत सहित चिकित्सा और कल्याण; बैठकें, प्रोत्साहन, कांफ्रेंस और प्रदर्शनी (MICE); एडवेंचर; वन्यजीव (वाइल्डलाइफ) आदि जैसे विशिष्ट उत्पाद भी शामिल हैं।

सरकार की अन्य पहलें

- सरकार ने **बाजार विशिष्ट संवर्द्धन योजनाओं** (केंद्रीय बजट 2018-2019) के साथ **'अतुल्य भारत 2.0'** अभियान प्रारंभ किया है।
- स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत FDI की अनुमति और पर्यटन संबंधी अवसंरचना हेतु पांच वर्ष का **कर अवकाश** प्रदान किया गया है।
- सरकार ने तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान (PRASAD) के रूप में एक राष्ट्रीय मिशन का प्रारम्भ किया है।
- 163 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक, चिकित्सा पर्यटक और व्यापार पर्यटक **ई-वीज़ा सुविधा** आरम्भ की गयी है।

VISION IAS

- **स्वदेश दर्शन:** विषय आधारित सर्किट की स्थापना के माध्यम से गरीबोन्मुख समुदाय केंद्रित पर्यटन को बढ़ावा देना, उदाहरण के लिए बुद्ध सर्किट, कृष्ण सर्किट, हिमालय सर्किट इत्यादि।
- **धरोहर को गोद लेना (Adopt A Heritage):** पर्यटन में अवसंरचना के विकास के लिए PPP मॉडल को बढ़ावा देना।
- **हेरिटेज ट्रेल-** भारत में विश्व धरोहर स्थलों को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मीडिया अभियान आरम्भ किया गया।
- **पर्यटन पर्व-** इसे तीन घटकों के साथ प्रारंभ किया गया है;
  - **देखो अपना देश:** भारतीयों को अपना देश घूमने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - **सभी के लिए पर्यटन:** देश के सभी राज्यों में पर्यटन स्थलों के साथ पर्यटन कार्यक्रम।
  - **पर्यटन और अभिशासन:** विविध विषयों पर हितधारकों के साथ परस्पर संवाद सत्र और कार्यशालाओं का आयोजन।

पर्यटन क्षेत्र का महत्व

- **रोजगार:** पर्यटन क्षेत्र में 2028 तक लगभग 10 मिलियन रोजगार का सृजन करने की क्षमता विद्यमान है (WTTC 2017)।
- **विदेशी मुद्रा अर्जन:** पर्यटन देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। इसने 2017 में 27.7 अरब अमेरिकी डॉलर अर्जित किये (आर्थिक सर्वेक्षण 2017-2018)।
- **कूटनीति:** पर्यटन क्षेत्र भूमंडलीकृत विश्व में कूटनीति (सॉफ्ट पॉवर), द्विपक्षीय संबंध और क्षेत्रीय संपर्क के लिए एक उपकरण बन गया है।
- **राष्ट्रीय विरासत और पर्यावरण का संरक्षण:** पर्यटन ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के साथ-साथ लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करने में भी सहायक है।
- **अवसंरचना विकास:** यह परिवहन के विभिन्न साधनों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं इत्यादि जैसे अवसंरचनात्मक विकास को भी प्रोत्साहित करता है, जो मेजबान समुदाय को लाभान्वित करता है।

चुनौतियाँ

- **अवसंरचना:** विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि पर्यटन केंद्रित अवसंरचना की कमी के कारण पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और विदेशी मुद्रा अर्जन के मामले में कुल क्षमता के केवल 43 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया है।
- **दूरगामी प्रभाव (domino effect):** पर्यटन उद्योग होटल और ठहरने के स्थल (accommodation), विमानन इत्यादि जैसे कई अन्य उद्योगों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की वृद्धि और गिरावट पर्यटन क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करती है।
- **अंतर-क्षेत्रीय प्रतिस्पर्द्धा:** भारत में यात्रा और ठहरने की लागत पड़ोसी देश की अपेक्षा अधिक होती है। होटलों की सीमित आपूर्ति और विमानन में अत्यधिक कराधान के कारण छुट्टियों में पर्यटन के उद्देश्य से विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है।
- **अप्रचलित नीतिगत दृष्टिकोण:** भारत की पर्यटन नीति, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की पर्यटन नीतियों से पिछड़ रही हैं। भारतीय पर्यटन नीतियां अभी भी पर्यटन के अन्य संभावित आयामों, जैसे- MICE (मीटिंग्स, इंसेंटिव, कांफ्रेंस और एक्सबिशन) पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन, फिल्म पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन इत्यादि की उपेक्षा करके रहस्यमय/आध्यात्मिक सौन्दर्य, प्राचीन सभ्यता पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
- **सुरक्षा:** भारत को देश में उत्पन्न और सीमा पार आतंकवाद दोनों के मामले में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत को सुरक्षा और संरक्षा मानकों पर 139 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर रखा गया है जो इसकी पिछली रैंकिंग से मामूली सुधार है। हालांकि, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट 2017 के अनुसार महिला पर्यटकों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हुई है।
- **सामाजिक-आर्थिक स्थितियां:** व्यापक निर्धनता, भीख मांगने वालों की उपस्थिति, चोरी और उत्पीड़न विदेशी समाजों में भारतीय समाज की नकारात्मक छवि उत्पन्न करता है, जो उन्हें भारत यात्रा के प्रति हतोत्साहित करता है।

आगे की राह

- **चिकित्सा पर्यटन:** इस क्षेत्र में कुछ उपलब्ध लाभों (उदाहरण के लिए, विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं, विशेषीकृत नर्सिंग देखभाल और विकसित देशों की तुलना में एक चौथाई लागत आदि) के कारण देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रयासों को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।
- **कर संरचना को सुव्यवस्थित करना:** पर्यटन क्षेत्र में GST से संबंधित मुद्दों में प्लेस ऑफ़ प्रोविज़न (प्लेस ऑफ़ प्रोविज़न रूल्स, 2012 के अंतर्गत सेवा प्रदाता या सेवा प्राप्तकर्ता की अवस्थिति से सम्बंधित) संबंधी मुद्दे शामिल हैं। पर्यटन सेवाओं में विदेशी मुद्रा

VISION IAS

अर्जन को निर्यात या डीम्ड निर्यात के रूप में समझे जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, एक विस्तृत टैक्स रोडमैप (विशेषकर पर्यटन क्षेत्र के लिए) के निर्माण की आवश्यकता है, जैसा कि कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में है।

- **कौशल विकास:** स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत विदेशी भाषा सीखने की पहल को कौशल विकास से जोड़कर 18 प्रतिशत जनांकिकीय लाभांश का उपयोग किया जा सकता है।
- **समेकन:** सरकार को पर्यटन मंत्रालय के साथ हस्तशिल्प, कपड़ा और व्यापार आदि से संबंधित नीतियों जैसी विभिन्न अन्य मंत्रालयों की नीतियों एवं कार्यक्रमों को समेकित करना चाहिए।
- **सिनेमा और थिएटर-** विदेशों में भारतीय फिल्मों का प्रचार भी पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।
- **विशेष पर्यटक सुरक्षा बल:** पर्यटक सुरक्षित देश की छवि का निर्माण करने के लिए, दिल्ली और पुडुचेरी पुलिस की पहलों के समान एक अखिल भारतीय विशेष पर्यटन सुरक्षा बल स्थापित किया जाना चाहिए।
- **कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR):** 'स्वच्छ भारत' अभियान को बढ़ावा देते हुए, सरकार को CSR पहलों के अंतर्गत ऐतिहासिक स्मारकों का प्रबंधन करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कॉर्पोरेट भागीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। उदाहरण के लिए हाल ही में लाल किला डालमिया समूह को लीज पर दिया गया है।

9.2. IT-BPM क्षेत्र

(IT-BPM Sector)

IT-BPM क्षेत्र में IT सर्विसेज, बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट (ER&D), हार्डवेयर सेक्टर और ई-कॉमर्स के घटक शामिल होते हैं।

वर्तमान प्रवृत्तियों की मुख्य विशेषताएं

- IT-BPM क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 9.3% और वैश्विक आउटसोर्सिंग बाजार का लगभग 56% है।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2017-2018** के अनुसार 2016-17 में यह क्षेत्र 8.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 139.9 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुँच गया था जोकि 2015-16 में 129.4 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर था।
- वर्ष 2017 में दूरसंचार, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसे IT-BPM के घटकों ने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत FDI निवेश की सर्वाधिक हिस्सेदारी प्राप्त की **(आर्थिक सर्वेक्षण 2017-2018)**।
- पिछले एक दशक (2006-2016) के दौरान, भारत के लिए कुल सेवा निर्यात में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की हिस्सेदारी में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं चीन, ब्राजील, रूस, फिलीपींस, इज़राइल और यूक्रेन जैसी अर्थव्यवस्थाओं के कुल सेवा निर्यात में ICT की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

IT-BPM क्षेत्र का SWOT आधारित विश्लेषण

सामर्थ्य (Strength)

- **रोजगार:** 2016-17 में इस क्षेत्र ने लगभग 3.9 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, भविष्य के लिए पहले से तैयार (फ्यूचर-रेडी) एक डिजिटल कार्यबल उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत SMAC (सोशल, मोबाइल, एनालिटिक्स, क्लाउड) कौशल से युक्त लगभग 0.15 मिलियन से अधिक कर्मचारी सम्मिलित हैं।
- **नीतिगत दृष्टिकोण:** सरकार की लक्षित पहलों और उपभोक्ताओं द्वारा प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संबंधी पहलों को अपनाने के कारण इस क्षेत्र के लिए विभिन्न नए अवसर उत्पन्न हुए हैं।
- **तीव्र विस्तार:** NASSCOM की रणनीतिक समीक्षा, 2015 में बल देते हुए कहा गया है कि भारतीय IT-BPM उद्योग ने अपने वर्टिकल एवं भौगोलिक बाजारों के विस्तार के संदर्भ में तीव्र विकास किया है।
- **विशाल उपभोक्ता बाजार:** देश की विशाल जनसंख्या और बढ़ते उपभोक्तावाद ने ग्लोबल ई-कॉमर्स बिजनेस और IT निगमों के लिए भारत को एक पसंदीदा गंतव्य बना दिया है।
- **वित्तीय बाजार:** डिजिटल प्रौद्योगिकी वैश्विक और स्थानीय दोनों ही प्रकार के वित्तीय बाजारों, जैसे- निवेश बैंकिंग, सार्वजनिक इक्विटी, अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि के लिए सक्षम आधारों में से एक है। भारतीय सेवा प्रदाता इस क्षेत्र में अत्यधिक सामर्थ्य रखते हैं **(NASSCOM 2017)**।

VISION IAS

दुर्बलताएं (Weakness)

- **अवसंरचना:** उपलब्ध अवसंरचना की कमी एवं विलम्बित पर्यावरण एवं भूमि मंजूरी के साथ लॉजिस्टिक सेक्टर से संबद्ध कमजोर मूल्य श्रृंखला IT-BPM के विकास में मुख्य बाधाएं रही हैं।
- **उच्च परिचालन लागत:** IT-BPM क्षेत्र मुख्य रूप से कुछ टियर-1 नगरों में ही केंद्रित हैं। यह वर्तमान में रियल एस्टेट और कुशल जनशक्ति के वेतन की बढ़ती लागत जैसे मुद्दों का सामना कर रहा है। इस प्रकार इनकी परिचालन लागत में वृद्धि के परिणामस्वरुप अन्य देशों से प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में हानि हुई है।
- **मंद कौशल विकास:** भारतीय अर्थव्यवस्था में कौशल विकास की वर्तमान दर इस क्षेत्र के नए आयामों जैसे साइबर सुरक्षा बाजार, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स, बिग डेटा एनालिसिस इत्यादि के अनुरूप नहीं है।
- **निम्नस्तरीय अनुसंधान एवं विकास:** ICT के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पहल मुख्यतः कुछ IITs और NIITs तक ही सीमित है। इसके परिणामस्वरुप इस क्षेत्र द्वारा प्रौद्योगिकी का अत्यधिक आयात किया जाता है।
- **वैश्विक आर्थिक स्थिति:** विशेषज्ञों का मानना है कि IT-BPM क्षेत्र में उप-इष्टतम वृद्धि सम्बन्धी अनुमानों के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण- तीव्र प्रौद्योगिकी परिवर्तन, ब्रेक्ज़िट, वीजा और आप्रवासन नियमों में परिवर्तन, संयुक्त राज्य अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियां, और विकसित देशों के मध्य उभरता व्यापार युद्ध आदि हैं।

अवसर (Opportunity)

- **नगरीकरण:** तीव्रता से बढ़ रही नगरीय आधारभूत संरचना और प्राथमिक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर परिवर्तित होती रोजगार संरचना, देश में कई IT-BPM केन्द्रों (जैसे- गुरुग्राम में साइबर सिटी, बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी इत्यादि) को प्रोत्साहित कर रही हैं।
- **जनांकिकीय लाभांश:** जनांकिकीय लाभांश की वर्तमान प्रवृत्ति (जिसके आगामी 25 वर्षों तक सतत बने रहने का अनुमान है) और सस्ता श्रम, भारत में वैश्विक व्यापार निवेश के लिए एक सक्षमकारी वातावरण का सृजन करती है।
- **नए बाजारों का उद्भव:** वर्तमान में BPM बिजनेस का लगभग 15% -20% भाग इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स (IVR) जैसे- ऐप्पल सीरी, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टाना, गूगल डीपमाइंड इत्यादि विभिन्न नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बाजार के साथ स्वचालित होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह अनुमान लगाया गया है कि उभरते स्वचालित बाजार 2020 तक IT-BPM सेवा प्रदाताओं के लिए विशुद्ध उत्पादकता-प्रेरित लाभ में 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान करेंगे।

चुनौतियां (Threat)

- **कौशलों में मौलिक परिवर्तन: 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स'** नामक रिपोर्ट में भारतीय IT-BPM कार्यबल के 60-65% भाग की ऐसे रोजगारों में नियुक्ति की भविष्यवाणी की गई है जिनमें कौशलों में मौलिक रूप से परिवर्तन की आवश्यकता होती है। कौशलों में ये परिवर्तन केवल नियम-आधारित रोजगारों हेतु ही आवश्यक नहीं होते बल्कि उन रोजगारों में भी आवश्यक होते हैं जिनके लिए ज्ञान-आधारित गतिविधियों की आवश्यकता होती है। कॉग्निटिव कम्प्यूटिंग, बिग डेटा और नेचुरल यूज़ इंटरफेरेंस में इन गतिविधियों की मांग अधिक होती है।
- **डेटा औपनिवेशीकरण:** विभिन्न विश्लेषकों का मानना है कि डेटा औपनिवेशीकरण IT- BPM क्षेत्र के लिए उभरता हुआ खतरा बन सकता है। इसका कारण यह है कि यह बेहतर प्रतिस्पर्द्धा को बाधित तथा एकाधिकारवादी या अल्पाधिकारवादी बाजार पद्धतियों को उत्पन्न कर सकता है।
- **साइबर सुरक्षा:** वर्चुअल वर्ल्ड और विशेष रूप से IT- BPM क्षेत्र में उभरती व्यापार पद्धतियों के कारण साइबर क्राइम एक नए खतरे के रूप में उत्पन्न हुआ है। यह निजता के अधिकारों की क्षति, डेटा उल्लंघनों, जासूसी इत्यादि में वृद्धि कर सकता है।
- **प्रतिस्पर्द्धा:** इस क्षेत्र को जनसांख्यिकीय और रणनीतिक अवस्थिति के साथ विशिष्ट कौशल और आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है। पिछले दशक में फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, चीन और ब्राजील सस्ते कुशल-श्रम की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में मुख्य प्रतिस्पर्द्धी थे।

सम्बंधित जानकारी

सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी पहलें

- राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2012 का लक्ष्य 2020 तक IT और BPM उद्योग में राजस्व को 300 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर तक ले जाना है।
- नए व्यवसाय के सभी पहलुओं को सहायता प्रदान करने हेतु तकनीकी-वित्तीय, इंक्यूबेशन एवं सरलीकरण कार्यक्रमों को स्थापित करने के लिए **स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग** (Self-Employment and Talent Utilization:SETU)।
- **भारत बीपीओ संवर्द्धन योजना:** BPO फर्मों की स्थापना और टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में उनके विस्तार के प्रोत्साहन के माध्यम

VISION IAS

से 1.45 लाख रोजगार प्रदान करना, ये राज्य की जनसंख्या के अनुपात में विभिन्न राज्यों में होंगे तथा इन्हें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- **पूर्वोत्तर बीपीओ संवर्द्धन योजना:** उत्तर-पूर्व में BPO/ITES संचालन की 5000 सीटों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए।
- **वित्तीय लाभ:** सरकार ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) के लिए IT क्षेत्र में कर अवकाश बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रक्रियात्मक सरलता और सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रदान की जा रही है।
- **केंद्रीय बजट 2018-19:** सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की स्थापना की घोषणा की है जो **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** के विकास संबंधी प्रयासों को सक्षम बनाएगा और देश में विकास कार्यों के लिए AI प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।
- **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (MSIPs)** में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर 25% पूंजी व्यय (SEZs में 20%) की सब्सिडी प्रदान की गयी है।
- **व्हाइट पेपर ऑन डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क:** इसमें डेटा संरक्षण के लिए सात सिद्धांत शामिल हैं।
- **मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप, स्टैंड-अप, स्मार्ट सिटी** इत्यादि जैसे विभिन्न सरकारी कार्यक्रम IT-BPM क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं।

9.3. सेवाओं में चैंपियन क्षेत्र

(Champion Sectors in Services)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 12 निर्धारित चैंपियन सेवा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने हेतु एक कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकार ने चैंपियन क्षेत्रों की क्षेत्रीय कार्य योजनाओं के लिए 5000 करोड़ रूपये के समर्पित कोष की स्थापना की है।
- **औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP),** विनिर्माण क्षेत्र के लिए **मेक इन इंडिया वर्ज़न 2.0** के तहत चैंपियन क्षेत्रों की पहल में प्रमुख भूमिका निभाएगा। साथ ही वाणिज्य विभाग सेवाओं में चैंपियन क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित पहल का समन्वय करेगा।

भारत में सेवा क्षेत्र की वर्तमान प्रवृत्ति

सेवा क्षेत्र- इसने लगभग 30% जनसंख्या (ILO के 2016 का अनुमान के अनुसार) को रोजगार प्रदान करते हुए 2017-18 में सकल मूल्यवर्द्धन (GVA) में लगभग 72.5% का योगदान दिया। 2016 में सेवाओं में GVA विकास दर (स्थिर कीमतों पर) भारत में 7.8 प्रतिशत के साथ सर्वाधिक थी और इसके पश्चात चीन (7.4 प्रतिशत) का स्थान था।

- **सबसे बड़ा निर्यातक:** 2016 में भारत विश्व में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में 3.4% की हिस्सेदारी के साथ **आठवां सबसे बड़ा निर्यातक** रहा (WTO, 2017)। यह विश्व में भारत के व्यापार निर्यात की हिस्सेदारी (1.7%) का दोगुना था।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2017-2018** के अनुसार, भारत के निर्यात में सेवा क्षेत्र ने 2017-18 में भारत के व्यापार घाटे के लगभग 49% के वित्तपोषण में सहायता की है। इस प्रकार इससे चालू खाता घाटे (CAD) को कम करने में भी मदद मिली है।

पहल की आवश्यकता

- **समयपूर्व विऔद्योगीकरण:** विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता को समझे बिना प्राथमिक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) में रोजगार स्थानांतरण की वर्तमान प्रवृत्ति ने सेवा क्षेत्र के लिए यह आवश्यक कर दिया है कि इससे अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की जाए।

- **अस्थायी आघात:** हालिया विमुद्रीकरण तथा वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के कार्यान्वयन ने सेवा क्षेत्र के विकास को अल्पकालिक रूप से आघात पहुँचाया है। इसलिए, प्रमुख सेवा क्षेत्रों को कवर करने वाली एक विशिष्ट कार्य योजना की आवश्यकता है।
- **उप-इष्टतम उपयोग:** विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि पिछले दशक में अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं के सृजन में सेवा क्षेत्र का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है।

सेवा क्षेत्रक हेतु की गई अन्य पहलें

- **इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस:** FIPB (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) को समाप्त करके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) प्रक्रिया को सरल बनाना। इसके परिणामस्वरूप 90% से अधिक FDI प्रवाह अब स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्राप्त हो रहा है।
- होटल और रेस्तरां, अस्पताल एवं शैक्षणिक सेवाएं इत्यादि सहित सेवा निर्यातों की सहायता के लिए **विदेशी व्यापार नीति 2015-2020** की मध्यावधि समीक्षा के माध्यम से **सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (SEIS)** के तहत 2% तक वृद्धि की गई।
- **अन्य पहलें** जैसे डिजिटलीकरण, ई-वीजा, लॉजिस्टिक्स को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना, स्टार्ट-अप इंडिया, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति की घोषणा तथा वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन ने इस क्षेत्र को प्रेरित किया है।

महत्व

- **प्रतिस्पर्धात्मकता:** यह केंद्रित एवं पर्यवेक्षित कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से भारत के सेवा क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करेगा। साथ ही यह अधिक नौकरियों के सृजन और 2022 तक वैश्विक सेवाओं के निर्यात में 4.2% के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा।
- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि**: इन प्रमुख क्षेत्रकों के माध्यम से, सरकार 2015-16 में सकल मूल्यवर्धन (GVA) के लगभग 53% (निर्माण सेवाओं को शामिल करके 61%) को 2022 तक 60% (निर्माण सेवाओं को शामिल करके 67%) तक बढ़ाने का लक्ष्य रखेगी।
- **विनिर्माण क्षेत्र:** चैंपियन सेवा क्षेत्रों की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि भारत से विभिन्न सेवाओं के निर्यात को आगे और प्रोत्साहित करेगी। एंबेडेड सर्विसेज (Embedded services) 'वस्तुओं' का भी महत्वपूर्ण भाग हैं। अतः एक प्रतिस्पर्धी सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि करेगा।
- **सुदृढ़ वैश्विक व्यापार समझौता:** सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने जैसे अपेक्षित लाभ, विभिन्न वैश्विक व्यापार समझौतों को प्रोत्साहित करेंगे। यथा- सेवाओं में मुक्त व्यापार समझौता, सेवा में द्विपक्षीय व्यापार, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी इत्यादि।

चुनौतियां

- **वित्त:** इस क्षेत्र की सम्पूर्ण संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए ऋण एक प्रमुख कारक है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) में वृद्धि के कारण रियल एस्टेट में होने वाले वित्तीयन में भारी गिरावट आई है। यह 2013 के 68% से घटकर 2016 में 17% रह गया है।
- **भारत में स्थित R&D सेवा कंपनियों** की वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी लगभग 22% है और इनमें 2015-16 में 12.7% की वृद्धि हुई है। हालांकि, **R&D पर भारत का सकल व्यय GDP के लगभग 1% से भी कम रहा है** तथा **2017 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII)** में 127 देशों में भारत को 60वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- **पृथक्कृत क्षेत्रक विकास:** सेवा क्षेत्र की वृद्धि अब तक विनिर्माण क्षेत्र पर निर्भर रही है। सरकार की वर्तमान नीतियां व कार्यक्रम पृथक रूप से सेवा क्षेत्र के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। परिणामतः नीतियों के नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं।

VISION IAS

आगे की राह

- **सर्विस फ्रॉम इंडिया:** घरेलू क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और निर्यात के लिए 'मेक इन इंडिया' की तर्ज पर **'सर्विस फ्रॉम इंडिया'** पहल की आवश्यकता है। इसके साथ ही 'सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (SEPC)' के सुदृढ़ीकरण द्वारा लक्षित बाजारों में अधिक प्रमोशनल गतिविधियां संपन्न की जानी चाहिए।
- **मानकीकरण:** विभिन्न बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में सेवा मानक विकासशील देशों की तुलना में निम्न हैं। इसलिए ड्राफ्ट मानकीकरण नीति की तर्ज पर मानक सेवा प्रथाओं को लागू करना वर्तमान समय की आवश्यकता है।
- **कौशल एवं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता:** कौशल एवं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में निवेश सेवा क्षेत्र सम्बन्धी किसी भी नीतिगत कार्यक्रम का केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऑटोमेशन तथा रोबोटिक्स के युग में परिवर्तित होते बाजार परिदृश्य के साथ इन प्रयासों का समन्वय किया जाना चाहिए।
- **एकीकृत नीति:** सेवा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत नीतिगत दृष्टिकोण के साथ एक नियामक निकाय की आवश्यकता है। वस्तुतः अनेक शासी निकायों तथा उनके मध्य समन्वय का अभाव इस क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

10. अवसंरचना

(Infrastucture)

10.1 भारत में अवसंरचना वित्तपोषण

(Infrastucture Financing In India)

वर्तमान स्थिति

- उद्योग सम्बन्धी आकलनों के अनुसार वर्ष 2016-2030 की अवधि के दौरान भारत द्वारा अवसंरचना क्षेत्रक में 6 ट्रिलियन अमरीकी डालर का निवेश किए जाने की आवश्यकता है। किन्तु भारतीय अवसंरचना क्षेत्र अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे- परियोजनाओं में अत्यधिक लागत एवं विलम्ब, PPP ढांचे के माध्यम से अनुपयुक्त जोखिम साझेदारी, नीतियों एवं विनियामक ढांचे में अनिश्चितता, सरकारी एवं निजी अभिकर्ताओं के मध्य दीर्घकालीन विवाद तथा साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिपक्षीय (काउंटर पार्टी) निकायों जैसे विद्युत वितरण कंपनियों आदि की कमजोर वित्तीय स्थिति से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दे आदि।
- इन मुद्दों का परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप निवल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में वृद्धि के कारण (यह आँकड़ा 2017 में 4.6% के स्तर पर पहुंच गया था) बैंकिंग क्षेत्र में व्याप्त अत्यधिक दबाव के चलते यह क्षेत्र वित्तीयन में निष्क्रियता का सामना कर रहा है।
- इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र परिसंपत्ति देयता की असंगतता के कारण पूंजी की उच्च लागत, गैर-दायित्व वित्त पोषण (non-recourse funding) की प्राप्ति में चुनौतियों एवं दीर्घकालिक वित्त पोषण स्रोतों के अभाव के परिणामस्वरुप महत्वपूर्ण वित्तीयन समस्याओं का सामना कर रहा है। इसके साथ ही घरेलू निवेशकों द्वारा भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में किए जाने वाले महत्वपूर्ण निवेश भी इस क्षेत्र की चुनौतियों एवं निरंतर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के कारण अवरुद्ध हो गए हैं।
- इस क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का निराकरण करने के लिए दीपक पारेख की अध्यक्षता में अवसंरचना वित्तपोषण पर गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ की गईं। इस समिति ने अवसंरचना वित्तपोषण के लिए घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से अतिरिक्त धन की प्राप्ति तथा बेहतर जोखिम वहनीयता, लंबी अवधि एवं ऋण की न्यूनतम लागत के संदर्भ में वित्त की उपलब्धता में वृद्धि की अनुशंसा की है।
- इसके अतरिक्त, भारत में अवसंरचना वित्तपोषण संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए दक्ष एवं नवाचारी वित्त पोषण तंत्र के साथ ही एक व्यापक रणनीति को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

उभरते विकल्प :

- **राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि (NIIF)**
    - यह भारत का प्रथम 'सॉवरेन वेल्थ फंड' है। यह ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड तथा अवरुद्ध परियोजनाओं जैसे ऊर्जा, परिवहन, आवास, जल, अपशिष्ट प्रबंधन आदि में निवेश करने वाले घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन करने का प्रयास करता है।
    - इसका संचालन तीन **वैकल्पिक निवेश निधियों (Alternative Investment Funds: AIFs)** की स्थापना के माध्यम से किया जा रहा है।
    - NIIF की प्रस्तावित कुल पूंजी 40,000 करोड़ रुपये (लगभग 6 अरब अमेरिकी डॉलर) है। NIIF योजना के अंतर्गत AIF में भारत सरकार का योगदान कुल प्रतिबद्धता का 49% होगा।
    - NIIF को भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारों यथा विदेशी संप्रभु/अर्द्ध-संप्रभु/बहुपक्षीय/द्विपक्षीय निवेशकों से इक्विटी भागीदारी प्राप्त करने का अधिदेश प्राप्त है।
    - इसमें तीन पंजीकृत फंड शामिल हैं - **NIIF मास्टर फंड**, जो सीधे कंपनियों में निवेश करता है; दूसरा **फण्ड ऑफ़ फण्ड** है जिसके तहत ऐसे फंड में निवेश किया जाता है जहाँ तीसरे पक्ष द्वारा धन का प्रबंधन किया जाता है; एवं तीसरा **दीर्घकालिक कोष (long gestation fund)** है जिसका विकास अभी आरंभिक चरण में है।
    - इस कोष ने हाल ही में भारत में बंदरगाहों, टर्मिनलों, परिवहन एवं लॉजिस्टिक व्यवसायों के लिए एक निवेश प्लेटफॉर्म का निर्माण करने के लिए डीपी वर्ल्ड (DP World) के साथ भागीदारी करके अपना प्रथम निवेश किया।

VISION IAS

वैकल्पिक निवेश निधि (Alternative Investment Fund: AIF)

- इसका आशय किसी निजी रूप से एकत्रित निवेश फंड से है जोकि किसी ट्रस्ट या कंपनी अथवा बॉडी कॉर्पोरेट या सीमित देयता साझेदारी के रूप में होता है। यह निधि भारत में किसी भी नियामक एजेंसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है।
- AIF को सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के विनियमन 2(1)(b) में परिभाषित किया गया है। इसकी व्याख्या में उद्यम पूंजी फंड (वेंचर कैपिटल फंड), हेज फंड, निजी इक्विटी फंड आदि सम्मिलित हैं।

सॉवरेन वेल्थ फंड (Sovereign wealth fund)

- यह देश के रिज़र्व फंडों से आहरित धन के उस पूल से मिलकर बनता है, जिसे देश की अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों के लाभ हेतु निवेश के उद्देश्य से अलग रखा जाता है।
- सॉवरेन वेल्थ फंड के लिए वित्त पोषण केंद्रीय बैंक के रिजर्व से प्राप्त होता है जो बजट एवं व्यापार अधिशेष और प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात से उत्पन्न राजस्व के माध्यम से संगृहीत होता है।

पेंशन फंड

- इन्हें मुख्य स्रोत के रूप में माना जाता है क्योंकि -
  - ये दीर्घावधिक एवं अत्यधिक स्थिर प्रकृति के होते हैं।
  - ये फंड कंपनियों को बाजार अस्थिरता से बचाते हैं। यह अस्थिरता सामान्य तौर पर अन्य फंडों जैसे FII एवं हेज फंड द्वारा प्रदत्त धनराशि के पलायन के कारण उत्पन्न होती है।
- किन्तु सरकारी नियमों की परम्पराओं के अंतर्गत पेंशन फंड वास्तविक रूप से वित्त पोषित योजना के रूप में बना रहता है। इस फंड का दो तिहाई से अधिक भाग केंद्र सरकार के पास विशेष जमा के रूप में सुरक्षित रहता है। वर्तमान शर्तों के अंतर्गत इस फंड को किसी अन्य रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs)

- ये म्यूचुअल फंड संस्थानों की भांति होते हैं।
- इनके द्वारा अवसंरचना में सीधे निवेश करने के लिए विभिन्न व्यक्तिगत निवेशकों से एकत्र की गयी छोटी-छोटी राशियों को पूल करके उन्हें अवसंरचना क्षेत्र में निवेश हेतु सक्षम बनाया जाता है। इस निवेश से प्राप्त आय के एक भाग (व्यय को घटाने के बाद) को InvITs के इन यूनिट धारकों को वापस किया जाता जिन्होंने धन के संग्रहण में योगदान किया था।
- InvITs की संरचना तथा कार्यप्रणाली रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) के समान है। InvITs को भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार डिजाइन किया गया है।
- निवेश साधन के रूप में InvITs निम्नलिखित कार्यों में सहायक सिद्ध हो सकता है:
  - वर्तमान डेवलपर की पूँजी को अवसंरचना से सम्बंधित नवीन आधारभूत परियोजनाओं में पुनर्निवेश हेतु उपलब्ध कराना।
  - दीर्घावधिक उच्च लागत युक्त पूंजी को निम्न लागत युक्त ऋणों से प्रतिस्थापित करना एवं बैंकों को ऐसी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को ऋण देने के भार से मुक्त करना या ऐसे ऋणों को कम करने में सहायत करना। इससे बैंकों को अन्य क्षेत्रों में नई वित्त पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करने का अवसर मिलेगा।

'इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड' (IIPDF)

- इस फंड का प्राथमिक लक्ष्य अच्छी संभावनाओं वाली PPP परियोजनाओं के परियोजना विकास व्यय (जिसमें कंसल्टेंट एवं ट्रैन्ज़ैक्शन ऐडवाइज़र की सेवाओं संबंधी लागत भी शामिल है) को वित्त पोषण प्रदान करना होगा। इससे सफल PPPs की गुणवत्ता एवं मात्रा में वृद्धि होगी तथा सरकार को अच्छी गुणवत्ता वाली व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

मसाला बांड

- ये विदेशी पूंजी बाजारों में जारी किए जाने वाले बॉन्ड (रुपए पर आधारित) हैं। ये अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण के वित्त पोषण हेतु नवीन मार्गों के सृजन में सहायता प्रदान करते हैं।
- ये बॉन्ड जारीकर्ता को मुद्रा संबंधी जोखिम से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा ऐसे जोखिम को इन्हें खरीदने वाले निवेशकों पर हस्तांतरित करते है।
- इस बांड के बेहतर उपयोग के लिए, सूचना असममिति (information asymmetry) और दिवालियापन कानूनों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित संरचनात्मक परिवर्तनों को लागू करने के साथ ही बेहतर समष्टिगत मूलभूत परिवेश (साउंड मैक्रो फंडामेंटल एनवायरनमेंट) को बनाए रखने की आवश्यकता है।

VISION IAS

10.2. लॉजिस्टिक क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा

(Logistic Sector Gets Infrastructure Status)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने अवसंरचना के उप-क्षेत्रों की श्रेणी का "परिवहन और लॉजिस्टिक्स" के रूप में विस्तार करते हुए लॉजिस्टिक क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया।

अवसरंचनात्मक दर्जे से लाभ

- इस क्षेत्र को बेहतर शर्तों के साथ आसानी से अवसंरचनात्मक ऋण उपलब्ध होगा, साथ ही दीर्घकालिक ऋण तक पहुंच, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोंविंग रूट का लाभ और प्रतिस्पर्धी दरों पर मौजूदा ऋण का पुनर्वित्तीयन शामिल हैं।
- इस क्षेत्र को बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों से अधिक धनराशि प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

लॉजिस्टिक अवसंरचना के बारे में

- इसमें सामग्री संचालन, वेयरहाउसिंग, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, शिपिंग सुरक्षा, इन्वेंट्री मेनेजमेंट और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, खरीद और कस्टम सर्विस शामिल है।
- सरकार **लॉजिस्टिक को निम्न** प्रकार से परिभाषित करती है**;**
    - एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जिसमें न्यूनतम 50 करोड़ का निवेश और न्यूनतम 10 एकड़ भूमि के साथ एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) सम्मिलित हो।
    - 15 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश और न्यूनतम 20,000 वर्गफुट क्षेत्रफल वाले शीतगृह श्रृंखला की सुविधा और 25 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवेश और 100,000 वर्ग फीट के एक न्यूनतम क्षेत्रफल वाले वेयर हाउस की सुविधा होगी।

अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुसंगत सूची

- यह अवसंरचना हेतु सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों के मध्य एक समन्वित दृष्टिकोण की सुविधा है, और इस प्रकार अवसंरचना विकास को इष्टतम तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा।
- केवल प्रयोज्यनियता के आँकलन पश्चात् किसी विशेष एजेंसी द्वारा प्रस्तावित नए उप-क्षेत्रों का समावेश-
    - अवसंरचना क्षेत्र की छह विशेषताएं (अर्थात् प्राकृतिक एकाधिकार, उच्च डूब लागत (high sunk costs) और परिसंपत्ति विशिष्टता, उत्पादन की गैर-परंपरागतता, खपत में प्रतिद्वंद्विता, मूल्य बहिष्करण की संभावना और बाह्य कारकों की उपस्थिति और
    - तीन मापदंडों में से एक या अधिक (अर्थात् आर्थिक विकास की योजना के लिए इसका महत्व, मानव पूंजी में योगदान करने की क्षमता और विशिष्ट परिस्थितियों जिसके तहत इसे भारत में विकसित किया गया है)
- वर्तमान में, परिवहन और लॉजिस्टिक, ऊर्जा, जल एवं स्वच्छता, संचार और सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना पांच व्यापक श्रेणियों में शामिल हैं।

लॉजिस्टिक क्षेत्र का महत्व

- **रोजगार:** यह उद्योग 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और इसमें 15% की दर से वृद्धि हो रही है, कुछ उप-क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 30 से 40% तक की वृद्धि हो रही है।
- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP):** भारत लॉजिस्टिक्स और परिवहन पर अपने GDP का लगभग 14.4% व्यय करता है।
- **विनिर्माण क्षेत्र प्रतिस्पर्धा:** लॉजिस्टिक्स वस्तुओं का कुशल और लागत प्रभावी प्रवाह प्रदान करता है जिस पर अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र निर्भर करते हैं।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां

- परंपरागत रूप से श्रम बल द्वारा संचालित और असंगठित एवं विखंडित उद्योग संरचना के कारण इसका पूर्णरुपेण लाभ नही उठाया जाता हैं।
- **परिवहन:** रेलवे नेटवर्क उच्च माल टैरिफ, निम्न टर्मिनल गुणवत्ता और विभिन्न प्रकार के उत्पादों के आवागमन में लचीलापन निम्न है।

VISION IAS

- ○ **सड़क पर:** ट्रकिंग इंडस्ट्री के विखंडन का उच्च स्तर, अत्यधिक चेक पॉइंट (समय की हानि और प्रशासनिक बाधाएं)
- ○ **बंदरगाह पर:** जहाज पर से माल उतारने और लादने की क्रिया की उच्च बारंबारता, बंदरगाहों की अपर्याप्त गहराई के कारण बड़े जहाजों को आकर्षित करने में असमर्थ रहे हैं।

- **भंडारण अवसंरचना**: गोदाम का अपर्याप्त आकार, वांछित स्थान पर जमीन पाने में कठिनाई, और आधिकांश वेयरहाउस लीक प्रूफ नहीं है।
- **प्रौद्योगिकी**: स्वचालित भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली, ऑनलाइन कार्गो समाधान, GPS कार्गो ट्रैक आदि जैसे प्रौद्योगिकी के संदर्भ में वृहद् परिवर्तन की आवश्यकता है।
- **कर**: एक जटिल कर प्रणाली कई चुनौतियों को उत्पन्न करती है, जैसे- भंडारगृह स्थल के पारगमन और विखंडन में विभिन्न राज्य और केन्द्रीय करों के भुगतान से महत्वपूर्ण समय की हानि होती है।

चुनौतियों का प्रभाव

- भारत में लॉजिस्टिक्स की कुल उत्पाद लागत का प्रतिशत, विकसित देशों की तुलना में 4-5 गुना अधिक है। यह उस समय है जब प्रदत्त लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता उच्चतम मानक वाले नहीं है।
- अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स के उच्च लागत स्तर के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- यह प्रत्येक नागरिकों के वित्तीय कल्याण को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अपर्याप्त लॉजिस्टिक के कारण उत्पादन लागत में अतिरिक्त वृद्धि से मुद्रास्फ़ीति में वृद्धि होती है।

सरकारी पहल

- **डीजल का डी-रेगुलेशन** : डीजल की कीमत अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतों के साथ सम्बंधित होने से लॉजिस्टिक्स की लागत अधिक सटीक हो गई है। यह हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए बाध्य करता है।
- **लॉजिस्टिक्स दक्षता संवर्द्धन कार्यक्रम (LEEP)**: लॉजिस्टिक पार्कों के प्रबंधन और विकास एवं लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने हेतु लॉन्च किया गया था ।
- **प्रौद्योगिकी पहल**: रियल टाइम ट्रैकिंग हेतु भंडारगृहों एवं परिवहन में ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम (ASRS), बार कोड के स्थान पर रेडियो फ्रीक्वेंशी आइडेनटीफिकेशन (RFID), और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS)।
- **GST**: लॉजिस्टिक्स के लिए जटिल कर संरचना को हल करना महत्वपूर्ण है, जिससे लॉजिस्टिक्स-मांग, आपूर्ति, उपभोक्ता से जुड़ाव, आउटसोर्सिंग, परिवहन लागत और इन्वेंट्री की लागतों के बारे में रसद फर्मों द्वारा कुशल निर्णयन का मार्ग प्रशस्त होगा।

उठाये जाने वाले कदम

- **बुनियादी ढांचे के नियोजन में समन्वय**; अर्थव्यवस्था में प्रचलित उच्च लेन देन लागत को कम करने में सहायक करेगा।
- **शहरी नियोजन में सुधार:** सड़क और परिधीय अवसंरचना के मामले में शहरो में ट्रैफिक मुक्त अवसंरचना निर्माण जिससे यातायात से जुडे प्रतिबंध न उत्पन्न हो।
- **सभी हितधारकों की सहभागिता**: कुछ हितधारकों जैसे सरकार और बड़े उद्योगों द्वारा ब्ल्यूप्रिंट और पॉलिसी विनियम कार्य किया जाता है। इस कारण नीतियों में उचित परीक्षण एवं त्रुटियों पर पर्याप्त विचार-विमर्श नही हो पाता है।
- **मूल्य संवर्द्धन में निवेश**: अभी भी भारत में भंडारण स्थल पर डस्ट-प्रूफिंग (dust-proofing) को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता ऐसे प्रावधानों में निवेश नहीं करते हैं।

VISION IAS

11. परिवहन क्षेत्र

(Transport Sector)

परिवहन क्षेत्र व्यापार और प्रवासन को सुविधाजनक बनाता है जिससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। अपने व्यापक आकार के कारण यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास में प्रत्यक्ष रूप से योगदान प्रदान करता है। यह निर्माण गतिविधियों के एक बड़े भाग में योगदान करता है। यह क्षेत्र लोगों को आवागमन की सुविधा प्रदान करता है जो सामाजिक एकीकरण और परिवर्तन का एक प्रमुख स्रोत भी है। उपयुक्त कारणों से परिवहन और कनेक्टिविटी भारत की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

इस क्षेत्र से सम्बंधित चुनौतियां

- **परिवहन नेटवर्क व्यापक रूप से योजनाबद्ध नहीं है -** परिवहन नेटवर्क में अंतर-सम्बद्धता एवं समेकन की कमी लोगों और वस्तुओं के प्रभावी आवागमन में अवरोध उत्पन्न करती है। बंदरगाहों और परिवहन की अंतर्देशीय प्रणालियों के मध्य कनेक्टिविटी के अभाव के कारण इंटर-मोडल कनेक्टिविटी कमज़ोर बनी हुई है।
- परिवहन अवसंरचना की विभिन्न प्रणालियों का रखरखाव निम्नस्तरीय है। भारतीय रेलवे के लिए अपनी मौजूदा क्षमता को बनाए रखना और सेवा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण है। पूर्व-सक्रिय रखरखाव सेवा का एक अभिन्न भाग होता है किन्तु इसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क मार्गों का रखरखाव सामान्यतः समस्या उत्पन्न होने तथा उसकी रिपोर्ट के बाद किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप मानकों की असमानता, सेवा की गुणवत्ता में ह्रास और उत्पादकता में कमी की समस्या उत्पन्न होती है।
- भौतिक परिवहन अवसंरचना की क्षमता सीमित है। क्षमता संबंधी अवरोधों के कारण सड़कों और रेलों में अत्यधिक भीड़ की स्थिति बनी रहती है। कभी-कभी माल ढुलाई के लिए सीमित रेल क्षमता के कारण कोयले जैसी आगतों के समयबद्ध परिवहन में अवरोध उत्पन्न होता है।
- परिवहन नेटवर्क में गंभीर स्वरूपात्मक (modal) असंतुलन विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए, सड़क परिवहन की तुलना में रेलवे परिवहन के अधिक आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ के बावजूद, समय के साथ वस्तुओं के परिवहन हेतु रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन का अधिक उपयोग किया जाने लगा है। इसी प्रकार परिवहन के माध्यम के रूप में अंतर्देशीय जलमार्ग का कम उपयोग किया जाता है। भूतल परिवहन द्वारा माल ढुलाई में सड़कों की हिस्सेदारी 1950-51 के 13.8% से बढ़कर 1990-91 में 38.1% और 2011-12 में 64.5% हो गई है। इसी प्रकार भूतल परिवहन द्वारा यात्रियों के आवागमन में सड़कों की हिस्सेदारी 1950-51 के 25.7% से बढ़कर 1990-91 में 72.2% और 2011-12 में 85.9% के स्तर पर पहुँच गयी थी।
- परिवहन सुरक्षा, विशेष रूप से सड़क सुरक्षा, निम्नस्तरीय बनी हुई है। 2015 में, सड़क यातायात दुर्घटनाओं के कारण 1,46,133 लोगों की मृत्यु हुई थी। सामान्य शब्दों में 2013 में प्रति 10,000 किलोमीटर पर 930 दुर्घटनाएं हुईं। वार्षिक रूप से सड़क दुर्घटनाओं में भारत के GDP के 3% से अधिक की आर्थिक क्षति होती है। यह राशि 2014 में 3.8 लाख करोड़ रूपए के स्तर पर पहुँच गयी थी।
- परिवहन क्षेत्र ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों पर अत्यधिक निर्भर है। 2014 में, वाणिज्यिक ऊर्जा के उपयोग में इस क्षेत्र का योगदान 18% और पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग में 55% था। वर्ष 2020 तक इस क्षेत्र के लिए ऊर्जा की मांग में अपेक्षित वृद्धि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।

अब, हम परिवहन के अलग-अलग क्षेत्रकों पर चर्चा करेंगे।

11.1. सड़क मार्ग

(Roadways)

11.1.1. सड़क कनेक्टिविटी और गतिशीलता

(Road Connectivity And Mobility)

2013-14 के आंकड़ों के अनुसार भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क था जिसकी कुल लम्बाई 4.24 मिलियन किलोमीटर थी। इसमें एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, बड़े जिलों की सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। सड़क कनेक्टिविटी और गतिशीलता को और उन्नत करने सम्बन्धी सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- **सड़क नेटवर्क में वृद्धि द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण भारत और बंदरगाहों के साथ कनेक्टिविटी का विस्तार-** राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (NHDP), भारतमाला परियोजना और पूर्वोत्तर में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (SARDP-NE) राष्ट्रीय

VISION IAS

राजमार्गों के विकास और सुधार पर केंद्रित है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और भारत निर्माण ग्रामीण परियोजनाएं सड़कों के निर्माण और रख-रखाव पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

- **राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) के कवरेज में विस्तार-** लेन को ETC के साथ जोड़ने से यातायात के प्रवाह और दक्षता में सुधार होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने पहले ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर ETC के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसे **"फास्टैग"(FASTag)** कहा जाता है। यह प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से लिंक्ड प्रीपेड खातों से टोल का भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (RFID) तकनीक का उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त राज्यों में यात्रा करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के कागज़ों की जांच प्रक्रिया को डिजिटलीकृत किया जाना चाहिए ताकि उन्हें कागजों की भौतिक जांच के नाम पर बार-बार रोका न जाए।
- **राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के रख-रखाव में सुधार -** सम्पूर्ण देश में प्राकृतिक कारणों के साथ-साथ अत्यधिक उपयोग के कारण भी सड़कें जीर्णावस्था में हैं। उदाहरण के लिए, मानसून के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में भूस्खलन प्रायः सड़कों को नष्ट कर देते हैं जबकि मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का अत्यधिक उपयोग उन्हें क्षति पहुंचाता है। **केंद्रीय सड़क कोष (CRF) अधिनियम, 2000** एक केंद्रीय निधि का सृजन करता है जिसे केंद्र द्वारा प्रशासित और प्रबंधित किया जाता है। इस गैर-व्यपगत निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों के विकास, रेलवे लाइन के पास सड़कों के निर्माण और अन्य निर्धारित परियोजनाओं के विकास और रख-रखाव के लिए किया जा सकता है।

11.1.2. सड़क सुरक्षा

(Road Safety)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2016' रिपोर्ट जारी की गयी है। इस रिपोर्ट में, भारत में सड़क सुरक्षा की वस्तुस्थिति पर प्रकाश डाला गया है। पूरे देश में पिछले वर्ष औसतन प्रत्येक घंटे 55 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की मौत हुई है। इसका आशय यह है कि भारतीय सड़कों पर प्रत्येक 3.5 मिनट में एक मौत होती है। सड़क सुरक्षा में अभिवृद्धि के लिए दिए गए प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं:

सड़क

- सड़क की लम्बाई तथा कवरेज का विस्तार करने की अपेक्षा **सड़कों के लिए प्रायोगिक वैज्ञानिक अध्ययन** की दिशा में नीतिगत परिवर्तन करना समय की आवश्यकता है।
- सड़क सुरक्षा पर गठित **एस. सुंदर समिति ने 2007** में सड़क ढांचे के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसमें डिजाइन के चरण में प्रभावी सड़क अभियांत्रिकी समाधान, दुर्घटना के **प्रमुख स्थानों (hotspots)** में सुधार आदि शामिल हैं।
- एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा तैयार की गई **सड़क सुरक्षा कार्य योजना** में यातायात की इष्टतम गतिशीलता, यातायात संचलन को बढ़ावा देने, व्यस्ततम समय हेतु अलग रास्तों (rush-hour lanes) का निर्माण और **सेल्फ एक्सप्लेंड** सड़कों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

लोग

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के ***सेफ सिस्टम एप्रोच*** ने इस बात को स्वीकार किया है कि सड़क सुरक्षा हेतु लोगों की भूमिका को दंडात्मक तरीकों से पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अपेक्षा नीतिगत दृष्टिकोण को समाज के सभी वर्गों के लिए **शिक्षा और जागरूकता** की दिशा में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
- भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से 19 प्रतिशत हिस्सा पैदल यात्रियों का है। इसका कारण **पैदल चलने हेतु अनुकूल परिवेश का अभाव और फुटपाथों का अतिक्रमण** है।

वाहन

- सुरक्षा सम्बन्धी स्टार रेटिंग निर्धारित करने की दिशा में ***भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम*** की शुरुआत दुर्घटनाओं को प्रभावी रूप से कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।
- वाहन तकनीकी जैसे *कॉलिज़न-अवॉइडन्स सिस्टम्स*, (सेमी)ऑटोनोमस वेहिकल, *स्टेबिलिटी कंट्रोल*, बेहतर सड़क-वाहन संपर्क, *आटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम*, *एयर कुशन टेक्नोलॉजी* और गति वाले पोत वाहनों में गति नियंत्रक आदि का आधुनिकीकरण।

VISION IAS

सरकार

- सड़क सुरक्षा पर गठित **के.एस. राधाकृष्णन** पैनल द्वारा शराब पीकर गाडी चलाने एवं तेज गति से वाहन चलने से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए ***ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी*** और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के अधिक मजबूत तरीके अपनाने का समर्थन किया गया है।
- यात्री वाहनों पर यातायात के बोझ को कम करने के लिए ***गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल फ्रेट पॉलिसी*** लागू की जानी चाहिए।
- **एस. सुंदर** समिति द्वारा सड़क सुरक्षा परिदृश्य को परिवर्तित करने हेतु सड़क सुरक्षा और आवागमन प्रबंधन निदेशालय की स्थापना की सिफारिश की गई है।
- **राकेश मोहन** समिति ने **राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति** पर सुरक्षा मानकों के प्रतिदिन अनुपालन सुनिश्चित करने और मौजूदा नीतियों एवं मानकों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संचालन एजेंसियों में सुरक्षा विभाग स्थापित करने का सुझाव दिया है।
- देश में प्रभावी सड़क सुरक्षा के लिए नई नीतियां और की जाने वाली कार्यवाहियां ब्राज़ीलिया उद्घोषणा, 2015 पर आधारित होनी चाहिए। ध्यातव्य है कि ब्राज़ीलिया उद्घोषणा अधिक संधारणीय तरीकों और परिवहन के साधनों का समर्थन करने के क्रम में परिवहन नीतियों पर पुनर्विचार की मांग करती है।

सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक 2014 का प्रारूप

- इसमें तीन प्रमुख एजेंसियों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है: राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा प्राधिकरण, *नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीमॉडल कोआर्डिनेशन अथॉरिटी* और राज्य परिवहन प्राधिकरण।
- गैर-मोटर वाहन परिवहन और पैदल यात्री व साइकिल चालकों हेतु बुनियादी ढाँचा करने का प्रावधान किया गया है।
- अपराधी को पकड़ने की प्रणाली में सुधार, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, वाहनों का पंजीकरण और जुर्माना को युक्तियुक्त बनाना तथा डिजिटल सिस्टम की शरुआत।
- एकीकृत वाहन पंजीकरण प्रणाली और पंजीकरण को बीमा, वाहन सम्बन्धी अपराध और वाहन के रखरखाव (fitness) के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

सड़क सुरक्षा संबंधी सरकार की पहल

- सरकार द्वारा 2020 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया गया है।
- राजमार्गों पर जोखिम वाले स्थानों को समाप्त करने के लिए **प्रधानमंत्री सुरक्षित सडक योजना**।
- **लोकसभा में मोटर वाहन संशोधन बिल 2016**,पारित।
- **इसमें शामिल हैं:**
    - ड्राईवर लाइसेंसिंग की मौजूदा श्रेणियों में संशोधन,
    - वाहनों में कमी पाए जाने पर वाहनों को वापस ले लेना,
    - किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई से भले नागरिकों (good Samaritans) की सुरक्षा और
    - 1988 के अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दंड में वृद्धि करना।

सड़क दुर्घटनाओं का बोझ

- **आर्थिक लागत**: योजना आयोग के अनुसार प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में देश की GDP के 3% से अधिक भाग का ह्रास होता है। 2016 में यह राशि 3.8 लाख करोड़ रूपए थी।
- **सामाजिक लागत**: परिवार के सदस्य विशेषकर कमाने वाले सदस्य की मृत्यु परिवार को गरीबी और सामाजिक संकट की ओर अग्रसर करती है। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई विकलांगता से मानव उत्पादकता की क्षति होती है और यह आजीवन कलंक की भाँति विद्यमान रहती है।
- **प्रशासनिक लागत:** इसमें यातायात प्रबंधन, कानून प्रवर्तन, संसाधन लागत (नुकसान हुई संपत्ति का भुगतान) और बीमा प्रशासन शामिल हैं।

VISION IAS

11.1.3. राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्द्धन प्रकोष्ठ

(National Highway Investment Promotion Cell)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ (NHIPC) का गठन किया गया है।

NHIPC की आवश्यकता

- **भारतमाला परियोजना के लिए फंड:** सरकार ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 5,35,000 करोड़ रुपये के निवेश द्वारा आगामी पाँच वर्षों में 35,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।
- **निजी निवेश:** घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए NHIPC की आवश्यकता है।

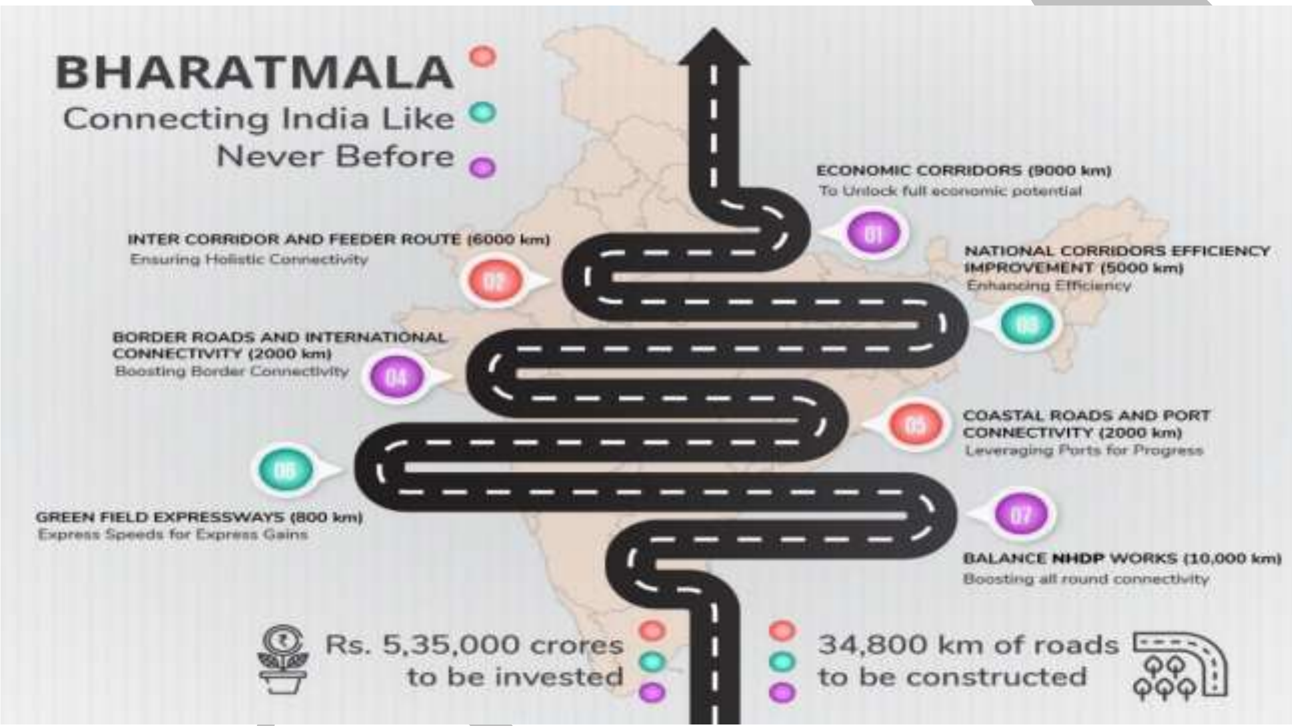

भारत में सड़क निर्माण के अंतर्गत प्रयुक्त PPP मॉडल

- **BOT (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर)**: निजी भागीदार डिजाइन, निर्माण, संचालित (अनुबंधित अवधि के दौरान) और सार्वजनिक क्षेत्र को सुविधा वापस स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी होता है। परियोजना के वाणिज्यिक रूप से आरंभ होने के पश्चात्, सरकार निजी पक्ष को भुगतान करना आरंभ करती है। **DBFOT** (डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर) इसके प्रकारों में से एक है।
- **BOT-टोल:** BOT के समान होता है। बस एकमात्र अंतर इतना है कि निजी पक्ष को टोल संग्रह के माध्यम से अपना निवेश वसूल करने की अनुमति होती है। इस प्रकरण में, सरकार निजी पार्टी को कुछ भी भुगतान नहीं करती है।
- **इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मॉडल**: कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के प्रबंध तक सीमित होती है।
- **हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM)**: यह **BOT** और **EPC** मॉडल का मिश्रित रूप है। सरकार वार्षिक भुगतान के माध्यम से पहले पाँच वर्षों के दौरान परियोजना की **40%** लागत का भुगतान करती है। शेष **60%** का भुगतान सृजित परिसंपत्ति के मूल्य के आधार पर परिवर्तनशील वार्षिकी के रूप में परियोजना के पूरा होने के बाद किया जाता है।

NHIPC के उद्देश्य

- यह प्रकोष्ठ सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक संस्थागत निवेशकों, निर्माण कंपनियों, डेवलपरों और कोष प्रबंधकों के साथ मिलकर कार्य करेगा।
- NHIPC विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के साथ-साथ CII, FICCI, ASOCHAM आदि जैसे कई शीर्ष बिजनेस चैंबरों के साथ सहयोग करते हुए कार्य करेगा और इस प्रकार निवेश में वृद्धि होगी।

भारतमाला परियोजना

- **यह NHDP के बाद दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग निर्माण परियोजना है।** जिसके अंतर्गत 50,000 किलोमीटर राजमार्ग सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों में देश भर के राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और कुछ राज्य सड़कें शामिल होंगी। इसमें NHDP का 10,000 कि.मी. भी सम्मिलित होगा।
- भारतमाला का उद्देश्य आर्थिक गलियारों, सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के मध्य कनेक्टिविटी में सुधार लाना है। इससे माल (CARGO) की त्वरित आवाजाही सुनिश्चित होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- डेब्ट फंड, निजी निवेश या केंद्रीय सड़क निधि या टोल संग्रह से इस परियोजना का वित्त पोषण किया जाएगा।
- निर्माण कार्य जिन मुख्य एजेंसियों को सौपा गया है, वह **राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास निगम और राज्य लोक निर्माण विभाग हैं।**

11.2. रेलवे (Railways)

11.2.1. फ्रेट सेगमेंट

(Freight Segment)

व्यापक पहुंच और विस्तार के बावजूद, कुल माल ढुलाई में रेलवे का योगदान 1950-51 से 2011-12 के बीच 86.2% से घटकर 35.5% हो गया है।

- फ्रेट सेगमेंट में गैर-प्रमुख मार्गों की क्षमता के उपयोग में वृद्धि हेतु रेलवे किरायों को तर्कसंगत बनाना - वर्तमान में, रेलवे में यात्री सेगमेंट को क्रॉस सब्सिडीकृत करने हेतु माल ढुलाई किराए को अधिक रखा जाता है। रेल विकास प्राधिकरण द्वारा वहनीयता और उपयोगिता बढ़ाने एवं कुशल तरीके से क्षमता उपयोग करने हेतु रेल किराए के निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गई है। रेल फ्रेट टैरिफ को तर्कसंगत बनाने से माल (कार्गो) यातायात को सड़कों से रेलवे की ओर स्थानांतरित करने में सहायता मिल सकती है, जो पर्यावरण के अनुकूल है।
- समर्पित माल ढुलाई गलियारा (Dedicated freight corridors : DFC) को कार्यान्वित और योजनाबद्ध करना- यदि किसी रेल मार्ग पर उसकी क्षमता का 80% से अधिक उपयोग हो जाता है तो उस रेल मार्ग को भीड़ युक्त माना जाता है। विशेष रूप से, जिन मार्गों से कोयले और लौह अयस्क का परिवहन किया जाता है, प्रायः उनकी क्षमता के 100% तक का उपयोग किया जाता है। ऐसे व्यस्त मार्गों पर रेलवे की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तावित माल ढुलाई गलियारा के पूरा होने से इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। दो DFC के अतिरिक्त, शेष सड़क नेटवर्क के साथ सामंजस्य स्थापित कर नए DFC की योजना बनाई जानी चाहिए।

11.2.2. सेवा वितरण एवं दक्षता

(Service Delivery and Efficiency)

- **रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों की गुणवत्ता में सुधार करना-** तकनीकी उन्नयन एवं रेलवे स्टेशनों पर साफ़-सफाई को सुनिश्चित करना यात्रियों के लिए रेल यात्रा के अनुभव को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बना देगा। उदाहरण के लिए, स्टेशनों और ट्रेनों में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने और चार्जिंग पॉइंट्स के साथ सॉकेट की उपलब्धता से स्टेशनों पर ग्राहकों का अनुभव अच्छा होगा। ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार हेतु स्टेशनों और ट्रेनों की पूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण -** रेल यात्रियों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए यात्री सुविधाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता, स्टेशन भवनों एवं परिसरों, प्लेटफार्मों और आस-पास के क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता है। रेल मंत्रालय द्वारा पहले ही PPP मॉडल के माध्यम से 400 स्टेशनों के पुनर्विकास के अपने कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। इसने भारतीय रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास निगम लिमिटेड (Indian Railway Stations Redevelopment Corporation: IRSRC) को 2016 तक 8 स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु अधिदेश (मैंडेट) दिए हैं, जिसके लिए 2012 में एक स्पेशल परपज व्हीकल (special purpose vehicle: SPV) का गठन किया गया था।
- **ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार करना-** रेल मंत्रालय को 2019 तक 10% तक परिसंपत्ति विश्वसनीयता में सुधार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम विकसित करना चाहिए। एक इंटीग्रेटेड ब्लॉक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित कर ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार किया जा सकता है।

VISION IAS

11.2.3. रेलवे सुरक्षा

(Railway Safety)

- **रेलवे में दुर्घटनाओं को समाप्त करना -** वर्तमान में रेलवे में अवसंरचना के उन्नयन और नई तकनीकियों को अपनाने से दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने में सहायता मिलेगी, जिससे सुरक्षा सम्बन्धी चिंताओं को कम किया जा सकेगा। रेलवे द्वारा ब्रॉड गेज लाइन्स पर मानव रहित क्रॉसिंग (Unmanned Level Crossings :UMLC) को समाप्त किया जाना चाहिए। इन मानव रहित क्रॉसिंगों को समाप्त करने से दुर्घटनाए और इससे होने वाली मौतें कम हो जाएंगी साथ ही ट्रेनों की औसत गति भी बढ़ेगी। अन्य अवसंरचनाओं का उन्नयन करना, जैसे कि 5100 किमी के पुरानी पटरियों के नवीनीकरण की गति में तीव्रता लाना और इसे अधिक दुर्घटना-प्रतिरोधी बनाने के लिए रोलिंग स्टॉक का उन्नयन करना, उदाहरण के लिए सेंटर बफर कप्लर्स (CBCs) भी सुरक्षा को बढ़ाएगा।
- **नई तकनीकों को अपनाकर सुरक्षा में सुधार करना -** नवीनतम तकनीक रेलवे में सुरक्षा बढ़ाने में सहायक हो सकती है। इसके लिए तीन प्रमुख तकनीकी हस्तक्षेप दुर्घटनाओं को कम करने में सहायता कर सकते हैं। पहला, उच्च घनत्व नेटवर्क वाले मार्गों पर पहले से विकसित ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम (Train Collision Avoidance System: TCAS) को कार्यान्वित करना। दूसरा, प्रमुख पुलों और बाढ़ प्रभावित स्थानों पर बाढ़ चेतावनी प्रणाली को अपनाने से मौसम संबंधित घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। तीसरा, कोहरे या कम दृश्यता वाली परिस्थितियों के दौरान गतिशीलता को बढ़ाने हेतु तकनीकी को अपनाना।
- **सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाना-** रेलवे से संबंधित एक स्थायी समिति ने 2016 में रेलवे में संरक्षा और सुरक्षा पर अपनी रिपोर्ट पेश की और सुरक्षा एवं संरक्षा पर एक अलग विभाग के गठन की सिफारिश की। इस सिफारिश को अपनाया जाना चाहिए और रेलवे सुरक्षा और संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नामित अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए।

11.3. जलमार्ग, नौ-परिवहन और बंदरगाह

(Waterways, Shipping and Ports)

11.3.1 नौ-परिवहन और बंदरगाह

(Shipping And Ports)

वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह तथा 205 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं जो लगभग 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर अवस्थित है। भारत में तटीय नौ-परिवहन का उसकी क्षमता की तुलना में कम उपयोग किया गया है। 2014-15 के आकड़ों के अनुसार भारत में कुल माल ढुलाई का 30% रेलवे द्वारा और 57% सड़क द्वारा किया गया। इसकी तुलना में नौ-परिवहन द्वारा मात्र 6.5% परिवहन होता है। नौ परिवहन के विकास हेतु निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते हैं:

- **तटीय व्यापार को सुगम बनाकर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना-** वर्तमान में, भारत संपूर्ण तटीय व्यापार या भारतीय जहाजों के तटीय कार्गो परिवहन के लिए आरक्षित सुविधा का पूर्ण उपभोग नहीं करता है। भारतीय जहाजों द्वारा कार्गो परिवहन की अनिच्छा या उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में, डायरेक्टर जनरल ऑफ़ शिपिंग के पूर्व अनुमोदन से विदेशी जहाजों द्वारा एक भारतीय बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक कार्गो का परिवहन किया जा सकता है। भारतीय तटीय बेड़े की अपर्याप्त क्षमता और कंटेनरों से परिवहन में वृद्धि की आवश्यकता को देखते हुए कम से कम हमारे तटीय शिपिंग क्षेत्र को वर्तमान मांग को पूरा करने में सक्षम हो जाने तक के लिए, हमें तटीय व्यापार कानूनों को और उदार बनाने पर विचार करना चाहिए।
- **गहरे पानी वाले बंदरगाहों की स्थापना अथवा लो ड्राफ्ट (कम गहरे) बंदरगाहों के लिए पोतों का निर्माण -** भारतीय बंदरगाहों की औसत गहराई लगभग 8 मीटर से 12 मीटर तक है, जो अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की औसत गहराई 12 मीटर से 23 मीटर से कम है। 10,000 बीस फुट के समकक्ष इकाइयों (teu) से अधिक क्षमता वाले बड़े जहाज और टैंकर अधिकांश बंदरगाहों में नौवहन करने में सक्षम नहीं हैं। डीप ड्राफ्ट(अधिक गहरे) और अवसंरचना संबंधी क्षमताओं वाले जो कुछ बड़े भारतीय बंदरगाह विद्यमान हैं वे पहले से ही अत्यधिक व्यस्त हैं। इससे बंदरगाहों की परिचालन दक्षता कम हो जाती है तथा प्रतीक्षा का समय बढ़ जाता है। डोमेस्टिक ड्राफ्ट कैपेसिटी के अभाव के कारण विदेशों के बड़े बंदरगाहों को ट्रांसशिपमेंट की आवश्यकता के कारण समय भी अधिक लगता है। अतः ऐसे तटीय स्थानों की खोज की आवश्यकता है जहां डीप ड्राफ्ट बंदरगाहों का निर्माण किया जा सके। वैसे स्थानों के लिए जहां डीप ड्राफ्ट बंदरगाहों के निर्माण हेतु तकनीकी या वित्तीय संभाव्यता नहीं है, लो ड्राफ्ट वाले पोतों के निर्माण की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए।
- छोटे / गैर-प्रमुख बंदरगाहों को आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ना: बड़े और छोटे बंदरगाहों को रेल और सड़क बंदरगाहों से जोड़ने से एकीकृत बहुआयामी परिवहन सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी और इससे कार्य दक्षता में सुधार होगा। बंदरगाहों के निकट लॉजिस्टिक पार्कों के विकास द्वारा भी कनेक्टिविटी को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

VISION IAS

11.3.2. जलमार्ग

(Waterways)

भारत में नदियों, नहरों, पश्चजल और खाड़ी सहित नौवहन युक्त अंतर्देशीय जलमार्ग लगभग 14,500 कि.मी तक विस्तारित हैं। हालांकि अत्यधिक मात्रा में माल परिवहन की क्षमता और ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़े होने के बावजूद, अंतर्देशीय जल परिवहन के माध्यम से माल का परिवहन अन्य परिवहन के माध्यमों की तुलना में कम है। वर्तमान में, माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा तीन राष्ट्रीय जलमार्गों, NWS I, II, और III और मुंबई और गोवा जलमार्गों के माध्यम से किया जाता है।

"जल मार्ग विकास" परियोजना के तहत इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य गंगा नदी के विस्तार क्षेत्र में कम से कम 1,500 टन जहाजों को वाणिज्यिक नौ-परिवहन हेतु सक्षम बनाया जाना है। वर्तमान में वाराणसी, हल्दिया और साहेबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल्स का विकास किया जा रहा है और फरक्का में एक नए नेविगेशन लॉक की भी योजना बनाई गई है।

भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा 2020 तक राष्ट्रीय और राज्य जलमार्गों के साथ-साथ फीडर मार्गों के 9,286 कि.मी के लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य भी है। निम्नलिखित कार्य बिंदु भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की कनेक्टिविटी और दक्षता में वृद्धि करने हेतु सहायक होंगे-

- **अंतर्देशीय जलमार्गों की शासन प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाना** - वर्तमान में, अंतर्देशीय जलमार्ग केंद्रीय अंतर्देशीय जल निगम लिमिटेड (CIWTC Ltd), बंदरगाह प्राधिकरणों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा शासित होते हैं। विनियामक संरचना को सुव्यवस्थित बनाने और अंतर्देशीय जल परिवहन की निगरानी हेतु IWAI जैसे किसी पर्यवेक्षक निकाय की स्थापना से इस क्षेत्रक के नियमों और रणनीतियों में अधिक स्थायित्व आएगा।
- **वर्ष भर नौ-परिवहन को सुगम बनाने हेतु उपायों का विकास** - वर्तमान में मौसमी दशाओं के कारण कुछ ऐसे अंतर्देशीय जलमार्ग हैं जो वर्ष के कुछ समय के लिए ही संचालन योग्य रहते हैं। मौसम आधारित इस प्रणाली के कारण परिवहन की क्षमता में कमी आती है। नदी में अधिक गहरे(अर्थात् कम से कम 2.5 मीटर से 3 मीटर) हिस्सों को विकसित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। पर्याप्त गहराई के विकास से वर्ष भर नौ-परिवहन को संचालित रखने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, वर्ष-भर सेवा की सुविधा प्रदान करने हेतु नौवहन मार्गों के संचालन के लिए पर्याप्त पानी की गहराई को बनाए रखने के लिए, लगातार ड्रेजिंग सहित नदियों के पर्याप्त रख-रखाव को सुनिश्चित करना चाहिए।
- **नदी-समुद्र आवागमन को सरल बनाना** - नदी-समुद्र आवागमन अर्थात् अंतर्देशीय और तटीय सागरीय क्षेत्र, दोनों के सन्दर्भ में एक ही जहाज का उपयोग, परिवहन लागत और निगरानी व्यवस्था को कम करता है। हालांकि, नियमों, निर्माण और परिचालन मानकों और विभिन्न सर्वेक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं में भिन्नता के कारण अंतर्देशीय और तटीय जलमार्गों में निर्बाध रूप से संचरण की व्यवस्था प्रतिबंधित होती है। राज्य प्राधिकरणों को नौवहन महानिदेशालय द्वारा प्रदान किए गए दिशा-निर्देशन के अनुसार उन्हें अंतर्देशीय जहाज़ अधिनियम के तहत अंतर्देशीय पोत सीमाओं के लिए निर्देशांक तैयार करने चाहिए। नौवहन मंत्रालय को भी मर्चेंट शिपिंग एक्ट,1958 के तहत अंतर्देशीय पोत सीमाओं के लिए अधिसूचना जारी करनी चाहिए। दोनों पक्षों द्वारा निर्धारित सीमाओं के साथ समन्वय स्थापित करने से नदी-समुद्र संचलन को सुविधाजनक बनाने में सहायता मिलेगी।

11.4. अन्य संबंधित पहलें

(Other Related Developments)

11.4.1. तटीय आर्थिक क्षेत्र

(Coastal Economic Zone)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर भारत के प्रथम मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZ) की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गयी है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZ) नासिक, ठाणे, मुंबई, पुणे और रायगढ़ तक विस्तृत उत्तरी कोंकण क्षेत्र में विस्तारित होगा।
- यह **सागरमाला कार्यक्रम की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना** का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 14 मेगा CEZs की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। (बॉक्स देखें)

VISION IAS

सागरमाला कार्यक्रम

- यह तटीय और बंदरगाह शहर के विकास संबंधी योजना है, जहां रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से विनिर्माण इकाइयों को स्थापित किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य देश के 7,500 किलोमीटर लम्बे समुद्र तट, 14,500 किलोमीटर नौवहन योग्य जलमार्ग तथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के संदर्भ में रणनीतिक अवस्थिति का लाभ उठाना है।
- सागरमाला परियोजना सरकार के सहकारी संघवाद के मूल दर्शन से प्रेरित है।

सागरमला कार्यक्रम की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan (NPP) of the Sagarmala Programme)

- यह न्यूनतम निवेश के साथ निर्यात, आयात और घरेलू व्यापार की लागत को कम करने के सागरमाला के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के घटक;

- **बंदरगाह आधुनिकीकरण और नये बंदरगाह का विकास:** बड़े जहाजों के प्रवेश के लिए बर्थ (berths) का यंत्रीकरण और ड्राफ्ट्स को मजबूत बनाना। 5-6 नए बंदरगाहों का विकास तथा 40 बंदरगाह क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों का संचालन।
- **बंदरगाह कनेक्टिविटी संवर्द्धन:** 80 परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हैवी-हॉल रेल कॉरिडोर, कुशल आवागमन के माल-ढुलाई अनुकूल (freight-friendly) एक्सप्रेस वे और रणनीतिक अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास जैसी कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शामिल हैं।
- **बंदरगाह-आधारित औद्योगीकरण**: तटरेखा के किनारे 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों (CEZs) का विकास। इनमें ऊर्जा, थोक सामग्री (bulk materials) जैसे उद्योगों के क्लस्टर्स के साथ-साथ पृथक विनिर्माण इकाइयों की भी स्थापना होगी।
- **तटीय सामुदायिक विकास**: मछुआरों के लिए अवसरों का विकास, बंदरगाह-संचालित औद्योगीकरण को समर्थन देने हेतु केंद्रित कौशल विकास पर फोकस। इस उद्देश्य के लिए पृथक तटीय सामुदायिक विकास कोष का निर्धारण किया जाएगा।
- **NPP चार रणनीतिक स्तम्भों पर आधारित है:** 1. घरेलू कार्गो की लागत को कम करने के लिए बहुआयामी परिवहन को इष्टतम बनाना, 2. निर्यात-आयात कार्गो लॉजिस्टिक्स में लगने वाले समय और लागत को कम करना, 3. थोक उद्योगों (bulk industries) को तटीय क्षेत्रों के निकट स्थापित करके उनकी लागत में कमी करना, 4. पृथक विनिर्माण समूहों को बंदरगाहों के निकट स्थापित करके निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार।

तटीय आर्थिक क्षेत्र क्या है ?

- इसकी परिकल्पना स्थानिक-आर्थिक क्षेत्र के रूप में की गई है, जिसे तटरेखा के साथ 300-500 किमी तक और तटरेखा से लगभग 200 से 300 किमी अंतर्देशीय क्षेत्रों तक विस्तारित किया जा सकता है। प्रत्येक CEZ एक राज्य के भीतर सभी तटीय जिलों का संकुलन होगा।
- यह अवधारणा चीन के शेन्ज़ेन तटीय आर्थिक क्षेत्र के विकास पर आधारित है। यह भौगोलिक सीमा प्रदान करेगा, जिसके अंतर्गत बंदरगाहों और तटीय राज्यों के लिए एक समान नीति के तहत बंदरगाह संचालित औद्योगीकरण को विकसित किया जाएगा।

- विज़ाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारा और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा जैसे नियोजित औद्योगिक गलियारों की क्षमता का लाभ प्राप्त करने हेतु तटीय आर्थिक क्षेत्रों की परिकल्पना की गई है।
- CEZ के तहत, निवेशकों को ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस सहित व्यवसाय के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्राप्त होगा, विशेषकर निर्यात एवं आयात में सरलता, त्वरित पर्यावरणीय अनुमोदन आदि।

सागरमाला परियोजना के बारे में अन्य जानकारी

- नौवहन के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सागरमाला सर्वोच्च समिति (NSAC) को समग्र नीति के मार्गदर्शन और उच्च स्तरीय समन्वय के लिए परिकल्पित किया गया है। योजना और परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करना भी इसका कार्य है।
- राज्य स्तर/क्षेत्रीय स्तर पर स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) की सहायता हेतु सागरमाला विकास कंपनी (SDC) को नौवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत शामिल किया गया है।
- SDC, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों और बहु-पक्षीय एवं द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों से धन जुटाएगी।
- अंतिम मील कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और मुख्य बंदरगाहों की आंतरिक रेल परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) - **इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन (IPRC)** को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो शिपिंग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।

CEZs के लाभ

- **रोजगार:** नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि रोज़गार में निम्न वृद्धि को निर्यात संचालित तटीय अर्थव्यवस्था द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जो वस्त्र, जूते, इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों और अन्य हल्के विनिर्माण जैसे श्रम गहन क्षेत्रों पर आधारित हो।
- **निर्यात प्रोत्साहन**: सहायक फर्म द्वारा सहायता प्राप्त, बड़ी विनिर्माण फर्म मजबूत निर्यात संचालित तटीय पारितंत्र प्रदान करेंगी।
- **विदेशी पूंजी**: यह बड़ी विदेशी कंपनियों को आकर्षित करेगा। विदेशी कंपनियों के आगमन से प्रौद्योगिकी, पूंजी, उचित प्रबंधन और विश्व बाजारों से संपर्क सुधार होगा।
- **क्लस्टर-डेवलपमेंट:** यह उनके आस-पास एक ऐसे पारितंत्र का विकास करेगा, जिसमें उत्पादक क्लस्टर छोटी एवं मध्यम कंपनियां उभरेंगी और विकसित होंगी।

चुनौतियाँ

- **भूमि संसाधन**: अधिग्रहण और मुआवज़े की अत्यधिक लागत तथा राज्यों के पास भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है।
- **अवसंरचना का अभाव**- प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो को निकालने के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव, उप-इष्टतम परिवहन मोडल मिश्रण, तटीय और अंतर्देशीय नौवहन की कम पहुंच तथा बंदरगाहों की कम गहराई के साथ निम्न भार वहन क्षमता ने CRZ के विकास को अवरुद्ध किया है।
- **विखंडित दृष्टिकोण (Fragmented approach)**- विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी, देश भर में औद्योगीकरण, व्यापार, पर्यटन और परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना के विकास में विखंडित दृष्टिकोण का कारण बन सकती है।

11.4.2. पत्तन विकास के लिए मॉडल रियायत समझौता

(Model Concession Agreement For Port Development)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत परिकल्पित प्रमुख पत्तनों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं (PPP) के लिए मॉडल रियायत समझौते (MCA) में परिवर्तनों को स्वीकृति प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- भारत में लगभग 7,500 किमी. लंबा समुद्र तट और लगभग 14,500 किलोमीटर संभावित नौवहन योग्य जलमार्ग हैं।
- पश्चिमी और पूर्वी तट रेखाओं पर स्थित 12 प्रमुख और 200 गौण पत्तन अभी तक भारत के 90% व्यापार के लिए उत्तरदायी रहे हैं।
- भारत में पत्तनों का विकास **समवर्ती सूची** का विषय है। प्रमुख पत्तन, केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख पत्तन अधिनियम, 1963 के तहत विनियमित किए जाते हैं तथा गौण पत्तन, राज्य सरकारों द्वारा भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 के तहत नियंत्रित किए जाते हैं।

VISION IAS

- प्रमुख पत्तनों में PPP परियोजनाएं **राजस्व साझेदारी मॉडल** पर काम करती हैं और **महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण** (TAMP) द्वारा विनियमित होती हैं।

पत्तन विकास क्षेत्रक में PPP से संबंधित मुद्दे

भारत में पत्तन विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बाधित करने वाली विभिन्न चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

- **अवसंरचना में अपर्याप्तताएं:** वर्तमान पत्तन ख़राब सड़क नेटवर्क, अपर्याप्त कार्गो-हैंडलिंग उपकरण और मशीनरी, अपर्याप्त नौवहन सहायता, अपर्याप्त तलाकर्षण क्षमता और पत्तन विकास के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की कमी से ग्रसित हैं।
- **परियोजना जोखिमों को साझा करना:** संभरण (लॉजिस्टिक्स) क्षेत्रक या सरकारी नीतियों से संबंधित जोखिम वर्तमान में पूर्णतया रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा उठाए जाते हैं जिस पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **वित्तीय अव्यवहार्यता:** भारत में ग्रीनफील्ड पत्तन परियोजनाएं सामान्यत: दूरदराज के स्थानों पर हैं। वहाँ आधारभूत अवसंरचना के निर्माण के लिये सरकारी सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
- **बाजार निर्धारित प्रशुल्कों की कमी:** वर्तमान में प्रमुख पत्तनों के लिए प्रशुल्क, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (TAMP) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसकी प्रमुख पत्तनों और टर्मिनलों के लिए प्रशुल्क विनियम लागू करने की कोई मानक पद्धति नहीं है।
- **शिकायत निवारण तंत्र की अनुपस्थिति:** वर्तमान MCA में शिकायत निवारण तंत्र का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार विभिन्न पक्ष मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं जिससे कई मामले वर्षों तक चलते है तथा इसके कारण दक्षता कम होती है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** सार्वजनिक क्षेत्र ने इस क्षेत्रक में प्रभुत्व बनाए रखा है तथा इसके अत्यधिक विनियमन ने प्रतिस्पर्धा में बाधा डाली है।
- **श्रमिकों से संबंधित मुद्दे:** अधिकांश प्रमुख पत्तन अकुशल और अप्रशिक्षित श्रम से ग्रसित हैं और ऐसे पत्तनों का विकास बार-बार होने वाली श्रमिक हड़तालों, अकुशलता और निम्न श्रम उत्पादकता के कारण अवरूद्ध होता है।

संशोधित MCA के मुख्य प्रावधान

- **निकासी धारा (Exit clause):** यह विकासकर्ता (डेवलपर्स) को समझौते से बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करती है। इसके तहत डेवलपर्स, वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (COD) से दो वर्ष पूरा होने के बाद अपनी इक्विटी को 100% तक वापस ले सकते हैं।
- **रॉयल्टी व्यवस्था में परिवर्तन:** डेवलपर्स के लिए रॉयल्टी प्रति मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग के आधार पर आरोपित की जाएगी तथा उसको थोक मूल्य सूचकांक से जोड़ा जायेगा। यह व्यवस्था TAMP द्वारा प्रशुल्क निर्धारण में मनमानी को कम करेगी।
- **निम्न भूमि प्रभार:** अतिरिक्त भूमि के लिए भूमि का किराया 200% से घटाकर 120% कर दिया गया है।
- **शिकायत निवारण के लिए तंत्र**: MCA, विवाद समाधान तंत्र के रूप में *सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेड्रेसल ऑफ़ डिस्प्यूट्स - पोर्ट्स* (Society for Affordable Redressal of Disputes - Ports: SRODOD-PORTS) के गठन की परिकल्पना करता है।
- **क्षमता विस्तार को संभव बनाना:** रियायत प्राप्तकर्ता, उच्च उत्पादकता और लागत को कम करने के लिए उच्च क्षमता वाले उपकरणों, सुविधाओं, तकनीकों के उपयोग और वैल्यू इंजीनियरिंग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- TAMP दिशा-निर्देशों, श्रम कानूनों या पर्यावरणीय कानूनों में परिवर्तन की स्थिति में रियायत प्राप्तकर्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान करने के लिए "**कानून में परिवर्तन (Change in Law)**" की नई परिभाषा।
- पत्तन उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत पोर्टल और परियोजना की आवधिक स्थिति रिपोर्ट रखने के लिए निगरानी व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है।

निहितार्थ

- संशोधित मॉडल रियायत समझौता, पत्तन विकास के लिए **निवेश** को आकर्षित करेगा।
- आसान निकासी मानदंड, पत्तन क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण का मार्ग सरल बनाएंगे।
- इसका परिणाम निजी विकासकर्ताओं (डेवलपेर्स) द्वारा भौतिक परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग भी होगा क्योंकि वे सभी प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले परिचालन आरंभ कर सकते हैं।
- इससे MCA के प्रावधान भी प्रमुख पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016 के अनुरूप हो जाएंगे, जिसमें प्रावधान किया गया है कि रियायत प्राप्तकर्ता बाजार की स्थितियों के आधार पर वास्तविक प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

11.4.3. शुष्क पत्तन

(Dry Port)

सुर्खियों में क्यों

हाल ही में, **वाणिज्य मंत्रालय** ने **शुष्क पत्तन** या **इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD)** में अवसंरचना मानकों का जीर्णोद्धार करने की घोषणा की है।

शुष्क पत्तन के संबंध में

- शुष्क पत्तन, रेलवे या सड़क द्वारा बंदरगाहों से प्रत्यक्ष जुड़े अंतर्देशीय टर्मिनल होते हैं। शुष्क पत्तन समुद्री पत्तन जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं जैसे कि हैंडलिंग, अस्थायी भंडारण, निरीक्षण और अंतर्राष्ट्रीय माल के लिए कस्टम मंजूरी आदि।
- शुष्क पत्तनों को लॉजिस्टिक्स तंत्र, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार लाने और समुद्री पत्तनों के समक्ष आने वाले क्षमता अवरोधों को कम करने के लिए जाना जाता है।

ICD के साथ समस्याएँ

- भारत में ICD विभिन्न कारणों से केवल 17 से 18% माल का कंटेनरों द्वारा परिवहन करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानक (76% से 77% तक) से अत्यधिक कम है:
    - **शुष्क पत्तनों का अल्प उपयोग:** कुछ क्षेत्रों में उपयोगिता **20%** तक निम्न तो कुछ क्षेत्रों में यह **85%** तक उच्च है। इसके कारण व्यापार असमान बन जाता है।
    - **लगभग सरकारी एकाधिकार:** लगभग **70% ICD** सरकारी स्वामित्व वाले कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्वामित्वाधीन हैं। **कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,** कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित नवरत्न कंपनी है।
    - **अवस्थिति का मुद्दा:** ICD देशभर में असमान रूप से वितरित हैं, इससे इनकी धारणीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
    - **अपर्याप्त कनेक्टिविटी:** ICD तक रेल और सड़क संपर्क नेटवर्क पर्याप्त नहीं है।
    - **असंतोषजनक निवेश वातावरण:** ICD के निवेश में बड़े पैमाने पर घरेलू कंपनियों की प्रधानता है जबकि वैश्विक कंपनियों ने इस क्षेत्र में निवेश से अभी भी दूर हैं।

महत्व

- **निर्यात को बढ़ावा देना:** कुशल शुष्क पत्तन अवसंरचना से देश को विश्व निर्यात में **5%** हिस्सेदारी प्राप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत को अगले पाँच वर्षों तक **26%** से अधिक की औसत दर से वृद्धि करनी होगी।
- **इकोनॉमीज़ ऑफ़ स्केल प्राप्त करना:** ICD की भागीदारी से **लॉजिस्टिक्स संबंधी लागत कम करने** में सहायता मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में यह विनिर्माण लागत का **14-15%** है, जोकि विश्व में सर्वाधिक है।
- **सागरमाला परियोजना (पत्तन-नेतृत्त्व विकास) के साथ समन्वयन करना:** इसके अंतर्गत, सरकार का लक्ष्य EXIM और घरेलू माल के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। लॉजिस्टिक्स लागत को ICD विकास से अनुपूरित किए जाने पर समग्र लागत में और अधिक बचत होगी।

आगे की राह

- **अवस्थिति संबंधी कारक:** धारणीय व्यापार मॉडल बनने के लिए, ICD को विनिर्माण और उपभोग केंद्रों से घिरा होना चाहिए।
- **अवसंरचना का संवर्द्धन:** इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ICD में और ICD के आसपास अवसंरचना विकास महत्वपूर्ण है।
- **साझेदारी प्रोत्साहित करना:** किसी तृतीय पक्ष की लॉजिस्टिक्स कंपनी या शिपिंग लाइन के साथ साझेदारी, ICD के लिए अनुकूल राजस्व मार्ग प्रदान कर सकती है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रणालियों से जोड़कर **नियामकीय ढाँचे में सुधार लाना।**

11.5. उड्डयन क्षेत्र

(Aviation Sector)

11.5.1 अन्य संबंधित विकास- उड़ान 2

(Other Related development – UDAN 2)

विवरण

- उड़ान 2 योजना के अंतर्गत अधिकतम संख्या में क्रियाशील होने वाले विमानपत्तनों और हेलीपैड्स वाले राज्यों में उत्तराखंड (15), उत्तर प्रदेश (9), अरुणाचल प्रदेश (8), हिमाचल प्रदेश (6), असम (5) और मणिपुर (5) सम्मिलित हैं।
- यह पहली बार है कि इस योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों से निविदाएँ प्राप्त हुई थीं।
- यह योजना प्रति वर्ष लगभग 26.5 लाख सीटें उपलब्ध कराएगी जिसे प्रति उड़ान हवाई किराया अधिकतम 2,500 रूपए/घंटा प्रति सीट रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, हेलिकॉप्टर परिचालन के माध्यम से लगभग 2 लाख RCS (क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना) सीटें प्रति वर्ष उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

VISION IAS

- केंद्र ने उड़ान योजना का वित्तपोषण करने के लिए प्रमुख मार्गों पर उड़ान भरने वाली एयरलाइनों से प्रभारित की जाने वाली 5,000 रुपये की क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी शुल्क (लेवी) में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है। अब इसे आंशिक रूप से AAI (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) द्वारा भारत सरकार को भुगतान किए जाने वाले लाभांश से वित्त पोषित किया जाएगा।

उड़ान योजना के संबंध में

उड़ान, क्षेत्रीय विमानन बाजार विकसित करने की नवोन्मेषी योजना है। इस योजना का उद्देश्य **"उड़े देश का आम नागरिक"** है।

प्रमुख विशेषताएं

- उड़ान 200 से 800 किमी. के बीच उड़ान भरने वाली उड़ानों पर लागू होगी, जिसमें पहाड़ी, दूरदराज के इलाकों, द्वीपों और सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कोई निम्न सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत कुछ संख्या में उड़ान सीटें अर्थात सब्सिडी प्राप्त दरों पर सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है और साथ ही कम दूरी की उड़ानों के लिए किराए की सीमा का निर्धारण करना भी सम्मिलित है।
- दो साधनों के माध्यम से इसे प्राप्त किया जाएगा:
    - केन्द्र और राज्य सरकारों और विमानपत्तन ऑपरेटरों से रियायत के रूप में **वित्तीय प्रोत्साहन**, जैसे कर रियायतें, पार्किंग और लैंडिंग शुल्क से छूट।
    - ऐसे विमानपत्तनों से परिचालन प्रारंभ करने के लिए **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वायबिलिटी गैप फंडिंग; VGF)** ताकि यात्री किराये को कम रखा जा सके। इस तरह की सहायता तीन वर्ष की अवधि के बाद वापस ले ली जाएगी, क्योंकि उस समय तक वायु मार्गों के स्व-संधारणीय हो जाने की संभावना है।
- इस योजना के अंतर्गत VGF आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु **रीजनल कनेक्टिविटी फंड** (RCF) बनाया जाएगा। राज्यों से 20% योगदान के साथ कुछ घरेलू उड़ानों के लिए प्रति प्रस्थान RCF लेवी आरोपित की जायेगी।
- **संतुलित क्षेत्रीय विकास** के लिए, इस योजना के अंतर्गत देश के पांच भौगोलिक क्षेत्रों अर्थात उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर-पूर्व में आवंटन समान रूप से वितरित किया जाएगा।
- उड़ान योजना वर्तमान हवाई-पट्टियों और विमानपत्तनों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के असेवित और अल्पसेवित विमानपत्तनों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने की कल्पना करती है।
- यह योजना 10 वर्षों की अवधि के लिए परिचालनरत रहेगी।

महत्व

- यह योजना वहनीयता, कनेक्टिविटी, वृद्धि और विकास सुनिश्चित करेगी।
- इससे रोजगार सृजन करने में सहायता मिलेगी।
- यह योजना वायु मार्ग से विद्यमान नाशवान माल (existing perishable cargo), शीघ्र टूटने वाली वस्तुओं और उच्च मूल्य वाले निर्यात-उन्मुख उत्पादों को लाने-ले जाने की संभावना को बढ़ाकर अतिरिक्त व्यावसायिक अवसर सृजित करती है।
- राज्य सरकारें छोटे विमानों और हेलीकाप्टरों के प्रचलन के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों के विकास, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि और पर्यटन विस्तार से लाभान्वित होंगी।

आलोचनाएं

- एयरलाइन्स विलासिता को प्रदर्शित करती हैं तथा भारत जैसे गरीब देश में यह प्राथमिकताओं का गलत चयन प्रतीत होता है जबकि सरकारों और यात्रियों को क्षेत्रीय हवाई मार्गों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी की लागत उठानी पड़ेगी।
- यात्री यातायात के संदर्भ में भारत तीव्रता से बढ़ता विमानन बाजार है। इसलिए, राज्य सब्सिडी का कहीं अन्यत्र उपयोग ज्यादा बेहतर होता।
- यह धारणा गलत प्रतीत होती है कि किसी मार्ग को संधारणीय बनाने के लिए तीन वर्ष पर्याप्त होंगे,क्योंकि इसमें ईंधन लागत में वृद्धि के परिदृश्य का ध्यान नहीं रखा गया है जो वायु परिवहन लागत गतिशीलता में काफी परिवर्तन लाएगी।

VISION IAS

12. ऊर्जा क्षेत्र

(Energy Sector)

- निम्नलिखित सारणी भारत के ऊर्जा संघटन को प्रस्तुत करती है (31.06.2018 तक):

ईंधन	मेगावाट	कुल का प्रतिशत
कुल थर्मल	**2,22,693**	**64.8%**
कोयला	1,96,958	57.3%
गैस	24,897	7.2%
तेल	838	0.2%
हाइड्रो (नवीकरणीय)	**45,403**	**13.2%**
न्यूक्लियर	**6,780**	**2.0%**
RES * (MNRE)	**69,022**	**20.1%**
कुल	**343,899**	**100%**

***31.03.2018 तक RES (MNRE) के संबंध में स्थापित क्षमता। RES (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) में लघु जलविद्युत् परियोजना, बायोमास गैसीफायर, बायोमास ऊर्जा, शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्ट ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा शामिल हैं।**

- वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक (WEO) और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (International Energy Agency: IEA) द्वारा जारी एनर्जी एक्सेस आउटलुक के अनुसार:
    - अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है।
    - 2014 में वैश्विक रूप से 1.06 बिलियन लोग विद्युत तक पहुँच के बिना अपना जीवन यापन कर रहे थे, जिसमें से 270 मिलियन लोग भारत में थे।
    - पूरे विश्व में विद्युत तक पहुंच का सर्वाधिक अभाव भारत में है, इसके बाद नाइजीरिया और इथियोपिया का स्थान आता है। हालांकि, यह एक विद्युत अधिशेष देश भी है और 2016-17 में यह विद्युत का शुद्ध निर्यातक था।
    - संपूर्ण भारत में 25% (45 मिलियन) ग्रामीण परिवारों की विद्युत तक पहुँच नहीं है।
    - वर्तमान में, लगभग 2.8 बिलियन लोगों के पास खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध नहीं है तथा ऐसी संभावना है कि 2030 तक 2.3 बिलियन लोगों के पास खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध नहीं होगा।
- अंतिम उपभोक्ता (पारेषण एवं वितरण ग्रिड, गैस पाइपलाइन तथा पेट्रोल पंप) तक वितरण हेतु कई बाजारों (कोयला, गैस, तेल, नवीकरणीय, विद्युत, पेट्रोल एवं डीजल) और अवसंरचना आवश्यकताओं के साथ, **ऊर्जा क्षेत्र** अर्थव्यवस्था के सबसे जटिल क्षेत्रों में से एक है।
- कई उप-क्षेत्रों में स्केल इकोनॉमी की उपस्थिति, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की अंतर्संबंधित प्रकृति, अलग-अलग ईंधनों के भिन्न-भिन्न पर्यावरणीय प्रभाव और सस्ते मूल्यों पर ऊर्जा तक पहुंच के सामाजिक उद्देश्य के कारण इस क्षेत्र के अंतर्गत **नीति निर्माण की जटिलता में काफी वृद्धि** हुई है।
- एक **व्यापक ऊर्जा नीति की अनुपस्थिति** है।

एक नई ऊर्जा नीति की आवश्यकता क्यों है?

- सरकार की हालिया घोषणाओं को पूर्ण करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु:

VISION IAS

- ○ 2018 तक सभी जनगणना गांवों का विद्युतीकरण और 2022 तक 24x7 विद्युत के साथ सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। अभी तक 304 मिलियन भारतीयों की विद्युत तक पहुँच सुनिश्चित नहीं हो पाई है।
  - ○ हमारे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण का भाग 16% से बढ़कर वर्तमान में 25% हो गया है।
  - ○ 2022 तक पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल आयात को 10% (2014-15 के स्तर पर) तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - ○ INDC लक्ष्यों को प्राप्त करना।
- विशाल जनसंख्या की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। अनुमान है कि यह जनसंख्या 2040 तक 1.6 बिलियन तक पहुँच जाएगी।
  - ○ 500 मिलियन लोग अभी भी खाना पकाने के ईंधन हेतु सॉलिड बायोमास पर निर्भर हैं।
  - ○ नीति आयोग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 2012 से लेकर 2040 के मध्य भारत में ऊर्जा की मांग में 2.7-3.2 गुना तक वृद्धि होने की संभावना है और इस प्रकार आयात मांग 2012 के 31% से बढ़कर 2040 में 36-55% हो सकती है।
- ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समन्वय में वृद्धि करना क्योंकि ऊर्जा को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपने क्षेत्र विशेष एजेंडा के साथ संचालित किया जाता है।
- वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न लागत में कटौती करना- इसके GDP के 3% होने का अनुमान है और इसके कारण प्रतिवर्ष 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है।
- ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास के अनुरूप नए एजेंडे को निर्धारित करने के लिए, जैसेकि:
  - ○ **वैश्विक ऊर्जा संघटन में परिवर्तन करना** जहां 2005-2015 के दौरान जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 88% से घटकर 86% रह गई है और नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 12.5% से बढ़कर 14% हो गई है।
  - ○ प्राकृतिक गैस के बढ़ते उत्पादन के कारण **तेल के स्थान पर गैस की हिस्सेदारी में वृद्धि** हुई है क्योंकि यह तेल की तुलना में सस्ती है और एक-तिहाई कम कार्बन उत्सर्जन करती है ।
  - ○ **बाजारों में तेल व गैस की अधिक आपूर्ति के कारण कीमतों में गिरावट आई है,** जिसने भारत जैसे देशों के लिए राजकोषीय स्पेस (fiscal space) प्रदान किया है ताकि ऊर्जा नीति में बड़े सुधारों के लिए प्रयास किया जा सके।
  - ○ **नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के मूल्यों में गिरावट-** 2010 और 2015 के मध्य पवन तथा सौर ऊर्जा के मूल्यों में क्रमश: 60% एवं 52% की गिरावट आई है।
  - ○ **जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताएँ-** ऊर्जा उपयोग तथा निम्नस्तरीय पर्यावरणीय परिणामों के मध्य संबंधों की समझ और वायु गुणवत्ता मानकों के विषय में जागरूकता में वृद्धि हुई है।

इस पृष्ठभूमि में नीति आयोग ने विगत वर्ष ड्राफ्ट ऊर्जा नीति को प्रस्तुत किया।

ऊर्जा नीति के मुख्य उद्देश्य:
- गरीबी तथा वंचना को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध करवाना।
- आयात के स्रोतों की विविधता में वृद्धि करके या आयात कम करके अथवा घरेलू उत्पादन में वृद्धि करके ऊर्जा स्वतंत्रता एवं ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करना।
- जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के कारण अधिकाधिक संधारणीयता।
- ऊर्जा-गहन क्षेत्रों के अनुकूल आर्थिक विकास।

ऊर्जा नीति मसौदे के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

वहनीयता को सुनिश्चित करना

- ऊर्जा उपयोग में 50% तक कटौती करने हेतु सभी नए वाणिज्यिक निर्माण के लिए **ऊर्जा संरक्षण भवन कोड** को अपनाना।
- **ऊर्जा दक्षता के माध्यम से जीवाश्म ईंधन की खपत में कटौती करना-**
  - ○ राजकोष पर दबाव कम करने के साथ-साथ प्रदूषण में कटौती करने हेतु परिवहन क्षेत्र में रेल आधारित जन परिवहन प्रणाली और विद्युत एवं हाइब्रिड वाहनों की ओर स्थानांतरित होना।
  - ○ 2020 तक सभी प्रमुख अनुप्रयोगों, उपकरणों तथा वाहनों को अनिवार्य मानकों और लेबलिंग कार्यक्रमों द्वारा कवर किया जाना चाहिए।
  - ○ नीति आयोग द्वारा राज्यों के लिए एक सूचकांक की स्थापना की जानी चाहिए ताकि उन्हें ऊर्जा दक्षता से संबंधित मानकों की एक श्रेणी के अंतर्गत रेटिंग दी जा सके। यह उन्हें राज्य नोडल एजेंसियों (SNA) का गठन करने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए प्रेरित करेगा ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। हाल ही में, नीति आयोग द्वारा **राज्य ऊर्जा दक्षता तत्परता सूचकांक** (States'

Energy Efficiency Preparedness Index: **SEEPI)** प्रस्तुत किया गया, जिसमें आन्ध्र प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
  - वर्ष 2020 तक असंगठित क्षेत्र को मिलाकर कुल औद्योगिक खपत का 80% कवर करने के लिए PAT (परफॉर्म, अचीव और ट्रेड) कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा।
- **नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना-** यह कोयला, अन्य ईंधन तथा विद्युत के मूल्यों को बाजार के सिद्धांतों पर जोड़ने पर बल देता है ताकि इन संसाधनों के अपर्याप्त उपयोग को रोका जा सके और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों हेतु एक समान अवसरों का निर्माण किया जा सके।
- **विद्युत पर सब्सिडी हटाना-** इसका अंतिम लक्ष्य उद्योगों से क्रॉस-सब्सिडी को समाप्त कर, उसके भार को प्रत्यक्ष रूप से बजट पर डालना है। यह विद्युत-केंद्रित व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में योगदान देगा।
- **वायु गुणवत्ता में सुधार करना:** विद्युत संयंत्रों का भौगोलिक घनत्व ऐसा होना चाहिए कि वे मानव निवासस्थलों में वायु की गुणवत्ता को क्षति न पहुंचाएं और इन संयंत्रों के लिए जल की आपूर्ति को इसके दुर्लभता मूल्य (scarcity value) के अनुसार मूल्यित किया जाना चाहिए।

स्वावलंबन एवं सुरक्षा हेतु

- तीव्र विनियमन और समन्वय में वृद्धि करने हेतु कोयला, विद्युत एवं पेट्रोलियम के लिए वैधानिक नियामक प्राधिकरण (**statutory regulatory authority:** SRA) की स्थापना करना। यह उद्योग से तीव्र अनुक्रिया सुनिश्चित करेगा, जिससे आपूर्ति सुरक्षा में वृद्धि होगी।
- आयातित आपूर्ति के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में **ऊर्जा अवसंरचना का विस्तार** और रणनीतिक भंडार में वृद्धि।

वहनीयता हेतु

- **कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का कॉर्पोरेटाइज़ेशन:** कोयला इंडिया लिमिटेड की 7 सहायक कंपनियों को स्वतंत्र कंपनियों में परिवर्तित करके और उन्हें बेहतर उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की स्वीकृति प्रदान करके CIL का कॉर्पोरेटाइज़ेशन किया जाएगा। वर्तमान एकाधिकार लागतों को कम करने के प्रयासों को हतोत्साहित करता है।
- मूल्य वृद्धि की स्थिति में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से ग्राहकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना (इसकी चर्चा आगे की गई है)।

सामान्य रूप से और ऊर्जा गहन क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए

- **ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना**
  - ऊर्जा अवसंरचना परियोजनाओं में जोखिम को कम करने हेतु निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए कल्पनाशील उपकरणों जैसे- विस्तारित ऋण कार्यकाल, VGF (वायबिलिटी गैप फंडिंग), टोलिंग (tolling), डॉलर डिनॉमिनेटेड रिटर्न को अपनाने हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए।
  - ECBs के लिए उपयुक्त प्रतिरक्षा प्रणाली पर विचार करना।
  - स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, बैटरी भंडारण इत्यादि जैसे उभरते क्षेत्रों का अनुसरण करना।

उपभोक्ताओं से संबंधित कुछ प्रावधान

- ग्राहकों हेतु नवोन्मेषी बिलिंग एवं मीटरिंग व्यवहारों को प्रस्तुत करना ताकि वे क्रमबद्ध तरीके से भुगतान करने में सक्षम हो सकें।

आगे ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से चर्चा की गई है।

12.1. ऊर्जा तक पहुंच और उसका उपभोग

(Energy Access and Consumption)

परिभाषा: IEA द्वारा ऊर्जा पहुंच को इस प्रकार परिभाषित किया गया है "किसी परिवार की खाना पकाने की स्वच्छ सुविधाओं (clean cooking facilities) और विद्युत दोनों तक विश्वसनीय और वहनीय पहुंच, जो प्रारंभ में ऊर्जा सेवाओं की एक मूलभूत मात्रा की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त होती है, और तत्पश्चात क्षेत्रीय औसत तक पहुंचने के लिए समय के साथ बढ़ा हुआ विद्युत् स्तर उपलब्ध कराती है"।

बेहतर ऊर्जा पहुंच के लाभ

- **सतत विकास लक्ष्य:** मानव विकास को आगे बढ़ाने, समाज में निर्धनतम और सबसे कमजोर वर्गों के सामाजिक समावेश को प्रोत्साहन देने और कई SDGs को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा सेवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है।
- **जीवन स्तर में सुधार:** सभी की ऊर्जा तक पहुंच से, वंचित व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनकी आर्थिक संभावनाओं में वृद्धि होगी।

VISION IAS

- **खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन:** सभी को खाना पकाने हेतु स्वच्छ ईंधन की सुविधा प्रदान करने से 2030 तक प्रति वर्ष 2.8 मिलियन व्यक्तियों (वर्तमान में) की असामयिक मृत्यु को 1.8 मिलियन तक कम कर दिया जाएगा। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि वे अधिक उत्पादक गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं और नए ज्ञान और कौशल को प्राप्त कर सकती हैं।

ऊर्जा पहुंच बढ़ाने के समक्ष चुनौतियां

- **वित्त:** सभी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए 2030 तक 786 बिलियन डॉलर के संचयी निवेश की आवश्यकता होगी, जो इस अवधि के दौरान कुल ऊर्जा क्षेत्र के निवेश का 3.4% होगा। परंतु यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर NPA के दबाव में वृद्धि के साथ कठिन प्रतीत होता है।
- **निम्नस्तरीय ग्रिड कनेक्टिविटी:** ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती भूमिका के कारण अंतिम व्यक्ति तक कनेक्टिविटी के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी अवसंरचना का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है।
- **विद्युत पहुंच की गुणवत्ता:** विद्युत् पहुंच वहनीयता और विश्वसनीयता से संबंधित है जबकि भारत के कुछ राज्य प्रति दिन परिवारों को दस घंटे से भी कम समय के लिए विद्युत् प्रदान करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं।
- **ऊर्जा पहुंच के संदर्भ में ग्रामीण-शहरी अंतराल**: भारत में केवल 71% घरों में ग्रामीण-शहरी अंतराल के साथ विद्युत् पहुंच है। **(इन्फोग्राफिक देखें)**

आगे की राह

- **नीतिगत उपाय:** उन नीतियों का कार्यान्वयन करना जो समाधान और व्यावसायिक मॉडल की एक विस्तृत श्रृंखला और नए विचारकों के अभिनव विचारों को प्रोत्साहित करती हैं।
- ऑफ-ग्रिड निवेश व मिनी-ग्रिड के लिए उपयुक्त स्थितियाँ सृजित कर तथा बाद में इन विकेन्द्रीकृत समाधानों को मुख्य ग्रिड से जोड़ने का प्रावधान कर ग्रामीण क्षेत्रों की **विद्युत् पहुंच को बेहतर बनाना।**

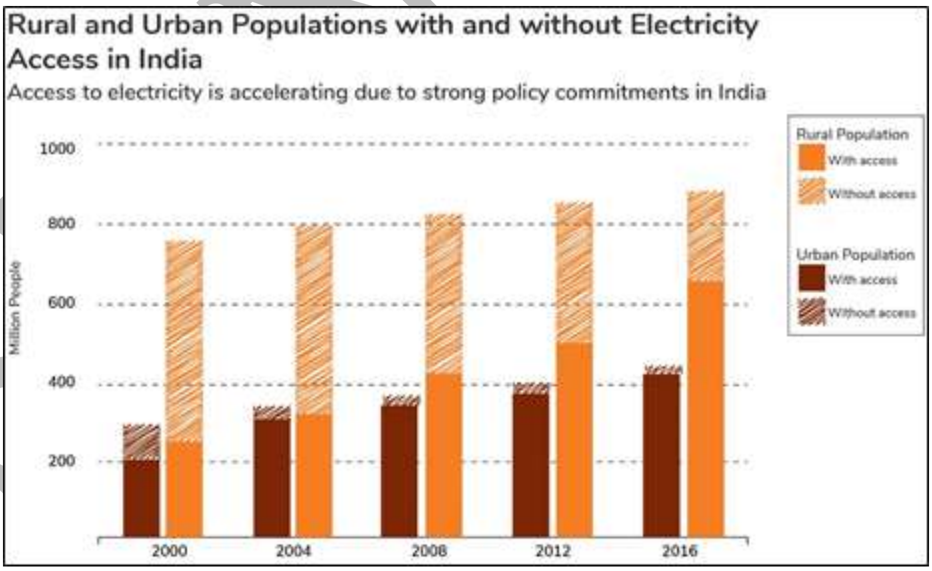

- **नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करना:** नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और पर्याप्त ऊर्जा दक्षता उपायों के लिए कम होती लागत, राष्ट्रों की स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच का विस्तार करने के संदर्भ में रचनात्मक उपायों का अवसर प्रदान करती है।
- **हाइब्रिड सिस्टम:** सार्वभौमिक विद्युत पहुँच की प्राप्ति के लिए बैटरी या डीजल जनरेटर के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना।
- **निजी निवेश को प्रोत्साहित करना:** स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना और बेहतर ऊर्जा दक्षता में निवेश की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सार्वजनिक वित्त के साथ निजी निवेश को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- विद्युत पहुंच कार्यक्रमों के परिवर्तनकारी होने के लिए कृषि, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों में **विद्युत के उपयोगों का लाभ प्रदान करने वाला होना** आवश्यक है।
- ऊर्जा निवेश लागत को कम करने और विद्युत पहुंच कार्यक्रमों (उजाला कार्यक्रम) की क्षमता बढ़ाने के लिए **ऊर्जा दक्ष युक्तियों** को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

ऊर्जा पहुंच में सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY):** DDUGJY विद्युत् मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह फीडर पृथक्करण (ग्रामीण परिवारों और कृषि) पर केंद्रित है और इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्तरों पर मीटरिंग सहित उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करना है।
- राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय और परिचालन क्षमता में सुधार करने हेतु **उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना)।**

VISION IAS

- **प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना):** दिसंबर 2018 तक सभी परिवारों को विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में अंतिम-बिंदु (लास्ट माइल) तक विद्युत् कनेक्शन की सहायता से पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। (इसकी चर्चा आगे की गई है)
- **उजाला (उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी बल्ब फॉर ऑल) योजना**: इसके तहत सब्सिडी वाले एलईडी बल्ब लोगों को वितरित किए गए हैं। यह ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-** BPL परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करने की योजना।
- **राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (NBMMP):** इसके तहत मुख्य रूप से देश के ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी परिवारों के लिए पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाते हैं।
- भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई **राष्ट्रीय बायोमास कुक स्टोव पहल (NBCI)** का उद्देश्य बेहतर बायोमास कुक स्टोव के उपयोग को बढ़ाना है।
- **एकीकृत विद्युत वितरण योजना(Integrated Power Distribution Scheme): उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों को सुदृढ़ बनाने के माध्यम से शहरी विद्युत** आपूर्ति में सुधार हेतु; इसका शुभारंभ 2014 में किया गया।

12.1.1. अन्य संबंधित मुद्दे और विकास

(Other related Issues and developments)

12.1.1.1. विद्युत क्षेत्र में खुली पहुंच

(Open Access in Electricity)

- 'खुली पहुँच' एक ऐसा तंत्र है जिसमें उत्पादक उच्चतम बोली लगाने वाले को विद्युत् का विक्रय करते हैं और उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को सर्वाधिक किफ़ायती विक्रेता के माध्यम से पूरा करते हैं।
- विद्युत अधिनियम, 2003 निजी उत्पादकों और थोक उपभोक्ताओं (जो 1 मेगावाट और इससे अधिक विद्युत उपभोग करते हैं) को खुली पहुंच प्रदान करने का प्रावधान करता है।
- उपभोक्ताओं को पारेषण और वितरण (T&D) नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होती है ताकि वे स्थानीय वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) से पृथक अन्य आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से विद्युत् प्राप्त कर सकें।
- हाल ही में, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने खुली पहुंच से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण** द्वारा स्थापित एक समिति द्वारा तैयार एक परामर्श पत्र जारी किया है।

खुली पहुंच के लाभ

- **प्रतिस्पर्धी बाजार** - खुली पहुंच विद्युत् क्षेत्र में निजी कंपनियों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा प्रदान करती है जिसके परिणामस्वरूप बाजार में गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है।
- **विकल्पों में वृद्धि-** मौजूदा डिस्कॉम्स के साथ-साथ आपूर्तिकर्ताओं की बहुलता के कारण उपभोक्ताओं के लिए सस्ते विकल्प उपलब्ध होते हैं। खुले बाजार से विद्युत् खरीद से बड़े उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है **क्योंकि इससे उन्हें क्रॉस सब्सिडाइजेशन के बोझ से राहत मिली** है।

क्रॉस सब्सिडाइजेशन- यह उपभोक्ताओं के एक निश्चित समूह पर कम कीमत आरोपित करने हेतु (अर्थात् उनके लिए कीमतों को सब्सिडीकृत करने के लिए) उपभोक्ताओं के एक अन्य समूह पर उच्च कीमतों को आरोपित करने के अभ्यास को संदर्भित करता है।
छोटे और आवासीय उपभोक्ताओं के लिए विद्युत् को सब्सिडीकृत करने के लिए वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोगकर्ताओं पर उच्च कीमतें आरोपित करना विद्युत् क्षेत्रक में प्रचलन में है।

- **सतत विद्युत् आपूर्ति** - चूंकि डिस्कॉम्स द्वारा सतत विद्युत् आपूर्ति नहीं हो पाती है अतः बड़े उपभोक्ताओं के लिए यह सतत विद्युत् आपूर्ति की विश्वसनीयता प्रदान करती है। यह वैसे उद्योगों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है जिनके संचालन हेतु निरंतर विद्युत की आवश्यकता होती है।

VISION IAS

खुली पहुंच से संबंधित मुद्दे

- **खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं का बार-बार शिफ्टिंग करते रहना:** खुली पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा डिस्कॉम और विद्युत् के अन्य स्रोतों से विद्युत प्राप्त करने के बीच प्रदाता बदलते रहने की उच्च आवृत्ति के कारण डिस्कॉम विद्युत् खरीद को कुशलता से प्रबंधित करने में अक्षम हैं।
- राज्य विद्युत् विनियामक आयोग (SERC) द्वारा परिकलित **क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज** और खुली पहुंच उपभोक्ताओं से होने वाली उसकी वसूली, खुली पहुंच मार्ग के माध्यम से विद्युत् खरीदने वाले उपभोक्ताओं के कारण होने वाली क्रॉस सब्सिडी की संपूर्ण क्षति की पूर्ति के लिए अपर्याप्त होती है।
- **अतिरिक्त अधिभार:** डिस्कॉम्स द्वारा खरीद की गई अधिकांश विद्युत् की प्रकृति दीर्घावधिक है। फंसे हुए विद्युत् खरीद समझौतों (PPA) और खुली पहुंच के माध्यम से विद्युत् खरीदने वाले उपभोक्ताओं के कारण फंसी हुई परिसंपत्तियों के कारण फंसी हुई लागत को वसूल करने के लिए अतिरिक्त अधिभार की गणना अधिकतर मामलों में उचित रूप में नहीं की गई है। इससे डिस्कॉम्स द्वारा किए गए विद्युत् खरीद व्यय की वसूली कम हुई है।
- **लोड परिवर्तनशीलता-** लोड में परिवर्तन की दशा में डिस्कॉम्स के द्वारा उद्योगों के लिए आपूर्ति बढ़ा दी जाती है। यह न केवल लोड प्रबंधन को कठिन बनाता है बल्कि उसके पश्चात् लोड की कमी के मामले में भी डिस्कॉम्स क्षमता शुल्क का भुगतान जारी रखती हैं (जिसमें खुली पहुंच उपभोक्ताओं के लिए आकस्मिक व्यवस्था करने के लिए दिए जाने वाला स्टैंडबाई शुल्क शामिल है) जो कि उनके वित्तीय बोझ में वृद्धि करता है।
- **अपर्याप्त पारेषण क्षमता-** देश में निम्न पारेषण नेटवर्क, खुली पहुंच के माध्यम से विद्युत् खरीद को कठिन बनाता है।

आगे की राह

- बार-बार शिफ्टिंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक किया जाना चाहिए कि खुली पहुंच वाले ग्राहक, खुली पहुंच के माध्यम से विद्युत् प्राप्त करते समय कम से कम 24 घंटे तक एक ही प्रदाता से विद्युत् प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
- हालांकि, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ताओं के मध्य स्विचिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
- क्रॉस सब्सिडाइजेशन के उच्च स्तर का समाधान करने की आवश्यकता है और नुकसान वाले डिस्कॉम्स की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार को विद्युत् टैरिफ को तर्कसंगत बनाना होगा।
- अंतःराज्य के साथ-साथ अंतर्राज्यीय स्तर पर खुली पहुँच को बेहतर बनाने के क्रम में पारेषण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

12.2. कोयला क्षेत्र

(Coal Sector)

भारत के ऊर्जा क्षेत्र की वास्तविकता यह है कि स्थापित कुल क्षमता का लगभग तीन-चौथाई भाग कोयला संचालित संयंत्रों से संबंधित है और आगामी दशकों में इस परिदृश्य में अत्यधिक परिवर्तन की सम्भावना नहीं है। इस प्रकार, भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि करना और आयात पर अपनी निर्भरता को कम किया जाना महत्वपूर्ण है। कोयले के उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है -

- संस्थागत स्तर पर, देश में कोयले से संबंधित सभी भूगर्भीय सूचनाओं के संग्रह को विकसित करने और उसे बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा कच्चे कोयले और परिशोधित कोयले (washed coal) की कीमत निर्धारण के लिए सिद्धांतों और पद्धतियों के निरूपण के अतिरिक्त कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कोयला विनियामक स्थापित करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- कोयला खनन क्षेत्र को वाणिज्यिक खनन के लिए खोलने हेतु बाजार तंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। (इस संदर्भ में आगे चर्चा की गई है)।
- कोयला वितरण में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका का लाभ उठाया जाना चाहिए। 2014 में रेलवे की सीमित क्षमता के कारण 50 मिलियन टन कोयला समय पर वितरित नहीं किया जा सका था। उदाहरण के लिए, कोयला निकासी में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु तीन महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों नामतः टोरी-शिवपुर, झारसुगुडा-बरपल्ली और मंड-रायगढ़ को पूर्ण करने की आवश्यकता है।
- सरकार को और अधिक कोल-हैंडलिंग एंड प्रिपरेशन प्लांट (CHPP) स्थापित करने चाहिए जिससे शिपिंग से पहले कोयले को परिशोधित किया जा सके। यह प्रक्रिया राख और मलबे को हटा देती है, जिससे प्रति टन 10-20% तक ऊर्जा सामग्री में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, कोल गैसीफिकेशन सहित स्वच्छ-कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- अंततः, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जारी नीलामी प्रक्रिया और खनन पट्टे के हस्तांतरण और नए सफल बोली लगाने वालों की कैप्टिव माइंस से संबंधित अन्य गतिविधियों को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। 2020 तक कैप्टिव ब्लॉक से उत्पादन 400 मीट्रिक टन लक्षित किया गया है; इसके लिए वार्षिक लक्ष्य तैयार किए जाने चाहिए और जहां आवश्यक हो, उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोयला खदानों को पुनः आवंटित किया जाना चाहिए।

12.2.1. कोयले का व्यावसायिक खनन

(Commercial Mining in Coal)

- 1970 के दशक में इस क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद से, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और इसके सहयोगियों का कोयले के खनन और बिक्री पर एकाधिकार है। यह देश में 80 प्रतिशत से अधिक कोयले की आपूर्ति करता है।
- शेष आपूर्ति एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और निजी उद्यमियों को आवंटित की गई कुछ कैप्टिव (आवंटित) कोयला खानों से होती है। इस कोयले का अंतिम रूप से उपयोग विशेषकर इस्पात व विद्युत जैसे उद्योगों में किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में विभिन्न राज्यों और निजी कंपनियों को आवंटित 204 कोयला ब्लॉकों को रद्द कर दिया था।
- इसके पश्चात्, नीलामी और आबंटन द्वारा कोयला ब्लॉक के प्रशासनिक आबंटन को प्रतिस्थापित करने के लिए कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 को अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम ने निजी संस्थाओं के लिए सैद्धांतिक रूप में वाणिज्यिक कोयला खनन क्षेत्र को खोल दिया।
- 2016 में, राज्य-नियंत्रित खनन निगमों को वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक प्रदान किए गए।
- हाल ही में, सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की भारतीय और विदेशी कंपनियों को कोयले का वाणिज्यिक खनन आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
- अब सरकार ने सभी निजी इकाइयों को अंतिम-उपयोग या मूल्य प्रतिबंधों के बिना, वाणिज्यिक खनन में प्रवेश की अनुमति दे दी है।
- इसके अतिरिक्त नीलामी का मानदंड भी प्रति टन के लिए रूपए में दिया गया मूल्य प्रस्ताव होगा, जो कोयले के वास्तविक उत्पादन पर राज्य सरकार को दिया जाएगा।

वर्तमान व्यवस्था की समस्याएँ

- CIL नए बिजली संयंत्रों की मांगों के साथ तालमेल रखने में असमर्थ है और सरकार के लक्ष्यों को पूर्ण करने में भी निरंतर विफल रहा है। इस प्रकार, हाल ही के वर्षों में, प्रचुर कोयला संपन्न क्षेत्रों और उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- जो कंपनियां स्वयं के उपयोग के लिए बिजली का उत्पादन करती हैं, उन्हें CIL के साथ अनुबंधित मात्रा की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण, महँगा आयातित कोयला खरीदना पड़ता है।
- एकाधिकार ने देश में उत्पादित कोयले की गुणवत्ता पर भी प्रभाव डाला है। भारतीय कोयले में औसत राख की मात्रा लगभग 45 प्रतिशत है। यह कुशल विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करने वाले 25-30 प्रतिशत से काफ़ी ज्यादा है।

भारत में कोयला भंडार

- कोयले के भंडार मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य-प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित हैं।
- भारतीय कोयला भंडार मुख्य रूप से लिग्नाइट और बिटुमिनस प्रकार के हैं (अन्य दो प्रकार पीट और एन्थ्रेसाइट हैं)।
- भारतीय कोयले के साथ निम्नलिखित समस्याएँ हैं-
    - निम्न ऊष्मीय मान
    - राख की उच्च मात्रा
    - भारत में कम कुशल कोयला खदानें

वाणिज्यिक खनन की अनुमति के अपेक्षित लाभ

- **उत्पादन में वृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा**: यह देश के 2022 तक वार्षिक 1.5 अरब टन कोयले का उत्पादन करने के विज़न को कुछ हद तक साकार करने में सहायक होगा।
- **आयातों में कमी**: इसके फलस्वरूप आयात व्यय में 30,000 करोड़ रूपए तक की बचत होने का अनुमान है। वर्तमान में भारत में घरेलू मांग का लगभग 22 प्रतिशत आयात द्वारा पूरा किया जाता है, जबकि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। सस्ती घरेलू आपूर्ति आयात की कीमतों को भी नियंत्रण में रखेगी।

- **विद्युत क्षेत्र को लाभ: देश के विद्युत उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा** कोयला द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार, यह **बेहतर ईंधन प्रबंधन** के माध्यम से दबावग्रस्त ऊर्जा संयंत्रों का कायापलट करने के प्रयास में सहायता करेगा।
- **बेहतर दक्षता**: इसके फलस्वरूप कोयला सेक्टर **एकाधिकार वाले क्षेत्रक से प्रतिस्पर्धा** वाले क्षेत्रक में परिवर्तित हो जायगा। इससे निजी और विदेशी कम्पनियों से **निवेश** इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। इस विदेशी निवेश के साथ इसमें **सर्वोत्तम तकनीक** का भी प्रवेश होगा।
- **कोयला धारक राज्यों का विकास**: यह विशेष रूप से देश के पूर्वी भाग के विकास में सहायक होगा, क्योंकि इन नीलामियों से प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व पूर्वी राज्यों को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, राजस्व में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि कोयला ब्लॉक सर्वाधिक बोली लगाने वाले को आवंटित किये जाएंगे।
- **उद्योग समेकन**: वाणिज्यिक खनन की अनुमति मिलने के फलस्वरूप उर्ध्वाधर रूप से एकीकृत बड़ी ऊर्जा कंपनियों में वृद्धि हो सकती है जिनके हित कोयला खनन, विद्युत उत्पादन, खुदरा आपूर्ति के वितरण और पारेषण (ट्रांसपोर्टेशन) से सम्बंधित होंगे।
- **लोगों के लिए लाभ**: इससे कोयला आधारित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का निर्माण होगा और साथ ही कम लागत वाली बिजली, इस्पात आदि तक पहुँच में भी वृद्धि होगी।
- **विदेशी निवेश को आकर्षित करना**: यह उन देशों की विदेशी कंपनियों को एक बड़ा अवसर प्रदान करता है जहां कोयला खनन या तो घट रहा है या पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है।

कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए हाल ही में किये गये प्रयास

- विद्युत क्षेत्र के लिए पारदर्शी कोयला आवंटन नीति, **SHAKTI**, मई 2017 में जारी की गई।
- कोयला उपभोक्ताओं के लिए ग्रेड स्लिपेज (गुणवत्ता में गिरावट) के मामलों और अन्य गुणवत्ता सम्बन्धी मुद्दों को संबोधित करने के लिए **थर्ड पार्टी सैंपलिंग प्रक्रिया** को लागू किया गया।
- कोल इंडिया लिमिटेड की **सभी 366 सक्रिय खानों के इंटर-कंपनी सेफ्टी ऑडिट को पूरा किया गया।**
- नवंबर 2017 में, सड़क मार्ग के माध्यम से कोयले का परिवहन करने वाले उपभोक्ताओं के लाभ के लिए **"ग्राहक सड़क कोयला वितरण ऐप"** का आरम्भ किया गया। पारदर्शिता की दिशा में एक कदम के रूप में, यह ऐप बिक्री के आदेशों के अनुरूप तिथि-वार, ट्रक-वार मात्रा में कोयला वितरण सुलभ करता है।

मुद्दे

- **नियामकीय मुद्दे**: भारत के कोयला संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन भूमियों के अंतर्गत आता है जिन्हें वन और पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरियों की आवश्यकता है। इस प्रकार, सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निजी कोयला खननकर्ता इन नियमों का पालन करें।
- **निजी क्षेत्र के कैप्टिव खननकर्ताओं का खराब ट्रैक रिकॉर्ड**: उत्पादन स्तर अधिक उत्साहजनक नहीं रहा है क्योंकि यह समग्र घरेलू उत्पादन का केवल 6-10 प्रतिशत हिस्सा ही है।
- **मुट्ठी भर कंपनियों द्वारा वर्चस्व का खतरा**: चूँकि कोयला क्षेत्रक एक पूंजी प्रधान निवेश है और उद्योग के अनुमानों के अनुसार 40 से 50 मिलियन टन के ब्लॉक ही उपलब्ध होंगे। ऐसे में केवल बड़ी कम्पनियाँ ही निवेश करने में सक्षम हो सकेंगी।
- **वैश्विक रुझानों के विरुद्ध:** आने वाले समय में कोयले के उपयोग में कटौती करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और सिविल सोसायटी की ओर से भी दबाव निरंतर जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला विजन 2030 का मसौदा जारी किया जिसमें सुझाव दिया गया है कि देश को नई खानों की आवश्यकता नहीं है।
- **स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस**: भारत सहित प्रत्येक देश नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा हैं। यदि अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई सफलता मिलती है, तो तापीय ऊर्जा पीछे पीछे छूट जाएगी ।
- **अन्य मुद्दे**: खनन कार्यों के विरुद्ध स्थानीय विरोध, परिवहन संयोजन और प्रचालन-तंत्र के मुद्दे, भूमि अधिग्रहण में चुनौतियाँ, अनुमोदन में देरी आदि।

आगे की राह

- **राज्य सरकारों का क्षमता निर्माण**: राज्य सरकारों को ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार एवं नियामक मंजूरियों की प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए अग्रसक्रिय भूमिका निभानी होगी।

VISION IAS

- **कोयला-नीलामी के उद्देश्य को बदलना**: इसका लक्ष्य भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था में राजस्व को अधिकतम करने के स्थान पर दक्षता में सुधार होना चाहिए। इस प्रकार, बेहतर तकनीक, प्रमाणित खनन अनुभव व कोर कॉम्पिटेंस (विविध संसाधनों एवं कौशलों के समन्वित संयोजन से युक्त कंपनी) वाली निजी और विदेशी कंपनियों को चुना जाना चाहिए।
- **मंजूरी के दबावों में कमी करना**: अल्ट्रा-मेगा विद्युत परियोजनाओं के मॉडल का अनुसरण किया जा सकता है। इसमें परियोजना को निजी क्षेत्र को सौंपने से पूर्व, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक शेल कंपनी का निर्माण किया जाता है।
- **बेहतर विनियमन**: परिचालन दक्षता और खननकर्ताओं की सुरक्षा के लिए मानकों को निर्धारित करके, परीक्षण के लिए दिशा-निर्देशों को निर्धारित करके तथा सैंपलिंग व कोयले की गुणवत्ता को प्रमाणित करके बेहतर विनियमन किया जा सकता है। इस प्रकार, एक स्वतंत्र कोयला नियामक की स्थापना की जा सकती है, जैसा कि व्यपगत हो चुके **कोयला नियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013** में उल्लिखित है।

12.3 भारत में तेल और गैस

(Oil and Gas in India)

भारत में तेल और गैस परिदृश्य (Oil & Gas scenario in India)

- भारत में विश्व के तेल और गैस संसाधनों का 0.5% और विश्व की जनसंख्या का 15% भाग विद्यमान है। यह भारत को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर अत्यधिक निर्भर बनाता है।
- **भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है:** 1.5 प्रतिशत की वैश्विक वृद्धि के विपरीत, 2016 में भारत का तेल उपभोग 8.3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़कर 212.7 मिलियन टन हो गया है।
- जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के बाद **भारत चौथा सबसे बड़ा द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (लिक्विफाइड नेचुरल गैस: LNG) आयातक देश है** और यह कुल वैश्विक व्यापार का 5.8 प्रतिशत आयात करता है।
- प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए सरकार का उद्देश्य 2020 तक **देश के सम्मिलित ऊर्जा उपभोग** में गैस का भाग वर्तमान 6.5% की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ाना है।
- **मसौदा राष्ट्रीय ऊर्जा नीति** का लक्ष्य 2022 तक तेल आयात को 10% (2014-15 के स्तर) तक कम करना है।
- **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के अनुसार**, 2040 तक भारत की तेल मांग 3.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर (compound annual growth rate: CAGR) से 458 मिलियन टन आयल इक्यूवलेंट (MTOE) तक बढ़ने की अपेक्षा है, जबकि 2040 तक ऊर्जा मांग दोगुनी से अधिक हो जाएगी क्योंकि अर्थव्यवस्था अपने वर्तमान आकार की पांच गुने से अधिक हो जाएगी।
- तेल मंत्रालय की डाटा और नीति विश्लेषण विंग **पेट्रोलियम प्लैनिंग एनालिसिस सेल (Petroleum Planning Analysis Cell: PPAC) के अनुसार**, भारत का कच्चे तेल का आयात बिल 2016-17 के 70 बिलियन डॉलर से 23% बढ़कर वर्तमान वित्त वर्ष 2017-18 में 86 बिलियन डॉलर हो जाएगा।

तेल और गैस आपूर्ति श्रृंखला:

- **अपस्ट्रीम सेक्टर:** ये तेल और प्राकृतिक गैस निक्षेप की पहचान करते हैं और भूमि से इन संसाधनों के निष्कर्षण में संलग्न होते हैं। उदाहरण: ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड।
- **मिडस्ट्रीम सेक्टर:** इस क्षेत्र में ब्लॉक से रिफाइनरियों और रिफाइनरियों से वितरण केंद्रों तक तेल और गैस का परिवहन शामिल होता है। इसमें भंडारण अवसंरचना भी शामिल है।
- **डाउनस्ट्रीम सेक्टर:** इनमें रिफाइनरीज़ और मार्केटिंग शामिल है। उदाहरण के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड - यह बिक्री के मामले में भारत की सबसे बड़ी कंपनी और दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी (31% शेयर) है।

भारत में तेल उत्पादन क्षेत्र

- उत्तर-पूर्व भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी।
- राजस्थान का बाड़मेर क्षेत्र।
- तमिलनाडु में कावेरी तटवर्ती बेसिन।
- आंध्र प्रदेश में तटवर्ती और अपतटीय दोनों ही प्रकार के तेल भंडार।
- अरब सागर में बॉम्बे हाई।

VISION IAS

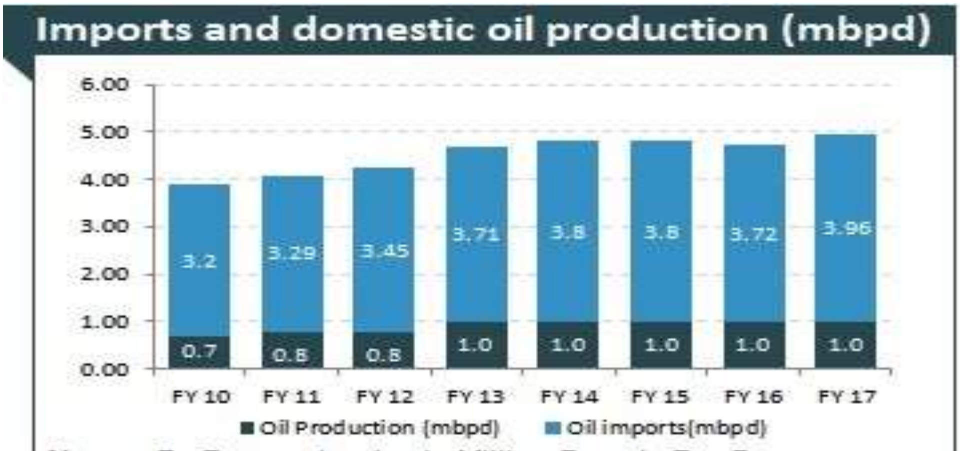

Notes: *F - Forecast, mbpd - Million Barrels Per Day*
Source: *Ministry of Oil and Natural Gas, BMI forecasts*

12.3.1. तेल और गैस अन्वेषण

(Oil and Gas Exploration)

हाल ही में, मंत्रिमंडल ने तेल और गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए ब्लॉकों के आवंटन का अनुमोदन करने का अपना अधिकार वित्त मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रत्यायोजित कर दिया है।

- इस अधिकार का प्रत्यायोजन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP) के अंतर्गत खुली रकबा लाइसेंस नीति (Open Acreage Licensing Policy: OALP) हेतु बोली लगाए जाने के चरण (राउंड्स) के सन्दर्भ में किया गया है।
- उपर्युक्त दोनों मंत्रालय, सचिवों के एक पैनल जिसे **सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति** कहा जाता है, की अनुशंसाओं के आधार पर ब्लॉकों के आवंटन का अनुमोदन करेंगे।

Policy category	Help	Pre-Help
TYPE OF HYDROCARBON	Covers all conventional and unconventional oil and gas	NELP covered only conventional oil and gas; Coal Bed Methane Policy covered coal bed methane
LICENSE	A single license for exploration and extraction of all types of oil and gas	Separate license required for conventional oil and gas, coal bed methane, shale oil and gas, and gas hydrates
REVENUE MODEL	Revenue-sharing model under which revenue will be shared with the government in the ratio submitted by bidders	Production-sharing model under which government received a share in the profits
COVERAGE	Open acreage policy under which exploration companies can apply to explore any block not under exploration	Exploration was restricted to blocks opened for bidding by the government
OIL AND GAS PRICING	Companies have the freedom to sell their production domestically without government intervention	Crude oil price was based on import parity; gas price was fixed by the government
ROYALTY	Concessional royalty for deep water (5 percent) and ultra-deep water (2 percent) areas, which are difficult to explore, and reductio of royalty in shallow waters (from 10 percent to 7.5 percent)	12.5 percent for the onshore areas and 10 percent for offshore areas; 10 percent for coal bed methane

इस पहल का महत्व

- **इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस-** यह ब्लॉक आवंटित करने के विषय पर **निर्णय लेने की प्रक्रिया को तीव्र करेगा** एवं ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नस की पहल को बढ़ावा देगा।
- **घरेलू उत्पादन में वृद्धि-** प्रक्रिया को सरल बनाकर देश को तेल और गैस में अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाने एवं 2022 तक **आयात पर निर्भरता** को 10% तक **कम करने के लक्ष्यों** को साकार करने में किया जा सकता है।
- **अधिकारी तंत्र से जुड़ी बाधाओं को समाप्त करना–** यह कार्यवाही अधिकारी तंत्र से जुड़ी बाधाओं को समाप्त कर ऊर्जा संसाधन का समय पर आबंटन करने की सुविधा प्रदान करेगा और परिणामस्वरूप **ऊर्जा आपूर्ति-मांग अंतराल** को कम करेगा।
- **रोजगार के अवसर–** ब्लॉक में एवं उसके निकट कोल बेड मीथेन (CBM) गैस भंडारों के अन्वेषण और दोहन के लिए बढ़ी हुई विकास गतिविधियाँ अंततः आर्थिक गतिविधियों को उत्पन्न करेंगी जिसके फलस्वरूप ऊर्जा संचालनों में और उद्योगों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP)

- इसके **उद्देश्य** हैं-
  - विनियामक प्रतिबंधों को कम करके भारत को **व्यापार एवं निवेशक अनुकूल** बनाना।

- 2022 तक **भारत के मौजूदा तेल उत्पादन को दोगुना करना।**
- **ऐसे क्षेत्रों की पहचान** करना जहां विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बंस का अन्वेषण संभव बनाया जा सके।

- **नीति की मुख्य विशेषताओं** में शामिल हैं: लाइसेंस प्रदान करने की एक समान कार्यप्रणाली, खुली रकबा नीति, आय की साझेदारी करने में सरलता, विपणन एवं मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता तथा उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए विपणन एवं मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता।

12.3.2. रणनीतिक तेल भंडार

(Strategic Oil Reserves)

- भारत में प्रतिदिन लगभग 3.8 मिलियन बैरल तेल एवं तेल उत्पादों की खपत की जाती है। इस मांग का लगभग 80% भाग आयात करना पड़ता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी** (IEA) का अनुमान है कि 2020 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा तेल आयातक देश होगा। इसके साथ ही आपूर्ति अवरोधों एवं मूल्य में बड़े उतार-चढ़ाव के जोखिम के प्रति भारत की सुभेद्यता में भी वृद्धि होगी।
- इसके अतिरिक्त, रणनीतिक तेल भंडार के वैश्विक मानकों की अनुशंसा यह है कि देश को स्ट्रेटेजिक-कम-बफर स्टॉक प्रयोजनों (आपात स्थिति) के लिए 90 दिन के तेल के आयात के बराबर एक भंडार बनाए रखना चाहिए। ये मानक IEA तथा भारत की **एकीकृत ऊर्जा नीति 2006** द्वारा निर्धारित किये गए हैं।
- हाल ही में, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सऊदी अरब तथा ओमान को भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
- अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) ने भारत के पहले रणनीतिक तेल रिजर्व में 6 मिलियन बैरल कच्चे तेल के भंडारण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

रणनीतिक तेल भंडारण के विषय में

- यह कच्चे तेल का भंडारण है जो किसी भी बाह्य आपूर्ति अवरोध या आपूर्ति-मांग असंतुलन के आघात के प्रति सुरक्षा प्रदान करेगा।
- कच्चे तेल के भंडारों का निर्माण **भूमिगत चट्टानी गुफाओं** में किया गया है तथा ये भारत के पूर्वी व पश्चिमी तट पर स्थित हैं। इन्हें पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है तथा इसमें, धरातल पर किए गए भंडारण में वाष्पीकरण के कारण होने वाली तेल की हानि की अपेक्षा कम हानि होती है।
- इन गुफाओं से भारतीय रिफाइनरियों को कच्चे तेल की आपूर्ति, पाइपलाइनों के माध्यम से या पाइपलाइनों तथा जहाजों के संयोजन के माध्यम से की जा सकती है।
- भंडारण सुविधाओं के निर्माण की देखरेख **इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड** (पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल) द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान में तेल के रणनीतिक भंडार विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), मैंगलोर (कर्नाटक) तथा पडूर (केरल) में स्थित हैं।
- साथ ही, तीन अतिरिक्त भंडार परियोजनाओं पर कार्य जारी है, जो चंदिखोल (उड़ीसा), बीकानेर (राजस्थान) एवं राजकोट (गुजरात) में स्थित होंगी।

निष्कर्ष

- सरकार को इस तरह की भंडारण सुविधाएं बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिका में सस्ती दर पर शेल गैस की उपलब्धता के चलते अमेरिका द्वारा किए जाने वाले आयात में कमी आयी है।आयात में इस कमी के कारण अब खाड़ी देशों का ध्यान भारत में तेल की मांग का दोहन करने पर है।
- इसके अतिरिक्त, ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ़ गल्फ कन्ट्रीज़ (Oil Corporation of Gulf Countries) ने भारत में स्टोरेज-रिफाइनिंग में रुचि दिखाई है, क्योंकि इससे वे दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी परिवहन लागत को कम कर सकते हैं।
- भविष्य में, सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आसानी से इस भंडारण सुविधा का उपयोग कर सकती है। कीमतें बढ़ने पर इन्वेंट्री जारी कर मुनाफा कमा सकती है तथा कीमतों के पुनः गिरने पर इन भंडारणों को दोबारा भरा जा सकता है।
- यद्यपि, भंडारण का कार्य तीव्र गति से पूरा हो सके इसके लिए आवश्यक है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी कपनियों को जोड़ने के लिए व्यवहार्य तंत्र प्रदान करे।

12.3.3. कोल बेड मीथेन का अन्वेषण

Exploration of Coal Bed Methane (CBM)

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1948 (ORD Act, 1948) को संशोधित करने हेतु अधिसूचना जारी करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।

VISION IAS

- सरकार ने 2015 में कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियों को कोयला वहन करने वाले ऐसे सभी क्षेत्रों (जिनके लिए उनके पास कोयले के लिए खनन पट्टा है) से कोल बेड मीथेन के अन्वेषण और दोहन के अधिकार प्रदान करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी। किन्तु कोल बेड मीथेन हेतु खनन पट्टे के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनुमति आवश्यक थी ।
- अब नए संशोधन के साथ, कोल इण्डिया लिमिटेड और उसकी सहायक कम्पनियों के लिए अनुमति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

कोल बेड मीथेन के विषय में

- कोल बेड मीथेन (CBM) कोयले के निक्षेपों या कोयला संस्तरों में पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस का अपरंपरागत रूप होता है।
- यह कोलिफिकेशन अर्थात पादप सामग्री के कोयले में रूपांतरण होने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होती है।
- इसे खनन अभियानों के दौरान एवं बाद में भूमिगत कोयले से प्राप्त किया जा सकता है।
- इसे "गैर-उत्खननीय" कोयला संस्तरों से भी निष्कर्षित किया जा सकता है, जो अपेक्षाकृत अधिक गहरे, पतले अथवा निकृष्ट या असंगत गुणवत्ता के होते हैं।
- यह कोयला या भट्टी तेल की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल एवं अधिक दक्ष ईंधन है।
- पारंपरिक तेल और गैस के विपरीत, कोल बेड मीथेन के संदर्भ में इसके शीर्ष स्तर तक पहुँचने तक उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ता है इसलिए यह लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है जिन्हें कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है।

इस संशोधन का महत्व

- यह सरकार की इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस पहलों के अनुरूप है।
- यह कोल बेड मीथेन के अन्वेषण और दोहन की प्रक्रिया को त्वरित करेगा, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाएगा एवं प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति के अंतराल में कमी लाएगा।
- चूँकि अधिकतर कोल बेड मीथेन क्षेत्र देश के पिछड़े क्षेत्रों में हैं, तो यह रोजगार प्रदान करके विकास को प्रोत्साहित कर सकता है।

12.3.4. LPG आयात

(LPG Importe)

सुर्खियों में क्यों?

संभव है कि शीघ्र ही लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (LPG) के सबसे बड़े आयातक के रूप में भारत चीन को पीछे छोड़ दे।

भारत में LPG आयात में वृद्धि के कारण:

- सरकार द्वारा भोजन बनाने के लिए लकड़ी और पशुओं के गोबर से बने उपलों की जगह LPG के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। 1 अप्रैल, 2017 तक देश में 72.8% परिवार द्वारा LPG का प्रयोग किया जा रहा था। सरकार का लक्ष्य मार्च 2019 तक 80% परिवारों तक LPG को पहुँचाना है।
- पेट्रोल/डीजल पर बढ़ते टैक्स के कारण कारों में LPG के उपयोग में वृद्धि।

हालाँकि, 2017 में भारत का औसत मासिक आयात लगभग 1.7 मिलियन टन रहा, जो चीन के 2.2 मिलियन टन के मुकाबले बहुत कम हैं। परंतु यह तीसरे स्थान वाले जापान से लगभग 10 लाख टन आगे बढ़ गया है। चीन, भारत और जापान की संयुक्त खरीददारी वैश्विक स्तर पर LPG की कुल खरीददारी का लगभग 45 प्रतिशत है।

भारत में LPG से सम्बंधित परिदृश्य

माँग परिदृश्य- वित्त वर्ष 2017 के दौरान भारत में LPG का उपभोग 21.55 मिलियन टन था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस कनेक्शन में वृद्धि के कारण वर्ष 2031-32 तक LPG की माँग 35 लाख टन (3.5 करोड़ टन) तक पहुँच सकती है।

आपूर्ति परिदृश्य- 11 मिलियन टन LPG का आयात किया गया (51%)। LPG का आयात अगले तीन वर्षों में बढ़कर 16-17 मिलियन टन हो जाएगा।

- भारत मुख्य रूप से आवधिक अनुबंध के माध्यम से मध्य पूर्व के उत्पादक देशों से LPG आयात करता है। ये वह देश हैं जिनका आपूर्ति के क्षेत्र में अब तक एकाधिकार रहा है।
- हाल ही में, भारत ने LPG आयात करने के लिए ईरान के साथ एक समझौता किया है। भारत अमेरिका से भी LPG आयात कर रहा है और साथ ही, बांग्लादेश के साथ इसके के लिए बातचीत चल रही है।

VISION IAS

LPG और LNG में अंतर

	लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG)/ऑटोगैस	लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG)
अवयव	**मुख्य:** प्रोपेन, ब्युटेन, **अन्य:** प्रोपलिन और ब्यूटीन।	LNG एक अति-शीतल (क्रायोजेनिक) द्रव के रूप में संग्रहित प्राकृतिक गैस है। जब इसे उच्च दाब वाले टैंकों में संपीडित किया जाता है तब इसे CNG कहा जाता है। **मुख्य:** मीथेन **अन्य:** हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन व प्रोपेन एवं साथ ही साथ, अन्य गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर यौगिक एवं जल वाष्प।
उत्पादन	इसे प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और पेट्रोलियम शोधन (रिफाइनरी) के उप-उत्पाद के रूप में उत्पादित किया जाता है।	गैस कुओं से निकाला जाता है या कच्चे तेल के उत्पादन के साथ संयुक्त होता है।
गुणधर्म	• प्राकृतिक गैस के विपरीत, LPG वायु की तुलना में भारी होता है। इस प्रकार यह धरातल पर प्रवाहित होगा और इसकी प्रवृत्ति निचले स्थान पर बैठ जाने की(स्थिर) होती है, जैसे-बेसमेंट में। ऐसे संचयन के कारण विस्फोट का खतरा उत्पन्न हो सकता हैं। • लाभ: प्राकृतिक गैस की तुलना में LPG का कैलोरी मान (ऊर्जा) उच्च होता है। • LPG को एक द्रवित अवस्था में संपीड़ित किया जा सकता है और इसे एक सिलेंडर या बड़े पोत में आसानी से संग्रहीत किया जा सकता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। • LPG के साथ चुनौती यह है कि इसकी संरचना में व्यापक भिन्नता हो सकती है। इसके फलस्वरूप इंजन निष्पादन से लेकर कोल्ड स्टार्टिंग निष्पादन परिवर्तनीय होते हैं।	• प्राकृतिक गैस वायु से भी हल्का होती है और इस प्रकार आम तौर पर रिसाव की स्थिति में स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। • LNG का लाभ यह है कि यह पेट्रोल और डीजल ईंधन के बराबर ऊर्जा घनत्व प्रदान करता है, रेंज को बढ़ाता है और ईंधन पुनर्भरण की आवृत्ति को कम करता है। • हानि यह है कि वाहनों पर क्रायोजेनिक भंडारण की उच्च लागत और LNG वितरण स्टेशनों, उत्पादन संयंत्र और परिवहन सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी।

12.4 नवीकरणीय ऊर्जा

(Renewable Energy)

भारत ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, डी-कार्बोनाइजेशन और संधारणीयता जैसे विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने पर विचार कर रहा है। भारत की जीवाश्म ईंधन आवश्यकताएँ बढ़ते हुए आयात के माध्यम से पूर्ण की जा रही हैं। भारत की लगभग 90% प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति, जीवाश्म ईंधन से पूरी की जाती है। भारत, पेरिस समझौते में की गयी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने हेतु प्रतिबद्ध है। नवीकरणीय ऊर्जा, इन प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की स्थापना, उत्पादन एवं वितरण का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाइयों की संस्तुति की गयी है-

- संस्थागत स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के समुचित प्रेषण को सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए **पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड** (Power System Operation Corporation Limited: POSOCO) एवं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (State Load Despatch Centre: SLDC) के मध्य ग्रिड योजना को प्रभावी बनाने हेतु सभी 8 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों (Renewable Energy Management Centres: REMC) को क्रियान्वित किया जाए।
- घरेलू एवं ग्रिड स्केल बैटरी की मांग के समूहन द्वारा कीमतें कम करने में सहायता करने हेतु अगले तीन वर्षों के भीतर भंडारण समाधान विकसित करने की आवश्यकता है।
- देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने में सहायता प्रदान करने हेतु केंद्रीय/राज्य एजेंसियों द्वारा डेवलपर्स को आधारभूत संरचना, पारेषण एवं खरीद समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा कार्य-योजना के माध्यम से नियामकीय कार्यप्रणालियों में सुधार और बेहतर समन्वय के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण हेतु एक मित्रवत प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए।

VISION IAS

- विशेष रूप से घोषित किये गए एक समान लक्ष्यों के आलोक में, नवीकरणीय क्रय दायित्वों (RPOs) के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक उन्नत बाजार की स्थापना की जानी चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों को अपर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों वाले राज्यों को विद्युत बेचने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हाल में हुई प्रगति पर एक दृष्टि

12.4.1. सौर उर्जा

(Solar energy)

12.4.1.1. सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ़ इंडिया (सृस्टि - SRISTI)

(Sustainable Rooftop Implementation for Solar Transfiguration of India (SRISTI))

- देश में रूफटॉप सोलर पॉवर के परिनियोजन को गति प्रदान करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने **सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ़ इंडिया (सृस्टि)** पर एक कंसेप्ट नोट तैयार किया है।
- सरकार ने 2022 तक देश में 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा की क्षमता प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 40 गीगावॉट क्षमता सोलर रूफटॉप से उत्पादित करने का लक्ष्य है।
- रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा **ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर (RTS) पावर प्रोग्राम** को कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी अनुकूल नीति और विनियामकीय उपायों को अपनाया गया है।
- **वर्तमान स्थिति-** कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में वर्ष 2019-20 तक 4,200 मेगावाट RTS संयत्रों के संस्थापन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- अब तक, कार्यक्रम के अंतर्गत 2047 मेगावॉट क्षमता के RTS संयत्रों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से मात्र 845 मेगावाट क्षमता के संयत्र संस्थापित किए गए हैं।

धीमी प्रगति के लिए निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों की पहचान की गई है:

- विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनेक निविदाएं प्रस्तुत करना एवं तत्पश्चात, निविदा की स्वीकृति में अत्यधिक विलंब।
- कई हितधारकों जैसे राज्य की नोडल एजेंसियां (SNAs), वितरक कंपनियां (DisComs), सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम (PSUs), डेवलपर्स (Developers) आदि की सहभागिता।
- राजस्व में हानि तथा नेट मीटर आदि की उपलब्धता के कारण वितरक कंपनियों की अनिच्छा।
- अनिवार्य अधिसूचना का अभाव (केवल 4 राज्यों ने इसे अनिवार्य बनाया है)/राज्यों में संबंधित नीतियों और एक समान विनियम की कमी।
- L1 मिलान (L1 matching) (निम्नतम मूल्य से मिलान करना) के लिए बोली लगाने वालों द्वारा लागत कम किए जाने और बारंबार बोली-प्रक्रिया के कारण प्रणाली की गुणवत्ता में गिरावट।

कंसेप्ट नोट का विवरण

- द्वितीय चरण में एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में डिस्कॉम (DisCom): उपर्युक्त मुद्दों के समाधान के लिए डिस्कॉम और उसके स्थानीय कार्यालय, कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु नोडल इकाई के रूप में कार्य करेंगे। इससे पूर्व व्यक्ति को रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु विभिन्न एजेंसियों से सम्पर्क करना पड़ता था।
- अपने वितरण क्षेत्र के भीतर RTS संयंत्रों के परिनियोजन में तेजी लाने के लिए डिस्कॉम्स को प्रदर्शन-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- केवल आवासीय क्षेत्रों में छत पर सौर संयंत्रों को स्थापित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा आवासीय व अन्य क्षेत्रों के लिए सब्सिडी की एक सीमा निर्धारित होगी।
- **क्षेत्र-वार लक्ष्य-** वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र 20,000 मेगावाट स्थापित करेंगे एवं सरकार, आवासीय, सामाजिक व संस्थागत क्षेत्र, प्रत्येक, 5000 मेगावाट की स्थापना करेंगे।

12.4.1.2. कुसुम

(KUSUM)

- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (KUSUM) योजना की घोषणा 2018-19 के बजट में की गयी थी।
- इसका उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए खेतों में सौर जल पम्प चलाने एवं बंजर भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

VISION IAS

- इस योजना के अंतर्गत कुल क्षमता लागत 1.4 लाख करोड़ रूपये की होगी, जिसमें से केंद्र 48,000 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

KUSUM के घटक

- किसानों द्वारा 10,000 MW सौर ऊर्जा का उत्पादन करने और इसे ग्रिड को बेचने के लिए **बंजर भूमि का उपयोग किया जाना है।** इसके लिए, विद्युत् वितरण कंपनियों (Discoms) को किसानों से पांच वर्षों तक बिजली खरीदने के लिए 50 पैसे प्रति इकाई की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- सरकार किसानों को **खेतों के लिए 17.5 लाख ऑफ-ग्रिड (ग्रिड रहित) सौर पम्प खरीदने** के लिए **सब्सिडी** प्रदान करेगी। केंद्र और राज्य प्रत्येक सौर पम्प पर 30% सब्सिडी प्रदान करेंगे। अन्य 30% ऋण के माध्यम से प्राप्त होगा, जबकि 10% लागत किसान द्वारा वहन की जाएगी।
- 7,250 MW क्षमता के **ग्रिड से सम्बद्ध(ग्रिड-कनेक्टेड) खेतों के पम्पों का सौरकरण (Solarisation) किया जाएगा।**
- **सरकारी विभागों के ग्रिड से सम्बद्ध जल पम्पों का सौरकरण किया जाएगा।**

अपेक्षित लाभ

- यह **कृषि क्षेत्र को डीजल-रहित** बनाने में सहायता करेगा। यह क्षेत्रक लगभग 10 लाख डीजल चालित पम्पों का उपयोग करता है।
- यह कृषि क्षेत्र में **सब्सिडी का बोझ कम कर डिस्काम्स की वित्तीय स्थिति** में सुधार करने में सहायता करेगी।
- **विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन** को प्रोत्साहन।
- ऑफ-ग्रिड और ग्रिड कनेक्टेड, दोनों प्रकार के सौर जल पम्पों द्वारा सुनिश्चित जल स्रोतों के प्रावधान के माध्यम से किसानों को जल-सुरक्षा।
- नवीकरणीय खरीद दायित्व के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों का समर्थन करना।
- छतों के ऊपर और बड़े पार्कों के बीच इंटरमीडिएट रेंज में सौर ऊर्जा उत्पादन की रिक्तियों को भरना।
- ऑफ़-ग्रिड व्यवस्था के माध्यम से पारेषण क्षति को कम करना।

12.4.2. पवन उर्जा

(Wind Energy)

12.4.2.1. पवन ऊर्जा की खरीद हेतु दिशा-निर्देश

(Guidelines for Procuring Wind Power)

- भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 175 गीगावाट की स्थापित क्षमता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमे सौर ऊर्जा के माध्यम से 100 गीगावाट एवं पवन ऊर्जा के माध्यम से 60 गीगावाट उत्पादन शामिल हैं।
- देश के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में पवन ऊर्जा का योगदान 56.2% (32.3 गीगावाट) और सौर ऊर्जा का योगदान 21.8 % (12.5 गीगावाट) है।
- भारत पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता की दृष्टि से चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर है।
- **राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान** के अनुसार 100 मीटर की ऊँचाई वाले टावरों के साथ भारत की संभावित पवन ऊर्जा क्षमता 302 गीगावाट है।
- **भारत की एकीकृत ऊर्जा नीति** 2031-32 तक 800 गीगावाट स्थापित क्षमता का अनुमान व्यक्त करती है, जिसमें से 40% (320 गीगावाट) विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होगी।

Wind Power Potential in India at 100 meter above ground level (GW)

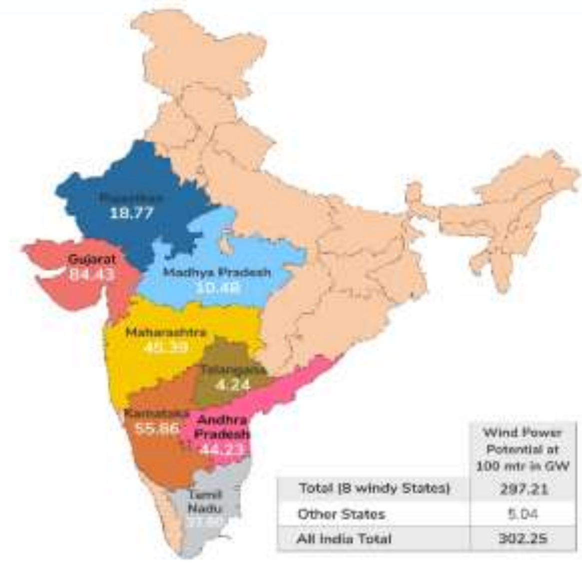

- हाल ही में सरकार ने **विद्युत अधिनियम, 2003** की धारा 63 के अंतर्गत **पवन ऊर्जा की खरीद के लिए दिशा निर्देश** जारी किए हैं।

- इससे पूर्व, कीमतों का निर्धारण संबंधित राज्य के विद्युत् नियामक आयोग द्वारा किया जाता था, जिस पर पवन ऊर्जा कंपनियां विद्युत् का विक्रय करती थीं। ये सामान्यतः 4-6 प्रति यूनिट के आसपास होती थीं।
- समवर्ती सूची के तहत पवन ऊर्जा: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत आवश्यक केंद्रीय दिशा-निर्देश की अनुपस्थिति के कारण राज्य सरकार द्वारा पूर्व में की गयी कई नीलामी पहल विफल रही।

दिशा-निर्देश के महत्वपूर्ण बिन्दु

- यह **बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया** के माध्यम से पवन ऊर्जा की खरीद हेतु एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इस फ्रेमवर्क में प्रक्रिया का मानकीकरण एवं विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करना शामिल है।
- इसका उद्देश्य वितरण लाइसेंस धारकों को लागत प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धी दरों पर पवन ऊर्जा की खरीद हेतु सक्षम बनाना है।
- ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित परियोजनाओं से पवन ऊर्जा की खरीद पर लागू हैं:
    - अंत:राज्यीय परियोजनाओं हेतु 25 मेगावाट की न्यूनतम बोली क्षमता के साथ किसी स्थान पर 5 मेगावाट या उससे अधिक की ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाएँ।
    - अंतर्राज्यीय परियोजनाओं हेतु न्यूनतम 50 मेगावाट बोली क्षमता के साथ किसी स्थान पर 50 मेगावाट एवं उससे अधिक की परियोजना।
- इसने एक ऐसे **भुगतान सुरक्षा तन्त्र** की शुरुआत की है जो ग्रिड को विद्युत का पारेषण न किए जाने पर भी पवन विद्युत विकासकर्ताओं को आंशिक क्षतिपूर्ति की गारंटी देता है।
- विद्युत खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय तय किए गए **क्षमता उपयोग कारक (न्यूनतम 22%)** को प्रदान करने में विफल रहने पर पावर डेवेलपर्स पर अर्थदण्ड का प्रावधान।
- ये विनियमन केवल नई परियोजनाओं के लिए लागू होंगे।

चुनौतियाँ

- **भूमि उपलब्धता**: नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिए जाने के बाद परियोजनाओं हेतु आदर्श स्थलों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है।
- **निम्न स्तरीय संचरण एवं विद्युत पारेषण हेतु ग्रिड की अनुपलब्धता** ने पवन ऊर्जा क्षेत्रक की वृद्धि को प्रभावित किया है।
- **वित्तीय क्षमता का अभाव**: भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, भारत को 2022 तक 160 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगभग 17.5 ट्रिलियन रु. (लगभग 264 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के वित्तपोषण की आवश्यकता है। इतनी विशाल राशि को जुटाने के लिए बाजार में विद्यमान ग्रीन बॉण्ड जैसे हरित वित्तपोषण तंत्र का उपयोग किया जा सकता है।
- सार्वजनिक विद्युत वितरण निकायों की दयनीय वित्तीय स्थिति के कारण **डेवलपर्स को भुगतान न हो पाना।**

महत्व

- यह **पवन ऊर्जा क्षेत्रक को बढ़ावा** देगा क्योंकि यह पर्याप्त मात्रा में पवन प्रवाह प्राप्त करने वाले राज्यों को अपने लिए पवन ऊर्जा की खरीद हेतु बोली लगाने की प्रक्रिया में भागीदारी करने की अनुमति देगा।
- **ऊर्जा की न्यून लागत:** यह अत्यधिक कम मूल्य पर विद्युत प्राप्त करने के लिए तंत्र प्रदान करेगा, उदाहरण के लिए: गुजरात में हाल ही में संपन्न हुई बोली प्रक्रिया में, मूल्य गिरकर 2.43 प्रति यूनिट रह गए थे जो अब तक के न्यूनतम मूल्य हैं।
- यह ग्रिड की अनुपलब्धता एवं वितरण कंपनियों से भुगतान में विलम्ब के कारण राजस्व हानि का सामना करने वाले पवन ऊर्जा डेवेलपर्स को राहत प्रदान करेगा।

पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति**
- **तटवर्ती पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु दिशा-निर्देश:** कुशल, लागत प्रभावी और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को सुगम बनाना।
- विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट **नवीकरणीय खरीद दायित्व** ने भारत में पवन-ऊर्जा उत्पादकों की वृद्धि को गति प्रदान की है।
- **हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना**: "हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना" के भाग के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों हेतु विद्युत निकासी और पारेषण अवसंरचना को संवर्द्धित किया जा रहा है।
- **पवन-सौर हाइब्रिड मसौदा नीति:** इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 10 गीगावाट की पवन-सौर हाइब्रिड क्षमता प्राप्त करना है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- विद्युत् उत्पादन हेतु पवन ऊर्जा के दोहन के लिए जलीय निकायों (सामान्यतः महासागर में महाद्वीपीय मग्नतट पर) निर्मित विंड फॉर्म के उपयोग को अपतटीय पवन ऊर्जा के रूप में जाना जाता है।

VISION IAS

- वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड और चीन जैसे देशों द्वारा लगभग 17 से 18 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु यंत्र लगाए गए है।·
- भारत में, अपतटीय पवन ऊर्जा का वाणिज्यिक उत्पादन अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। इस सन्दर्भ में दो क्षेत्रों यथा-गुजरात और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, में प्रारंभिक अध्ययन किए गए हैं। इन क्षेत्रों में अपतटीय पवन ऊर्जा के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण संभावनाएं विद्यमान हैं।·
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा 2022 तक 5 गीगावाट और 2030 तक 30 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के अतिरिक्त दोहन के लिए मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया है ।

तटवर्ती पवन ऊर्जा के सन्दर्भ में हाल के वर्षों में भारत की उत्पादन क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्तमान में कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 34.04 गीगावाट है जो विश्व की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है.

12.4.2.2. अपतटीय पवन ऊर्जा

(Off-Shore Wind Power)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने खम्भात की खाड़ी में देश की पहली 1 गीगावॉट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए अभिरुचि पत्र (Expression of Interest: EoI) आमंत्रित किए हैं।

तटीय पवन ऊर्जा की तुलना में अपतटीय पवन ऊर्जा के लाभ

- **वृहद परियोजनाओं की स्थापना के लिए अधिक क्षेत्र की उपलब्धता:** अपतटीय परियोजनाओं की ओर बढ़ने के प्राथमिक कारणों में से एक भूमि पर 'विंड टर्बाइन' हेतु उपयुक्त स्थलों की कमी है।
- **पवन की अपेक्षाकृत उच्च गति:** इसके कारण अपतटीय पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता की प्रति इकाई के सापेक्ष विद्युत उत्पादन क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है।
- **पवन की एक समान गति:** विंड टरबाइन उत्पादन क्षमता का प्रभावी उपयोग भूमि के सापेक्ष समुद्र में अपेक्षाकृत उच्च होगा।
- **कम दृश्य प्रभाव:** भूमि से अत्यधिक दूर स्थित होने के कारण इन स्थलों का दृश्य प्रभाव कम होगा जिससे सार्वजनिक स्वीकार्यता के मुद्दे पर सहयोग मिलेगा।
- **आपूर्ति केंद्रों के निकट:** अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म सामान्यतः शहरों एवं विद्युत आपूर्ति केंद्रों के निकट स्थित होते हैं। इस प्रकार पारेषण संबंधी हानियों को न्यूनतम किया जा सकेगा।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** तटीय पवन संयंत्रों की तुलना में अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की प्रति इकाई से वैश्विक तापक्रम में वृद्धि की संभावना कम है।

चुनौतियाँ

- **लागत:** तटीय पवन संयंत्रों की तुलना में अपतटीय पवन संयंत्र की स्थापना में आधार के निर्माण, इंस्टालेशन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, संचालन और रखरखाव की लागतें, कुल लागत का एक बड़ा भाग होती हैं।
  - निरंतर उच्च गति की पवन, उच्च आर्द्रता और लवणीय जल, इन संयंत्रों की स्थापना और संचालन के प्रत्येक पहलू को तटीय संयंत्रों की तुलना में अधिक कठिन, समयसाध्य एवं खतरनाक और अत्यधिक महंगा बना देते हैं।
  - अपतटीय पवन उद्योग अभी भी पूरी तरह औद्योगीकृत नहीं हुआ है, इसलिए प्रति इकाई ऊर्जा की लागत आर्थिक रुप से व्यवहार्य नहीं है।
- **आँकड़े:** अपतटीय पवन क्षमता के परिकलन तथा उपयुक्त स्थलों की पहचान करने हेतु आवश्यक पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध नहीं है। इन आँकड़ों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:
  - **पवन संसाधन मानचित्र:** इसमें समुद्र के ऊपर निश्चित स्तर पर पवन की गति और पवन घनत्व (wind density) सम्मिलित होते हैं।
  - **बैथिमीट्रिक डेटा (Bathymetric data):** ये आँकड़े विभिन्न स्थानों पर समुद्र की गहराई के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इस प्रकार के आँकड़ें उपलब्ध नहीं है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** अपतटीय पवन संयंत्रों की भौतिक उपस्थिति और टरबाइनों के कारण जल के भीतर होने वाला शोर, आकर्षण या प्रतिकर्षण के माध्यम से समुद्री स्तनधारियों, मछलियों और समुद्री पक्षियों के व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है।

VISION IAS

"राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति–2015"

- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) को अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है।

उद्देश्य

- सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों सहित देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में अपतटीय पवन संयंत्रों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाना एवं परिनियोजन को प्रोत्साहित करना।
- ऊर्जा अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करना।
- ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना।
- अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा अपतटीय पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करना।
- अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्रक में कुशल मानव शक्ति एवं रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- भारी निर्माण एवं स्थापना सम्बन्धी कार्य तथा संचालन एवं रखरखाव गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने के लिए तटीय अवसंरचना एवं आपूर्ति श्रृंखला का विकास करना।

आगे की राह

- भारत के पास 7600 किलोमीटर से अधिक लम्बी तटरेखा एवं संबद्ध अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, इसलिए यहाँ अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अत्यधिक उज्ज्वल हैं।
- अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का उचित रूप से मानचित्रण करने के लिए तट के समानांतर पवन संसाधन मानचित्र एवं बैथिमीट्रिक मानचित्र तैयार किया जाना चाहिए। अन्य चिंताओं, विशेष रूप से पर्यावरणीय चिंताओं के निवारण हेतु अनुसंधान एवं विकास किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा "राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति-2015" के अनुसार सम्भावना को वास्तविकता में परिणत करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- अपतटीय पवन ऊर्जा का समर्थन करने के लिए सरकार को फीड-इन-टैरिफ (FiT) मार्ग अपनाना चाहिए [फीड-इन-टैरिफ (FiT) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पन्न करने में किसी को भी- चाहे वह गृह-स्वामी, छोटा व्यवसाय या बड़ा विद्युत उत्पादन निकाय हो, अपनी विद्युत को ग्रिड को बेचने और स्थानांतरित की गई विद्युत हेतु पूर्व निर्धारित दरों पर गारंटीकृत दीर्घावधिक भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

12.4.2.3 राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति

(National Wind-Solar Hybrid Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड ऊर्जा नीति को अंतिम स्वरूप प्रदान किया।

नीति की आवश्यकता

- **साझा महत्वपूर्ण अवसंरचना का लाभ उठाने के लिए,** जैसे भूमि एवं निकासी नेटवर्क जो पवन अथवा सौर परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत का लगभग 10-12% है।
- **उत्पादन में अस्थिरता को कम करना**: उत्पादन से सम्बंधित अस्थिरता में कमी आने की सम्भावना है, क्योंकि दोनों स्रोतों द्वारा भिन्न-भिन्न समय अंतरालों और पूरक मौसमों में ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। इससे वितरण उपयोगिताओं की **ग्रिड स्थिरता** संबंधी उन चिंताओं का कुछ हद तक निराकरण होगा, जो पवन या सौर ऊर्जा उत्पादन की अनिरन्तर प्रकृति के कारण उत्पन्न हुई हैं।
- **उत्पादन दक्षता में वृद्धि:** इस उद्योग के विशेषज्ञों का विश्वास है कि समान निकासी अवसंरचना (ट्रांसमिशन लाइन और सब-स्टेशन) होने से विकासकर्ता एक ही स्थान पर अतिरिक्त पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन स्थल विकसित कर सकते हैं। इससे औसत प्लांट लोड फैक्टर (plant load factor-PLF) के 22% से बढ़कर 40% होने के साथ उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।
- 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता को 175 गीगावाट (GW) करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है, जिसमें 100 GW सौर ऊर्जा एवं 60 GW पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है।

इस नीति की प्रमुख विशेषताएं

- **लक्ष्य :**
  - बड़े ग्रिड से जुड़े विंड-सोलर फोटो-वोल्टाइक (PV) हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने या ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं भूमि के कुशल उपयोग के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना।
  - नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अस्थिरता को समाप्त करना एवं उन्नत ग्रिड स्थिरता प्राप्त करना।

VISION IAS

- नवीन हाइब्रिड परियोजनाओं के साथ-साथ उपलब्ध पवन/सौर परियोजनाओं के संकरण को बढ़ावा देना।
- **प्रौद्योगिकी के स्तर पर**: यह दोनों ऊर्जा स्रोतों यथा पवन और सौर के AC के साथ-साथ DC स्तर पर भी एकीकरण का प्रावधान करती है।
- टैरिफ के आधार पर पारदर्शी बोली प्रक्रिया द्वारा हाइब्रिड परियोजनाओं से बिजली की खरीद की जाए। इसके लिए सरकारी संस्थाएँ भी निविदाएं आमंत्रित कर सकती हैं।
- **भंडारण:** यह आउट-पुट को इष्टतम करने और अस्थिरता को कम करने के लिए हाइब्रिड परियोजनाओं में बैटरी भण्डारण की भी अनुमति प्रदान करती है।
- **विनियमन**: यह नियामक प्राधिकरणों को पवन-सौर हाइब्रिड प्रणालियों के लिए आवश्यक मानदंडों एवं विनियमों को निर्मित करने का अधिदेश प्रदान करती है।
- यह नीति नवीन हाइब्रिड पवन-सौर परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को हाइब्रिड ऊर्जा के कैप्टिव प्रयोग, थर्ड पार्टी बिक्री या राज्य विद्युत् वितरण सुविधाओं को बिक्री का विकल्प प्रदान करती है।
- यह नीति किसी हाइब्रिड प्रोजेक्ट के पवन और सौर ऊर्जा अंशों की हिस्सेदारी में लचीलापन रखती है, परन्तु इसकी शर्तों के अधीन कोई प्रोजेक्ट हाइब्रिड प्रोजेक्ट तभी माना जायेगा जब किसी एक स्रोत की निर्धारित क्षमता दूसरे स्रोत की निर्धारित क्षमता का कम से कम 25% हो।
- पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध सभी राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
- हाइब्रिड प्रणालियों के लिए मापदंडों के विकास हेतु सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी।
- नीति का उद्देश्य पवन और सौर फोटो वोल्टिक (PV) संयंत्रों के संयुक्त संचालन से सम्बद्ध नई प्रौद्योगिकियों, विधियों और तरीकों को प्रोत्साहित करना भी है।

12.4.3. अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत

(Other Alternate energy sources)

12.4.3.1. मेथेनॉल इकॉनमी

(Methanol Economy)

- हाल ही में, सरकार द्वारा **जीवाश्म ईंधन के विकल्प** और **ऊर्जा सुरक्षा के आधार** के रूप में **"मेथेनॉल"** को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- **घरेलू उत्पादन इकाइयों की कमी** और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमतों पर मेथेनॉल की उपलब्धता के कारण देश में मेथेनॉल की 90% माँग को आयात द्वारा पूरा किया जाता है।
- भारत ईरान और सऊदी अरब से अपना 99% मेथेनॉल आयात करता है जहां आसानी से और सस्ते में उपलब्ध प्राकृतिक गैस से मेथेनॉल का उत्पादन किया जाता है।
- विश्व में मेथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक देश **चीन** है।
- भारत में 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार (मेथेनॉल का फीडस्टॉक) है, जिसका उपयोग मेथेनॉल और DME (डाइमिथाइल ईथर) उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

मेथेनॉल के संबंध में

- इसे काष्ठ एल्कोहल (वुड एल्कोहल) के रूप में जाना जाता है। यह रंगहीन होता है और प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों रूप से प्राप्त किया जाता है। यह जैव निम्नीकरणीय, ज्वलनशील, जहरीला और ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है।
- यह लकड़ी के भंजक आसवन से बनने वाला एक कार्बनिक यौगिक है और साथ ही कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोमास (अर्थात सिनगैस उत्पादित करने में सक्षम उत्पाद) से भी उत्पादित किया जाता है।
- उपयोग: कार्बनिक संश्लेषण में, ईंधन, विलायक और एंटीफ्रीज़र के रूप में।
- भारतीय मानक ब्यूरो 2016 द्वारा ईंधन के रूप में प्रमाणित।
- मेथेनॉल के गैसीय रूप-DME (डाइमिथाइल ईथर) को LPG के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

सरकार की पहलें

- ऐसी नीति की दिशा में प्रयास आरंभ किए गए हैं, जिसमें **पेट्रोल में 15%** मेथेनॉल **मिश्रण** पर बल दिया गया है।
- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने **पश्चिम बंगाल में कोयला आधारित** मेथेनॉल **संयंत्र** स्थापित करने की अपनी योजना का अनावरण किया है।

VISION IAS

- भारत ने दोपहिया इंजन, जेनेसेट, पावर वीडर (कृषि उपकरण) इत्यादि को मेथेनॉल के उपयोग हेतु सफलतापूर्वक संशोधित किया है। इसके साथ ही रेलवे एवं समुद्री पोत सहित कई आंतरिक दहन इंजन भी परिवर्तन की इस प्रक्रिया में शामिल हैं

मेथेनॉल की आवश्यकता

- **जीवाश्म ईंधन की अत्यधिक खपत :** भारत जीवाश्म ईंधन का 6ठां सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यह 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। मेथेनॉल अपनाने से जीवाश्म ईंधन का उपभोग कम होगा। उदाहरण के लिए, आगामी 5-7 वर्षों तक मेथेनॉल के उपयोग के फलस्वरूप डीजल की खपत 20% कम हो जाएगी।
- आगामी 3 वर्षों में कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के 5000 करोड़ रुपये के वार्षिक आयात व्यय (Bill) में कमी।
- **पर्यावरण:** जीवाश्म ईंधन से GHG उत्सर्जन में वृद्धि होती है। वहीं दूसरी ओर, मेथेनॉल कणिकीय पदार्थ एवं कालिख (soot) का उत्सर्जन नहीं करता है तथा लगभग नगण्य मात्रा में Sox और NOx उत्सर्जित करता है।

मेथेनॉल इकोनॉमी के लिए NITI आयोग का रोड मैप

- **मेथेनॉल इकोनॉमी फंड-** स्वच्छ ईंधन के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु 4,000-5,000 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी-** स्वदेशी तकनीक से भारत के अधिक राख वाले कोयले से अत्यधिक मात्रा में मेथेनॉल के उत्पादन और क्षेत्रीय उत्पादन रणनीतियों को अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन**: मेथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि अवशेष, दबी हुई (Stranded) गैस और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आदि के उपयोग द्वारा मेथेनॉल उत्पादन का लगभग 40% प्राप्त किया जा सकता है। यह **स्वच्छ भारत मिशन** के पूरक के रूप में भी कार्य करेगा।
- **परिवहन में उपयोग को बढ़ाना**: मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा मेथेनॉल अर्थव्यवस्था की अवधारणा का लाभ उठाया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप FDI के अधिक प्रवाह और रोजगार में वृद्धि होगी।
- **स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन लक्ष्य हेतु मेथेनॉल**: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) जैसे कार्यक्रम के कारण LPG आयात में होने वाली वृद्धि के भार में कमी करने के लिए, NITI आयोग द्वारा LPG के साथ मेथेनॉल या DME मिश्रित का उपयोग और खाना पकाने के ईंधन के रूप में पूर्णतः मेथेनॉल को अपनाए जाने की कल्पना की गई है।
- **अन्य उपयोग** -जैसे औद्योगिक बॉयलरों और दूरसंचार टॉवरों के जेनसेट्स में ईंधन के रूप में मेथनॉल, इसके द्वारा फार्मल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल जैसे विभिन्न रसायनों का उत्पादन।

आगे की राह

- **अवसंरचना में अत्यधिक निवेश** –मेथेनॉल ईंधन के रूप में, एल्युमिनियम सहित कुछ धातुओं के लिए संक्षारक है।
- **मेथेनॉल का क्रमिक अंगीकरण-** सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मेथेनॉल का उत्पादन और उद्योगों को इसकी आपूर्ति अनिवार्य है। दूसरा, स्थिरता का स्तर प्राप्त करने के पश्चात्, मेथेनॉल/DME ईंधन मिश्रण द्वारा संचालित होने वाले फ्लेक्सि-फ्यूल वाहनों का भी साथ में विकास होना चाहिए।
- ईरान या कतर में मेथनॉल/DME के लिए विनिर्माण सुविधाओं को आउटसोर्स किया जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों देशों में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार विद्यमान होने के कारण यह सेवाएँ बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध हो सकती है।
- **एकीकृत ऊर्जा उत्पादन:** सरकार को एकीकृत ढंग से विद्युत, मेथेनॉल और उर्वरक के उत्पादन के लिए एक मेगा कोल-बेस्ड काम्प्लेक्स की स्थापना की जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादित की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की लागत काफी कम हो जाएगी।

12.4.3.2. गोबर-धन योजना

(Gobar-Dhan Yojana)

- हरियाणा सरकार द्वारा गोबर-धन योजना का शुभारम्भ किया गया। इसकी घोषणा 2018-19 के बजट में की गयी थी।
- **गोबर-धन (गैल्वनाइजिंग बायो-एग्रो रिसोर्सेज-धन) योजना** का कार्यान्वयन **स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण** के अंतर्गत किया जाएगा। इसके दो उद्देश्य हैं; प्रथम, गाँव को स्वच्छ बनाना तथा द्वितीय, मवेशियों के अपशिष्टों व अन्य कचरों से धन एवं ऊर्जा उत्पन्न करना।

VISION IAS

- यह मवेशियों के गोबर और ठोस अपशिष्ट को खेतों में कम्पोस्ट खाद, बायोगैस और बायो CNG के रूप में प्रबंधित और परिवर्तित करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा।
- किसानों को खरीददारों से जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मंच भी बनाया जाएगा ताकि वे गाय के गोबर और कृषि अपशिष्ट के लिए उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
- इस सन्दर्भ में एक प्रमुख चुनौती यह है कि किसानों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया जाये कि उनके मवेशियों के अपशिष्ट से आय प्राप्त की जा सकती है और इस प्रक्रिया में वे अपने समुदायों को भी स्वच्छ बना सकते हैं।

आवश्यकता

- उन्नीसवीं पशुधन गणना (2012) का अनुमान है कि भारत के मवेशियों की जनसंख्या 300 मिलियन (विश्व में सबसे अधिक) है, जिनसे प्रतिदिन 3 मिलियन टन गोबर का उत्पादन होता है।
- 2014 के ILO के एक अध्ययन के अनुसार, गोबर का उत्पादक उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर 1.5 मिलियन नौकरियाँ उपलब्ध करा सकता है। किसान के लिए गोबर बिक्री से अधिक आय की महत्त्वपूर्ण सम्भावना है।
- ILO अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक किग्रा गोबर का मूल्य 10 गुना से अधिक बढ़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अंतिम उत्पाद ताजा गोबर है (बिक्री मूल्य 0.13 रूपए) अथवा एक बायोगैस प्लांट के 1 MW के इनपुट के साथ कम्पोस्ट आउटपुट (1.6 रूपए) के रूप में है।

VISION IAS

13. दूरसंचार

(Telecommunications)

- **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (Indian Council for Research on International Economic Relations: ICRIER)** के एक अध्ययन द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि **भारत में ब्रॉडबैंड सब्स्क्राइबर्स की वृद्धि दर में 10% की बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप GDP में 2.4% की वृद्धि होगी।**
- दूरसंचार विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत में मोबाइल उद्योग वर्तमान में देश की GDP में 6.5% का योगदान करता है तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- 31 अक्टूबर, 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार भारतीय दूरसंचार क्षेत्र **टेलीफोन सब्सक्राइबर्स** (1.2 बिलियन) तथा **इन्टरनेट सब्सक्राइबर्स** (340 मिलियन) की संख्या के आधार पर **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है।**
- भारत में टेली-घनत्व (प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर टेलीफ़ोन कनेक्शन की संख्या) वित्तीय वर्ष 2007 के 17.9% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018 में 93.88% हो गया है।
- भारत विश्व में दूरसंचार सेवाओं पर निम्नतम प्रशुल्क (टैरिफ) रखने वाले कुछ देशों में से एक है।
- 2018 की प्रथम तिमाही के दौरान भारत मोबाइल एप्लीकेशन के क्षेत्र में विश्व का तीव्रता से वृद्धि करने वाला बाजार बन गया।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मानदंडों के विनियमन में दी गई ढील (100% FDI स्वीकृत) ने इस क्षेत्र को तीव्रतम वृद्धि करने वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही यह देश में सर्वाधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करने वाले शीर्ष पांच क्षेत्रों में से एक बन गया है।
- **माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट** के अनुसार, वर्ष 2025 तक 4.7 बिलियन वैश्विक इंटरनेट प्रयोक्ताओं में से भारत में इंटरनेट प्रयोक्ताओं की संख्या 700 मिलियन होगी। इस कारण यह आभासी विश्व (virtual world) में एक अग्रणी अभिकर्ता के रूप में उभरेगा।
- एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट इंडिया के अनुसार भारत में स्मार्टफोन सब्सक्रिप्शन्स के वर्ष 2021 तक चार गुना बढ़कर 810 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने की आशा है। जबकि 2021 तक कुल स्मार्टफोन ट्रैफिक के 17 गुना बढ़कर प्रति माह 4.2 एक्साबाइट (EB-Exabytes) होने की आशा है।
- वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 द्वारा शासित है। मई, 2018 में सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2018 के प्रारूप [राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (National Digital Communications Policy: NDCP) 2018 के रूप में संदर्भित] को चर्चा हेतु पब्लिक डोमेन में रखा है।

दूरसंचार क्षेत्र का महत्व

- डेटा प्रयोग के दोगुना होने से प्रति व्यक्ति GDP वृद्धि दर में 0.5% अंक की वृद्धि हुई है। (डेलॉयट 2017)
- पहुंच में 10% की वृद्धि से दीर्घावधि में कुल कारक उत्पादकता में 4.2% की वृद्धि होती है।
- आय कर के पश्चात् दूरसंचार क्षेत्र सरकार हेतु दूसरा सबसे बड़ा राजस्व अर्जक है।
- यह देश में शीर्ष पांच रोजगार अवसर सृजकों में से एक है।
- भारत में बैंकिंग सेवाओं की कम पहुंच (underbanked) वाले क्षेत्रों में मोबाइल बैंकिंग वित्तीय समावेशन में बढ़ोत्तरी कर सकती है।
- दूरसंचार सेवाएं किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन परिदृश्य में रक्षा की प्रथम पंक्ति बन जाती हैं।

दूरसंचार सेवा से संबंधित प्रशासनिक/विनियामक निकाय:

- संचार मंत्रालय (Ministry for Communications: MoC)
- दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications: DoT)
- दूरसंचार आयोग (Telecom Commission: TC)
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India: TRAI)
- दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (Telecom Dispute Settlement & Appellate Tribunal: TDSAT)
- भारतीय संचार आयोग (Communications Commission of India: CCI)
- इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Electronics and Information Technology: DeitY)।

VISION IAS

13.1. दूरसंचार क्षेत्र को शासित करने वाली नीतियाँ

(Policies Governing The Telecom Sector)

- देश के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु विश्वस्तरीय दूरसंचार अवसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए सरकार 1990 के दशक के आरंभ में उदारीकरण के पश्चात् से एक नियमित अंतराल पर अपनी दूरसंचार नीति वक्तव्यों की घोषणा करती रही है।
- वर्ष 1994, 1999, 2004 तथा 2012 में चार दूरसंचार नीति वक्तव्य जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (NDCP) 2018 के प्रारूप को मई, 2018 में चर्चा हेतु पब्लिक डोमेन में रखा गया।

2018 में नई दूरसंचार नीति की आवश्यकता

- राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 के पश्चात् दूरसंचार क्षेत्र में रूपांतरणों हेतु विनियामक और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क का पुनर्निर्माण करना।
- वॉइस, वीडिओ और डेटा सेवाओं के कन्वर्जेन्स का लाभ उठाना विशेष रूप से पिरामिड के तल (समाज के निचले वर्गों) तक सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT), मशीन-टू-मशीन (M2M) तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के चतुर्दिक निर्माण के लिए शक्तिशाली संयोजनों में डिजिटल, जैविक तथा भौतिक प्रौद्योगिकियों को एक साथ लाया जाना।
- सुनिश्चित सेवा गुणवत्ता के साथ सभी के लिए विश्वसनीय तथा सुरक्षित डेटा कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना।
- 5G (पांचवीं पीढ़ी) तथा इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स सहित नवीन प्रौद्योगिकियों हेतु अवसंरचना और सेवाओं के विकास को सुगम बनाना।
- नवाचार और निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- डिजिटल रूप से कुशल श्रमशक्ति के एक वृहद् समूह का विकास करना।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 [राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (NDCP) 2018 के रूप में भी संदर्भित]

- यह नीति भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर अर्थात् वर्ष 2022 के अंत तक पूर्ण होने वाले मिशन और उद्देश्यों को निर्धारित करेगी।
- यह नीति वर्ष 2022 तक क्षेत्र में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के निवेशों को आकर्षित करने हेतु परिकल्पित की गई है।
- राष्ट्रीय दूरसंचार नीति निम्नलिखित रणनीतिक उद्देश्यों को वर्ष 2022 तक पूर्ण करने पर लक्षित है:
    - सभी के लिए ब्रॉडबैंड का प्रावधान;
    - डिजिटल संचार क्षेत्र में 4 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजन;
    - भारत की GDP में डिजिटल संचार क्षेत्र के योगदान को 8% करना (2017 में यह 6% था) ;
    - इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन (ITU) के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) विकास सूचकांक में भारत को 2017 के 134वें स्थान की तुलना में शीर्ष 50 देशों में शामिल करने हेतु प्रेरित करना;
    - वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के योगदान में वृद्धि:
    - डिजिटल संप्रभुता में वृद्धि।
- वर्ष 2022 तक इन उद्देश्यों के अनुसरण में NDCP, 2018 ने तीन मिशन परिकल्पित किए हैं-
    - **कनेक्ट इंडिया (Connect India):** एक सुदृढ़ डिजिटल संचार अवसंरचना का सृजन।
    - **प्रोपेल इंडिया (Propel India):** निवेशों, नवाचारों, स्वदेशी विनिर्माण तथा IPR सृजन के माध्यम से अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और सेवाओं को सक्षम बनाना।
    - **सिक्योर इंडिया (Secure India):** डिजिटल संप्रभुता तथा डिजिटल संचार की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 की मुख्य विशेषताएं

- **लाइसेंसिंग:** इसका उद्देश्य सभी दूरसंचार सेवाओं हेतु एक एकीकृत लाइसेंस प्रणाली की स्थापना द्वारा लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क को सरलीकृत करना, सम्पूर्ण देश हेतु एक एकल लाइसेंस प्रणाली स्थापित करना तथा रोमिंग शुल्कों को हटाना है।
- **स्पेक्ट्रम:** यह एक ऐसी प्रणाली के द्वारा स्पेक्ट्रम आवंटन को उदारीकृत करने का प्रयास करता है जहाँ स्पेक्ट्रम को पूल किया जा सके, शेयर किया जा सके तथा उसका व्यापार किया जा सके।
- **कनेक्टिविटी:** नीति का उद्देश्य टेली-घनत्व में वृद्धि करके 39% से 2017 में 70% तथा 2020 तक 100% करना है। इसके अतिरिक्त 2014 तक सभी ग्राम पंचायतों और 2020 तक सभी गाँवों के लिए ब्रॉडबैंड पहुंच की सुविधा प्रदान करना तथा "ब्रॉडबैंड के अधिकार" को मान्यता प्रदान करना है।
- **घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन:** भारत के लिए सुरक्षा निहितार्थ अथवा सरकार के स्वयं के प्रयोग से सम्बद्ध खरीद के मामले में घरेलू उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान करके घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन।

VISION IAS

- **विधान:** यह नीति भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम,1885 और साथ ही साथ ट्राई (TRAI) अधिनियम की भी समीक्षा करने का प्रयास करती है ताकि ट्राई की कार्यप्रणाली को बाधा रहित करते हुए प्रभावी बनाया जा सके।

13.2. दूरसंचार क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

(Challenges of the Telecom Sector)

दूरसंचार क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक **घटती लाभप्रदता** है जो आगे दोहरे तुलन-पत्र (TBS) की समस्या को बढ़ा रही है। लाभप्रदता निम्नलिखित मुद्दों द्वारा प्रभावित हो रही है:

- **निम्न राजस्व:** नए प्रवेशकों के कारण मूल्यों में आकस्मिक गिरावट तथा प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व में 22% की कमी आई है।
- **उच्च ऋण:** असंधारणीय स्पेक्ट्रम मूल्य तथा निम्न राजस्व भी उच्च ऋण का कारण बन रहे हैं। उद्योग स्रोतों के अनुसार सभी दूरसंचार कंपनियों ने कुल मिलाकर लगभग 5 लाख करोड़ रूपए का ऋण लिया है।
- **उच्च लेवी:** क्षेत्र पर सरकारी लेवी अंतर्राष्ट्रीय मानक से लगभग 30 प्रतिशत से अधिक की रेंज में है। अन्य दक्षिण एशियाई देशों जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका ने 20% अधिक की सीमा में लेवी आरोपित की है।
- **महंगा स्पेक्ट्रम:** भारत में स्पेक्ट्रम का मूल्य सम्पूर्ण विश्व में सर्वाधिक है परन्तु दूरसंचार कंपनियों को व्यवसाय में प्रासंगिक तथा प्रतिस्पर्धी बने रहने हेतु इसे खरीदना पड़ता है।
- व्हाट्स एप जैसे **शीर्ष परिचालकों से प्रतिस्पर्धा** क्योंकि ये न तो सरकार को करों का तथा न ही लेवी का भुगतान करते हैं।
- **प्रतिबंधात्मक सरकारी नीतियाँ:** उदाहरणार्थ क्रॉस होल्डिंग मानदंड, विलय या अधिग्रहण के दौरान एक दूरसंचार कंपनी को अन्य कंपनी में पृथक हिस्सेदारी लेने से प्रतिबंधित करते हैं। जैसे- RJio या एयरटेल, टाटा टेली सर्विसेस या एयरसेल में हिस्सेदारी प्राप्त नहीं कर सकते; वे केवल कंपनी का 100% खरीद सकते हैं ताकि एक संयुक्त इकाई का सृजन हो सके।
- **दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता** कॉल ड्रॉप इत्यादि जैसी समस्याओं के कारण निराशाजनक है।
- **डेटा सेवाओं हेतु विभेदकारी मूल्य निर्धारण:** यद्यपि ट्राई नेट न्यूट्रैलिटी (इंटरनेट तटस्थता) को प्रोत्साहित कर रही है परन्तु इसे कार्यान्वित करने हेतु कोई कानून उपलब्ध नहीं है।
- ट्राई द्वारा **इंटरकनेक्टेड यूजेज चार्जेज (IUC)** में हालिया कटौती को विभिन्न परिचालकों द्वारा राजस्व में एक वृहद् क्षति के रूप में वर्णित किया गया है।
- **परिचालकों का समेकन:** यह दूरसंचार फर्मों की वित्तीय तथा परिचालन दक्षता को बेहतर बनाएगा परन्तु इसे कुछ सरकारी मानदंडों तथा दूरसंचार फर्मों के निरुद्ध तुलन-पत्रों (constrained balance sheets) द्वारा बाधित किया जाता है।

ये मुद्दे दूरसंचार क्षेत्र को निम्नलिखित तरीके से प्रभावित करते हैं:

- अनेक सरकारी कार्यक्रम जैसे कि डिजिटल इंडिया तथा स्मार्ट सिटी दूरसंचार क्षेत्र तथा इसकी बेहतर वित्तीय क्षमता पर निर्भर हैं।
- बढ़ता ऋण तथा घटता राजस्व नवीन प्रौद्योगिकियों जैसे कि **वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (VoLTE),** इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) इत्यादि के कार्यान्वयन हेतु एक हतोत्साहक के रूप में कार्य करते हैं।
- व्यवसाय समेकन तथा लागत-कटौती के कारण क्षेत्र में लगभग 30,000 नौकरियों का ह्रास हो सकता है।

इंटरकनेक्टेड यूजेज चार्जेज (IUC)

- इन प्रभारों (charges) का भुगतान उस दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है जिसका ग्राहक दूसरे सेवा प्रदाता के ग्राहक को कॉल करता है।
- यह एक नेटवर्क के ग्राहकों को किसी अन्य नेटवर्क के साथ निर्बाध संचार स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह ट्राई द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा दूरसंचार कंपनियों हेतु आय का प्रमुख स्रोत है।

13.3. चुनौतियों का समाधान

(Addressing the Challenges)

चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार द्वारा **निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:**

- स्पेक्ट्रम शेयरिंग, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग, स्पेक्ट्रम सामन्जस्य और साथ ही साथ स्पेक्ट्रम नीलामी जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से **स्पेक्ट्रम प्रबंधन में सुधार।**
- **भारत नेट प्रोजेक्ट:** ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं की गहरी पैठ बनाने के लिए इस परियोजना का उद्देश्य भारत की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है।
- इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT), इंस्टेंट हाई डेफिनिशन (HD) वीडियो ट्रान्सफर इत्यादि जैसी पहलों को प्रोत्साहित करने हेतु **5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की योजना।**

VISION IAS

* **चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम (PMP):** इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत अधिक स्मार्टफोन कंपोनेंट्स को शामिल करना तथा मोबाइल हैंडसेट्स के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना है।
* **अन्य सरकारी कार्यक्रम:** डिजीगाँव, उत्तर-पूर्व मोबाइल नेटवर्क, संशोधित नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (NFS) परियोजना आदि।
* **मई 2018 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राहत पैकेज:** स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स कैप्स को शिथिल करना तथा नीलाम की गयी एयरवेव्स की भुगतान अवधि को चार वर्षों तक विस्तारित करना। इस प्रकार ऋण भार को कम करना तथा विलयों एवं अधिग्रहणों को बढ़ावा देना।

अन्य उठाए जाने योग्य कदम

* दूरसंचार द्वारा अपने टावर बिज़नेस, फाइबर की बिक्री, अपनी स्थावर संपदा के मौद्रीकरण इत्यादि के माध्यम से **ऋणों का भुगतान करना।**
* नए सतत राजस्व प्राप्ति मार्गों के निर्माण हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में **नवाचार** तथा निवेश।
* **ट्राई (TRAI) की अनुशंसाओं को अपनाना:** जैसे- स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC) को 1% तक कम करना, लाइसेंस शुल्क भुगतान को 3% तक कम करना तथा समायोजित सकल राजस्व की संशोधित परिभाषा को अपनाना।
* सरकार द्वारा **फ्लोर प्राइस पर पुनर्विचार करना:** इस प्रक्रिया के अंतर्गत नीलामी के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि मजबूत अभिकर्ता दुर्बल अभिकर्ताओं के मूल्य और सृजित संपत्ति को क्षति पहुँचाये बिना उन्हें समाहित करने में सक्षम हैं।
* सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से निजी सहभागिता की संलग्नता के माध्यम से **भारतनेट के क्रियान्वयन में तीव्रता लाना** जो स्वयं नीति आयोग द्वारा अनुशंसित है।

वर्ष 2018 तक इन्टरनेट अर्थव्यवस्था के 10 ट्रिलियन रुपए (155 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के स्तर तक पहुँचने की आशा है जो देश की जीडीपी में 5% का योगदान करेगा। सरकार की अनुकूल विनियामक नीतियों तथा बाजार में अत्यधिक प्रचलित 4G सेवाओं के कारण भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के अगले कुछ वर्षों में तेजी से विकास करने की संभावना है। भारत सरकार इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स, मशीन-टू-मशीन कम्युनिकेशन, इंस्टेंट हाई डेफिनिशन विडियो ट्रान्सफर तथा अपनी स्मार्ट सिटीज़ पहल को प्रोत्साहित करने हेतु 3,300 MHz तथा 3,400 MHz के बैंड में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की भी योजना बना रही है। भारतीय मोबाइल फोन उद्योग यह आशा करता है कि भारत सरकार द्वारा बैटरी चार्जरों के उत्पादन को बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप 365 फैक्ट्रियों की स्थापना होगी जिससे 2025 तक 8 लाख नौकरियों का सृजन होगा।